सूची

विषय
भाग I : प्रस्तावना
अध्याय I – प्रारंभिक
अध्याय II – परिभाषा
अध्याय III – पंजीकरण
भाग II : प्रूडेंशियल मुद्दे
अध्याय IV- पूंजी की आवश्यकता
अध्याय V – प्रूडेंशियल विनियमन
अध्याय VI - उचित व्यवहार संहिता
अध्याय VII - एनबीएफ़सी- फैक्टर के लिए विशेष निर्देश
अध्याय VIII - आईडीएफ-एनबीएफसी पर विशेष निर्देश
अध्याय IX - एनबीएफसी-एमएफआई पर विशेष निर्देश
भाग III: अभिशासन मुद्दे
अध्याय X - नियंत्रण का अधिग्रहण/अंतरण
अध्याय XI – कारपोरेट अभिशासन
भाग IV: विविध मुद्दे
अध्याय XII - शाखा/ सहायक संस्था/ संयुक्त उद्यम खोलना /विदेश में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रतिनिधि कार्यालय खोलना या निवेश करना
अध्याय XIII - विविध अनुदेश
अध्याय XIV - रिपोर्टिंग अपेक्षाएं
अध्याय XV – व्याख्याएं
अध्याय XVI – निरसन
अनुबंध
अनुबंध I- सरकारी एनबीएफसी के लिए समयसीमा
अनुबंध II - चलनिधि जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क के लिए दिशानिर्देश
अनुबंध III - चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए दिशानिर्देश
अनुबंध IV - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के तुलन पत्र का शेड्यूल
अनुबंध V – गिरवी प्रतिभूति से संबंधित आंकड़ें
अनुबंध VI - निजी क्षेत्र में नए बैंकों के लाइसेंस के लिए दिशा-निर्देश - परिभाषाएँ

अनुबंध VII - एनबीएफसी द्वारा अग्रिम के पुनर्रचना पर मानदंड
अनुबंध VIII – अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) और प्रमुख उद्योगों के लिए दीर्घकालिक परियोजना ऋण की लचीली पुनर्रचना
अनुबंध IX - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 – नोडल अधिकारी/प्रधान नोडल अधिकारी की नियुक्ति
अनुबंध X- एपी पोर्टफोलियो पर प्रावधान करने के बाद सीआरएआर की गणना
अनुबंध XI -एनबीएफसी-एमएफआई के लिए स्व - नियामक संगठन (एसआरओ) - मान्यता के लिए मानदंड
अनुबंध XII - कंपनी के प्रस्तावित प्रवर्तकों / निदेशकों/ शेयरधारकों के बारे में सूचना
अनुबंध XIII – एनबीएफसी के निदेशकों के लिए “उचित और उपयुक्त” मानदंड
अनुबंध XIV – निदेशकों द्वारा घोषणा और वचन
अनुबंध XV – एनबीएफसी के निदेशक के साथ प्रसंविदाओं के करार का फार्म
अनुबंध XVI- 500 करोड़ रुपए और अधिक के आस्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी एवं जमा लेने वाली एनबीएफसी (इसके पश्चात यथा लागू एनबीएफसी कहा जाएगा) के लिए तुलन पत्र प्रकटीकरण की सांकेतिक सूची
अनुबंध XVII – टीयर I पूँजी में शामिल करने की पात्रता के लिए बेमीयादी कर्ज लिखत (पीडीआई) के लिए लागू नियम व शर्तें
अनुबंध XVIII – बीमा क्षेत्र में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रवेश के लिए दिशानिर्देश
अनुबंध XIX - सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के मुद्दे पर दिशा-निर्देश
अनुबंध XX- एनबीएफसी द्वारा म्युचुअल फंड उत्पादों के वितरण पर दिशा-निर्देश
अनुबंध XXI - -क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के लिए - दिशानिर्देश - उपयोगकर्ताओं के रूप में एनबीएफसी
अनुबंध XXII - प्रतिभूतिकरण लेनदेन पर दिशा-निर्देश
अनुबंध XXIII - एनसीडी के प्राइवेट प्लेसमेंट पर दिशा-निर्देश
अनुबंध XXIV - वित्तीय संकटग्रस्तता की शुरू में ही पहचान, समाधान हेतु तत्काल उपाय और उधारदाताओं हेतु उचित वसूली: अर्थ व्यवस्था में संकटग्रस्त परिसंपत्तियों को पुनरुज्जीवन करने के लिए संरचना
अनुबंध XXV - एनबीएफसी द्वारा वित्तीय सेवाएं आउटसोर्स करने में जोखिम और आचार संहिता प्रबंधन पर निदेश

भाग I: प्रस्तावना

अध्याय 1
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और दिशानिर्देश का प्रारंभ।

(1) इन निदेशों को **गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली और जमा राशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016** कहा जाएगा।

(2) उक्त निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

2. प्रयोज्यता

(1) दिशानिर्देश के प्रावधान निम्नांकित पर लागू होंगे:

(i) भारिबैं अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत बैंक के साथ पंजीकृत प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई);

(ii) भारिबैं अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत बैंक के साथ पंजीकृत जमाराशि स्वीकार करने वाली प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी-डी)।

(iii) प्रत्येक एनबीएफसी-फैक्टर जो बैंक के पास फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 की धारा 3 के तहत पंजीकृत है और ₹500 करोड़ एवं उससे अधिक आकार के आस्ति हैं;

(iv) प्रत्येक इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आईडीएफ-एनबीएफसी), जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक में पंजीकृत है;

(v) प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - माइक्रो फाइनेंस संस्था (एनबीएफसी-एमएफआई) जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक में पंजीकृत है और जिनकी आस्ति का आकार ₹500 करोड़ अथवा उससे अधिक की है;

(vi) प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) वित्त कंपनी (एनबीएफसी-आईएफसी), जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक में पंजीकृत है और जिनकी आस्ति का आकार ₹500 करोड़ अथवा उससे अधिक है।

(2) इस दिशानिर्देश के प्रयोजन के लिए उपरोक्त (i) से (vi) मदों में दी गई एनबीएफ़सी की श्रेणियों को इसके पश्चात 'लागू एनबीएफसी' कहा जाएगा। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की विशिष्ट श्रेणी यथा एनबीएफसी-फैक्टर,

आईडीएफ-एनबीएफसी और एनबीएफसी-एमएफआई के रूप में पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की विशिष्ट श्रेणियों के लिए लागू विशेष निर्देश इस दिशानिर्देश के संबंधित अध्याय में दिए गए हैं।

(3) ये निर्देश कंपनी अधिनियम 2013 (2013 का अधिनियम 18) की धारा 2 के खंड (45) में दी गई परिभाषा के अनुसार सरकारी गैर बैंकिंग कंपनियों पर लागू होंगे। तथापि, सरकारी एनबीएफसी पर प्रूडेंशियल मानदंड, जनता से जमाओं की स्वीकृति, कारपोरेट अभिशासन, कारोबार विनियमन संहिता और वैधानिक प्रावधान इत्यादि से संबंधित निर्देश अनुबंध-I में दी गई समय-सीमा के अनुसार लागू होंगे। ऐसी सरकारी एनबीएफसी, जो अपने द्वारा प्रस्तुत रोड मैप के अनुसार पहले से ही प्रूडेंशियल विनियमनों का अनुपालन कर रही हैं, वे इसे जारी रखेंगे[1]।

(4) यह दिशानिर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक के गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग द्वारा जारी विनियमों को समेकित करता है। हालांकि बैंक के किसी अन्य विभाग द्वारा जारी कोई अन्य दिशानिर्देश/निदेश लागू एनबीएफ़सी पर लागू होंगे और उनका पालन करना होगा।

अध्याय II
परिभाषाएं

3. इन निदेशों के प्रयोजन के लिए, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः

(i) "अधिनियम" से तात्पर्य है भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934;

(ii) "बैंक" से तात्पर्य है भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 के तहत गठित भारतीय रिज़र्व बैंक;

(iii) "विघटित मूल्य (break-up value)" का अर्थ है इक्विटी पूंजी तथा आरक्षित निधि, जिसे अमूर्त परिसंपत्तियों एवं पुनर्मूल्यांकित आरक्षित निधि के रूप में घटाया गया है, व निवेशिती (इनवेस्टी) कंपनी के इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित किया गया है;

(iv) "वहन लागत (carrying cost)" का अर्थ है परिसंपत्तियों का बही मूल्य और उस पर उपचित ब्याज किंतु जो प्राप्त न हुआ हो;

(v) 'कंपनी' का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 अथवा कंपनी अधिनियम 2013 के संगत प्रावधान के तहत पंजीकृत कोई कंपनी;

[1] सरकारी कंपनियों को 12 दिसंबर 2006 के पत्र संख्या डीएनबीएस.पीडी/सीसी.संख्या.86/03.02.089/2006-07 के माध्यम से यह सूचित किया गया था कि सरकार के परामर्श से एनबीएफसी विनियमन के विभिन्न घटकों के अनुपालन के लिए एक रोड मैप आरबीआई (गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग) को प्रस्तुत करें।

(vi) ग्रुप में कंपनी अर्थात, किसी निम्नलिखित संबंध के माध्यम से दो अथवा दो से अधिक संस्थाओं का एक दूसरे के साथ संबंध-व्यवस्था : सहायक – मूल (एएस 21 के नियमानुसार वर्णित), संयुक्त उपक्रम (एएस 27 के नियमानुसार वर्णित), सहयोगी (एएस 23 के नियमानुसार वर्णित), प्रोमोटर-प्रोमोटी, सूची बद्ध कंपनियों के लिए (सेबी द्वारा उपलब्ध कराया गया (शेयरों का अधिग्रहण तथा कब्जा) विनियमन 1997 के अनुसार), संबंधित पार्टी (एएस 23 के नियमानुसार वर्णित), कॉमन ब्रॉंड नाम तथा 20% और उससे अधिक इक्विटी शेयर में निवेश;

(vii) "रियायत प्राप्तकर्ता" का अर्थ है कोई पार्टी जिसने अवसंरचना का विकास करने के लिए किसी परियोजना प्राधिकारी के साथ 'रियायत समझौते' नामक समझौता किया है;

(viii) "कारोबार परिचालन विनियमन" अर्थात उचित व्यवहार संहिता तथा अपने ग्राहक को जानिए पर समय- समय पर बैंक द्वारा जारी निदेश।

(ix) "नियंत्रण" का वही अर्थ होगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अभिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011 के विनियमन 2 के उप विनियमन (1) खंड (इ) में दिया गया है;

(x) "वर्तमान निवेश (current investment)" अर्थात ऐसा निवेश जिसे तुरंत भुनाया जा सके और निवेश करने की तारीख से एक वर्ष से अधिक अवधि तक धारित न किए जाने के लिए हो;

(xi) "ग्राहक इंटरफेस" अर्थात कारोबार गतिविधि करते समय एनबीएफसी और इसके ग्राहकों के बीच बातचीत।

(xii) "अर्जन मूल्य" का अर्थ है इक्विटी शेयरों का वह मूल्य जिसकी गणना करोत्तर लाभों के औसत तथा अधिमानी लाभांश को घटाते हुए तथा असाधारण एवं गैर-आवर्ती मदों को समायोजित करते हुए तत्काल पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए की गई हो और उसे निवेशिती कंपनी के इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित किया गया हो तथा जिसे निम्नलिखित दर पर पूंजीकृत किया गया होः

(ए) प्रमुखतः विनिर्माण कंपनी के मामले में, आठ प्रतिशत
(बी) प्रमुखतः व्यापार कंपनी के मामले में, दस प्रतिशत; और
(सी) एनबीएफसी सहित किसी अन्य कंपनी के मामले में, बारह प्रतिशत;

टिप्पणी : यदि निवेशिती कंपनी घाटे वाली कंपनी है तो अर्जन मूल्य शून्य पर लिया जाएगा;

(xiii) "उचित मूल्य" का अर्थ है अर्जन मूल्य और विघटित मूल्य का औसत;

(xiv) "संमिश्र ऋण (hybrid debt)" का अर्थ है ऐसा पूंजीगत लिखत जिसमें इक्विटी तथा ऋण की कतिपय विशेषताएं हों;

(xv) 'अवसंरचना ऋण निधि-गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी' अथवा "आईडीएफ-एनबीएफसी" का अर्थ है जमा नहीं लेने वाली कोई ऐसी एनबीएफसी जिसका निवल स्वाधिकृत निधि ₹300 करोड़ अथवा इससे अधिक हो और जो केवल ऐसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशीप (पीपीपी) और पोस्ट कमेंशमेंट ऑपरेशन

डेट (सीओडी) अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश करती है जो कम से कम एक वर्ष तक संतोषजनक रूप से वाणिज्यिक परिचालन कर रहा हो और त्रिपक्षीय करार के लिए एक पार्टी बन सकता हो।

(xvi) "अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) वित्त कंपनी" का अर्थ उस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से है जो निम्नलिखित मानदंड पूरा करती हो:

(ए) अपनी कुल परिसंपत्तियों के न्यूनतम 75% को इंफ्रास्ट्रक्चर ऋणों में नियोजन करती हो
(बी) ₹300 करोड़ अथवा उससे अधिक निवल स्वाधिकृत निधि हो
(सी) क्रिसिल, फिच, केयर, इकरा, ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ब्रिकबर्क) अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक से स्वीकृत अन्य किसी समतुल्य क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसी से न्यूनतम "ए" अथवा समतुल्य रेटिंग।
(डी) 15 प्रतिशत सीआरएआर (न्यूनतम 10 प्रतिशत टियर 1 पूंजी के साथ)

(xvii) 'अवसंरचना ऋण' का अर्थ है किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा मीयादी ऋण, एक परियोजना वित्त पैकेज के रूप में अधिग्रहित परियोजना कंपनी में बॉण्ड/डिबेंचर/अधिमान शेयर/इक्विटी शेयर के लिए परियोजना ऋण के रूप में उधारकर्ता को इसप्रकार दिया जाना कि सदस्यता राशि "अग्रिम राशि के रूप में हो" अथवा वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय[2] पर अधिसूचितअवसंरचना उप-क्षेत्रों में एक्सपोजर के लिए लंबी अवधि के लिए निधियन सुविधा के रूप में हो।

(xviii) "निवेश और ऋण कंपनी- (एनबीएफसी-आईसीसी)"का तात्पर्य है आस्ति वित्त के रूप में अर्थात ऋण अथवा अग्रिम अथवा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य को किसी गतिविधि को संचालित करने और प्रतिभूति प्रापण के लिए वित्त प्रदान करने का प्रमुख कारोबार करने वाली कोई ऐसी कंपनी जो एक वित्तीय संस्था हो बैंक के मास्टर निदेश में दी गई परिभाषा के अनुसार कोई अन्य प्रकार की एनबीएफसी नहीं।

(xix) "गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - फैक्टर (एनबीएफसी-फैक्टर)" का अर्थ है एक ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (एफ) की परिभाषा के अनुसार हो, जिसका प्राथमिक कारोबार इन निर्देशों के पैराग्राफ 42 की परिभाषा के अनुसार हो और जिसे फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम 2011 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत पंजीकरण का प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

(xx) "गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – सूक्ष्म वित्त संस्था (एनबीएफसी-एमएफआई)" से यह अभिप्रेत है कि जमाराशि नहीं स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत गठित और पंजीकृत) जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हो:

[2] 02 मार्च 2017 के परिपत्र संख्या डीएनबीआर.पीडी.सीसी.सं.085/03.10.001/2016-17

(ए) न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि ₹5 करोड़ (देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पंजीकृत एनबीएफसी-एमएफआई को न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि ₹2 करोड़ रखने की आवश्यकता है)
(बी) "अर्हक स्वरूप" में इसकी की निवल आस्तियां 85% से कम नहीं होना चाहिए। (केवल 1 जनवरी, 2012 या उसके बाद की संपत्ति के लिए ही संपत्ति योग्यता मानदंडों का अनुपालन किया जाना होगा। एक विशेष व्यवस्था के रूप में, 1 जनवरी 2012 तक की मौजूदा संपत्ति के लिए संपत्ति योग्यता मानदंड और सकल निवल आस्ति मानदंड दोनों का पालन किया जाना माना जाएगा। इन परिसंपत्तियों को परिपक्वता के पश्चात समाप्त करने की अनुमति दी जाएगी और इन्हें पुनः खोला नहीं जाएगा।)

उक्त खण्ड "बी" के लिए "निवल आस्तियों" से तात्पर्य है नकद तथा बैंक बैलेंस और पूंजी बाजार लिखतों के अतिरिक्त कुल आस्तियां।
वह ऋण "अर्हक आस्ति" होगा, जो निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करता है:-

i. एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा उधारकर्ता ऋण के संवितरण के लिए ग्रामीण क्षेत्र में ₹1,25,000/- तक पारिवारिक आय या अर्ध शहरी तथा शहरी क्षेत्र में ₹2,00,000/- पारिवारिक आय सीमा निर्धारित की गई है।
ii. पहले चरण में ऋण राशि ₹75,000/- से अधिक नहीं हो तथा क्रमबद्ध अगले चरण में ₹1,25,000/- से अधिक नहीं हो।
iii. उधारकर्ता की कुल ऋण ग्रस्तता ₹1,25,000 से अधिक नहीं हो;

बशर्ते यदि ऋण किसी शैक्षणिक अथवा चिकित्सा के व्यय के लिए है तो उधारकर्ता की कुल ऋण ग्रस्तता में इसे शामिल नहीं किया जाएगा।

iv. ₹30,000/- से अधिक ऋण राशि के लिए बिना किसी पूर्वभुगतान दंड के साथ ऋण अवधि 24 माह से कम नहीं होगी।
v. बिना किसी संपार्श्विक जमानत के ऋण दिया जाएगा।
vi. एमएफआई द्वारा प्रदत्त कुल ऋण कम से कम 50 प्रतिशन आय सृजन के लिए होना चाहिए।
vii. उधारकर्ता की सुविधानुसार ऋण पुनर्भुगतान साप्ताहिक, पाक्षिक, अथवा मासिक किस्तों में किया जा सकता है।

(xxi) गैर-परिचालनात्मक वित्तीय होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) अर्थात बैंक द्वारा जारी "**निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश**" में संदर्भित जमाराशि नहीं स्वीकार करने वाली एनबीएफसी से है जो लागू विनियामक आदेशों के तहत अनुमत सीमा तक, भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा अन्य किसी वित्तीय विनियामक द्वारा विनियमित बैंकिंग कंपनी के शेयर अथवा इस समूह की अन्य वित्तीय सेवा संस्थाओं के शेयर पर अधिकारी होगी।

(xxii) "दीर्घावधि निवेश" का अर्थ है वर्तमान निवेश से इतर निवेश;

(xxiii) "निवल परिसंपत्ति मूल्य" का अर्थ है किसी खास योजना के संबंध में संबंधित म्युचुअल फंड द्वारा घोषित अद्यतन निवल परिसंपत्ति मूल्य;

(xxiv) "निवल बही मूल्य" का अर्थ है

(ए) किराया खरीद परिसंपत्ति के मामले में, अतिदेयों तथा प्राप्य भावी किस्तों की कुल राशि, जिनमें से अपरिपक्व वित्त प्रभारों की रकम घटाई गई हो तथा इन निदेशों के पैराग्राफ 13(2) के प्रावधानों के अनुसार आगे और घटाई गई हो;

(बी) पट्टाकृत परिसंपत्ति के मामले में, प्राप्य राशि के रूप में लेखाकृत पट्टे के अतिदेय किरायों के पूंजीकृत अंश की कुल रकम और पट्टे की परिसंपत्ति का ह्रासित बही मूल्य जिसे पट्टा समायोजन खाते की रकम में समायोजित किया गया है।

(xxv) "स्वाधिकृत निधि" से तात्पर्य है चुकता इक्विटी पूंजी, अधिमानी शेयर जो अनिवार्यतः इक्विटी में परिवर्तनीय हों, मुक्त आरक्षित निधियां, शेयर प्रीमियम खाते में शेष और पूंजीगत आरक्षित निधि जो परिसंपत्ति के बिक्री आगमों से होनेवाले अधिशेष को दर्शाती है, परिसंपत्ति के पुनर्मूल्यांकन द्वारा सृजित आरक्षित निधियों को छोड़कर, संचित हानि राशि, अमूर्त परिसंपत्तियों का बही मूल्य और आस्थगित राजस्व व्यय को यथा घटाकर, यदि कोई हो;

(xxvi) "परियोजना प्राधिकारी' का अर्थ है देश में अवसंरचना के विकास के लिए देश द्वारा गठित एक व्यवस्था।

(xxvii) "सार्वजनिक जमा" निर्देश के प्रयोजन से इसका वही अर्थ होगा जैसाकि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार्यता (रिज़र्व बैंक) निदेश 2016 में परिभाषित है।

(xxviii) "सार्वजनिक निधि" सार्वजनिक जमाशि, अंतर कार्पोरेट बॉण्ड, बैंक फाइनेंस तथा वाणिज्यिक पत्र, ऋण पत्र आदि के माध्यम से बाह्य स्रोतों से जुटाई गई सभी प्रकार की निधि शामिल है, किंतु जारी करने की तारीख से 5 वर्ष की समावधि तक के लिए अनिवार्य रूप से इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय लिखतों द्वारा जारी निधि इसमें शामिल नहीं है।

(xxix) "गौण ऋण" का अर्थ है पूर्णतः चुकता लिखत, जो गैर-जमानती होता है और अन्य ऋणदाता के दावों के अधीन होता है और प्रतिबंधित खण्डों से मुक्त होता है और धारक के अनुरोध पर अथवा एनबीएफसी के पर्यवेक्षी प्राधिकारी की सहमति के बिना विमोच्य नहीं होता है। ऐसे लिखत का बही मूल्य निम्नानुसार पुनर्भुनाई के अधीन होगाः

<u>लिखतों की शेष परिपक्वता अवधि</u>	<u>बट्टा दर</u>
(ए) एक वर्ष तक	100%
(बी) एक वर्ष से अधिक किंतु दो वर्ष तक	80%
(सी) दो वर्ष से अधिक किंतु तीन वर्ष तक	60%
(डी) तीन वर्ष से अधिक किंतु चार वर्ष तक	40%
(ई) चार वर्ष से अधिक किंतु पांच वर्ष तक	20%

ऐसी भुनाई का मूल्य टियर-I पूंजी के पचास प्रतिशत से अधिक न हो;

(xxx) "पर्याप्त हित" का अर्थ है किसी व्यक्ति अथवा उसके पति-पत्नी अथवा अवयस्क बच्चे द्वारा एकल या सामूहिक रूप से किसी कंपनी के शेयरों में लाभभोगी हित धारिता, जिस पर अदा की गई रकम कंपनी की चुकता पूंजी अथवा भागीदारी फर्म के सभी भागीदारों द्वारा अभिदत्त पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक है;

(xxxi) `प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा राशि स्वीकार नहीं करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी' का अर्थ ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी से है जो सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार/धारण नहीं करतीं तथा पिछले लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दिखाए गए अनुसार जिसकी कुल परिसंपत्तियां ₹500 करोड़ रुपए और उससे अधिक हैं।

(xxxii) "टियर-I पूंजी" का अर्थ ऐसी स्वाधिकृत निधि में से अन्य एनबीएफसी के शेयरों और किराया खरीद तथा किए गए पट्टा वित्तपोषण एवं सहायक कंपनियों तथा उसी समूह की कंपनियों में रखी जमाराशियों सहित शेयरों, डिबेंचरों, बाण्डों, बकाया ऋणों और अग्रिमों में स्वाधिकृत निधि के दस प्रतिशत से अधिक निवेश, सकल रूप में, घटाया गया है; और प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ स्वीकार नहीं करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा प्रति वर्ष जारी बेमीयादी ऋण लिखत, पिछले लेखा वर्ष के 31 मार्च को ऐसी कंपनी की समग्र टियर । पूंजी के 15% की सीमा से अधिक न हो, को घटाया गया है"

(xxxiii) "टियर -II पूंजी" में निम्नलिखित शामिल हैः

(ए) उनसे इतर अधिमानी शेयर जो इक्विटी में अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय है;
(बी) 55 प्रतिशत की भुनाई /घटी दर पर पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि;
(सी) सामान्य प्रावधान एवं उस सीमा तक हानि आरक्षित निधि जो किसी विशिष्ट परिसंपत्ति के मूल्य में वास्तविक कमी अथवा उसमें ज्ञातव्य संभावित हानि के कारण नहीं है और ये अप्रत्याशित हानि की पूर्ति के लिए जोखिम भारित परिसंपत्तियों के एक और एक चौथाई प्रतिशत की सीमा तक उपलब्ध रहती हैं;
(डी) संमिश्र (हाइब्रिड) ऋण पूंजी लिखत;
(ई) गौण ऋण; और

(एफ) जमाराशियाँ स्वीकार नहीं करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा जारी बेमीयादी ऋण लिखत जो टियर । पूंजी में शामिल होने की पात्रता से अधिक हैं।

जिसकी सीमा सकल राशि, टियर-I पूंजी से अधिक न हो।

(xxxiv) "'त्रिपक्षीय करार' का अर्थ है तीन पार्टियों नामतः रियायतप्राप्तकर्ता, परियोजना प्राधिकारी और आईडीएफ-एनबीएफसी के बीच करार जिसमें सभी पार्टियों को उनको संदर्भित अन्य करारों के नियमों और शर्तों को उनपर लागू करती है।

4. इसमें प्रयुक्त शब्द अथवा अभिव्यक्तियों, जो इन निदेशों में परिभाषित नहीं हैं का अर्थ वही होगा जो भारिबैं अधिनियम में परिभाषित हैं। अन्य कोई शब्द अथवा अभिव्यक्तियां जिनका प्रयोग किया गया है किंतु भारिबैं अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है का वही अर्थ होगा जैसा कि उनके लिए फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम 2011 में परिभाषित है। कोई अन्य शब्द अथवा अभिव्यक्ति, जो उक्त निर्देशों अथवा भारिबैं अधिनियम अथवा फैक्टरिंग अधिनियम अथवा बैंक द्वारा जारी किसी अन्य निर्देशों में परिभाषित नहीं है, उनका वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में उनसे अभिप्रेत है।

अध्याय - III
पंजीकरण

5. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 –आईए, उप-धारा (1) खंड (बीकी शक्तियों (और इस संबंध में प्रदत्त सक्षम बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक, इसके द्वारा निवल स्वाधिकृत निधि को रुपए दो (एनओएफ़) सौ लाख निर्दिष्ट करता है जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के कारोबार को शुरू करने या जारी रखने हेतु आवश्यक होगा बशर्ते एनओएफ की एक विशिष्ट आवश्यकता बैंक द्वारा अन्यथा निर्धारित न की गई हो ।

बशर्ते कि कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के पास बैंक द्वारा जारी पंजीकरण का प्रमाण पत्र (पंजीकरण प्रमाण) हो और रुपए दो सौ लाख से कम की एनओएफ धारक कंपनी है, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार को जारी रख सकती है, अगर ऐसी कंपनी 1 अप्रैल, 2017 से पहले रुपये दो सौ लाख एनओएफ प्राप्त कर लेती है।

इस तरह की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, जिनका एनओएफ वर्तमान में 200 लाख से नीचे है, के लिए यह आवश्यक हो जाएगा, कि ऊपर दी गई निर्धारित अवधि के अंत में संशोधित स्तर के लिए अनुपालन प्रमाणित करने वाला सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।

निर्धारित समय अवधि के भीतर निर्धारित स्तर को प्राप्त करने में असफल होने पर ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण प्रमाण अपने पास रखने के लिए पात्र नहीं होगी।

भाग-II

<u>प्रूडेंशियल मुद्दे</u>
अध्याय - IV
पूंजी की आवश्यकता

6. (1) प्रत्येक लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को न्यूनतम पूंजी अनुपात बनाये रखना होगा जिसमें टियर -I और टियर II पूंजी उसके तुलन पत्र की समग्र जोखिम भारित आस्तियों और तुलन पत्र से इतर मदों के जोखिम समायोजित मूल्य के 15 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

(2) लागू एनबीएफसी (एनबीएफसी-एमएफआई और आईडीएफ-एनबीएफसी को छोड़कर) के लिए किसी भी समय टियर I पूंजी, 31 मार्च 2016 तक 8.5% से कम तथा 31 मार्च 2017 को 10% से कम नहीं होनी चाहिए।

(3) मुख्य रूप से स्वर्ण आभूषण के जमानत के बदले ऋण देने के कारोबार में संलिप्त लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (ऐसे ऋण उनकी कुल परिसंपत्ति का 50% या अधिक है) को टीयर I का न्यूनतम 12 प्रतिशत बनाये रखना होगा।

<u>स्पष्टीकरण</u>

I. **<u>तुलनपत्र की परिसंपत्तियों के संबंध में</u>**

(1) इन निदेशों में, प्रतिशत भार के रूप में व्यक्त ऋण जोखिम की मात्रा तुलनपत्र की परिसंपत्तियों के लिए है। अतः, परिसंपत्तियों के जोखिम समायोजित मूल्य की गणना के लिए प्रत्येक परिसंपत्ति/मद को संबंधित जोखिम भार से गुणा किया जाएगा ताकि परिसंपत्तियों का जोखिम समायोजित मूल्य निकाला जा सके। न्यूनतम पूंजी अनुपात की गणना हेतु इस प्रकार आकलित जोखिम भार के सकल (aggregate) को हिसाब में लिया जाएगा। जोखिम भारित परिसंपत्ति की गणना निधि प्रदत्त (funded) मदों के भारित सकल के रूप में निम्नानुसार की जाएगी।

<u>भारित जोखिम परिसंपत्तियां- तुलनपत्र में दी गई मदों के संबंध में</u>	**<u>प्रतिशत भार</u>**
(i) बैंकों में मीयादी जमा एवं उनके पास जमा प्रमाणपत्र-सहित नकदी और बैंक शेष	0
(ii) निवेश	
(ए) अनुमोदित प्रतिभूतियां [नीचे (सी) के अलावा]	0
(बी) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बांड	20
(सी) सरकारी वित्तीय संस्थाओं की मीयादी जमा/जमा प्रमाणपत्र/बांड	100
(डी) सभी कंपनियों के शेयर तथा सभी कंपनियों के डिबेंचर/बांड/ वाणिज्य पत्र एवं सभी म्युचुअल फंड की यूनिटें	100
(ई) एक वर्ष से अधिक वाणिज्यिक परिचालन वाले पीपीपी और वाणिज्यिक परिचालन तिथि के पश्चात वाले संरचनात्मक परियोजनाओं सहित सभी आस्तियाँ	50

(iii) चालू(current) परिसंपत्तियां	
(ए) किराए पर स्टॉक (निवल बही मूल्य)	100
(बी) अंतर-कंपनी ऋण/जमा	100
(सी) कंपनी ही द्वारा धारित जमाराशियों की पूरी जमानत पर ऋण और अग्रिम	0
(डी) स्टाफ को ऋण	0
(ई) अन्य जमानती ऋण और अग्रिम जिन्हें अच्छा (नीचे (vi) के अतिरिक्त) पाया गया है	100
(एफ) खरीदे/भुनाए गए बिल	100
(जी) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	100
(iv) अचल परिसंपत्तियां (मूल्यह्रास घटाने के बाद)	
(ए) पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां (निवल बही मूल्य)	100
(बी) परिसर	100
(सी) फर्नीचर और फिक्सचर	100
(v) अन्य परिसंपत्तियां	
(ए) स्रोत पर काटे गए आय कर (प्रावधान घटाकर)	0
(बी) अदा किया गया अग्रिम कर (प्रावधान घटाकर)	0
(सी) सरकारी प्रतिभूतियों पर देय (ड्यू) ब्याज	0
(डी) अन्य (स्पष्ट किया जाए)	100
(vi) अपना देश	
(a) केन्द्र सरकार पर निधि आधारित दावा	0
(b) प्रत्यक्ष ऋण / उधार / ओवरड्राफ्ट एक्सपोजर और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश	0
(c) केन्द्र सरकार की गारंटी का दावा	0
(d) राज्य सरकार की ऐसे गारंटी का दावा जिसपर चूक नहीं हुआ हो/ जिसपर चूक 90 दिनों से अधिक अवधि तक नहीं रहा हो।	20
(e) राज्य सरकार की ऐसे गारंटी का दावा जिसपर चूक 90 दिनों से अधिक अवधि तक हुआ हो।	100

टिप्पणी

(1) घटाने का कार्य केवल उन्हीं परिसंपत्तियों के संबंध में किया जाए जिनमें मूल्ह्रास अथवा अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किए गए हों।

(2) निवल स्वाधिकृत निधि की गणना के लिए जिन परिसंपत्तियों को स्वाधिकृत निधि से घटाया गया है उस पर भार `शून्य' होगा।

(3) जोखिम भार लगाने के प्रयोजन से किसी उधारकर्ता के समग्र निधिक जोखिम की गणना करते समय, ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ उधारकर्ता के खाते में कुल बकाया अग्रिमों से नकदी मार्जिन/प्रतिभूति जमा/जमानती राशि रूपी संपार्श्विक प्रतिभूति, जिसकी मुजरायी (set off) के लिए अधिकार उपलब्ध है, का समायोजन कर सकती हैं।"

(4) अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) सुविधा से संबंधित प्रतिभूतियों में निवेश हेतु मानदंड

(ए) एएए रेटिंग वाले प्रतिभूतिकृत पेपर में निवेश के लिए जोखिम भार

मूलभूत संरचना सुविधा से संबंधित "एएए" रेटिंग वाले प्रतिभूतिकृत पेपर में निवेश पर पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए 50 प्रतिशत जोखिम भार लगाया जाएगा जिसके लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगीः

(i) अवसंरचना सुविधा से आय / नकदी पैदा होती है, जो प्रतिभूतिकृत पेपर की सर्विसिंग/चुकौती सुनिश्चित करती है;

(ii) अनुमोदित ऋण साख एजेंसियों में से किसी एक द्वारा दी गई रेटिंग चालू और वैध है।

स्पष्टीकरण

जिस रेटिंग पर भरोसा किया गया है वह मौजूदा और वैध समझी जानी चाहिए, यदि रेटिंग निर्गम के खुलने की तारीख से एक महीने से अधिक समय की नहीं है, और रेटिंग एजेंसी से रेटिंग का औचित्य निर्गम खुलने की तारीख से एक वर्ष से अधिक का नहीं है, और रेटिंग पत्र तथा रेटिंग औचित्य दोनों प्रस्ताव दस्तावेज का हिस्सा हों।

(iii) द्वितीयक बाजार अभिग्रहण के मामले में निर्गम में, 'एएए' रेटिंग लागू है और संबंधित रेटिंग ऐजेंसी द्वारा प्रकाशित मासिक बुलेटिन से उसकी पुष्टि की जाती है।

(iv) प्रतिभूतिकृत पेपर एक अर्जक परिसंपत्ति है।

II. तुलनपत्र से इतर मदें

(1) सामान्य

लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, कुल जोखिम भारित तुलनपत्र से इतर ऋण एक्सपोजर को बाजार संबंधी जोखिम भारित राशि और गैर- बाजार संबंधी तुलनपत्र से इतर मदों को जोखिम भारित राशि के योग के रूप में गणना करेगी। तुलनपत्र से इतर मदों की जोखिम भारित राशि, जिससे ऋण एक्सपोजर की शुरूआत होती है उसकी गणना निम्नलिखित दो चरण प्रकिया से की जायेगी।

(i) लेन देन की अनुमानित राशि को ऋण परिवर्तन हेतु विशेष घटक द्वारा गुणा करके अथवा वर्तमान जोखिम प्रक्रिया लागू करके, समान ऋण राशि में परिवर्तित किया जाता है; तथा

(ii) समान ऋण राशि को जोखिम भार द्वारा गुणा करने पर परिणाम स्वरूप एक्सपोजर का निम्न प्रतिशत लागू होगा जैसे केन्द्र/राज्य सरकार के लिए शून्य, बैंकों के लिए 20 प्रतिशत तथा अन्य के लिए 100 प्रतिशत।

(2) गैर बाजार संबंधी तुलन पत्र से इतर मदें

(i) गैर बाजार संबंधी तुलनपत्र से इतरमदों से संबंधित समान ऋण राशि का निर्धारण विशिष्ठ व्यवहार की अनुबंधित राशि को उचित ऋण परिवर्तन घटक (सीसीएफ) से गुणा करके निर्धारित किया जाएगा।

क्रम.	लिखत	ऋण परिवर्तन घटक
i.	वित्तीय और अन्य गारंटियां	100
ii.	शेयर/डिबेंचर की हामीदारी दायित्व	50
iii.	आंशिक रूप से भुगतान किये गये शेयर /डिबेंचर	100
iv.	बिलों का बट्टाकरण /पुनर्भुनाई	100
v.	किये गये पट्टा अनुबंध किंतु हस्ताक्षर हेतु शेष	100
vi.	बिक्री और पुनर्खरीद अनुबंध और वसूली अधिकार सहित परिसंपत्ती की बिक्री जहाँ ऋण जोखिम लागू एनबीएफसी के साथ होती है।	100
vii.	अग्रेषित परिसंपत्ति खरीद, अग्रेषित जमाराशि और आंशिक रूप से भुगतान किये गये शेयर और प्रतिभुतियां, जो प्रतिबद्धताओं की विशिष्ठता से घटाकर प्रतिनिधित्व करता हैं	100
viii.	लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की प्रतिभूतियों को उधार में देना या एनबीएफसी द्वारा प्रतिभूतियों को अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप प्रविष्टी करना, जैसी घटनाओं का रिपो प्रकार के व्यवहारों में उदय होता हैं।	100
ix.	अन्य प्रतिबद्धताएँ (अर्थात् अतिरिक्त सुविधाएँ और क्रेडिट लाईन) मूल परिपक्वता के साथ एक वर्ष तक एक वर्ष से अधिक	20 50
x.	'समरूप प्रतिबद्धताएं जो लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना और बिना किसी शर्त के किसी भी समय रद्द किया जा सकेगा या जो उधारकर्ता के ऋण पात्रता में गिरावट के कारण स्वत: रद्द होने के लिए प्रभावी होंगी।'	0
xi..	अधिग्रहण करने वाली संस्था के बहियों से लिया गया वित्त	
	(i) बिना शर्त लिया गया वित्त	100
	(ii) सशर्त लिया गया वित्त	50 नोट:जैसा कि प्रति-पक्ष एक्सपोजर , जोखिम भार से निर्धारित की जायेगी, यह सभी उधारकर्ताओं के लिए 100 प्रतिशत होगा या सरकारी गारंटी कवर होने पर शून्य प्रतिशत होगा।
xii.	मानक परिसंपत्ति लेन-देन के प्रतिभूतिकरण के लिए चल निधि प्रदान करने की प्रतिबद्धता	100
xiii.	तीसरे पक्ष द्वारा मानक परिसंपत्ति के लेन-देन के प्रतिभूतिकरण के लिए दूसरी हानिनी क्रेडिट वृद्धि उपलब्ध कराना	100
xiv.	अन्य प्रासंगिक देनदारियां (उल्लेख किया जाये)	50

नोट:

1. *परिवर्तन घटक लागू करने के पहले नकदी मार्जिन/जमा राशियां घटायी जायेगी*
2. *जहां गैर बाजार से संबंधित तुलन पत्र से इतर मदें अनाहरित या आंशिक रूप से अनाहरित निधि आधारित सुविधा है प्रतिबद्ध अनाहरित राशि को तुलन पत्र से इतर गैर बाजार से संबंधित ऋण एक्सपोजर की*

प्रतिबद्धता की गणना करते समय उसमें समाहित किया जाना चाहिए, गैर बाजार से संबंद्ध तुलनपत्र से इतर ऋण एक्सपोजर का अधिकतम अप्रयुक्त भाग परिपक्वता की बाकी अवधि के दौरान रेखांकित किया जा सकता है। प्रतिबद्धता का कोई भी आहरित हिस्सा, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के तुलनपत्र के ऋण एक्सपोजर का हिस्सा बन सकता है।

'उदाहरणार्थ :

एक बड़ी परियोजना के लिए रू 700 करोड़ के मीयादी ऋण स्वीकृत की गई जिसे तीन वर्ष की समयावधि में चरणक्रम में आहरण किया जा सकता है। स्वीकृति की शर्तों के अनुसार तीन चरण में आहरण की अनुमति है- प्रथम चरण में रू 150 करोड़, द्वितीय चरण में रू 200 करोड़ तथा तृतीय चरण में रू 350 करोड़, जिसमें उधारकर्ता को नियत औपचारिकतायें पूरा करने के बाद II और III चरण के तहत आहरण के लिए लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का स्पष्ट अनुमोदन प्राप्त करना होगा। यदि उधारकर्ता द्वारा। चरण के तहत रू 50 करोड़ का आहरण किया जा चुका है, तो केवल। चरण के अनाहरित भाग के लिए गणना की जाएगी जो कि रू 100 करोड़ है। यदि। चरण को एक वर्ष के अंदर पूरा किया जाता है तब सीसीएफ 20% होगा तथा यदि यह एक वर्ष से अधिक समय के लिए है तब सीसीएफ 50 प्रतिशत लागू होगा।

(3) बाजार से संबंधित तुलन पत्र से इतर मदें

(i) जोखिम भारित तुलन पत्र से इतर ऋण एक्सपोजर की गणना करते समय लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बाजार से संबंधित तुलन पत्र से इतर सभी मदों (ओटीसी डेरिवेटीव्हज और प्रतिभूति वित्त पोषण लेनदेन जैसे कि रिपो/रिवर्स रिपो/सीबीएलओ आदि) के लिए शामिल किया जाना चाहिए.

(ii) बाजार से संबंधित तुलन पत्र से इतर मदों पर ऋण जोखिम की लागत लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की नकदी प्रवाह से अनुबंध द्वारा निर्धारित किये जाने के अनुसार प्रतिपक्ष द्वारा चूक करने की स्थिति प्रतिस्थापित करती है। अनुबंध की परिपक्वता पर और आधारभूत लिखत के प्रकार में दरों की अस्थिरता के अन्य हालात पर यह निर्भर होगा.

(iii) बाजार से संबंधित तुलन पत्र से इतर मदों में समाविष्ट होंगी :

(ए.) ब्याज दरों का अनुबंध – एकल मुद्रा अदला-बदली ब्याज दर सहित, आधार अदला-बदली, अग्रिम दर अनुबंध तथा भविष्य ब्याज दर;

(बी.) अनुबंध में स्वर्ण को शामिल करते हुए, विदेशी मुद्रा अनुबंधन – में शामिल क्रास मुद्रा अदला-बदली (क्रॉस मुद्रा में ब्याज की अदला –बदली की दरें भी शामिल है) अग्रिम विदेशी मुद्रा अनुबंध, मुद्रा फ्युचर्स ,मुद्रा विकल्प;

(सी.) ऋण चूक अदला-बदली और

(डी.) बाजार से संबंधित अन्य कोई अनुबंध विशेषकर भारतीय रिजर्व बैंक अनुमति प्राप्त जो ऋण ऋण जोखिम को उत्पन्न करती हो.

(iv) पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए निम्नलिखित छूट की अनुमति है -

ए. विदेशी मुद्रा (स्वर्ण के अतिरिक्त) अनुबंध जिसमें मूल परिपक्वता अवधि 14 कॅलेंडर दिन या कम है: और

बी. फ्यूचर्स और विकल्प के बाजारों में लेनेदेन होने वाले लिखत जो दैनिक मार्क टू मार्केट और मार्जिन भुगतान के अधीन है.

(v) केंद्रीय प्रतिपक्षों के एक्सपोजर (सीसीपी), डेरिवेटिव लेनदेन के कारण और प्रतिभूति वित्तपोषण लेनेदेन (जैसे संपार्श्विकीकृत उधार और उधार प्रतिबद्धताएं- सीबीएलओ, रिपो) के विरुद्ध प्रतिपक्ष के जोखिम के लिए शेष शून्य एक्सपोजर मूल्य माना जायेगा। क्यो कि सीसीपी की उनके प्रतिपक्षों के लिए एक्सपोजर्स पूरी तरह से दैनिक आधार पर संपार्श्विकीकृत परिकल्पित किया जाता है, जिससे सीसीपी की ऋण जोखिम एक्सपोजर्स को सुरक्षा प्रदान की जाती है।

(vi) सीसीपी के साथ संपार्श्विकीकृत रूप में रखी गई कारपोरेट प्रतिभूतियों पर सीसीएफ का 100 प्रतिशत लागू होगा तथा और उसके फलस्वरूप तुलनपत्र से इतर एक्सपोजर्स को सीसीपी के स्वरूप में उचित जोखिम भार नियत किया जायेगा। भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) के मामले में, जोखिम भार 20 प्रतिशत होगा और अन्य सीसीपी के लिए जोखिम भार 50 प्रतिशत होगा.

(vii) डेरिवेटिव लेनदेनों के संबंध में प्रतिपक्ष के लिए कुल ऋण एक्सपोजर की गणना नीचे दी गई वर्तमान एक्सपोजर पद्धति के अनुसार की जाएगी:

(4) ***वर्तमान एक्सपोजर पद्धति***

बाजार से संबंधित तुलनपत्र से इतर लेनदेनों की ऋण समानार्थी राशि की गणना में वर्तमान एक्सपोजर पद्धति का उपयोग होता है जो (i) वर्तमान ऋण एक्सपोजर और (ii) संभावित भविष्य के ऋण एक्सपोजर अनुबंध का योग है।

(i).वर्तमान ऋण एक्सपोजर को एकल प्रतिपक्ष के संबंध में सभी अनुबंधों के साथ सकल सकरात्मक मार्क टू मार्केट मूल्य के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। (विविध अनुबंधो का उसी प्रतिपक्ष के साथ सकारात्मक और नकारात्मक मार्क टू मार्केट मूल्य पर नेटिंग नहीं होनी चाहिये)। वर्तमान एक्सपोजर पद्धति की अपेक्षा है कि बाजर के इन अनुबंधों के वर्तमान ऋण एक्सपोजर की आवधिक गणना बाजार द्वारा निर्धारित मूल्य पर की जानी है ।

(ii) संभावित भविष्य ऋण एक्सपोजर का निर्धारण सभी अनुबंधों के प्रत्येक कल्पित मूलधन राशि को गुणा करके किया जाता है, चाहे उस अनुबंध का मूल्य लिखत के स्वरूप और शेष परिपक्वता अवधि के अनुसार नीचे दिए गए संबंधित एड ऑन फैक्टर द्वारा शून्य, घनात्मक या ऋणात्मक बाजार मूल्य क्यों न हो।

ब्याज दर संबंधित, विनिमय दर संबंधित और स्वर्ण से संबंधित डेरिवेटिव के लिए क्रेडिट परिवर्तन घटक		
	क्रेडिट परिवर्तन घटक (%)	
	ब्याज दर के अनुबंध	**विनिमय दर के अनुबंध और सोना**
एक वर्ष या कम	**0.50**	**2.00**
एक वर्ष से अधिक से पांच वर्ष तक	**1.00**	**10.00**
पांच वर्ष से अधिक	**3.00**	**15.00**

ए. मूलधन के बहुविध लेनदेन के साथ अनुबंध के लिए, अनुबंध में भुगतान हेतु शेष संख्या से एड ऑन घटकों को गुणा करना होता है।

बी. बकाया एक्सपोजर के निपटान के लिए संरचित अनुबंध हेतु निम्नलिखित विनिर्दिष्ट भुगतान तारीख तथा ऐसी शर्तें पुन: कायम की जाए जहां अनुबंधों का बाजार मूल्य इन विनिर्दिष्ट तारीखों को शून्य हो जाएं तथा आगामी पुन: कायम तारीख तक अवशिष्ट परिपक्वता को समय के बराबर बनाया जाए। तथापि, ब्याज दरों के अनुबंधों के मामलों में जहां अवशिष्ट परिपक्वता की अवधि एक वर्ष से अधिक है और उक्त पात्रताओं को पूर्ण करती है वहां सीसीएफ या एड ऑन घटक 1.0 प्रतिशत के स्तर के अधीन होंगे।

सी. संभावित ऋण एक्सपोजर की गणना एकल चल मुद्रा/चल ब्याज दर की अदला-बदली के लिए नहीं की जायेगी; इन अनुबंधों पर ऋण एक्सपोजर का मूल्यांकन केवल उनके मार्क टू मार्केट मूल्य के आधार पर होंगी।

डी. संभावित भविष्य एक्सपोजर 'स्पष्ट कल्पित राशि' के बदले 'प्रभावी 'आधार पर होनी चाहिए। प्रसंगवश विनिर्दिष्ट कल्पित राशि, संरचना की लेनदेन से उत्तोलित या बढ़ाई गई है तो प्रभावी कल्पित राशि का उपयोग संभावित भविष्य एक्सपोजर के निर्धारण के लिए किया जाना चाहिए। जैसे 1 मिलियन यूएसडी की कथित कल्पित राशि दो बार के आंतरिक दर भुगतान के आधार पर लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के उधार ब्याज दर की प्रभावी कल्पित राशि 2 मिलियन यूएसडी बन जायेगी।

(5) **ऋण चूक अदला-बदली (सीडीएस) के लिए ऋण परिवर्तन घटक** :

लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित कंपनी बांडों पर अपने ऋण जोखिम के बचाव के लिए उनको केवल ऋण सुरक्षा खरीद की अनुमति है। वर्तमान श्रेणी या स्थायी श्रेणी में बांड धारण किया गया हो। इन एक्सपोजरों के लिए पूंजी प्रभार निम्नलिखित होंगे:

(i) वर्तमान श्रेणी में धारित और सीडीएस द्वारा बचाव किए गए कार्पोरेट बांडों के लिए ऋण सुरक्षा का अधिकतम 80% तक एक्सपोजर जोखिम बचाव की अनुमति होगी, जहां सीडीएस तथा बचाव बांड के बीच कोई असमानता न हो। अत: लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कार्पोरेट बांड के लिए लागू पूंजी प्रभार का 20% तक के विस्तार को पूंजी प्रभार के रखरखाव के लिए जारी रखेंगी। एक्सपोजर मूल्य द्वारा बांड मूल्य का 20% बाजार मूल्य पर लेते हुए तथा जारी करने वाली संस्था के जोखिम भार को उससे गुणा करके इसे प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा, प्राप्त सीडीएस स्थिति प्रतिपक्ष जोखिम के लिए पूंजी प्रभार को आकर्षित करेगी, जिसकी गणना 100 प्रतिशत लागू ऋण परिवर्तन घटक द्वारा किया जाएगा तथा सुरक्षा विक्रेता पर लागू जोखिम भार के रूप में लागू होंगे जैसे बैंकों के लिए 20 प्रतिशत तथा अन्य के लिए 100 प्रतिशत।

(ii) स्थायी श्रेणी में धारित और सीडीएस द्वारा बचाव किए गए कार्पोरेट बांडों के लिये लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अंतर्निहित परिसंपत्ति हेतु पूर्ण सुरक्षा और उसपर किसी पूंजी के रखरखाव की अनावश्यकता की पहचान करेंगी, जहां सीडीएस तथा बचाव बांड के बीच कोई असमानता न हो .सुरक्षा विक्रेता के एक्सपोजर द्वारा एक्सपोजर पूरा प्रतिस्थापित हो जाएगा तथा सुरक्षा बिक्रेता पर लागू जोखिम भार के रूप में लागू होंगे जैसे बैंकों के लिए 20 प्रतिशत तथा अन्य के लिए 100 प्रतिशत"।

अध्याय V
प्रूडेंशियल विनियमन

7. <u>आय निर्धारण</u>

(1) आय निर्धारण मान्यताप्राप्त लेखा सिद्धांतों पर आधारित होगा।

(2) ब्याज/बट्टा/किराया- प्रभार /पट्टा किराया सहित आय अथवा एनपीए पर किसी अन्य प्रभार को गणना में तभी लिया जाएगा जब वह वास्तव में प्राप्त हो गया हो। ऐसी कोई भी आय जिसकी गणना परिसंपत्ति के अनर्जक बनने से पहले कर ली गई हो और वसूली न गई हो तो उसे उसमें से घटा दिया जाएगा।

8. <u>निवेशों से प्राप्त आय</u>

(1) कंपनी निकायों के शेयरों और पारस्परिक निधियों की यूनिटों के लाभांश से होने वाली आय की गणना नकदी के आधार पर की जाएगी;

बशर्ते कंपनी निकाय द्वारा उसकी वार्षिक आम बैठक में इस प्रकार के लाभांश घोषित किए जाने पर कंपनी निकायों के शेयरों पर लाभांश से होने वाली आय की गणना उपचय के आधार पर की जाए और एनबीएफसी का भुगतान प्राप्त करने से संबंधित अधिकार स्थापित हो जाए।

(2) कंपनी निकायों के बाण्डों एवं डिबेंचरों तथा सरकारी प्रतिभूतियों/बॉन्डों से होनेवाली आय की गणना उपचय के आधार पर की जाए।

बशर्ते इन लिखतों पर ब्याज दर पूर्व-निर्धारित हो और ब्याज का भुगतान नियमित रूप से हो रहा हो और वह बकाया न हो।

(3) कंपनी निकायों अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की प्रतिभूतियों से होने वाली आय, ब्याज भुगतान और मूलधन की चुकौती जो केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत हो, उसकी गणना उपचय के आधार पर की जाए।

9. <u>लेखांकन मानक</u>

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (इन निदेशों में "आईसीएआई" नाम से उल्लिखित) द्वारा जारी लेखांकन मानक और मार्गदर्शी नोट का पालन उस सीमा तक किया जाएगा जहां तक वे इन निदेशों से बेमेल न हों।

10. <u>निवेशों का लेखांकन</u>

(1) (i) प्रत्येक एनबीएफसी का निदेशक मण्डल अपनी निवेश नीति तैयार करेगा और उसे कार्यान्वित करेगा;

(ii) इस निवेश नीति में कंपनी का मण्डल निवेश को चालू तथा दीर्घावधि निवेश में वर्गीकृत करने से संबंधित मानदण्ड का उल्लेख करेगा;

(iii) प्रत्येक निवेश करते समय प्रतिभूतियों में किए गए निवेशों को चालू एवं दीर्घावधि में वर्गीकृत किया जाएगा;

(iv) अंतर-श्रेणी अंतरण के मामले में;

क) अनौपचारिक आधार पर कोई अंतरण नहीं होगा;

ख) आवश्यक होने पर, ऐसे अंतरण, निदेशक मण्डल के अनुमोदन से अंतर-श्रेणी अंतरण प्रत्येक छमाही के प्रारंभ में ही पहली अप्रैल अथवा पहली अक्तूबर को किया जाएगा;

ग) निवेश को चालू से दीर्घावधि एवं दीर्घावधि से चालू श्रेणी में बही मूल्य पर अथवा बाजार मूल्य पर जो भी कम हो, शेयरवार अंतरित किया जाएगा;

घ) यदि कोई मूल्यह्रास है तो प्रत्येक शेयर में उसके लिए पूरा प्रावधान किया जाएगा और यदि कोई मूल्यवृद्धि होती है तो उसे नज़रअंदाज़ किया जाएगा;

ङ) अंतर-श्रेणी अंतरण के समय, यहां तक कि एक ही श्रेणी के शेयरों के मामले में भी किसी शेयर का मूल्यह्रास अन्य शेयर की मूल्यवृद्धि के साथ समायोजित नहीं किया जाएगा,

(2) (i) मूल्यांकन के उद्देश्य से, उद्धृत चालू निवेशों को निम्नलिखित श्रेणियों के समूह में रखा जाएगा, अर्थात्

क) इक्विटी शेयर,

ख) अधिमानी शेयर,

ग) डिबेंचर और बाण्ड,

घ) खज़ाना बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियां,

ङ) पारस्परिक निधियों की यूनिटें, और

च) अन्य।

(ii) प्रत्येक श्रेणी हेतु उद्धृत चालू निवेश का मूल्यांकन लागत अथवा बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाएगा। इस प्रयोजन से, प्रत्येक श्रेणी का निवेश शेयर-वार देखा जाएगा और प्रत्येक श्रेणी के सभी निवेशों की लागत एवं बाजार मूल्य को एकीकृत किया जाएगा। यदि श्रेणी विशेष का सकल बाजार मूल्य उस श्रेणी की सकल लागत से कम है, तो निवल मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया जाएगा अथवा लाभ-हानि खाते में उसे प्रभारित किया जाएगा। यदि श्रेणी विशेष का सकल बाजार मूल्य उस श्रेणी की सकल लागत से अधिक है, तो निवल वृद्धि को नजरअंदाज किया जाएगा। एक श्रेणी के निवेश के मूल्यह्रास को अन्य श्रेणी की मूल्यवृद्धि के साथ समायोजित नहीं किया जाएगा।

(3) चालू निवेशों के रूप में अनुद्धृत इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन लागत अथवा अलग-अलग मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाएगा। तथापि, एनबीएफसी, आवश्यक समझने पर, शेयरों के अलग-अलग मूल्य के स्थान पर उचित मूल्य रख सकती हैं। जहां निवेश प्राप्त कंपनी के पिछले दो वर्ष के तुलनपत्र उपलब्ध नहीं हैं, वहां ऐसे शेयरों का मूल्यांकन एक रुपए मात्र पर किया जाएगा।

(4) चालू निवेशों की प्रकृति के अनुद्धृत अधिमानी शेयरों का मूल्यांकन लागत अथवा अंकित मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाएगा।

(5) अनुद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों या सरकारी गारंटीकृत बाण्डों में निवेशों का मूल्यांकन वहन लागत पर किया जाएगा।

(6) पारस्परिक निधि की यूनिटों में चालू स्वरूप के अनुद्धृत निवेशों का मूल्यांकन पारस्परिक निधि द्वारा प्रत्येक विशिष्ट योजना के संबंध में घोषित निवल परिसंपत्ति मूल्य पर किया जाएगा।

(7) वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यांकन वहन लागत पर किया जाएगा।

(8) दीर्घावधि निवेश का मूल्यांकन आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक द्वारा किया जाएगा।

टिप्पणी आय निर्धारण और परिसंपत्ति वर्गीकरण के प्रयोजन से अनुद्धृत डिबेंचरों को मीयादी ऋण के रूप में अथवा अन्य ऋण सुविधाओं के रूप में माना जाएगा जो इस प्रकार के डिबेंचरों की अवधि पर निर्भर करेगा।

11. मांग/सूचना ऋण से संबंधित नीति की आवश्यकता

(1) मांग/सूचना ऋण दे रही/देने का इरादा रखने वाली प्रत्येक एनबीएफसी के निदेशक मण्डल को कंपनी के लिए एक नीति तैयार करनी होगी और उसे कार्यान्वित करना होगा;

(2) इस नीति में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शर्तों का निर्धारण किया जाएगाः

(i) एक अंतिम तारीख जिसके भीतर मांग अथवा सूचना ऋण की चुकौती की मांग की जा सकेगी या सूचना भेजी जा सकेगी;

(ii) मांग अथवा सूचना ऋण की मंजूरी देते समय, यदि ऐसे ऋणों को वापस मांगने अथवा वापसी की सूचना देने हेतु अंतिम तारीख ऋण की मंजूरी की तारीख से एक वर्ष बाद की निर्धारित की गई है तो मंजूरी देने वाला अधिकारी लिखित रूप में उसके विशेष कारणों का उल्लेख करेगा;

(iii) ब्याज की दर जो ऐसे ऋणों पर देय होगी;

(iv) इन ऋणों पर यथानिर्धारित ब्याज या तो मासिक अथवा तिमाही अंतराल पर देय होगा;

(v) मांग अथवा सूचना ऋण मंजूर करते समय, यदि कोई ब्याज निर्धारित नहीं किया गया है अथवा यदि किसी अवधि के लिए ऋण स्थगन (मोरेटोरियम) किया गया है तो मंजूरी देने वाला अधिकारी उसके विशेष कारणों का उल्लेख करेगा;

(vi) ऋण के निष्पादन की समीक्षा हेतु एक अंतिम तारीख का निर्धारण,जो ऋण मंजूरी की तारीख से छह महीने से अधिक न हो;

(vii) इन मांग अथवा सूचना ऋणों को तब तक नवीकृत नहीं किया जाएगा जब तक आवधिक समीक्षा से यह पता न चले कि मंजूरी की शर्तों का संतोषजनक अनुपालन किया जा रहा है।

12. परिसंपत्ति वर्गीकरण

परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंड प्रत्येक लागू एनबीएफसी (एनबीएफसी-एमएफआई को छोड़कर) पर निम्नानुसार लागू होगा

(1) प्रत्येक एनबीएफसी, स्पष्ट रूप से परिभाषित ऋण कमज़ोरियों (क्रेडिट वीकनेस) की डिग्री एवं वसूली हेतु संपार्श्विक जमानत पर निर्भरता की सीमा को ध्यान में रखते हुए, पट्टा/किराया खरीद परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिमों तथा किसी अन्य प्रकार के ऋण को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करें, अर्थात्

(i) मानक परिसंपत्तियां,
(ii) अवमानक परिसंपत्तियां,
(iii)संदिग्ध परिसंपत्तियां, और
(iv) हानि वाली परिसंपत्तियां।

(2) उपर्युक्त परिसंपत्तियों की श्रेणी, मात्र पुनर्निर्धारण किए जाने के के लिए नहीं किया जाएगा, जब तक परिसंपत्तियां का उन्नयन के लिए अपेक्षित शर्तें पूरा नहीं करतीं ।

(3) (i) मानक परिसंपत्ति उस परिसंपत्ति को माना जाएगा, जिसके संबंध में मूलधन की चुकौती या ब्याज के भुगतान में कोई चूक न हुई हो और जिसमें कोई समस्या अथवा कारोबार से जुड़े सामान्य जोखिम के अलावा कोई अन्य जोखिम उजागर नहीं करती हो।

(ii) "अवमानक परिसंपत्ति" का अर्थ हैः

(ए) ऐसी परिसंपत्ति जिसे अधिक-से-अधिक 18 महीने की अवधि के लिए अनर्जक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया हो;

बशर्ते: कि उक्त खंड में विनिर्दिष्ट अधिकतम 18 माह की समयावधि 31 मार्च 2016; को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अधिकतम 16 माह, 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अधिकतम 14 माह तथा 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष और उसके बाद के लिए अधिकतम 12 माह की समयावधि हो।

(बी) ऐसी परिसंपत्ति जिसके ब्याज और/अथवा मूलधन से संबंधित करार की शर्तों का परिचालन शुरू होने के बाद पुनःसौदाकृत अथवा पुनर्निर्धारित अथवा पुनर्रचनाकृत शर्तों के अंतर्गत संतोषजनक निष्पादन के एक वर्ष की समाप्ति तक पुनः सौदा किया गया हो अथवा शर्तें पुनर्निर्धारित अथवा शर्तों की पुनर्रचना की गई होः

बशर्ते अवमानक परिसंपत्ति के रूप में मूलसंरचना ऋण का वर्गीकरण इन निदेशों के पैराग्राफ 25 के प्रावधानों के अनुसार होगा;

(iii) "संदिग्ध परिसंपत्तियों " का अर्थ *है*-

(ए) मीयादी ऋण, अथवा
(बी) पट्टा परिसंपत्ति, अथवा
(सी) किराया खरीद परिसंपत्ति, अथवा
(डी) कोई अन्य परिसंपत्ति,

जो 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 18 महीने से अधिक अवधि तक, 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 16 महीने से अधिक अवधि तक, 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 14 महीने से अधिक अवधि तक तथा 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष तथा इसके बाद के लिए 12 महीने से अधिक अवधि तक अवमानक परिसंपत्ति बनी रहे।

(iv) "हानि वाली परिसंपत्ति" का अर्थ हैः

(ए) ऐसी परिसंपत्ति जिसे एनबीएफसी द्वारा अथवा उसके आंतरिक या बाह्य लेखा-परीक्षकों द्वारा अथवा एनबीएफसी के निरीक्षण के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा हानि वाली परिसंपत्ति के रूप में उस सीमा तक पहचाना गया है जिस सीमा तक एनबीएफसी द्वारा बट्टे खाते नहीं डाला गया है; और

(बी) ऐसी परिसंपत्ति जो प्रतिभूति मूल्य में या तो क्षरण के कारण अथवा प्रतिभूति की अनुपलब्धता अथवा उधारकर्ता के धोखाधड़ीपूर्ण कृत्य या चूक के कारण वसूल न हो पाने के संभावित खतरे से (विपरीत रूप से) प्रभावित हो;

(v) अनर्जक परिसंपत्ति' (इन निदेशों में "एनपीए" नाम से संदर्भित) का अर्थ हैः

(ए) ऐसी परिसंपत्ति जिस पर ब्याज छह या उससे अधिक महीने से अतिदेय हो;

(बी) अदत्त ब्याज-सहित ऐसा मीयादी ऋण, जिसकी किस्त छह या उससे अधिक महीने से बकाया हो अथवा जिस पर ब्याज की रकम छह या उससे अधिक महीने से अतिदेय हो;

(सी) ऐसा मांग अथवा सूचना ऋण, जो मांग या सूचना की तारीख से छह महीने या उससे अधिक समय से अतिदेय हो अथवा जिस पर ब्याज की रकम छह महीने या उससे अधिक अवधि से अतिदेय हो;

(डी) ऐसा बिल जो छह महीने या उससे अधिक अवधि से अतिदेय हो;

(ई) अल्पावधि ऋण/अग्रिम के रूप में `अन्य चालू परिसंपत्तियां' शीर्ष के अंतर्गत कर्ज से संबधित ब्याज अथवा प्राप्य राशि से होने वाली आय, जो छह महीने या उससे अधिक अवधि से अतिदेय हो;

(एफ) परिसंपत्तियों की बिक्री या दी गई सेवाओं के लिए अथवा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति से संबंधित कोई बकाया, जो छह महीने या उससे अधिक अवधि से अतिदेय हो;

बशर्ते: कि खंड (ए) से (एफ) तक में विनिर्दिष्ट छः माह या उससे अधिक की समयावधि 31 मार्च 2016; को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए पांच माह तथा अधिक, 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए चार माह और अधिक तथा 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष और उसके बाद के लिए तीन माह और अधिक हो।

(जी) पट्टा किराया और किराया खरीद किस्त, जो 12 महीने या उससे अधिक अवधि से अतिदेय हो गई हो;

बशर्ते: कि उक्प खंड में विनिर्दिष्ट बारह माह या उससे अधिक की समयावधि 31 मार्च 2016; को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नौ माह तथा अधिक, 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए छः माह और अधिक तथा 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष और उसके बाद के लिए तीन माह और अधिक हो।

(एच) ऋणों, अग्रिमों और अन्य ऋण सुविधाओं के संबंध में (खरीदे और भुनाए गए बिलों-सहित), एक ही उधारकर्ता/लाभार्थी को उपलब्ध करायी गयी ऋण सुविधाओं (उपचित ब्याज-सहित) के अंतर्गत शेष बकाया राशि जब उक्त ऋण सुविधाओं में से कोई एक अनर्जक परिसंपत्ति बन जाए.

बशर्ते पट्टा और किराया खरीद लेनदेन के मामले में, एनबीएफसी ऐसे प्रत्येक खाते को उसकी वसूली स्थिति के आधार पर वर्गीकृत करें;

13. प्रावधानीकरण अपेक्षा

नीचे प्रस्तुत अपेक्षाएं प्रत्येक लागू एनबीएफसी (एनबीएफसी-एमएफआई को छोड़कर) पर लागू होंगीः
प्रत्येक एनबीएफसी, किसी खाते के अनर्जक होते जाने, उसके अनर्जक हो जाने के बीच लगने वाले समय, जमानत राशि की वसूली तथा उस समय में प्रभारित जमानती राशि के मूल्य में हुए क्षरण को ध्यान में रखकर अवमानक, संदिग्ध और हानि वाली परिसंपत्तियों के लिए निम्नानुसार प्रावधान करेंगी:

खरीदे और भुनाए गए बिलों-सहित ऋण, अग्रिम और अन्य ऋण सुविधाएं- (1) खरीदे और भुनाए गए बिलों-सहित ऋणों, अग्रिमों और अन्य ऋण सुविधाओं के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया जाएगाः

(i) हानिवाली परिसंपत्तियां	समस्त परिसंपत्ति बट्टे खाते डाली जाएगी।यदि किसी कारण से परिसंपत्तियों को बहियों में बने रहने दिया जाता है तो बकाया के लिए 100% प्रावधान किया जाए;
(ii) संदिग्ध परिसंपत्तियां	(ए) अग्रिम के उस भाग के लिए 100 % प्रावधान किया जाएगा जो उस जमानत के वसूलीयोग्य मूल्य से पूरा नहीं होता है जिसका एनबीएफसी के पास वैध आश्रय है। वसूली योग्य मूल्य का आकलन वास्तविक आधार पर किया जाना है; (बी) उपर्युक्त मद (क) के साथ-साथ, परिसंपत्ति के संदिग्ध बने रहने की अवधि को देखते हुए जमानती भाग के 20% से 50% तक के लिए (अर्थात् बकाया का आकलित वसूली योग्य मूल्य) निम्नलिखित आधार पर प्रावधान किया जाएगाः

जिस अवधि तक परिसंपत्ति को संदिग्ध माना गया	**प्रावधान का प्रतिशत**
एक वर्ष तक	20
एक से तीन वर्ष तक	30
तीन वर्ष से अधिक	50

(iii) अवमानक परिसंपत्तियां	कुल बकाया के 10% का सामान्य प्रावधान किया जाएगा।

(2) पट्टा और किराया खरीद परिसंपत्तियां- किराया खरीद और पट्टेवाली परिसंपत्तियों के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया जाएगाः

(i) किराया खरीद परिसंपत्तियां

किराया खरीद परिसंपत्तियों के संबंध में, कुल बकाया (अतिदेय और भविष्य की किस्तों को मिलाकर) को निम्नानुसार घटाकर प्रावधान किया जाएगा

(ए) लाभ-हानि खाता में वित्त प्रभार जमा नहीं करके और अपरिपक्व वित्त प्रभार के रूप में आगे ले जा करके; तथा

(बी) विचाराधीन (प्रतिभूतिगत) परिसंपत्ति के ह्रासित मूल्य से ।

स्पष्टीकरण : इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए,

(1) परिसंपत्ति के हासित मूल्य की गणना आनुमानिक (नोशनल) आधार पर परिसंपत्ति की मूल लागत में सीधे क्रम पद्धति (स्ट्रेट लाइन मेथड) से *बीस* प्रतिशत प्रतिवर्ष मूल्यह्रास की दर से घटाकर की जाएगी; और

(2) पुरानी परिसंपत्तियों के मामले में, मूल लागत वह लागत होगी जो उस परिसंपत्ति को प्राप्त करने के लिए व्यय की गई वास्तविक लागत होगी।

किराया खरीद और पट्टाकृत परिसंपत्तियों हेतु अतिरिक्त प्रावधान

(ii) किराया खरीद और पट्टाकृत परिसंपत्तियों के मामले में, अतिरिक्त प्रावधान निम्नानुसार किया जाएगाः

(ए) जहां किराया प्रभार अथवा पट्टा किराया 12 महीने तक अतिदेय हो	शून्य
(बी) जहां किराया प्रभार अथवा पट्टा किराया 12 महीने से अधिक किंतु 24 महीने तक अतिदेय हो	निवल बही मूल्य का 10 प्रतिशत
(सी) जहां किराया प्रभार अथवा पट्टा किराया 24 महीने से अधिक किंतु 36 महीने तक अतिदेय हो	निवल बही मूल्य का 40 प्रतिशत
(डी) जहां किराया प्रभार अथवा पट्टा किराया 36 महीने से अधिक किंतु 48 महीने तक अतिदेय हो	निवल बही मूल्य का 70 प्रतिशत
(ई) जहां किराया प्रभार अथवा पट्टा किराया 48 महीने से अधिक समय से अतिदेय हो	निवल बही मूल्य का 100 प्रतिशत

(iii) किराया खरीद/पट्टाकृत परिसंपत्ति की अंतिम किस्त की नियत तारीख से 12 महीने का समय समाप्त हो जाने पर समस्त निवल बही मूल्य का पूरा प्रावधान किया जाएगा।

टिप्पणी

(1) किराया खरीद करार के अनुसरण में उधारकर्ता द्वारा एनबीएफसी में रखी गई जमानत राशि/मार्जिन राशि अथवा जमानती राशि को यदि करार के अंतर्गत समान मासिक किस्तें निर्धारित करते समय हिसाब में नहीं लिया गया है, तो उसे उक्त खण्ड (i) के अंतर्गत निर्धारित प्रावधान में से घटाया जाए। किराया खरीद करार के अनुसरण में उपलब्ध अन्य किसी भी जमानत राशि को उक्त खण्ड (ii) के अंतर्गत निर्धारित प्रावधान से ही घटाया जाएगा।

(2) पट्टा करार के अनुसरण में उधारकर्ता द्वारा एनबीएफसी में जमानत के तौर पर रखी गई राशि तथा पट्टा करार के अनुसरण में उपलब्ध अन्य किसी जमानत का मूल्य, दोनों को उक्त खण्ड (ii) के अंतर्गत निर्धारित प्रावधान से ही घटाया जाएगा।

(3) यह स्पष्ट किया जाता है कि एनपीए के लिए आय का निर्धारण और प्रावधानीकरण, प्रूडेंशियल मानदण्डों के दो अलग पहलू हैं और मानदंडों के अनुसार कुल बकायों के एनपीए पर प्रावधान करने की आवश्यकता है साथ ही संदर्भाधीन पट्टाकृत परिसंपत्ति के ह्रासित बही मूल्य का, पट्टा समायोजन खाते में शेषराशि को, यदि कोई हो, समायोजित करने के बाद, प्रावधान किया जाएगा। यह तथ्य कि एनपीए पर आय का निर्धारण नहीं किया गया है, प्रावधान न करने के कारण के रूप में नहीं माना जाएगा।

(4) इन निदेशों के पैरा (12)(3)*(ii)(*बी) में संदर्भित परिसंपत्ति जिसके लिए पुनः बातचीत (रिनिगोशिएट) की गई अथवा जिसे पुनर्निर्धारित किया गया, अवमानक परिसंपत्ति मानी जाएगी अथवा यह उसी श्रेणी में बनी रहेगी जिस श्रेणी में वह पुनः बातचीत अथवा पुनर्निर्धारण के पूर्व , जैसा भी मामला हो, संदिग्ध अथवा हानिवाली परिसंपत्ति के रूप में थी। ऐसी परिसंपत्तियों के लिए यथा लागू प्रावधान तब तक किया जाता रहेगा जब तक यह उन्नत श्रेणी में न बदल जाए।

(5) पैरा 17 के उप पैरा (2) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार एनबीएफसी द्वारा तुलनपत्र तैयार किया जाए।

(6) 1 अप्रैल 2001 को या उसके बाद लिखे गए सभी वित्तीय पट्टों के लिए किराया खरीद परिसंपत्तियों पर लागू प्रावधान उन पर भी लागू होंगे।

14. मानक आस्तियों का प्रावधानीकरण

प्रत्येक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को मार्च 2016 समाप्ति तक मानक आस्तियों के बकाया का 0.30 प्रतिशत, मार्च 2017 समाप्ति तक 0.35 प्रतिशत, मार्च 2018 समाप्ति तक 0.40 प्रतिशत तथा उसके बाद

बकाया राशि का प्रावधान करना होगा जिसकी गणना निवल एनपीए के लिए नहीं की जाएगी। मानक आस्तियों के प्रति किया गया प्रावधान को समग्र अग्रिम से नेटेड नहीं किया जाएगा किंतु तुलन पत्र में मानक आस्तियों के प्रति अलग "आकस्मिक प्रावधान" के रूप में दर्शाया जाएगा।

15A. चलनिधि जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क के लिए दिशानिर्देश - जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली सभी लागू एनबीएफसी और जमाराशि स्वीकार करने वाली (किसी भी आस्ति-आकार वाली) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां **अनुलग्नक II** में दिये विवरण के अनुसार चलनिधि जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देशों के सेट का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। तथापि ये दिशानिर्देश टाइप -1 एनबीएफ़सी-एनडी[3], गैर परिचालित वित्तीय होल्डिंग कंपनियों और एकल प्राथमिक डीलरों पर लागू नहीं होंगे। प्रत्येक एनबीएफसी के बोर्ड का दायित्व होगा कि वह इन दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करे। इन दिशानिर्देशों के अनुसार एनबीएफसी से अपेक्षित आंतरिक नियंत्रण, पर्यवेक्षी पुनरीक्षण के अधीन होंगे।

15B. चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए दिशानिर्देश –ऊपर पैरा 15ए में दिये गए दिशानिर्देशों के साथ-साथ निम्नलिखित श्रेणी की एनबीएफ़सी **अनुलग्नक-III** में दिये अनुसार प्रकटन मानदंड सहित एलसीआर दिशानिर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित करेंगे:

(i) 10,000 करोड़ रूपए अथवा उससे अधिक आस्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली सभी एनबीएफसी और किसी भी आस्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार करने वाली सभी एनबीएफसी चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) की शर्तों के अनुसार चलनिधि बफर बनाए रखेंगी, जो 30 दिनों के लिए किसी भी विकट चलनिधि दबाव की स्थिति में सुरक्षित रहने के लिए उनके पास पर्याप्त उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्ति(एचक्युएलए) की उपलब्धता सुनिश्चित करके संभाव्य चलनिधि संकट में आघात-सहनीयता को प्रोत्साहित करेगा। एनबीएफसी द्वारा बनाए रखे जाने वाले एचक्युएलए का स्टॉक अगले 30 कैलेंडर दिवस तक कुल निवल नकदी बहिर्गमन का कम से कम 100% होगा। यह एलसीआर आवश्यकता एनबीएफसी पर 01 दिसंबर 2020 से बाध्यकारी होगी, जोकि शुरुआत में एलसीआर के 50% होगी और नीचे दर्शाये समय-सीमा के अनुसार 01 दिसंबर 2024 तक 100% के अपेक्षित स्तर तक पहुंचेगी:

से	01 दिसंबर 2020	01 दिसंबर 2021	01 दिसंबर 2022	01 दिसंबर 2023	01 दिसंबर 2024
न्यूनतम एलसीआर	50%	60%	70%	85%	100%

(ii) 5,000 करोड़ रूपए तथा उससे अधिक किन्तु 10,000 करोड़ रुपए से कम आस्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार नहीं करने सभी एनबीएफसी भी 01 दिसंबर 2020 से निम्नलिखित समय-सीमा के अनुसार चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) बनाए रखेगी:

से	01 दिसंबर 2020	01 दिसंबर 2021	01 दिसंबर 2022	01 दिसंबर 2023	01 दिसंबर 2024
न्यूनतम एलसीआर	30%	50%	60%	85%	100%

[3] टाइप 1-एनबीएफ़सी-एनडी की परिभाषा 17 जून 2016 को जारी आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है।

(iii) मूल निवेश कंपनियों, टाइप -1 एनबीएफ़सी-एनडी, गैर परिचालित वित्तीय होल्डिंग कंपनियों और एकल प्राथमिक डीलरों को एलसीआर मानदंडों के अनुपालन से छुट दी गई है।

16 एकाधिक एनबीएफसी

वैसे लागू एनबीएफसी जो किसी कॉर्पोरेट समूह का हिस्सा हैं अथवा जिन्हें प्रमोटरों के एक समान वर्ग द्वारा स्थापित किया गया हैं, को एकल स्वरूप में नहीं देखा जाएगा। किसी समूह में सभी एनबीएफसी, जमा लेने वाली एनबीएफसी सहित, यदि कोई हो, की कुल संपत्ति को यह निर्धारित करने के लिए एकत्रित किया जाएगा कि क्या इस तरह का समेकन दो श्रेणियों के परिसंपत्ति आकार अर्थात वैसे जिनकी परिसंपत्ति 500 करोड़ रूपए से कम है और जिनकी परिसंपत्ति 500 करोड़ रूपए से अधिक है, के अंतर्गत आता है। इन दो श्रेणियों पर लागू विनियमन समूह के भीतर जमा स्वीकार नहीं करने वाली प्रत्येक एनबीएफसी पर लागू होगा। इस प्रयोजन के लिए, सांविधिक लेखा परीक्षक को समूह के सभी एनबीएफसी के परिसंपत्ति आकार को प्रमाणित करना आवश्यक होगा। तथापि, समूह के भीतर एनबीएफसी-डी, यदि कोई हो, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सार्वजनिक जमा की स्वीकृति (रिजर्व बैंक) निदेश 2016 और सार्वजनिक जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर लागू प्रूडेंशियल मानदंड और अन्य दिशा-निर्देश के तहत विनियमित किया जाएगा।

17. तुलनपत्र में प्रकटीकरण

(1) प्रत्येक एनबीएफसी अपने तुलनपत्र में अलग से इन निर्देशों के अनुसार किए गए प्रावधानों को आय अथवा परिसंपत्तियों के मूल्य से घटाए बिना प्रकट करेंगी।

(2) प्रावधानों का उल्लेख विशेष रूप से निम्नलिखित पृथक खाता शीर्षकों के अंतर्गत किया जाएगाः

(i) अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान; तथा

(ii) निवेशों में मूल्यह्रास हेतु किए गए प्रावधान।

(3) इन प्रावधानों को एनबीएफसी द्वारा धारित सामान्य प्रावधान एवं हानिगत आरक्षित निधि, यदि कोई हो, से समायोजित नहीं किया जाएगा।

(4) इन प्रावधानों को प्रत्येक वर्ष लाभ-हानि खाता में नामे डाला जाएगा। सामान्य प्रावधान एवं हानिगत आरक्षित निधि शीर्ष के अंतर्गत धारित अधिशेष प्रावधान, यदि कोई हो, के साथ उन्हें समायोजित किए बिना पुनरांकित किया जाए।

(5) प्रत्येक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अपने तुलनपत्र में निम्नलिखित ब्योरे प्रकट करेगी-

(i) जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी - अनुपात (CRAR)
(ii) रियल इस्टेट सेक्टर(स्थावर संपदा क्षेत्र) के संबंध में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों जोखिम; तथा
(iii) परिसंपत्तियों एवं देयताओं का परिपक्वता पैटर्न।"

18. लेखा वर्ष

(1) प्रत्येक एनबीएफसी प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को अपना तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा तैयार करेगी। जब कभी कोई एनबीएफसी कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपने तुलनपत्र की तारीख बढ़ाने का इरादा करती है, तो इसके लिए उसे कंपनी के रजिस्ट्रार के पास जाने से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लेना होगा ।

(3) इसके अतिरिक्त, उन मामलों में भी जिनमें बैंक तथा कंपनी रजिस्ट्रार ने समय बढ़ाने की मंजूरी दी है, एनबीएफसी वर्ष के 31 मार्च को एक प्रोफार्मा तुलनपत्र (बिना लेखा परीक्षित) और उक्त तारीख को देय सांविधिक विवरणियां बैंक को प्रस्तुत करेगी। प्रत्येक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी तुलन पत्र की तारीख से तीन माह के अंदर उसे अंतिम रूप दे देगी।

19. तुलनपत्र की अनुसूची

प्रत्येक लागू एनबीएफसी, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित अपने तुलनपत्र के साथ, संलग्नक में दी गई अनुसूची IV में ब्योरे संलग्न करेगी।

20. सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन

प्रत्येक लागू एनबीएफसी सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन उसके सीएसजीएल खाते या उसके डिमैट खाते के जरिए कर सकती है ।

बशर्ते कोई भी एनबीएफसी सरकारी प्रतिभूति में कोई लेनदेन किसी दलाल के जरिए भौतिक रूप में नहीं करेगी।

21. एनबीएफसी के अपने शेयरों के बदले ऋण वर्जित किया जाना

कोई भी लागू एनबीएफसी अपने ही शेयरों के लिए ऋण नहीं देगी।

22. एनबीएफसी के शेयरों को जमानत पर रखकर ऋण

लागू एनबीएफसी सूचीबद्ध शेयरों को जमानत पर रखकर ऋण कारोबार करती है उन्हें,

(i) शेयरों की संपार्श्विक जमानत के बदले मंजूर ऋण का 50% मूल्य की तुलना में ऋण(एलटीवी) अनुपात बनाये रखना होगा। हमेशा 50% एलटीवी अनुपात बनाये रखना होगा। शेयर मूल्य में उतार चढाव के कारण यदि किसी भी समय एलटीवी अनुपात का 50% से कम होता है तो 7 कार्यदिवस के अंदर उसे ठीक कर लेना होगा।

(ii) ऐसे मामलों में जहां पूंजी बाजार में निवेश के लिए ऋण लिया गया है उस संबंध में ₹5 लाख से अधिक ऋण मूल्य के लिए संपार्श्विक जमानत के रूप में केवलग्रुप 1 प्रतिभूतियों (सेबी द्वारा जारी तथा समय समय पर संशोधित 11 मार्च 2003 का एसएमडी/नीति/परि-9 में विनिर्दिष्ट) को स्वीकार किया जाए, बशर्ते इसकी समीक्षा बैंक द्वारा की जाएगी।

(iii) ऋण प्राप्ति के लिए उधारकर्ताओं द्वारा उनके हित में गिरवी रखे गए शेयरों के संबंध में तिमाही आधार पर सूचना **अनुबंध V** में विनिर्दिष्ट फार्मेट के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज को ऑन लाइन रिपोर्टिंग की जाए।

23. लागू एनबीएफसी (500 करोड़ से अधिक आस्ति आकार वाले एनबीएफसी-एमएफआई को छोड़कर) ऋण/निवेश का संकेंद्रण

(1) कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी

(i) निम्नलिखित को ऋण नहीं देगीः

(ए) किसी एक उधारकर्ता को अपनी स्वाधिकृत निधि के पंद्रह प्रतिशत से अधिक; तथा
(बी) किसी एक उधारकर्ता समूह को अपनी स्वाधिकृत निधि के पचीस प्रतिशत से अधिक;

(ii) निम्नलिखित में निवेश नहीं करेगीः
(ए) अन्य कंपनी के शेयरों में अपनी स्वाधिकृत निधि के पंद्रह प्रतिशत से अधिक; और
(बी) एक समूह की कंपनियों के शेयरों में अपनी स्वाधिकृत निधि के पचीस प्रतिशत से अधिक;

(iii) निम्नलिखित से अधिक ऋण नहीं देगी और निवेश नहीं करेगी (ऋण/निवेश मिलाकर)
(ए) किसी एक पार्टी को अपनी स्वाधिकृत निधि के पचीस प्रतिशत से; और
(बी) किसी एक समूह की कंपनियों को अपनी स्वाधिकृत निधि के चालीस प्रतिशत से।

बशर्ते अन्य कंपनी के शेयरों में निवेश के संबंध में उक्त अधितम सीमा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर उस सीमा तक लागू नहीं होगी जिस सीमा तक बैंक द्वारा, लिखित रूप में, विशेष रूप से बीमा कंपनी की इक्विटी पूंजी में निवेश के संबंध में अनुमति दी गई हो।

बशर्ते इसके अतिरिक्त, कोई लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी किसी एकल पार्टी के लिए 5 प्रतिशत से अधिक तथा एक समूह में 10 प्रतिशत से अधिक ऋण संकेद्रण/निवेश मानदंड कर सकती है, यदि इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण तथा /अथवा निवेश में अतिरिक्त एक्सपोजर किया गया हो।

बशर्ते इसके अतिरिक्त इस पैरा में दी गई कोई भी शर्त निम्नलिखित पर लागू नहीं होती
(क) लागू एनबीएफसी द्वारा निम्नलिखित के शेयरों में निवेश
i. इसके सहायक संस्थाओं;
ii. समान समूह की कंपनियों के,
एनओएफ की गणना के लिए स्वाधिकृत निधि से घटाये गए सीमा तक और
(ख) डिबेंचर, बॉण्ड, बकाया ऋण तथा अग्रिम (किराया-क्रय और बट्टे हेतु वित्त सहित) के लिए देय तथा निम्नलिखित के पास जमा-
i. लागू एनबीएफसी की सहायक संस्थाएं;
ii. समान समूह की कंपनियों के,
एनओएफ की गणना के लिए स्वाधिकृत निधि से घटायी गई सीमा तक।

बशर्ते कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी ऋण संकेन्द्रण नियम से अधिक कर सकती है:
(क) ऋण देने में:
i. किसी एकल उधारकर्ता के मामले में अपनी निवल निधि का दस प्रतिशत तथा
ii. किसी एकल समूह के उधारकर्ताओं के मामले में अपनी निवल निधि का पन्द्रह प्रतिशत

(ख) ऋण देने तथा निवेश करने में, (ऋण/निवेश एक साथ किया गया हो)

i. किसी एकल उधारकर्ता के मामले में अपनी निवल निधि का पांच प्रतिशत तथा

ii. किसी एकल समूह के उधारकर्ताओं के मामले में अपनी निवल निधि का दस प्रतिशत

बशर्ते कि ऋण/निवेश संकेन्द्रण नियम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भारत में लोक निधि तक पहुंच नहीं बनाने वाली और गारंटी जारी नहीं करने वाली किसी लागू एनबीएफसी पर लागू नहीं होंगे।

(2) प्रत्येक एनबीएफसी (एनबीएफसी-डी को छोड़कर) को एकल पार्टी/एकल समूह पार्टी के संबंध में एक्सपोजर के प्रति नीति बनानी होगी।

(3) एनओएफएचसी द्वारा धारित एनबीएफसी को निम्नलिखित नहीं करना है:

(i) संबंद्ध अथवा एनओएफएचसी के किसी प्रोमोटर्स/ प्रोमोटर समूह संस्था अथवा प्रोमोटर्सग्रुप के साथ अथवा एनओएफएचसी के साथ व्यक्तिगत संबंद्ध एक्सपोजर (इक्विटी में निवेश/डेट पूंजी लिखत में निवेश सहित क्रेडिट तथा निवेश) में भाग लेना नहीं है।

(ii) एनओएफएचसी के तहत किसी वित्तीय संस्था के इक्विटी/डेट पूंजी लिखत में निवेश नहीं करना है।

(iii) अन्य एनओएफएचसी के इक्विटी लिखतों में निवेश नहीं करना है।

स्पष्टीकरण: इस पैराग्राफ में अभिव्यक्त 'प्रवर्तक' और 'प्रवर्तक समूह' के लिए प्रयोजनों का अर्थ, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश" संबंधी **अनुबंध VI** में निहित अभिप्राय के लिए निर्दिष्ट अर्थ से है।

<u>नोट</u>

1. उपर्युक्त सीमाओं के निर्धारण के लिए, तुलनपत्र से इतर एक्सपोजर को इन निदेशों के अध्याय IV के पैराग्राफ "व्याख्या II" में स्पष्ट किए गए परिवर्तन कारकों का इस्तेमाल करते हुए ऋण जोखिम में बदल दिया जाएगा।
2. इस पैराग्राफ में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए डिबेंचरों में किए गए निवेश को ऋण के रूप में माना जाएगा, न कि निवेश के रूप में।
3. ऋण/निवेश से संबंधित ये अधिकतम सीमाएं स्वयं की एनबीएफसी समूह तथा अन्य उधारकर्ताओं/ निवेश करने वाली कंपनी के समूह पर लागू होगी।

   क. "अवलंब-सहित" (विद रिकोर्स) आधार पर फैक्टरिंग के मामले में एक्सपोज़र की गणना करते समय इसे नियोजक द्वारा देय मानी जाएगी।

   ख. "अवलंब-रहित" (विदाउट रिकोर्स) आधार पर फैक्टरिंग के मामले में चाहे ऋण जोखिम कवर/सुरक्षा प्रदान की गई हो अथवा नहीं एक्सपोज़र की गणना करते समय इसे कर्जदार द्वारा देय मानी जाएगी। ऐसे मामले में अंतरराष्ट्रीय फैक्टरिंग अपवाद होंगे जहां संपूर्ण ऋण जोखिम आयात फैक्टर द्वारा देय माना जाता है।

24. निदेशकों, लेखा परीक्षकों आदि के पता में परिवर्तन संबंधी सूचना की प्रस्तुति

प्रत्येक लागू गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी निम्नलिखित में किसी प्रकार का परिवर्तन होने की सूचना एक माह के भीतर देगीः

(i) पंजीकृत/कंपनी (कार्पोरेट) कार्यालय के डाक का पूरा पता, टेलीफोन नं. तथा फैक्स नंबर;
(ii) कंपनी के निदेशकों के नाम तथा आवासीय पते;
(iii) उसके प्रधान अधिकारियों के नाम एवं पदनाम;
(iv) कंपनी के लेखा परीक्षकों के नाम तथा उनके कार्यालय के पते;
(v) कंपनी की ओर हस्ताक्षर के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षरों के नमूने।

यह सूचना वह भारतीय रिज़र्व बैंक के गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को देगी, जिसके क्षेत्राधिकार में वह कंपनी पंजीकृत है।

25. अग्रिमों की पुनर्रचना के लिए मानदंड

लागू एनबीएफसी द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना के लिए मानदंड भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों के लिए विनिर्दिष्ट मानदंड के तर्ज पर और संशोधित एवं तय **अनुबंध VII** दिए अनुसार होगा।

26. आधारभूत तथा मूल उद्योगों के लिए दीर्घावधि परियोजना ऋणों का लोचपूर्ण संरचना

लागू एनबीएफसी द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना के लिए मानदंड भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों के लिए विनिर्दिष्ट मानदंड के तर्ज पर और संशोधित एवं तय **अनुबंध VIII** दिए अनुसार होगा।

27. एकल उत्पाद की जमानत पर ऋण प्रदान करना- स्वर्ण आभूषण

(1) ए. सभी लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को

i. स्वर्ण आभूषण की संपार्श्विक जमानत के बदले स्वीकृत ऋण के लिए एलटीवी अनुपात 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;

बशर्ते अधिकतम अनुमत ऋण राशि निर्धारित करने के उद्देश्य से आभूषणों का मूल्य केवल उसमें निहित स्वर्ण के आंतरिक मूल्य पर निर्धारित किया जाए तथा इसमें अन्य लागत घटकों को शामिल नहीं किया जाए। सोने की आंतरिक मूल्य की गणना नीचे पैराग्राफ-3 में दिए विवरण के अनुसार की जाए।"

ii. अपने तुलन पत्र के कुल परिसंपत्ति में ऐसे ऋणों के प्रतिशत का उल्लेख करना होगा।

बी. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां बुलियन/अपरिष्कृत सोना (प्राइमरी गोल्ड) तथा सोने के सिक्कों के बदले कोई ऋण मंजूर नहीं करेंगी। अपरिष्कृत सोना (प्राइमरी गोल्ड), स्वर्ण बुलियन, सोने के आभूषण, सोने के सिक्के, सोने के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की इकाइयों (ईटीएफ) और सोना म्युचुअल फंड की यूनिटों सहित किसी भी रूप में सोने की खरीद के लिए एनबीएफसी द्वारा कोई अग्रिम मंजूर नहीं किया जाएगा।

(2) स्वर्ण के स्वामित्व का सत्यापन

(ए) उधारकर्ता द्वारा एक बार अथवा संचयी तौर पर 20 ग्राम से अधिक स्वर्ण आभूषणों को गिरवी रखकर ऋण लेने के मामले में, एनबीएफसी को आभूषणों के स्वामित्व का सत्यापन कर उसे अपने अभिलेख में रखना होगा। स्वामित्व के सत्यापन की प्रक्रिया बोर्ड द्वारा मंजूर नीति के तहत बनाया जाए।" गिरवी रखे आभूषणों के स्वामित्व का सत्यापन के लिए मूल रसीद की आवश्यकता नहीं है किंतु एक उचित दस्तावेज़

बनाना होगा जिससे स्वामित्व निर्धारित हो सके, विशेषकर जहां उधारकर्ता द्वारा एक बार अथवा संचयी तौर पर 20 ग्राम से अधिक स्वर्ण आभूषणों को गिरवी रखकर ऋण लेने के एक और प्रत्येक मामले में।
(बी) एनबीएफसी को इस संबंध में अपने बोर्ड से अनुमोदित समग्र ऋण नीति पर स्पष्ट नीति निदेश रखना होगा।

(3) एलटीवी अनुपात की गणना करने के लिए गिरवी के रूप रखे गए स्वर्ण मूल्य का मानकीकरण

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा गिरवी के रूप में रखे गए स्वर्ण आभूषणों का मूल्य निम्नलिखित पद्धति से निकाला जाए :

(i) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा गिरवी के रूप में रखे गए स्वर्ण आभूषणों का मूल्य निर्धारण बंबई बुलियन एसोसिएशन लिमिटेड (बीबीए) द्वारा 22 कैरेट सोने के लिए पूर्व के 30 दिनों की क्लोजिंग कीमत का औसत होगा अथवा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित कमोडिटी एक्सचेंज द्वारा महत्वपूर्ण अवसरों पर सार्वजनिक रूप से प्रसारित स्वर्ण मूल्य डाटा का भी उपयोग कर सकती है।

(ii) यदि सोने की शुद्धता 22 कैरेट से कम होती है तो एनबीएफसी को इसे 22 कैरेट की कीमत के समान इसका रूपांतरण करना होगा और सोने का सही वजन बताना होगा। अन्य शब्दों में, कम शुद्धता वाले स्वर्ण आभूषणों की कीमत अनुपात में तय करना होगा।

(iii) गिरवी के रूप में सोने को स्वीकार करते समय, एनबीएफसी द्वारा उधारकर्ता को अपने पत्र शीर्ष में सोने की परख, शुद्धता (कैरेट के रूप में) तथा वज़न के संबंध में प्रमाण पत्र देना होगा।

(iv) एनबीएफसी को मोचन पर विवाद से स्वयं की रक्षा के लिए चेतावनी को शामिल करना होगा, परंतु शुद्धता का प्रमाणपत्र अधिकतम अनुमत ऋण राशि तथा नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य दोनों के निर्धारण के लिए लागू होगा।

(4) नीलामी

(**ए)** गिरवी रखे गये स्वर्ण आभूषणों की नीलामी उसी शहर अथवा तालुका में आयोजित की जाए जिस शहर अथवा तालुका में ऋण देने वाली शाखा अवस्थित है। तथापि, एनबीएफसी किसी जिले में विभिन्न शाखाओं से सोने के आभूषण एकत्र कर सकते हैं और निम्नलिखित शर्तों के अधीन जिले के भीतर किसी भी स्थान पर इसे नीलाम कर सकते हैं:

(i) पहली नीलामी विफल रही है .

(ii) एनबीएफसी यह सुनिश्चित करेगा कि नीलामी के संबंध में मौजूदा निर्देशों की अन्य सभी आवश्यकताएं (पूर्व सूचना, आरक्षित मूल्य, पर्याप्त दूरी बनाए रखने संबंधी, प्रकटीकरण आदि) पूरी हों।

उपरोक्त शर्तों का पालन न करने पर कठोर प्रवर्तन कार्रवाई होगी

(**बी)** स्वर्ण की नीलामी करते समय एनबीएफसी को गिरवी रखे गए आभूषणों के आरक्षित मूल्य की घोषणा करनी होगी। गिरवी रखे गये स्वर्ण आभूषणों की आरक्षित मूल्य बंबई बुलियन एसोसिएशन लिमिटेड (बीबीए) द्वारा 22 कैरेट सोने के लिए पूर्व के 30 दिनों की क्लोजिंग कीमत अथवा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित कमोडिटी एक्सचेंज द्वारा महत्वपूर्ण अवसरों पर सार्वजनिक रूप से प्रसारित स्वर्ण मूल्य डाटा का 85% से कम नहीं होना चाहिए तथा कैरेट के संबंध में कम शुद्धता वाले आभूषणों के मूल्य को अनुपात में कम किया जाए।

(**सी)** एनबीएफसी के लिए यह अनिवार्य होगा कि नीलामी से प्राप्त मूल्य तथा बकाया अतिदेय का पूर्ण विवरण देना होगा तथा समायोजन करने पर यदि कोई राशि ऋण से अधिक और उपर होती है तो उसका भुगतान उधारकर्ता को करना होगा।

(**डी)** एनबीएफसी को अपने वार्षिक रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण खातों की संख्या, बकाया राशि, मूल्य प्राप्ति तथा नीलामी में क्या उसकी किसी सहायक कंपनी ने भाग लिया था आदि सहित किये गये नीलामी के विवरण के संबंध में घोषणा अनिवार्य रूप से करनी होगी

(5) स्वर्ण आभूषणों की जमानत पर ऋण देने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अपनायी जाने वाली सुरक्षा और सुरक्षा उपाय

(ए) स्वर्ण आभूषणों की जमानत पर ऋण देने का कारोबार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इनकी प्रत्येक शाखाओं में जहां स्वर्ण जमानत स्वीकार की जाती है वहां सुरक्षित तिजोरी तथा कार्यशील डिपाजिट वॉल्ट के प्रति पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सहित आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं उपलब्ध है। यह उधारकर्ताओं के लिए सुविधा तथा जमानत के रूप में स्वीकृत स्वर्ण के लिए सुरक्षा होगा।

(बी) स्वर्ण आभूषणों की पर्याप्त सुरक्षा तथा तिजोरी सहित स्टोरेज व्यवस्था के बिना कोई नई शाखा/एं नही खोली जाएंगी।

(6) संख्या में एक हजार से अधिक शाखाएं खोलने के लिए

एनबीएफसी के लिए 1000 से अधिक शाखाएं खोलने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। तथापि पहले से ही 1000 से अधिक शाखाओं वाली एनबीएफसी को अतिरिक्त शाखा विस्तार के लिए बैंक से पूर्व अनुमति लेना होगा। इसके अतिरिक्त गिरवी रखे गए स्वर्ण आभूषणों के लिए न्यूनतम सुरक्षा सुविधा तथा स्वर्ण आभूषणों के लिए स्टोरेज सुविधा के बिना किसी नई शाखा को खोलने की अनुमति नहीं है।

अध्याय - VI
लागू एनबीएफसी के लिए उचित व्यवहार संहिता

ग्राहक अंतराफलक वाले लागू एनबीएफसी निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करेंगेः

28. <u>ऋण आवेदन पत्र और उनको प्रोसेस करना</u>

(1)उधारकर्ता के लिए सभी संसूचनायें स्थानीय भाषा अथवा उधारकर्ता द्वारा समझी जाने वाली भाषा में होनी चाहिए।

(2)ऋण आवेदन पत्र में वह आवश्यक सूचना होनी चाहिए, जिससे उधारकर्ता का हित प्रभावित होता हो ताकि अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा प्रस्तावित शर्तों की अर्थपूर्ण तुलना की जा सके और उधारकर्ता पूरी जानकारी से अवगत होकर निर्णय ले सके। ऋण के लिए आवेदन करने समय प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों का उल्लेख ऋण-आवेदन फार्म में होना चाहिए।

(3) लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ एक ऐसी प्रणाली विकसित करें, जिससे सभी ऋण आवेदनों की प्राप्ति रसीद (पावती) दी जा सके। उक्त पावती में वरीयत: उस समयावधि का भी उल्लेख किया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत ऋण आवेदनों का निपटान कर दिया जाएगा।

29. ऋण मूल्यांकन और शर्तें

लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा उधारकर्ताओं को मंजूरी पत्र या मंजूर किए गए ऋण की राशि स्थानीय भाषा में अथवा उधारकर्ता द्वारा समझी जाने वाली भाषा में लिखित रूप में, अन्य प्रकार से, ऋण की शर्तां के साथ, जिसमें वार्षिक आधार पर ब्याज की दर तथा उसे लागू करने का तरीका भी दिया हो, सूचित करना चाहिए और उधारकर्ता द्वारा इन शर्तों की स्वीकृति को अपने अभिलेख में रखना चाहिए। जैसाकि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध सामान्यत: अधिक ब्याज/दण्ड ब्याज लगाने के संबंध में शिकायत प्राप्त होती है, अत: लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ऋण करार पत्र में विलम्ब चुकौती के लिए लगाये जाने वाले ब्याज दण्ड का उल्लेख स्पष्ट अक्षरों में करें।

कुछ मामलों में यह ज्ञात हुआ है कि ऋण मंजूरी के समय उधारकर्ता को ब्याज दर सहित ऋण की शर्तों की पूर्ण जानकारी नहीं होती है या तो ऐसा इसलिए होता है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ इसके ब्योरे न देती हों या उधाकर्ता के पास विस्तृत ऋण करार को पढ़ने का समय न रहा हो। ऋण करार या उसमें उल्लिखित संलग्नकों की प्रतिलिपि उपलब्ध न कराना अनुचित व्यवहार है और इससे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी तथा उधारकर्ता के बीच ऋण मंजूरी की शर्तों के संबंध में विवाद हो सकता है जिसके लिए ऋण मंजूर किया गया है। अतः लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ऋण की मंजूरी देते समय/ऋण वितरण के समय, ऋण-करार एवं उसमें उल्लिखित सभी संलग्नकों की प्रतिलिपि <u>सभी</u> उधारकर्ताओं को अनिवार्य रूप से स्थानीय भाषा अथवा उधारकर्ता द्वारा समझी जाने वाली भाषा में उपलब्ध कराएंगे।

30. नियम और शर्तो में परिवर्तन सहित ऋणों का वितरण

(1) लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को, वितरण अनुसूची, ब्याज दरों, सेवा प्रभारों, अवधिपूर्व भुगतान प्रभारों आादि सहित शर्तों में कोई परिवर्तन होने पर उसकी सूचना उधारकर्ता को, स्थानीय भाषा अथवा उधारकर्ता द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में देनी चाहिए। लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यह भी सुनिश्चित करें कि ब्याज दरों और प्रभारों में हुए परिवर्तन केवल बाद की तारीख से लागू हों। इस संबंध में ऋण करार में समुचित शर्त शामिल की जाए ।

(2) ऋण वापस लेने/ भुगतान में तेजी लाने या करार के निष्पादन में तेजी लाने का निर्णय ऋण करार की शर्तों के अनुरूप होना चाहिए।

(3) लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को सभी देय राशियों की चुकौती होने पर या ऋण की बकाया राशि की वसूली हो जाने पर उनके उधारकर्ता के विरुद्ध किसी अन्य दावे के न्यायसंगत अधिकार या ग्रहणाधिकार को छोड़कर, सभी जमानत स्वरूप रखे गए दस्तावेज वापस दे देने चाहिए । ऐसे समायोजन के यदि किसी अधिकार का, इस्तेमाल किया जाना है तो उसके लिए शेष दावों के बारे में पूरे विवरण के साथ उधार लेने वालों को नोटिस देना होगा और उन दशाओं की सूचना देनी होगी जिनके अंतगर्त लागू गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को संगत दावा न सुलझाए जाने/ भुगतान न करने तक उस/उन दस्तावेजों को रोके रहने का अधिकार है ।

31. सामान्य

(1) लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को उन प्रयोजनों को छोड़कर, जिनका ऋण करार की शर्तों में उल्लेख है, जब तक उधारकर्ता द्वारा पहले प्रकट नहीं की गई कोई नई सूचना उधार देने वाली कंपनी की जानकारी में नहीं आई हो), उधार लेने के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ।

(2) उधारकर्ता से उधार-खाते को अंतरित करने का अनुरोध प्राप्त होने पर, उसकी सहमति या असहमति जैसे लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की आपत्ति यदि कोई हो तो, ऐसे अनुरोध प्राप्त होने के 21 दिन के अंदर उधारकर्ता को सूचित की जानी चाहिए। ऐसा अंतरण कानून के अनुरूप और पारदर्शी संविदागत शर्तों के अनुसार होगा ।

(3) ऋण की वसूली के मामले में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अनुचित रूप से परेशान करने के प्रयास नहीं किए जाने चाहिए जैसे-ऋणों की वसूली हेतु उधारकर्ता को निरंतर असमय परेशान करना, मारपीट करने का भय दिखाना, आदि । जैसा कि कंपनी के कर्मचारियों द्वारा अभद्र व्यवहार करने के संबंध में भी ग्राहकों से शिकायतें प्राप्त होती है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यह सुनिश्चित करें कि ग्राहकों से व्यापार करने के लिए कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया है।

(4) ग्राहक संरक्षण के लिए कतिपय उपायों तथा बैंकों और एनबीएफसी के उधारकर्ताओं द्वारा विभिन्न ऋणों का पूर्वभुगतान के संबंध में एकरूपता लाने के लिए, लागू एनबीएफसी को सूचित किया जाता है कि वैयक्तिक उधारकर्ताओं को मंजूर सभी अस्थिर दर वाले मीयादी ऋणों पर फोरक्लोजर प्रभार/अवधिपूर्व चुकौती अर्थदंड नहीं लगाया जाए तथा यह तत्काल प्रभाव से लागू है।

32. निदेशक मंडल का दायित्व

लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के निदेशक मंडल को इस संबंध में उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के लिए संगठन/संस्था के अंदर उचित शिकायत निवारण प्रकिया भी निर्धारित करनी चाहिए। ऐसी प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उधार देने वाली संस्था के कार्यकर्ताओं के निर्णयों से उत्पन्न सभी विवादों की कम से कम अगले उच्च स्तर पर सुनवाई हो और निपटारा हो। निदेशक मंडल को उचित व्यवहार संहिता के अनुपालन और प्रबंध तंत्र के विभिन्न स्तरों पर

शिकायत निवारण प्रक्रिया की कार्यप्रणाली की आवधिक रूप से समीक्षा करने की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसी समीक्षाओं की, निदेशक मंडल द्वारा यथानिर्धारित, नियमित अंतरालों पर एक समेकित रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

33. शिकायत निवारण अधिकारी

परिचालनात्मक स्तर पर सभी लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां से अपेक्षित है कि वे अपने ग्राहकों के लाभ के लिए अपनी शाखा /उन स्थानों पर जहां कारोबार किया जाता है, वहां निम्नलिखित सूचना को प्रमुखता के साथ प्रदर्शित करें:

(1) शिकायत निवारण अधिकारी का नाम और पता (टेलिफोन/मोबाइल नम्बर तथा ई मेल पता) जिसे कंपनी के विरुद्ध शिकायत की स्थिति में समाधन हेतु सार्वजनिक द्वारा संपर्क किया जा सके।

(2) यदि शिकायत/विवाद का निपटान एक माह की समयावधि के अंदर नहीं होता है तब ग्राहक भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के प्रभारी (पूर्ण संपर्क पता दिया जाए) के समक्ष अपील कर सकते हैं जिसके अधिकार क्षेत्र में लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकृत कार्यालय आता है।

34ए. नोडल अधिकारी/प्रधान नोडल अधिकारी की नियुक्ति

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना से जुड़ी सभी एनबीएफसी अनुलग्नक IX में दिये गए दिशानिर्देशों के अनुसार नोडल अधिकारी/प्रधान नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेंगे।

35. उचित व्यवहार संहिता संप्रेषित करने का माध्यम और भाषा

ग्राहक इंटरफेस वाली सभी लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यहां ऊपर दिए गए निदेशों के आधार पर उचित व्यवहार संहिता (जो कि विशेष रूप से उधारकर्ता द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में) तैयार करके बोर्ड के अनुमोदन से कार्यान्वित कर दी जानी चाहिए। लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उक्त उचित व्यवहार संहिता का प्रारूप तैयार करने, उक्त निदेशों की व्याप्ति (स्कोप) बढ़ाने की स्वतंत्रता होगी परंतु वे उपर्युक्त निदेशों की निहित मूल भावना का त्याग नहीं करेंगी। उक्त उचित व्यवहार संहिता, विभिन्न दावा धारकों की सूचना के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अपनी वेबसाइट पर, यदि हो तो, उपलब्ध कराई जाए ।

36. लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अत्यधिक ब्याज लेने/प्रभारित करने के संबंध में नियम

(1) प्रत्येक लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, निदेशक बोर्ड निधियों की लागत, मार्जिन तथा जोखिम प्रीमियम, आदि जैसे संगत कारकों को शामिल करते हुए ब्याज दर मॉडल अपनाएगा और ऋणों तथा अग्रिमों पर लगाई जाने वाली ब्याज दरों का निर्धारण करेगा। भिन्न-भिन्न श्रेणी के उधारकर्ताओं पर लगाये जाने वाला ब्याज दरों एवं जोखिमों का श्रेणीकरण के रुख तथा भिन्न ब्याज दरें प्रभारित करने संबंधी युक्तियुक्तता को उधारकार्ताओं या ग्राहकों के आवेदनपत्र में प्रकट करना होगा व ऋण/अग्रिम के स्वीकृति पत्र में इन्हें स्पष्ट रूप से सूचित करना होगा।

(2) ब्याज दरों एवं जोखिमों के श्रेणीकरण के रुख को युक्तियुक्तता सहित कंपनी की वेबसाइट पर या संगत समाचार पत्र में प्रकाशित कर उपलब्ध कराया जाएगा। ब्याज दर में जब भी बदलाव होगा, वेबसाइट या समाचारपत्र में प्रकाशित ऐसी सामग्री को भी तदनुसार अद्यतन किया जाएगा।

(3) ब्याज की दर वार्षिक दर के रूप में दिखाई जाएगी ताकि उधारकर्ता यह जान सकें कि उनसे ली जाने वाली वास्तविक ब्याज दर क्या होगी।

37. लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अत्यधिक ब्याज लेने/प्रभारित करने के संबंध में शिकायतें

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा कतिपय ऋणों व अग्रिमों पर अत्यधिक ब्याज/प्रभार (चार्ज) लेने के संबंध में रिज़र्व बैंक को अनेक शिकायतें मिल रही हैं। यद्यपि ब्याज दरें रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित नहीं की जाती हैं तथापि, कतिपय स्तर(लेवल) से ज्यादा ब्याज वसूलना अत्यधिक ब्याज दर के रूप में देखा जा सकता है। उन्हें सतत रूप से न तो जारी रखा जा सकता है और न ही ऐसा करना सामान्य वित्तीय व्यवहार के अनुरूप है। अत:, लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के निदेशक बोर्ड ब्याज दरों, प्रोसेसिंग तथा अन्य चार्जेज़ के निर्धारण के संबंध में उचित आंतरिक सिद्धांत एवं प्रक्रिया बनाकर लागू करेंगे। इस संबंध में उचित व्यवहार संहिता में शामिल निदेशों को ध्यान में रखा जाए जिसमें ऋण की शर्तों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कहा गया है।

38. लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा वित्तपोषित वाहनों को पुन: कब्जे (repossession) में लेना

(1) लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा 'पुन: कब्जे में लेने की शर्त' उधारकर्ताओं के साथ की जाने वाली संविदा/किए जाने वाले करार का अंग होना चाहिए जो विधिक रूप से प्रवर्तनीय हो। इस बारे में पारदर्शिता के लिए संविदा/ऋण करार की शर्तों के संबंध में इन प्रावधानों को भी शामिल किया जाए-

(i) प्रतिभूति को कब्जे में लेने से पूर्व नोटिस - अवधि,

(ii) परिस्थितियाँ जिनमें नोटिस अवधि से छूट दी जा सकती हो,

(iii) प्रतिभूति को कब्जे में लेने की प्रणाली,

(iv) संपत्ति की बिक्री/नीलामी से पूर्व उधारकर्ता को चुकौती करने का अंतिम मौका देने संबंधी प्रावधान,

(v) उधारकर्ता को पुन: कब्जा देने की प्रणाली और

(vi) संपत्ति की बिक्री/नीलामी की प्रणाली संबंधी प्रावधान शामिल होने चाहिए।

(2) उधारकर्ता को ऐसी शर्तों की एक प्रति अवश्य उपलब्ध करानी चाहिए। लागू गैर बैंकिग वित्तीय कंपनियाँ ऋण करार की प्रति तथा ऋण करार में उद्धृत सभी अनुलग्नकों, जो ऐसी संविदा/ऋण

करार का महत्त्वपूर्ण अंग हों, की एक-एक प्रति सभी उधारकर्ताओं को ऋणों की स्वीकृति देने/का वितरण करते समय उपलब्ध कराएं।

39. स्वर्ण आभूषण की संपार्श्विक जमानत के बदले ऋण

स्वर्ण आभूषणों के बदले व्यक्तियों को ऋण देते समय, लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित सामान्य निदेश अपनाएं:-

(i) स्वर्ण के बदले ऋण हेतु उन्हें बोर्ड से अनुमोदित नीति के साथ साथ निम्नलिखित को कवर करना होगा:

(क) भारतीय रिज़र्व बैंक का अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) दिशानिर्देश का पालन हेतु पर्याप्त कदम उठाये जाएं तथा ग्राहक को कोई ऋण मंजूर करने के संबंध में समुचित सावधानी बर्तनी जाए,

(ख) प्राप्त आभूषण के लिए उचित परख प्रक्रिया का पालन किया जाए,

(ग) स्वर्ण आभूषण के स्वामित्व को आंतरिक प्रणाली से संतुष्टि हो,

(घ) नीति में आभूषण को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए प्रर्याप्त व्यवस्था, सतत (ऑन गोइंग) आधार पर समीक्षा प्रणाली, संबंधित स्टॉफ का प्रशिक्षण तथा आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा आवधिक निरीक्षण को शामिल किया जाए ताकि प्रक्रिया का भी गहन अनुपालन किया जा सके। नीति के अनुसार, स्वर्ण का संपार्श्विक जमानत के बदले ऋण का विस्तार शाखाओं द्वारा नहीं किया जाएगा जिसके पास आभूषण को रखने की उचित सुविधा नहीं है,

(ङ) संपार्श्विक के बदले स्वीकर किया गए आभूषण का समुचित बीमा किया गया हो,

(च) गैर चुकौती के मामलों में आभूषण की नीलामी के संबंध में बोर्ड से अनुमोदित नीति पारदर्शी होनी चाहिए तथा नीलामी की तारीख के पूर्व उधारकर्ता को पर्याप्त सूचना दी जानी चाहिए। नीलामी में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को भी इसमें शामिल किया जाए। ब्याज के संबंध में कोई विवाद नहीं होना चाहिए तथा नीलामी प्रक्रिया में यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि नीलामी के दौरान ग्रुप कंपनी तथा संबंधित संस्थाओं के साथ सभी लेन देन में युक्तियुक्त रूप से दूरी (arm's length relationship) रखी गयी है,

(छ) सार्वजनिक के लिए नीलामी की घोषणा का विज्ञापन कम से कम दो दौनिक समाचार पत्र, एक स्थानीय भाषा का तथा दूसरा राष्ट्रीय स्तर का समाचार पत्र में जारी किया जाए।

(ज) नीति के अनुसार सम्पन्न नीलामी में लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को स्वयं भाग नहीं लेना है,

(झ) गिरवी रखे गए स्वर्ण की नीलामी केवल बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीलामीकर्ताओं के माध्यम से किया जाए।

(ञ) नीति में मोबलाइजेशन, निष्पादन तथा अनुमोदन के कार्य को अलग करने के साथ धोखाधड़ी के मामलों से निपटान की प्रणाली तथा प्रक्रिया को भी शामिल किया जाए।

ii. ऋण करार में नीलामी प्रक्रिया के संबंध में पूर्ण जानकारी दी जाए

iii. अन्य अनुदेश

(क) समपार्श्विक सोने पर एनबीएफसी वित्तपोषण के समग्र उधारकर्ता को सभी ₹5 लाख से ऊपर के लेनदेन के लिए पैन कार्ड ककी प्रति देने के लिए कहें।

(ख) सभी शाखाओ के लेखीकरण का मानकी कारण होना चाहिए।

(ग) एनबीएफसी गलतफहमी पैदा करनेवाला विज्ञापन जारी नहीं करेगा जैसे कि 2-3 मिनट में ऋण की उपलब्धता का दावा।

अध्याय – VII
एनबीएफसी-फैक्टर पर लागू विशिष्ट निदेश

40. पंजीकरण

(1) फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम 2011 की धारा 3 के प्रावधानों के तहत फैक्टरिंग कारोबार करने की इच्छुक प्रत्येक कंपनी को बैंक से एनबीएफसी-फैक्टर के रूप में पंजीकरण का प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा।

(2) मौजूदा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो इन दिशानिदेश में निहित सभी शर्तों को पूरा करती हो, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-फैक्टर के रूप में वर्गीकरण परिवर्तन के लिए बैंक द्वारा जारी मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र सहित बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क कर सकती है जहां वह पंजीकृत है। उनका अनुरोध उनके सांविधिक लेखापरीक्षक से संपत्ति और आय पैटर्न को दर्शाते हुए प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित होना चाहिए;

(3) बैंक से गैर पंजीकृत संस्था फैक्टरिंग कारोबार कर सकती है यदि वह फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम 2011 की धारा 5 में वर्णित संस्था हो; जैसे बैंक या निगम जो संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम के तहत स्थापित हो अथवा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 के तहत वर्णित सरकारी कंपनी।

(4) नई कंपनी जिसे बैंक द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-फैक्टर का पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो, बैंक द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के छ: माह के अंदर कारोबार प्रारंभ करना होगा।

41. निवल स्वाधिकृत निधि

(1) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- फैक्टर के रूप में पंजीकरण की इच्छा रखने वाली प्रत्येक कंपनी को न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि ₹5 करोड़ रखना होगा।

(2) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- फैक्टर के रूप में पंजीकरण की इच्छा रखने वाली मौजूदा कंपनियां, किंतु जो ₹5 करोड़ न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि के मानदण्ड को पूरा नहीं करती है, इसके अनुपालन हेतु आवश्यक समय सीमा के लिए बैंक से संपर्क कर सकती है।

42. मूल कारोबार

एनबीएफसी फैक्टर को यह सुनिश्चित करना होगा कि इसकी कुल संपत्ति का न्यूनतम 50 प्रतिशत भाग फैक्टरिंग कारोबार में नियोजित परिसंपत्ति हो तथा फैक्टरिंग कारोबार से प्राप्त इसकी आय सकल आय के 50 प्रतिशत से कम न हो।

43. कारोबार संचालन

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- फैक्टर, फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम 2011 तथा समय समय पर इसके तहत निर्मित नियम और विनियमों के अनुसार फैक्टरिंग कारोबार करेंगे।

44. आस्ति वर्गीकरण

एनबीएफसी-फैक्टर के लिए इन निदेशों के अध्याय V में दिए गए प्रूडेंशियल मानदंडों के साथ-साथ फैक्टरिंग के अंतर्गत अधिग्रहण प्राप्य यदि लागू नियत तिथि के छः माह के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है तो उसे अनर्जक परिसंपत्ति (एनपीए) माना जाए, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि एनबीएफसी- फैक्टर द्वारा अधिग्रहण कब किया गया है तथा फैक्टरिंग का कार्य "दायित्व सहित" या "दायित्व रहित" आधार पर किया गया है।

45. जोखिम प्रबंधन

इस तरह का कारोबार शुरू करने से पहले उचित और पर्याप्त नियंत्रण और रिपोर्टिंग तंत्र व्यवस्थित किया जाना चाहिए।

क) किसी भी फैक्टरिंग व्यवस्था में प्रवेश करने से पहले या निर्यात फैक्टर के साथ ऋण व्यवस्था की स्थापना करने से पहले एनबीएफसी-फैक्टर को उधारकर्ताओं का गहन ऋण मूल्यांकन करना चाहिए।

ख) फैक्टरिंग सेवाएं उन बिलों के लिए प्रदान की जानी चाहिए जो वास्तविक कारोबारी लेनदेन से संबंधित हैं।

ग) चूंकि दायित्व रहित फैक्टरिंग लेनदेनों के अंतर्गत फैक्टर ऋण जोखिम की हामीदारी ऋणी के पक्ष में की जाती है ऐसी सभी हामीदारी प्रतिबद्धताओं के लिए बोर्ड द्वारा मंजूर की गई स्पष्ट रूप से निर्धारित सीमा होनी चाहिए।

घ) एनबीएफसी फैक्टर और बैंक उभयनिष्ठ उधारकर्ताओ से संबन्धित विवरण साझा करेंगे। सूचनाओं के आदान प्रदान के उद्देश्य के लिए समनुदेशक को उधारकर्ता समझा जाएगा। एनबीएफ़सी-फैक्टर उधारकर्ताओं पर निर्धारित सीमाओं की जानकारी संबन्धित बैंकों/एनबीएफ़सी को देना सुनिश्चित करेगा ताकि दोहरे वित्तपोषन से बचा जा सके।

46. आयात /निर्यात फैक्टरिंग

भारतीय रिजर्व बैंक का विदेशी मुद्रा विभाग (एफईडी) फेमा,1999 के तहत फैक्टर्स को प्राधिकृत करता है। इसलिए, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- फैक्टर को विदेशी मुद्रा में आयात / निर्यात का कारोबार की करने के लिए, फेमा 1999 के तहत विदेशी मुद्रा में कारोबार करने के लिए आवश्यक प्राधिकरण हेतु एफईडी के समक्ष आवेदन करना होगा और विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा निर्धारित सभी नियम और शर्तों और फेमा के

तहत सभी संबंधित प्रावधानों और समय-समय पर इसके अंतर्गत बनाये गए नियम, विनियम, अधिनियम, निदेश अथवा आदेश का अनुपालन करना होगा।

अध्याय – VIII

अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) ऋण निधि - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (आईडीएफ-एनबीएफसी) पर लागू विशिष्ट निदेश

47. आईडीएफ एक ट्रस्ट अथवा एक कंपनी के रूप में स्थापित किया जा सकता है। ट्रस्ट आधारित आईडीएफ सामान्यतः म्युचुअल फंड होगा जबकि कंपनी आधारित आईडीएफ सामान्यतः एनबीएफसी होगी। आईडीएफ-एनबीएफसी स्रोत इकट्ठा करने के लिए न्यूनतम 5 वर्ष की परिपक्वता अवधि की रूपए अथवा डॉलर मुद्रा बांड जारी करेगा। बेहतर एएलएम सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टिकोण से आईडीएफ-एनबीएफसी अपनी कुल बकाया उधार के 10 प्रतिशत तक घरेलू बाजार से कम अवधि वाली बांड और कॉमर्शियल पेपर (सीपी) जारी कर सकता है। आईडीएफ-एमएफ का विनियमन सेबी द्वारा किया जाएगा जबकि आईडीएफ-एनबीएफसी का विनियमन रिज़र्व बैंक द्वारा।

48. पात्रता मानदंड

(1) आईडीएफ-एमएफ के प्रायोजक के रूप में एनबीएफसी – सभी एनबीएफसी बैंक के पूर्व अनुमोदन के पश्चात म्युचुअल फंड के रूप में आईडीएफ को प्रायोजित (म्युचुअल फंड के लिए सेबी विनियमन के अनुसार परिभाषित प्रयोजन) करने के लिए पात्र होंगे जो कि सेबी द्वारा निर्धारित शर्तों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा-

(i) एनबीएफसी का न्यूनतम सकल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) ₹300/- करोड़ और जोखिम भारित अस्तियों की तुलना में पूँजी (सीआरएआर) 15% होगी;

(ii) इसका सकल एनपीए सकल अग्रिमों के 3% से कम होगा;

(iii) यह कम से कम 5 वर्षों से कार्यरत्त रहा हो;

(iv) यह पिछले 3 वर्षों से लाभ अर्जित कर रहा हो और इसका निष्पादन संतोषजनक रहा हो;

(v) आईडीएफ-एमएफ में निवेश के पश्चात एनबीएफसी का सीआरएआर इसके लिए निर्धारित विनियम न्यूनतम स्तर से कम नहीं होना चाहिए;

(vi) प्रस्तावित आईडीएफ़-एमएफ़ में निवेश को गणना में लेने के बाद एनबीएफ़सी को स्वाधिकृत निधि का अपेक्षित स्तर बनाए रखना होगा और

(vii) एनबीएफसी के संबंध में कोई भी पर्यवेक्षी अनियमितता नहीं हो।

(2) आईएफसी द्वारा आईडीएफ-एनबीएफसी स्थापित किया जाना

केवल एनबीएफसी-आईएफसी ही बैंक के पूर्व अनुमोदन से आईडीएफ-एनबीएफसी को प्रायोजित कर सकती हैं, जो कि निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा-

(i) प्रायोजक आईएफसी आईडीएफ-एनबीएफसी की इक्विटी में 30 प्रतिशत की न्यूनतम इक्विटी होल्डिंग के साथ आईडीएफ-एनबीएफसी के इक्विटी में अधिकतम 49 प्रतिशत का अंशदान कर सकती है।

(ii) आईडीएफ-एनबीएफसी में निवेश के पश्चात प्रायोजक एनबीएफसी-आईएफसी को आईएफसी के लिए निर्धारित न्यूनतम सीआरएआर और एनओएफ बनाये रखना होगा;

(iii) आईएफसी के संबंध में कोई भी पर्यवेक्षी अनियमितता नहीं हो।

(3) त्रिपक्षीय करार

आईडीएफ-एनबीएफसी एक त्रिपक्षीय करार करेगा जिसमें रियायत पानेवाला, परियोजना प्राधिकारी और आईडीएफ-एनबीएफसी पक्षकार होंगे। त्रिपक्षीय करार सभी तीनों पक्षकारों को इसमें संदर्भित अन्य करारों के नियम व शर्तों को मानने के लिए भी बाध्य करता है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सामूहिक रूप से निम्नलिखित समाहित है-

(i) वरिष्ठ उधारदाता से अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा लिये गए कर्ज के एक हिस्से का अधिग्रहण करेगा

(ii) अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा चूक परियोजना प्राधिकारी और अनुदान प्राप्तकर्ता के बीच के करार की समाप्ति का कारण हो सकता है;

(iii) परियोजना प्राधिकारी त्रिपक्षीय करार और अन्य संदर्भित करारों (अनिवार्य नियंत्रण हेतु खरीद) के अनुसार करार समाप्ति अदायगी में से आईडीएफ-एनबीएफसी द्वारा खरीदे गए अनुदानप्राप्तकर्ता द्वारा जारी बॉण्ड को मोचित करवा सकता है;

(iv) दोनों की आपसी सहमति से परियोजना प्राधिकारी को आईडीएफ-एनबीएफसी द्वारा देय प्रभार ।

(4) एनबीएफसी और आइएफसी जो ऊपर बताए गए पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं वे एमएफ और एनबीएफसी के रूप में यथालागू आईडीएफ को प्रायोजित करने के लिए गैर बैंकिंग विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्याय को संपर्क कर सकते हैं।

49. एनबीएफसी और आईएफसी द्वारा आईडीएफ में निवेश

प्रायोजित एनबीएफसी /आईएफसी और गैर-प्रायोजित एनबीएफसी/आईएफसी का आईडीएफ के इक्विटी और कर्ज में एक्सपोज़र को इन निदेशों के अध्याय V में दिये गए मौजूदा ऋण संकेंद्रण मानदंड द्वारा विनियमित किया जाएगा।आईडीएफ-एनबीएफसी के विदेशी विनिमय संबंधी पहलू की बात है तो इसके लिए बैंक की विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा जारी और समय-समय पर यथासंशोधित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

50. क्रेडिट रेटिंग

आईडीएफ-एनबीएफसी की न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग ग्रेड सीआरआईएसआईएल की 'ए' होगी या अन्य अधिकृत रेटिंग एजेंसी जैसा कि फिच (एफआईटीसीएच), केयर (सीएआरई) और इकरा (आईसीआरए) द्वारा जारी समकक्ष हो।

51. पूंजी पर्याप्तता

आईडीएफ-एनबीएफसी का न्यूनतम सीआरएआर 15 प्रतिशत होगा और आईडीएफ-एनबीएफसी की टीयर II पूंजी टीयर I पूंजी से अधिक नहीं होंगी।

52. आईडीएफ-एनबीएफसी द्वारा निवेश

आईडीएफ-एनबीएफसी पोस्ट सीओडी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निवेश कर सकती है जिन्होंने न्यूनतम एक वर्ष का संतोषजनक वाणिज्यिक परिचालन किया हो बशर्ते जो ;

i. पीपीपी परियोजनाएं हों और जो अनुदानप्राप्तकर्ता तथा परियोजना प्राधिकरण के साथ त्रिपक्षीय करार का एक पार्टी हो जो समाप्ति भुगतान के साथ अनिवार्य खरीददारी सुनिश्चित करता हो।
ii. गैर पीपीपी परियोजनाओं हों और ऐसे क्षेत्र जहां परियोजना प्राधिकारी नहीं है वहां बिना परियोजना प्राधिकारी वाली पीपीपी परियोजना हों ।

53. ऋण संकेंद्रण मानदंड

इन निदेशों के अध्याय V में दिये गए प्रावधानों के अतिरिक्त आईडीएफ-एनबीएफसी पर निम्नलिखित ऋण संकेंद्रीकरण मानदंड लागू होंगे।

(i) एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए वाणिज्यिक परिचालन करने वाले पीपीपी और वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) के बाद की परियोजनाएँ तथा आईडीएफ-एनबीएफसी, अनुदान प्राप्तकर्ता तथा परियोजना प्राधिकरण के साथ त्रिपक्षीय करार के पक्षकार हों और जो समाप्ति भुगतान के साथ अनिवार्य खरीददारी सुनिश्चित करते हों तो उनपर निम्नलिखित अतिरिक्त एक्सपोज़र लागू होंगे-

(अ) आईडीएफ-एनबीएफसी व्यक्तिगत परियोजनाओं में अधिकतम जोखिम उसके कुल पूंजी निधि का 50 प्रतिशत तक ले सकती है (इन निदेशों के अध्याय II में परिभाषित किए अनुसार टीयर I + टीयर II)।

(आ) आईडीएफ-एनबीएफसी के निदेशक मंडल के विवेकाधिकार से 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त जोखिम ले सकती हैं।

(इ) भारतीय रिजर्व बैंक, आईडीएफ-एनबीएफसी से आवेदन प्राप्त होने पर और आईडीएफ-एनबीएफसी की वित्तीय स्थिति संतोषजनक होने के संबंध में संतुष्ट होने पर 15 प्रतिशत तक अतिरिक्त जोखिम की अनुमति (60 प्रतिशत से अधिक) दे सकता हैं. बशर्ते अतिरिक्त प्रूडेंशियल रक्षा उपायों के संबंध में उसे यह उचित लगे

(ii) अन्य सभी परिसंपत्तियां के मामले में एक्सपोज़र का विनियमन आधारभूत वित्त कंपनियों पर लागू निदेशों के पैराग्राफ 23 में वर्णित निदेशों के अनुसार होगा।

अध्याय – IX

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफसी - एमएफआई) पर लागू विनिर्दिष्ट निदेश

54. प्रवेश स्तरीय मानदंड

देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र की उन कंपनियां जिनके लिए अगली सूचना तक ₹2 करोड़ एनओएफ रखना आवश्यक है, उनके अतिरिक्त एनबीएफसी-एमएफआई के रूप में पंजीकरण की इच्छुक सभी नई कंपनियों को न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि ₹5 करोड़ रखना आवश्यक है, उन्हें एनबीएफसी-एमएफआई पर लागू अन्य सभी मानदण्डों का अनुपालन, जैसा अब तक किया है, वैसा प्रारंभ से करना होगा।

55. प्रूडेंशियल मानदण्ड

(i) पूंजी पर्याप्तता

एनबीएफसी-एमएफआई को टियर I तथा टियर II पूंजी के पूंजी पर्याप्तता के अनुपात सामंजस्य को बनाये रखना होगा जो कि इसके समग्र जोखिम भारित परिसंपत्ति के 15 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। किसी भी समय टियर II पूंजी टियर I पूंजी से 100 प्रतिशत अधिक नहीं होनी चाहिए। तुलन पत्र परिसंपत्ति तथा तुलन पत्र इत्तर मदों पर ऋण परिवर्तन घटक, इन निदेशों के अध्याय IV में दिए अनुसार जोखिम भारित होंगी.

नोट:

1. निम्न आय आवासीय (सीआरजीएफटीएलआईएच) के लिए क्रेडिट जोखिम गारंटी निधि ट्रस्ट द्वारा ऋण गारंटी के लिए एनबीएफसी-एमएफआई ऋण के उस भाग के लिए शून्य जोखिम भारिता निर्धारित करेंगे जितने की गारंटी है। गारंटी से अधिक शेष ऋण के लिए जोखिम भारिता इन निदेशों के अध्याय IV में दिये गए विवरण के अनुसार होगी।
2. सीआरएआर की गणना के लिए, 31 मार्च 2013 के अनुसार आंध्र प्रदेश (एपी) राज्य में ऋण पोर्टफोलियो हेतु किए गई अनुमानित प्रावधानीकरण को निवल स्वाधिकृत निधियां (एनओएफ) के रूप में गणना किया जाए तथा आंध्र प्रदेश (एपी) पोर्टफोलियो के लिए ऐसे प्रावधानीकरण की गणना 5 वर्षों के लिए बराबर घटते क्रम में किया जाए। तदनुसार आंध्र प्रदेश (एपी) पोर्टफोलियो के लिए 31 मार्च 2013 तक की गई 100 प्रतिशत प्रावधानीकरण को सीआरएआर के लिए निवल

स्वाधिकृत निधियां (एनओएफ) के आंकड़ों हेतु अनुमानित जोड़ा जा सकता है। यह एड बैक प्रत्येक वर्ष 20 प्रतिशत के घटते क्रम में होगा यथा मार्च 2017 तक। इसका उदाहरण इसके **अनुबंध X** में दिया गया है। प्रतिलेखन या चरणबद्ध प्रावधानीकरण की अनुमति नहीं है।

3. गैर आंध्र प्रदेश (एपी) पोर्टफोलियो पर पूंजी पर्याप्ता तथा अनुमानित आंध्र प्रदेश (एपी) पोर्टफोलियो (तुलन पत्र की तारीख को अतिदेय शेष से पोर्टफोलियो के लिए किए गए प्रावधानीकरण को घटाकर जो कल्पित रूप से पुन: जोड़ा नहीं गया हो) को जोखिम भारित परिसंपत्तियों का 15 प्रतिशत रखना होगा।

(ii) आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंड :

सभी एनबीएफसी-एमएफआई निम्नलिखित मानदंडों का अनुपालन करेंगे-

(ए) आस्ति वर्गीकरण मानदंड :

i. मानक परिसंपत्ति अर्थात ऐसी परिसंपत्तियां जिनके मूलधन या ब्याज की चुकौती में कोई चूक नहीं मानी गयी हो तथा इसमें कोई समस्या और न ही यह कारोबार में शामिल सामान्य जोखिम के अतिरिक्त किसी जोखिम का वहन करती हो ;

ii. अनर्जक परिसंपत्ति अर्थात ऐसी परिसंपत्ति जिसका ब्याज/मूलधन 90 दिन से अधिक के लिए बकाया हो गया हो।

(बी) प्रावधानीकरण मानदंड :

i. "अर्हक अस्तियों" के मानदंड को पूरा करने वाली गैर-निष्पादित अस्तियों के लिए,

(क) एपी (आंध्र प्रदेश) पोर्टफोलियो के लिए प्रावधानीकरण मानदंड इन निदेशों के पैराग्राफ 13 में दिये अनुसार होंगे।

(ख) गैर- एपी (आंध्र प्रदेश) पोर्टफोलियो के लिए प्रावधानीकरण मानदंड निम्नानुसार होंगे-

एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा किसी भी समय समग्र ऋण का प्रावधानीकरण निम्नलिखित में से जो उच्च मान वाला है उससे कम नहीं होना चाहिए ए) बकाया ऋण पोर्टफोलियो का 1% या बी) समग्र ऋण किस्त का 50% जो 90 दिनों से अधिक किंतु 180 दिनों से कम से बकाया हो तथा समग्र ऋण किस्त का 100% जो 180 दिनों या उससे अधिक समय से बकाया हो.

ii. निम्न आय आवासीय (सीआरजीएफटीएलआईएच) के लिए क्रेडिट जोखिम गारंटी निधि ट्रस्ट द्वारा ऋण गारंटी द्वारा कवर किये गए ऋणों के गैर-निष्पादित होने की स्थिति में ऋण के उस भाग के लिए प्रावधानीकरण की आवश्यकता नहीं है, जितने की गारंटी है। गारंटी राशि के अतिरिक्त शेष राशि के लिए प्रावधानीकरण मानदंड इन निदेशों के पैरा 13 में दिये अनुसार होगी।

(iii) इन निदेशों के अध्याय V में दिये गए अन्य सभी प्रावधान, जहाँ इस पैरा 53 के विरुद्ध नहीं हो, एनबीएफसी-एमएफआई पर लागू होंगे।

(iv) एनबीएफसी-एमएफआई की पात्रता नहीं रखने वाले एनबीएफसी अपनी कुल आस्तियों के 10% से अधिक का सकल ऋण सूक्ष्म वित्त क्षेत्र को नहीं दे सकते हैं।

56. ऋण का मूल्य निर्धारण

(i) मार्जिन कैप एनबीएससी-एमएफआई द्वारा उधारकर्ताओं को दी गई राशि और लागत निधि के बीच का अंतर बड़ी एमएफआई (100 करोड़ रुपये से अधिक ऋण पोर्टफोलियो वाली कंपनी) के लिए 10 प्रतिशत तथा अन्य के लिए 12 प्रतिशत से अधिक न हो।

(ii) एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा अपने उधारकर्ताओं पर प्रभारित ब्याज दर निम्नलिखित से कम होगा:

ए. उक्त (i) में विनिर्दिष्ट निधि की लागत तथा मार्जिन; अथवा

बी. परिसंपत्ति आकार के दृष्टिकोण से सबसे बड़े पांच वाणिज्यिक बैंकों का औसत आधार दर की 2.75 गुणा। प्रत्येक समाप्त तिमाही के अंतिम कार्य दिवस पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सबसे बड़े पांच वाणिज्यिक बैंकों की औसत आधार दर सूचित की जाएगी, जिससे आगामी तिमाही के लिए ब्याज दर का निर्धारण किया जाएगा।

(iii) [4]एनबीएफसी-एमएफआई को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्धारित अधिकतम सीमा के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणों पर औसत ब्याज दर वित्तीय वर्ष के दौरान की औसत ऋण लागत और मार्जिन से अधिक नहीं हो।

(iv) इसके अलावा, वैयक्तिक ऋण हेतु ब्याज दर की न्यूनतम और अधिकतम के बीच 4 प्रतिशत से अधिक अंतर की अनुमति नहीं है।

(v) ऋणों पर औसत ब्याज भुगतान और एमएफआई द्वारा प्रभारित प्रभार की गणना क्रमश: ऋण की औसत मासिक अतिदेय शेष और ऋण पोर्टफोलियो पर की जाएगी। आंकड़े प्रति वर्ष सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित किए जाएं तथा तुलन पत्र में भी प्रकट किए जाएं।

(vi) प्रोसेसिंग प्रभार सकल ऋण राशि का 1% से अधिक नहीं होना चाहिए. प्रोसेसिंग प्रभार को मार्जिन कैप या ब्याज कैप में शामिल नहीं किया जाए।

(vii) एनबीएफसी-एमएफआई केवल ग्रुप या पशुधन, जीवन, उधारकर्ता या उसके पति/पत्नी के स्वास्थ के लिए बीमा के वास्तविक प्रभार की कटौती करेगा। प्राशासनिक प्रभार आईआरडीए के दिशानिर्देश के अनुसार वसूल किया जायेगा।

57. ब्याज दरों में पारदर्शिता

(i) ऋण के मूल्य निर्धारण में केवल मात्र तीन घटक यथा ब्याज प्रभार , प्रोसेसिंग प्रभार तथा बीमा प्रीमियम (जिसमें प्रशासनिक प्रभार शामिल होंगे) होंगे।

(ii) विलम्ब भुगतान के लिए कोई दण्ड प्रभार नहीं लगाया जायेगा।

(iii) एनबीएफसी-एमएफआई उधारकर्ता से किसी जमानती जमा/मार्जिन जमा वसूल नहीं करेगा।

(iv) ऋण करार का प्रपत्र मानक होगा।

(v) प्रत्येक एनबीएफसी-एमएफआई उधारकर्ता को निम्नलिखित दर्शाता हुआ ऋण कार्ड प्रदान करेगा।

क) प्रभारित ब्याज की प्रभावी दर;

ख) ऋण से जुड़ी हुई अन्य नियम व शर्तें;

ग) उधारकर्ता के पहचान के संबंध में पर्याप्त जानकारी तथा

घ) एनबीएफसी-एमएफआई किस्त प्राप्ति तथा अंतिम किस्त की प्राप्ति सहित सभी भुगतान के लिए पावती देगा;

ङ) ऋण कार्ड में सभी प्रविष्टियां प्रादेशिक भाषाओं में होनी चाहिए।

---

[4] 02 फरवरी 2017 को जारी परिपत्र डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या.084/22.10.038/2016-17 द्वारा संशोधित

(vi) एनबीएफसी-एफएफआई द्वारा प्रभारित प्रभावी ब्याज दर प्रमुखता से इसके सभी कार्यालयों तथा इसके द्वारा जारी साहित्य और इसकी वेबसाइट पर प्रदर्शित होना चाहिए।

58. एकाधिक –ऋण, अति- उधारी तथा छद्म –उधारकर्ता

(i) एनबीएफसी- एमएफआई उन व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को ऋण दे सकता है जो संयुक्त देनदारी समूह (जेएलजी)/ स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्य या जेएलजी/एसएचजी के उधारकर्ता सदस्य नहीं हों।

(ii) उधारकर्ता एक से अधिक जेएलजी / एसएचजी का सदस्य नहीं हों।

(iii) एक ही उधारकर्ता को दो से अधिक एनबीएफसी- एमएफआई ऋण नहीं देगा।

(iv) ऋण स्वीकृति तथा प्रथम किस्त के पुनर्भुगतान के बीच न्यूनतम ऋणस्थगन अवधि होनी आवश्यक है। ऋण स्थगन पुनर्भुगतान की निरंतरता से कम नहीं होनी चाहिए उदाहरण स्वरुप साप्ताहिक पुनर्भुगतान के मामले में ऋण स्थगन एक सप्ताह से कम नहीं होना चाहिए.

(v) विनियमों का उल्लंघन करते हुए दिए गए ऋण की वसूली तब तक आस्थगित की जाएगी। जब तक सभी पूर्व मौजूदा ऋण को पूरी तरह चुकाया नहीं जाता है.

59. सशर्त अनुपालन सुनिश्चित करना

प्रत्येक एनबीएफसी- एमएफआई को सीआईसी विनियमन अधिनियम, 2005, के तहत स्थापित न्यूनतम एक क्रेडिट सूचना कंपनी (सीआईसी) की सदस्यता लेनी ही होगी, ताकि उस सीआईसी को समय पर और सटीक आंकड़े उपलब्ध कराए जाएं और उसके पास उपलब्ध आंकड़ों को एसएचजी या जेएलजी की सदस्यता, ऋणग्रस्तता का स्तर और ऋणों के स्रोतों के संबंध में नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया जाए। चूंकि सीआईसी के आंकड़ों का कवरेज़ तथा गुणवत्ता को मजबूत बनने में कुछ समय लगेगा, अत: एनबीएफसी-एमएफआई उधारकर्ता द्वारा स्वत: प्रमाणीकरण और वार्षिक घरेलू आय के साथ-साथ इन पहलुओं पर उनके स्वयं की स्थानीय जांच पड़ताल से भरोसा किया जा सकता है।

60. केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा संचालित योजनाओं के लिए एजेंटों को चैनेलाइज करना

(i) केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा संचालित योजनाओं के लिए चैनेलाइजिंग एजेंटों की तरह कार्य करने वाले एनबीएफसी-एमएफआई को निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा -

(क) केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियों के लिए चैनेलाइजिंग एजेंटों की तरह एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रदत्त अथवा प्रबंधित ऋणों को पृथक कारोबार के रूप में देखा जाएगा। इन ऋणों को न्यूनतम अर्हक आस्तियों का निर्धारण करने के उद्देश्य से न तो अंश (अर्हक आस्तियां) और न ही हर (कुल आस्तियां) के रूप में शामिल किया जाएगा।

(ख) उपर्युक्त (क) के साथ ही, ऐसे ऋणों पर लगाये जाने वाले ब्याज को भी अधिकतम तथा न्यूनतम ब्याज दरों के अंतर की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

(ग) ऐसी निधियों पर लागत को उपर्युक्त पैरा (56) के अनुसार निधियों की औसत लागत तथा उधारकर्ताओं पर लगाये जाने वाले ब्याज दर की गणना के लिए भी नहीं माना जाएगा।

(ii) केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा संचालित विशेष योजनाओं के लिए चैनेलाइजिंग एजेंटों की तरह कार्य करने के लिए एनबीएफसी-एमएफआई को सामान्य अनुमति दी जाती है बशर्ते कि उन्हें निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करना होता है-

(क) ऐसे ऋणों तथा संबंधित एजेंसियों से प्राप्त /प्राप्त होने वाली निधियों के लिए लेखा तथा रिकॉर्ड एनबीएफसी-एमएफआई के खातों में अन्य आस्तियां एवं देयताओं से इतर रखा जाएगा और वित्तीय/ अंतिम खातों और तुलन पत्र में पर्याप्त विवरण और अलग खंड के रूप में के साथ पृथक रूप में, दिखाया जाएगा।

(ख) उन मामलों को छोड़कर जहां एनबीएफसी-एमएफआई क्रेडिट जोखिम वहन नही करती है; ऐसे ऋण परिसम्पत्ति वर्गीकरण, आय मान्यता और प्रावधान मानदंडो के साथ-साथ अन्य विवेकपूर्ण मानदंड, जो एनबीएफसी-एमएफआई पर लागू हैं, के अधीन होंगे;

(ग) ऐसे सभी ऋणों की सूचना ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) को दी जाएगी ताकि बार-बार उधारी रोकी जा सके और एक उधारकर्ता की ऋणग्रस्तता की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सके।

61 अन्य

सभी एनबीएफसी-एमएफआई, प्राथमिक क्षेत्र पर दिशा-निर्देश के संबंध में, सूक्ष्म वित्त संस्था (एमएफआई)- प्राथमिक क्षेत्र स्थिति" को बैंक ऋण हेतु वित्तीय समावेशन और विकास विभाग (एफआईडीडी) द्वारा बैंकों को जारी निदेशों का संदर्भ लेंगे।

62. भौगोलिक विविधता

विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में किसी अवांछित संकेन्द्रण से बचने हेतु आंतरिक एक्सपोजर सीमा तय करने के लिए एनबीएफसी –एमएफआई अपने बोर्ड से संपर्क करें।

63. एसआरओ का गठन

सभी एनबीएफसी-एमएफआई को कम से कम एक स्वविनियामक संगठन (एसआरओ) का सदस्य बनना होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त हो और जो एसआरओ द्वारा निर्धारित आचार संहिता का अनुपालन करता हो। इसके साथ ही बैंक से मान्यताप्राप्त एसआरओ की अनुलग्नक XI में उल्लिखित कार्यों और कर्तव्यों का निर्वाह करना होगा। इस क्षेत्र की दक्षता को बेहतर बनाने के लिए बैंक द्वारा इसे समय-समय पर परिवर्तित किया जाएगा।

64. अनुपालन की निगरानी

एनबीएफसी-एमएफआई हेतु निर्धारित सभी विनियमों के अनुपालन की जिम्मेदारी मुख्यत: एनबीएफसी-एमएफआई की स्वयं की हैं। उद्योग संस्थाएं/एसआरओ भी विनियामक संरचना के अनुपालन में प्रमुख भूमिका निभाना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त, एनबीएफसी-एमएफआई को ऋण देने वाले बैंकों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि एनबीएससी-एमएफआई में ऋण नीति और प्रणालीगत व्यवस्था विनियामक संरचना के एक समान है।

65. एनबीएफसी-एमएफआई के लिए उचित व्यवहार संहिता:

इन निदेशों के **अध्याय VI** में दी गई उचित व्यवहार संहिता के सामान्य नियमों के अतिरिक्त, एनबीएफसी-एमएफआई को निम्नलिखित उचित व्यवहार को अपनाना होगा।

(i) <u>सामान्य</u>:

ए. एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा अपने कार्यालय तथा शाखा परिसर में उचित व्यवहार संहिता (एफपीसी) को स्थानीय भाषा में प्रदर्शित किया जाए।

बी. एनबीएफसी-एमएफआई को ऋण देने के प्रति उचित व्यवहार तथा अपनी पारदर्शिता के प्रति वचनबद्धता के संबंध में स्थानीय भाषा में एक विवरण बनाकर ऋण कार्ड में शामिल करना होगा तथा अपने परिसर में प्रदर्शित करना होगा।

सी. फील्ड स्टाफ को उधारकर्ताओं के मौजूदा ऋण के संबंध में आवश्यक पूछताछ करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए,

डी. उधारकर्ताओं को यदि कोई प्रशिक्षण दिया जाना है तो वह नि: शुल्क होगा। फील्ड स्टॉफ को ऐसे प्रशिक्षण को प्रस्तावित करने के लिए तथा उधारकर्ताओं को ऋण /अन्य उत्पाद से संबंधित प्रणाली और प्रक्रिया के बारे में पूर्ण जानकारी देने के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाए।

ई. एनबीएफसी-एमएफआई को प्रभावी ब्याज प्रभार तथा शिकायत निवारण प्रणाली का निर्माण कर तथा इस संबंध में जारी साहित्य को (स्थानीय भाषा में) प्रमुखता से अपने सभी कार्यालय में तथा वेबसाइट पर प्रदर्शित करना होगा,

एफ. स्टॉफ सदस्यों के अनुचित व्यवहार की रोकथाम तथा समय पर शिकायत निवारण के उत्तरदायित्व के लिए एनबीएफसी-एमएफआई को ऋण करार में घोषणा करना होगा तथा अपनी शाखा/कार्यालय में प्रदर्शित उचित व्यवहार संहिता में भी शामिल करना होगा,

जी. भारतीय रिज़र्व बैंक का अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश का पालन करना होगा। उधारकर्ता की चुकौती क्षमता के संबंध में समुचित सावधानी बरतनी होगी,

एच. सभी ऋणों की मंजूरी तथा वितरण केवल मात्र केन्द्रीय स्थान से किया जाना चाहिए तथा इस कार्य में एक से अधिक व्यक्ति शामिल होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, वितरण कार्य में गहन पर्यवेक्षण किया जाना होगा,

आई. ऋण आवेदन की प्रक्रिया को जटिल नहीं बनाने हेतु पर्याप्त कदम उठाये जाएं तथा ऋण का संवितरण पूर्व निर्धारित समय सीमा में किया जाए।

(ii) **<u>ऋण करार /ऋण कार्ड में प्रकटीकरण</u>**

ए. सभी एनबीएफसी-एमएफआई के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित मानक ऋण करार प्रपत्र होना चाहिए। ऋण करार प्राथमिकता से स्थानीय भाषा में होना चाहिए।

बी. ऋण करार में निम्नलिखित का प्रकटीकरण किया जाए:

i. ऋण के सभी नियम और शर्तें,

ii. यह कि ऋण के मूल्य निर्धारण में केवल तीन घटक जैसे ब्याज प्रभार, प्रक्रिया प्रभार तथा बीमा प्रीमियम (जिसमें इस संबंध में प्रशासनिक प्रभार शामिल होंगे) शामिल होंगे,

iii. यह कि विलम्ब भुगतान के लिए कोई दण्ड नहीं लगाया जाएगा,

iv. यह कि उधारकर्ता से कोई सुरक्षा जमा/ मार्जिन राशि नहीं वसूली जाएगी,

v. यह कि उधारकर्ता एक से अधिक किसी एसएचजी/जेएलजी का सदस्य नहीं होगा,

vi. ऋण स्वीकृति तथा प्रथम किस्त के पुनर्भुगतान के बीच न्यूनतम ऋणस्थगन अवधि होनी चाहिए।

vii. यह आश्वासन दिया जाए कि उधारकर्ता के डाटा की गोपनीयता को सम्मान दिया जाएगा।

सी. ऋण कार्ड में निम्नलिखित विवरण प्रदर्शित किये जाने चाहिए।

(i) प्रभारित की जाने वाली प्रभावी ब्याज दर

(ii) ऋण से जुड़े हुए अन्य सभी नियम व शर्तें

(iii) उधारकर्ता की पहचान के संबंध में पर्याप्त जानकारी तथा एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा किस्त प्राप्ति तथा अंतिम किस्त की प्राप्ति सहित सभी भुगतान के लिए पावती देगा।

(iv) ऋण कार्ड में एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा बनायी गई शिकायत निवारण प्रणाली का प्रमुखता से उल्लेख होना चाहिए तथा नोडल अधिकारी का नाम तथा फोन नंबर भी होना चाहिए।

(v) उधारकर्ता की पूर्ण सहमति से गैर ऋण उत्पाद जारी किये जाएं तथा ऋण कार्ड में शुल्क का स्वरूप दिया जाना चाहिए।

(vi) ऋण कार्ड में सभी प्रविष्टियां प्रादेशिक भाषाओं में होनी चाहिए।

(iii)<u>चुकौती के गैर अनिवार्य उपाय</u>

(क) वसूली केवल मात्र निर्दिष्ट केन्द्रीय स्थान पर से ही की जाए। फील्ड स्टॉफ को उधारकर्ता के घर से या कार्य स्थल से वसूली के लिए तब ही अनुमति दी जाए, जब उधारकर्ता 2 बार या अधिक अवसरों पर निर्दिष्ट केन्द्रीय स्थान पर पहुंचने में विफल होता है।

(ख) एनबीएफसी-एमएफआई यह सुनिश्चित करें कि फील्ड स्टाफ की आचार संहिता तथा उनकी भर्ती, प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण प्रणाली के संबंध में एक अनुमोदित नीति बोर्ड के समक्ष रखा जाए। संहिता में फील्ड स्टॉफ हेतु अनिवार्य न्यूनतम अर्हता शामिल की जाए तथा उनके लिए ग्राहकों से कारोबार के लिए आवश्यक प्रशिक्षण उपकरण की पहचान की जाए। फील्ड स्टाफ के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल उधारकर्ताओं से उचित व्यवहार में ऋण वसूली/वसूली अभ्यास में कोई अपमानजनक या आक्रामक पद्धति शामिल नहीं किया जाए।

(ग) स्टॉफ को कार्य क्षेत्र में ऋण संख्या जुटाने तथा वसूली के बजाय मुआवजा पद्धति तथा उधारकर्ताओं की संतुष्टि पर अधिक जोर देना चाहिए। आचार संहिता के अनुपालन न करने पर फील्ड स्टॉफ पर दण्ड भी लगाया जाना चाहिए। वसूली के संवेदनशील क्षेत्रों में आमतौर पर केवल कर्मचारियों को लगाना चाहिए तथ वसूली एजेंट का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

(iv) <u>ग्राहक सुरक्षा पहल</u>

(ए) एनबीएफसी-एमएफआई को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि एसएचजी/जेएलजी गठन में व्यावसायिक सुझावों के लिए अधिक व्यवस्था हो और समूह गठन के पश्चात क्षमता विकसित करने और सशक्तिकरण के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण और कौशल विकास गतिविधियां संचालित की जाएं।

(बी) सभी एनबीएफसी-एमएफआई से यह अपेक्षित है कि वे अपने उधारकर्ताओं को व्यर्थ दिखावे वाले उपभोग के खतरों पर प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त वे ऋण देने की गतिविधियों में विवेकशील और उत्तरदायी रहें।

खंड – III
शासकीय मुद्दे
अध्याय - X

लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के नियंत्रण के अधिग्रहण या अंतरण के मामले

66. लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निम्नलिखित के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का लिखित पूर्व अनुमोदन लेना अपेक्षित होगाः

क) किसी लागू एनबीएफसी के नियंत्रण अथवा अधिकार में लेने के मामले में, चाहे इसमें प्रबंधन में कोई परिवर्तन आये अथवा नहीं

ख) लागू एनबीएफसी की शेयरधारिता में समय के साथ उत्तरोत्तर वृद्धि सहित किसी प्रकार का परिवर्तन जिससे लागू एनबीएफसी की 26 प्रतिशत अथवा अधिक चुकता शेयर पूँजी की धारिता का अधिकार /अंतरण।

बशर्ते, शेयरों के पुनर्क्रय/ सक्षम न्यायालय के अनुमोदन के पश्चात पूँजी में कमी के कारण शेयरधारिता 26% से अधिक होने की स्थिति में पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित नहीं होगा। ऐसा होने पर इसकी रिपोर्टिंग रिज़र्व बैंक को अधिकतम एक माह के अंदर किया जाना है।

ग) लागू एनबीएफसी के प्रबंधन में किसी प्रकार के परिवर्तन, जिससे स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर 30 प्रतिशत से अधिक निदेशकों को बदला जाता है

बशर्ते, किसी निदेशक को सेवानिवृति के पश्चात बारी आधार पर पुनःनिर्वाचित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में पूर्व अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा।

67. पैरा 66 में किसी बात के होते हुए लागू एनबीएफसी अपने निदेशकों/प्रबंधन में किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना रिज़र्व बैंक को देते रहेंगे।

68. पूर्व अनुमोदन के लिए आवेदन

(1) लागू एनबीएफसी बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों सहित कंपनी के पत्र शीर्ष में आवेदन प्रस्तुत करेंगी।

(ए) **अनुलग्नक XII** में दिये अनुसार प्रस्तावित निदेशकों/शेयरधारकों के बारे में जानकारी;

(बी) लागू एनबीएफसी में शेयर प्राप्त करने वाले प्रस्तावित शेयरधारकों के निधियों का स्रोतः

(सी) प्रस्तावित निदेशकों/ शेयरधारकों द्वारा घोषणा कि वे ऐसे किसी अनिगमित संस्था से नहीं जुड़े हैं, जो जमाराशि स्वीकार कर रही हैं।

(डी) प्रस्तावित निदेशकों/ शेयरधारकों द्वारा घोषणा कि वे ऐसी किसी कंपनी से नहीं जुड़े हैं, जिसके पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) के आवेदन को भारतीय रिज़र्व बैंक ने निरस्त कर दिया है।
(इ) प्रस्तावित निदेशकों/ शेयरधारकों द्वारा घोषणा कि उनपर परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत किसी अपराध सहित कोई आपराधिक मामले नहीं चल रहे हैं; और
(एफ) प्रस्तावित निदेशकों/ शेयरधारकों पर बैंक की रिपोर्ट।

(2) इस संबंध में आवेदन गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए जिसके क्षेत्राधिकार में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय अवस्थित है।

69. नियंत्रण/प्रबंधन में परिवर्तन के बारे में पूर्व आम सूचना की अपेक्षा

(1) शेयरों की बिक्री द्वारा स्वामित्व का हस्तांतरण अथवा शेयरों की बिक्री के बिना अथवा उसके साथ नियंत्रण के हस्तांतरण की आम सूचना बिक्री दिवस से कम-से-कम 30 दिन पहले दी जाए। ऐसी आम सूचना बैंक की पूर्वानुमति प्राप्त करने के पश्चात लागू एनबीएफसी और अन्य पक्षों द्वारा अथवा संबंधित पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से दी जाए।

(2) इस आम सूचना में बिक्री अथवा स्वामित्व /नियंत्रण हस्तांतरण, हस्तांतरिती का विवरण और इस प्रकार स्वामित्व की बिक्री अथवा नियंत्रण के हस्तांतरण के कारणों को दर्शाना होगा। यह सूचना एक प्रमुख राष्ट्रीय और एक प्रमुख स्थानीय (पंजीकृत कार्यालय के स्थान को शामिल करते हुए) भाषा वाले समाचार पत्र में प्रकाशित करनी होगी।

अध्याय - XI
कॉरपोरेट अभिशासन

70. बोर्ड समिति का गठन

(1) लेखा परीक्षा समिति

(i) सभी लागू एनबीएफसी को लेखा परीक्षा समिति का गठन करना होगा जिसमें उनके निदेशक मंडल से कम से कम तीन सदस्यों हो।

स्पष्टीकरण I : गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा गठित लेखा परीक्षा समिति कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के तहत इस पैराग्राफ के प्रयोजनों के लिए लेखा परीक्षा समिति के अनुरूप होगी।

स्पष्टीकरण II: इस पैराग्राफ के तहत गठित लेखा परीक्षा समिति के पास भी वही शक्ति, कार्य और दायित्व होंगे जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ii) लेखा परीक्षा समिति को यह सुनिश्चित करना होगा कि एनबीएफसी द्वारा सामना किये जाने वाले परिचालनगत जोखिम की पहचान करने के लिए दो वर्षों में कम से कम एक बार आंतरिक प्रणाली और प्रक्रिया की सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा करनी होगी ।

(2) नामिति समिति

सभी लागू एनबीएफसी को प्रस्तावित/मौजूदा निदेशकों का " उचित और पर्याप्त "स्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक नामिति समिति का गठन करना होगा।

स्पष्टीकरण I : इस पैराग्राफ के तहत गठित नामिति समिति के पास वही सभी शक्तियां, कार्य और दायित्व होंगे जो कंपनी अधिनियम, 2013की धारा 178 में विनिर्दिष्ट हैं।

(3) जोखिम प्रबंध समिति

एकीकृत जोखिम के प्रबंधन के लिए सभी लागू एनबीएफसी को आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) समिति के साथ-साथ जोखिम प्रबंधन समिति का गठन करना होगा।

71. जोखिम प्रबंधन प्रणाली – एनबीएफसी के लिए मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) की नियुक्ति

प्रत्यक्ष ऋण मध्यस्थता में एनबीएफसी की बढ़ती हुई भूमिका को ध्यान में रखते हुए, एनबीएफसी के लिए जोखिम प्रबंधन प्रथा को बेहतर करना होगा। जहाँ एक ओर एनबीएफसी के बोर्ड को जोखिम प्रबंधन के उत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए अथक प्रयास करना चाहिए; दूसरी तरफ निवेश और ऋण कंपनी, पुनर्रचना वित्त कंपनी, सूक्ष्म वित्त संस्था, फैक्टर्स एवं पुनर्संरचना कर्ज़ निधि श्रेणी की 50 बिलियन रुपए से अधिक आस्ति आकार वाली एनबीएफसी स्पष्ट विनिर्दिष्ट भूमिका और उत्तरदायित्व प्रदान कर सीआरओ की नियुक्ति करे। सीआरओ से यह अपेक्षित है कि वह स्वतंत्र रूप से कार्य करे ताकि जोखिम प्रबंधन के उच्च मानकों को सुनिश्चित किया जा सके।

2. इस संबंध में एनबीएफसी निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करेंगे:

ए) सीआरओ एनबीएफसी के पदानुक्रम में वरिष्ठ अधिकारी होगा और जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में उसके पास आवश्यक और यथोचित व्यावसायिक योग्यता/अनुभव रहेगा।

बी) सीआरओ की नियुक्ति एनबीएफसी के बोर्ड के अनुमोदन से नियत कार्यकाल के लिए की जाएगी। सीआरओ को सिर्फ बोर्ड के अनुमोदन से ही कार्यकाल पूरा होने से पहले स्थानांतरित किया जा सकता है/ उसके पद से हटाया जा सकता है और इस प्रकार के अवधिपूर्व स्थानांतरण/ हटाए जाने की सूचना गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को देनी होगी, जिनके क्षेत्राधिकार में एनबीएफसी पंजीकृत है। सूचीबद्ध एनबीएफसी द्वारा सीआरओ के पदग्राही में किसी प्रकार के बदलाव की रिपोर्टिंग स्टॉक-एक्सचेंज में भी करनी होगी।

सी) बोर्ड सीआरओ की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए नीतियां बनाएगा। इस संबंध में, सीआरओ की रिपोर्टिंग सीधे एमडी एवं सीईओ / बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समीति (आरएमसी) तक होगी। अगर सीआरओ एमडी एवं सीईओ को रिपोर्ट करता हो तो आरएमसी कम-से-कम तिमाही आधार पर एमडी एवं सीईओ की उपस्थिति के बिना सीआरओ से मिलेगी। सीआरओ एनबीएफसी के कारोबारी कार्यक्षेत्र के साथ कोई रिपोर्टिंग संबंध नहीं रखेगा और उसे कोई व्यावसायिक लक्ष्य नहीं दिये जाएंगे। इसके अतिरिक्त कोई "दोहरे उत्तरदायित्व" का प्रावधान नहीं होगा अर्थात सीआरओ को कोई अन्य उत्तरदायित्व नहीं दिया जाएगा।

डी) सीआरओ जोखिमों की पहचान, मापन और उसे कम करने की प्रक्रिया से जुड़ा रहेगा। सीआरओ द्वारा सभी ऋण उत्पादों (खुदरा एवं थोक) में अंतर्निहित और नियंत्रण जोखिमों के दृष्टिकोण से वेटिंग किया

जाएगा। ऋण प्रस्तावों के संबंध में निर्णय लेने के संबंध में सीआरओ की भूमिका केवल सलाहकार होने तक सीमित रहेगी।

इ) उच्च मूल्य के प्रस्तावों के लिए ऋण मंजूरी प्रक्रिया में समिति की कार्यपद्धति को अपनाने वाले एनबीएफसी में, यदि सीआरओ ऋण मंजूरी प्रक्रिया में निर्णय लेने वालों में से एक है, तो उसे मताधिकार की शक्ति प्राप्त होगी और ऐसे सभी सदस्य जो ऋण मंजूरी प्रक्रिया के भाग हैं वे ऋण प्रस्ताव से संबंधित जोखिम परिप्रेक्ष्य सहित सभी पहलुओं के लिए वैयक्तिक रूप से और प्रथक रूप से उत्तरदायी होंगे।

72. उचित और पर्याप्त मानदंड

(1) सभी लागू एनबीएफसी को

(i) यह सुनिश्चित करना होगा कि निदेशकों की नियुक्ति के समय "उचित और पर्याप्त" मानदंड सुनिश्चित करने के लिए नियमित आधार पर नीति बनाकर निदेशक मंडल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना होगा। उचित और पर्याप्त मानदंड नीति के संबंध में दिशानिदेश **अनुलग्नक- XIII** में दिए गए हैं;

(ii) निदेशकों से संबंधित अतिरिक्त सूचना के लिए निदेशकों से घोषण पत्र तथा वचन पत्र लिया जाए। यह घोषणा पत्र तथा वचन पत्र **अनुलग्नक- XIV** में दिए प्रारूप के अनुसार होगा;

(iii) निदेशकों से हस्ताक्षरित प्रतिज्ञापत्र दस्तावेज प्राप्त किया जाए जो **अनुलग्नक- XV** में विनिर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार हो;

(iv) निदेशकों के परिवर्तन के संबंध में तिमाही रिपोर्ट तथा निदेशकों के चयन में उचित और पर्याप्त मानदंड का अनुपालन किया गया है, इस आशय का प्रमाण पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 15 दिनों के अंदर विवरणियां भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग को प्राप्त हो जानी चाहिए। 31 मार्च को समाप्त तिमाही से संबंध में लागू एनबीएफसी को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां लेखा परीक्षा द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।

बशर्ते कि बैंक यदि यह जन साधारण के हित में और पर्याप्त हो तो, किसी भी एनबीएफसी का उसकी परिसंपत्ति के आकार को ध्यान में रखे बिना, ऐसी एनबीएफसी के निदेशकों के उचित और पर्याप्त मानदंड की जांच करने का अधिकार रखता है।

73. प्रकटीकरण तथा पारदर्शिता

(1) सभी लागू एनबीएफसी को नियमित अंतराल में इस संबंध में बोर्ड द्वारा निर्धारित फार्मेट में निम्नलिखित को निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करना होगा :

(i) कार्पोरेट गवर्नेंस मानक जैसे विभिन्न समितियों का गठन, उनकी भूमिका और कार्य, बैठक की आवधिकता तथा कार्यक्षेत्र व्याप्ति) कवरेज़ (का अनुपालन और कार्यों की समीक्षा की पुष्टि प्रस्तुत करनी होगी।

(2) सभी लागू एनबीएफसी को 31 मार्च 2015 से अपनी वार्षिक वित्तीय विवरणी में निमंलिखित को भी प्रकट करना होगा :

(i) अन्य वित्तीय विनियामक सेक्टर से प्राप्त किसी भी नाम का पंजीकरण/लाइसेंस /प्राधिकार;

(ii) क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसियों द्वारा प्रदान की गई रेटिंग तथा वर्ष के दौरान रेटिंग में परिवर्तन;
(iii) किसी विनियामक द्वारा लगाया गया दंड, यदि कोई हो तो;
(iv) संयुक्त उपक्रम तथा विदेशी सहायक कंपनियों के संबंध में क्षेत्र, परिचालन का देश संबंधी सूचना, और
(v) आस्ति-देयता प्रोफाइल, मूल कंपनी के उत्पादों के वित्तपोषण का विस्तार, एनपीए और एनपीए का परिचालन, सभी तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर का ब्योरा, प्रतिभूतिकरण/कार्यभार लेनदेन के रूप में भी उनके द्वारा जारी संरचित उत्पाद और अनुबंध XVI में विनिर्दिष्ट अन्य प्रकटीकरण

74. सांविधिक लेखा परीक्षा फर्म के भागीदारों का रोटेशन

सभी लागू एनबीएफसी को लेखा परीक्षा करने वाली सनदी लेखाकार फर्म के भागीदारों का प्रत्येक तीन वर्ष पर रोटेशन करना चाहिए ताकि एक ही पार्टनर कंपनी तीन वर्ष से अधिक समय के लिए लगातार लेखा परीक्षा न कर सके। तथापि यदि एनबीएफसी चाहे तो रोटेट किए गए पार्टनर तीन वर्ष के अंतराल के बाद एनबीएफसी की लेखा परीक्षा करने के लिए पात्र हो जायेंगे। एनबीएफसी लेखा परीक्षा फर्म के नियुक्ति पत्र में तदनुसार समुचित नियम को शामिल करें तथा इसका अनुपालन किया जाए।

75. आंतरिक दिशानिदेश बनाया जाना

सभी लागू एनबीएफसी उक्त दिशानिदेश में निहित तथ्यों की अवहेलना किए बगैर दिशानिदेश के दायरे को बढ़ाने के लिए अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से कार्पोरेट गवर्नेंस पर आंतरिक दिशानिदेश बनाये और अपने विभिन्न हितधारकों के सूचनार्थ इसे अपनी कंपनी की वेबसाइट, यदि कोई हो तो, में प्रदर्शित करें।

खंड -IV
विविध मद

अध्याय- XII

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विदेश में शाखाएं / सहायक कंपनी/ संयुक्त उद्यम/ प्रतिनिधि कार्यालय खोलना या निवेश करना

इस अध्याय में दिये गए निर्देश भारत के बाहर निवेश करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंध द्वारा जारी निर्देशों के अतिरिक्त हैं।

76. लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विदेश में शाखा /सहायक कंपनी/ संयुक्त उद्यम/ प्रतिनिधि कार्यालय खोलने या निवेश के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमति लेनी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक से लिखित पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना कोई लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी विदेश में सहायक कंपनी/ संयुक्त उद्यम/प्रतिनिधि कार्यालय खोलने या किसी विदेशी संस्था में निवेश नहीं कर सकती। अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के आवेदन पर इन निदेश के अधीन विचार किया जाएगा।

77. सामान्य शर्तें

(i) गैर वित्तीय सेवा क्षेत्र में निवेश की अनुमति नहीं है|

(ii) फेमा (एफईएमए) के तहत गतिविधियों में प्रत्यक्ष निवेश प्रतिबंधित है या सेक्टोरल निधियों की अनुमति नहीं है।

(iii) केवल मात्र उन संस्थाओं में निवेश की अनुमति है जिसकी प्रमुख गतिविधियों का विनियमन मेजबान (होस्ट) अधिकार क्षेत्र के वित्तीय क्षेत्र विनियामक द्वारा किया जाता हो।

(iv) समग्र विदेशी निवेश निवल स्वाधिकृत निधियों के 100% से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी एक विदेशी संस्था में, उसकी निचली सहायक कंपनियों सहित, इक्विटी या निधि आधारित प्रतिबद्धता निवेश के माध्यम से निवेश, लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के स्वामित्व निधि के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए।

(v) विदेशी निवेश में बहुस्तरीय, एक से अधिक देशों की क्रास क्षेत्राधिकार संरचना शामिल नहीं होना चाहिए तथा अधिक से अधिक केवल मात्र एक मध्यवर्ती धारक संस्था को अनुमति दी जाएगी ।

(vi) विदेश में सहायक कंपनी में निवेश करने के बाद लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का सीआरएआर विनियामकीय सीमाओं से कम नहीं होना चाहिए।

(vii) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के धारा 45 आईए में निर्धारित स्पष्टीकरण के अनुरूप गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को प्रस्तावित विदेशी सहायक कंपनी/ विदेश में निवेश करने के बाद आवश्यक निवल स्वाधिकृत निधियों का स्तर बरकरार रखना होगा ।

(viii) लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का निवल अनर्जक आस्तियां निवल अग्रिम के 5% से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ix) लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को पिछले तीन वर्षों में लाभ अर्जित किया होना चाहिए तथा इस अवधि के दौरान उनका कार्य निष्पादन संतोषजनक होना चाहिए।

(x) लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को समय-समय पर जारी फेमा 1999 विनियम का अनुपालन करना होगा।

(xi) लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का विनियामकीय अनुपालन तथा सार्वजनिक जमाराशि स्वीकर करने की सेवा संतोषजनक होना चाहिए।

(xii) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) नियम का पालन करना होगा।

(xiii) विदेश में विशेष प्रयोजन संस्था (एसपीवी) की स्थापना या विदेश में अधिग्रहण को विदेशी संस्था में निवेश के प्रतिशत के आधार पर विदेश में सहायक कंपनी/ संयुक्त उद्यम में निवेश / विदेश में निवेश माना जाएगा;

(xiv) लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को सांविधिक लेखा परीक्षक से वार्षिक प्रमाण पत्र, जिसमें यह प्रमाणित किया जाए कि विदेश में निवेश के लिए इस निदेश के तहत निर्धारित सभी नियम का पूर्ण अनुपालन इसके द्वारा किया गया है, को क्षेत्रीय कार्यालय के गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग में प्रस्तुत करना होगा, जहां वह पंजीकृत है।

(xv) यदि बैंक के संज्ञान में कोई प्रतिकूल बात आती है तो स्वीकृत अनुमति को वापस ले लिया जाएगा। विदेश में निवेश हेतु सभी स्वीकृतियां इस नियम के अधीन है।

78. विशेष स्थितियां

1) <u>शाखा खोलना</u>

सामान्य नीति के अनुसार, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को विदेश में शाखा खोलने की अनुमति नहीं है। तथापि लागू एनबीएफसी, जिन्होंने वित्तीय कारोबार गतिविधियों के लिए पहले से ही विदेश में शाखा (शाखाएं) खोल रखी हैं उन्हें संशोधित निदेश के अनुपालन के आधार पर , यथा लागू, परिचालन जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है।

2) <u>लागू एनबीएफसी द्वारा विदेश में सहायक कंपनी खोलना</u>

लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विदेश में सहायक कंपनी खोलने के मामले में उक्त निर्धारित सभी नियम लागू होंगे। बैंक द्वारा जारी किया अनापत्ति प्रमाणपत्र विदेशी नियामकों की अनुमोदन प्रक्रिया से स्वतंत्र है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित निर्धारित शर्तें हैं जो सभी लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू हैं।

(ए) विदेश में सहायक कंपनी खोलने के मामले में, मूल लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को ऐसी सहायक कंपनी के बदले विस्तारित अंतर्निहित या गारंटी सुनिश्चित करने की अनुमति नहीं है।

(बी) विदेशी सहायक कंपनी को भारत में किसी भी संस्था से चुकौती आश्वासन पत्र के अनुरोध की अनुमति नहीं है।

(सी) यह सुनिश्चित किया जाएगा है कि प्रस्तावित विदेशी संस्था में लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की देनदारी इसके इक्विटी या सहायक कंपनी की निधि आधारित प्रतिबद्धता तक सीमित है।

(डी) विदेश में स्थापित की जाने वाली सहायक कंपनी शेल (Shell) कंपनी नहीं होगी जैसे "कंपनी का गठन किया गया है किंतु परिसंपत्ति या परिचालन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण नहीं है"। तथापि वित्तीय सलाहकार तथा परामर्श सेवाओं का कारोबार करने वाली ऐसी कंपनी जिसमें महत्त्वपूर्ण परिसंपत्ति नहीं है, उन्हें शेल (Shell) कंपनी के रूप में नहीं माना जाएगा।

(ई) लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा विदेश में स्थापित की जाने वाली सहायक कंपनी का प्रयोग भारत में भारतीय परिचालन के लिए परिसंपत्ति बनाने के लिए संसाधन बनाने वाली संस्था के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा।

(एफ) प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, मूल लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को विदेश में स्थापित सहायक कंपनी से उनके द्वारा किये जाने वाले कारोबार संबंधी आवधिक रिपोर्ट/ लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करना होगा तथा उसे रिज़र्व बैंक तथा बैंक के निरीक्षक अधिकारियों को उपलब्ध कराना होगा।

(जी) यदि सहायक कंपनी द्वारा कोई कारोबार नहीं किया जा रहा है या रिपोर्ट की प्राप्ति नहीं हो रही है तब विदेश में सहायक कंपनी की स्थापना के लिए दी गई अनुमति की समीक्षा की /वापस ली जा सकती है।

(एच) किसी लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को विदेश में सहायक कंपनी स्थापित करने की अनुमति इस शर्त पर दी जाएगी कि सहायक कंपनी अपने तुलन पत्र में यह प्रकट करें कि प्रस्तावित विदेशी संस्था में मूल संस्था की देनदारी उसकी इक्विटी या सहायक कंपनी के प्रति निधिगत प्रतिबद्धता तक सीमित होगी ।

(आई) विदेशी सहायक कंपनी के सभी परिचालन मेजबान देश के विनियामकीय क्षेत्र के अधीन होंगे ।

3) **<u>विदेशी संयुक्त उद्यम</u>**

सहायक कंपनी के अतिरिक्त विदेश में निवेश पर भी वही दिशानिर्देश लागू होंगे जो सहायक कंपनी के लिए लागू हैं।

4) **<u>विदेश में प्रतिनिधि कार्यालय खोलना</u>**

(i) संपर्क कार्य हेतु प्रतिनिधि कार्यालय विदेश में खोला जा सकता है। यह बाजार का अध्ययन तथा अनुसंधान कार्य कर सकते हैं किंतु किसी भी प्रकार से निधियों के परिव्यय या कारोबार शामिल न हो ,क्योंकि यह मेजबान देश के विनियमन के अधीन होता है। चूंकि ऐसे कार्यालय संपर्क कार्य के अतिरिक्त किसी और कार्य में शामिल नहीं होंगे अत: ऋण मुहैया कराने की कोई सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।

(ii) मूल गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को विदेशी प्रतिनिधि कार्यालय से उनके कारोबार संबंधी आवधिक रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी। यदि प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा कोई कारोबार नहीं किया जाता है या रिपोर्ट की प्राप्ति नहीं होती है तो उनको कार्य के लिए प्रदान की गयी अनुमति की समीक्षा/ रद्द की जा सकती है।

अध्याय – XIII
विविध अनुदेश

79. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की गतिविधियों का स्वचालित मार्ग से विस्तार

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से स्थापित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को केवल उन्हीं गतिविधियों को करने की अनुमति होगी जो स्वत: अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत अनुमत हैं। उनसे भिन्न किसी अन्य गतिविधि को करने से पहले उसे विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) का अनुमोदन लेने की जरूरत होगी। इसी प्रकार यदि किसी कंपनी को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष में प्रवेश की अनुमति मिली है (जैसे साफ्टवेयर) और बाद में वह गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र में काम करना चाहती है तो उसे लागू न्यूनतम पूंजीकरण मानदण्डों और अन्य विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करना होगा।

80. पूँजी पर्याप्तता उद्देश्य के लिए लागू एनबीएफसी की पूँजी प्रापण के विकल्पों में वृद्धि करना

कारोबार में वृद्धि और विनियमनकारी अपेक्षाओं के लिए पूँजी आवश्यकताओं की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए लागू एनबीएफसी (जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी को छोड़कर) को **अनुबंध XVII** में शामिल निर्देशों के अनुसार बेमीयादी कर्ज लिखत (पीडीआई) जारी करके अपने निधि को संतुलित करने की अनुमति दी जाती है। यह पीडीआई पिछले लेखांकन वर्ष के 31 मार्च के टीयर -I पूँजी की 15% सीमा तक टीयर -I पूँजी में शामिल किये जाने के लिए पात्र होगा।

81. लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की रेटिंग

सभी लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अपने ऐसे वित्तीय उत्पादों की रेटिंग के न्यूनीकरण/ उन्नयन की तारीख से 15 दिनों के भीतर लिखित रूप में ऐसी जानकारी रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय को देंगी जिनके अधिकार क्षेत्र में उनका पंजीकृत कार्यालय कार्यरत है।

82. कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदा

भारतीय रिज़र्व बैंक के आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग द्वारा जारी 08 नवंबर 2010 के 'कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रेपो लेनदेन (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2010 के अनुसार ₹500 करोड़ अथवा इससे अधिक आस्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रेपो लेनदेनों के लिए पात्र हैं। आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग ने रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेनों के लिए एक समान लेखाकरण के बारे में 23 मार्च 2010 को संशोधित दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। ऐसे लेनदेनों में भाग लेने वाली ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग द्वारा जारी निदेश एवं लेखाकरण संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन करेंगी।

(ए) पूँजी पर्याप्तता

ऐसे लेनदेनों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में रखी परिसंपत्तियों के बारे में ऋण जोखिम हेतु जोखिम भार के साथ-साथ काउंटर पार्टी के लिए जोखिम भार इन निदेशों के अध्याय IV के अनुसार जारीकर्ता/ काउंटर पार्टी के लिए लागू होगा।

(बी) खाता-शेष का वर्गीकरण

रेपो, रिवर्स रेपो खाते, आदि जैसे विभिन्न खातागत शेष-राशि का वर्गीकरण, बैंकों की भांति, संबंधित अनुसूचियों में किया जाएगा। ऐसे रिपो लेनदेनों से संबंधित अन्य सभी मामलों में ₹500 करोड़ अथवा इससे अधिक आस्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग द्वारा जारी निदेश और लेखांकन दिशानिर्देशों का अनुपालन करेंगी।

83. करेंसी ऑप्शंस में भाग लेना

₹500 करोड़ अथवा इससे अधिक आस्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी अपने अंतर्भूत विदेशी मुद्रा संबंधी जोखिमों की हेजिंग मात्र के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा मान्यताप्राप्त करेंसी आप्शंस के लिए पदनामित एक्स्चेंजों में ग्राहक के रूप में भाग ले सकती हैं। सेबी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इस संबंध में किये गए लेन देन के बारे में तुलनपत्र में उचित प्रकटीकरण किया जाएगा।

84. अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) दिशानिर्देश, 2016 की लागूता

यह नोट किया जाए कि सभी लागू एनबीएफ़सी को बैंकिंग विनियमन विभाग द्वारा समय-समय पर संशोधित अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 का पालन करना होगा।

85. बैंक के पास रखी मीयादी जमा राशियों को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में गणना नहीं करना

मीयादी जमा में निवेश को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में नहीं माना जा सकता तथा बैंक के पास रखी गई मीयादी जमा से प्राप्त होने वाली ब्याज आय को वित्तीय परिसंपत्ति से प्राप्त आय नहीं माना जा सकता जैसाकि इन कार्यकलापों को अधिनियम 1934 की धारा 45 आईए में "वित्तीय संस्था" की परिभाषा के तहत शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा, गैर बैंकिंग वित्तीय कार्यकलाप प्रारंभ करने तक, उक्त मामलों में तथा/ या बैंक के डिपोजिट्स को मुद्रावत माना जाता है; जिसका उपयोग निष्क्रिय निधि की केवल अस्थायी पार्किंग के लिए किया जा सकता है, और अथवा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार प्रारंभ होने तक उन मामलों में जहां एनबीएफ़सी के पंजीकरण के लिए राशि अर्थात 200 लाख ₹ की स्वाधिकृत निधि की प्रारंभिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए निधियों को मियादी जमा के रूप में रखा जाता है।

86. हाज़िर वायदा संविदाओं, सरकारी प्रतिभूतियों के लेनसंशोधन तथा /देन के निपटान में ढील- प्राथमिक निर्गमों में आबंटित प्रतिभूतियों की बिक्री से संबंधित परिचालनीय अनुदेश

सभी लागू एनबीएफ़सी को अनुदेश दिया जाता है कि वे समय समय पर संशोधित 29 मार्च 2004 के परिपत्र आइडीएमडी.पीडीआरएस.05/10.02.01/2003-04 तथा 11 मई 2005 का आईडीएमडी. पीडीआरएस.4777, 4779 तथा 4783/10.02.01/2004-05 में सरकारी प्रतिभूतियों के लेन-देन के संबंध में दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करें। इस संबंध में उन्हें यदि कहीं कोई संदेह हो तो वे आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग को लिखें।

87. कार्पोरेट बांड लेनदेनों के लिए निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्ज़) संघ (FIMMDA) का रिपोर्टिंग प्लेटफार्म

सभी लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ ओवर दि काउंटर मार्केट - कार्पोरेट बांड- सेकंडरी बाजार में किए गए लेनदेनों को फिमडा के रिपोर्टिंग प्लेटफार्म पर रिपोर्ट करें।

88. अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण- "काल न करें" की राष्ट्रीय सूची (नेशनल डू नॉट कॉल रजिस्ट्री)

लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

(i) ऐसे टेलीमार्केटर्स की सेवाएं न लें जिसने दूर संचार विभाग (डीएमए/डीएसए), भारत सरकार से टेलीमार्केटर्स का वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र न लिया हो; लागू एनबीएफसी केवल ऐसी टेलीमार्केटर्स की सेवाएं लें, जो ट्राई (TRAI) द्वारा समय-समय पर प्रचार/टेलिमार्केटिंग गतिविधियां करने के लिए जारी दिशा-निर्देशों के तहत पंजीकृत हों।

(ii) उनके द्वारा लगाये गए टेलीमार्केटर्स (डीएसए/डीएमए) की सूची टेलीमार्केटर्स द्वारा टेलीमार्केटिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टर्ड टेलीफोन नंबरों के साथ ट्राई को दें; तथा

(iii) वे यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा संप्रति जिन एजेंटों की सेवाएं ली जाती हैं, वे दूर संचार विभाग (DoT) के पास अपना रजिस्ट्रेशन टेलीमाकेटर्स के रूप में करवा लें ।

89. वैकल्पिक निवेश निधि के माध्यम से निवेश –लागू एनबीएफसी की एनओएफ की गणना

एनओएफ के आकलन के समय, एनबीएफसी द्वारा अपने समूह की संस्थाओं में किए गए निवेश को निवेश माना जाएगा यद्यपि निवेश सीधा अथवा एआईएफ/वीसीएफ के माध्यम से किया गया हो तथा जब वीसीएफ में निधि एनबीएफसी से आयी हो जो 50% अथवा उससे अधिक हो; या जहां ट्रस्ट के मामले में लाभार्थी एनबीएफसी हो और वहां ट्रस्ट की 50% निधि संबंधित एनबीएफसी से आयी हो। इस उद्देश्य के लिए" लाभार्थी स्वामित्व" का अर्थ होगा ट्रस्ट में निर्णय लेने एवं प्रभावित करने की शक्ति एंव क्षमता रखने वाला तथा ट्रस्ट की गतिविधियों के बाहर से उत्पन्न होने वाले लाभ का लाभार्थी होना। अन्य शब्दों में, एनओएफ तक पहुंच बनाने के लिए, आकार से पहले सार होगा।

90. आय पर कर की गणना लेखांकन मानक 22-पूंजी की गणना के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं आस्थगित कर देयताओं को लिया जाना

(1) चूंकि आस्थगित कर परिसंपत्तियों तथा आस्थगित कर देयताओं के सृजन से कतिपय मुद्दे उभरेंगे जिनका प्रभाव कंपनी के तुलनपत्र पर पड़ेगा, अस्तु यह स्पष्ट किया जाता है कि इन मुद्दों के संबंध में विनियामक व्यवहार इस प्रकार है:

(i) आस्थगित कर देयता खातेगत शेष, चूंकि पूंजी की मदों में शामिल होने की पात्रता नहीं रखता है, इसलिए वह पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन से टियर । तथा टियर II पूंजी में शामिल करने योग्य नहीं होगा।

(ii) आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अगोचर परिसंपत्ति माना जाएगा और उसे टियर ।पूंजी से घटा दिया जाएगा।

(2) इस संबंध में

(i) वर्तमान वर्ष हेतु राजस्व आरक्षित निधियों या लाभ-हानि खाते के प्रारंभिक-शेष को नामे करके सृजित आस्थगित कर देयताओं (DTL) को" अन्य देयताएं तथा प्रावधान" के अंतर्गत "अन्य" मद में शामिल किया जाएगा।

(ii) वर्तमान वर्ष हेतु राजस्व आरक्षित निधियों या लाभ-हानि खाते के प्रारंभिक-शेष में जमा करके सृजित आस्थगित कर परिसंपत्तियों (DTA) को "अन्य परिसंपत्ति" के अंतर्गत "अन्य" मद में शामिल किया जाएगा।

(iii) वर्तमान अवधि की एवं पिछली अवधि से आगे लाई गई अगोचर परिसंपत्तियों तथा हानियों को टियर । पूंजी से घटा दिया जाएगा।

(3) निम्नवत आकलित आस्थगित कर परिसंपत्तियों को टियर ।पूंजी से घटा दिया जाएगा:

(i) संचित हानियों से संबंधित आस्थगति कर परिसंपत्तियाँ (DTA); तथा

(ii) आस्थगित कर देयताओं को घटाकर निकाली गई आस्थगित कर परिसंपत्तियां (संचित हानियों से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियों को छोड़कर)। जहाँ आस्थगति कर देयताएं आस्थगित कर परिसंपत्तियों (संचित हानियों से संबंधित आस्थगति परिसंपत्तियों को छोड़कर) से अधिक हों, वहाँ ऐसी अधिक राशि को न तो मद सं. (i) के बदले समायोजित किया जाएगा और न ही टियर । पूंजी में जोड़ा जाएगा।

91. ब्याज दर संबंधी भावी सौदों का प्रारंभ (इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स)

(1) भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी द्वारा इस बारे में जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत लागू गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अपने अंतर्भूत जोखिमों की हेजिंग के लिए सेबी द्वारा ग्राहक के रूप में मान्यता प्राप्त एवं नामित एक्सचेंजों में ब्याज दर संबंधी भावी सौदे कर सकती हैं। ब्याज दर संबंधी भावी सौदों के लिए एक्सचेंजों में भाग लेने वाली लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ ऐसे आंकड़े छमाही आधार पर संबंधित छमाही की समाप्ति के अनुवर्ती एक माह में गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को संलग्न फार्मेट में प्रस्तुत करें जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित कंपनी का पंजीकृत कार्यालय आता हो।

(2) ₹1000 करोड़ तथा उससे अधिक परिसंपत्ति आकार वाली जमाराशि नहीं स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां को भी भारतीय रिज़र्व बैंक / सेबी द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के तहत मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज़ में ट्रेडिंग सदस्य के रूप में ब्याज दर संबंधी भावी सौदा बाजारों में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। यह नोट किया जाए कि 'एक्सचेंज-ट्रेडेड ब्याज दर संबंधी भावी सौदों' पर जारी 05 दिसम्बर 2013 का भारिबैं परिपत्र आईडीएमडी.पीसीडी.08/14.03.01/2013-14 के अनुसार, ब्याज दर संबंधी भावी बाजार सौदों में भाग लेने वाले विभिन्न वर्गों के लिए स्थिति सीमाएं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी दिशानिदेश के अधीन होंगी।

92. आवास परियोजनाओं के लिए वित्त-शर्तों में यह उपबंध शामिल करना कि पैम्फ्लेटों/ब्रोसरों/विज्ञापनों में यह प्रकट किया जाएगा कि संबंधित संपत्ति गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के पास बंधक है

आवास/विकास परियोजनाओं के लिए वित्त प्रदान करते समय लागू गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ शर्तों में निम्नलिखित को भी विनिर्दिष्ट करें कि:

(i) बिल्डर/डेवलपर/मालिक/कंपनी पैम्फ्लेटों/ब्रोसरों/विज्ञापनों, आदि में यह प्रकट करेंगे कि संबंधित संपत्ति किस संस्था /कंपनी के पास बंधक है।

(ii) बिल्डर/डेवलपर/मालिक/कंपनी पैम्फ्लेटों/ब्रोसरों में यह उल्लेख करेंगे कि फ्लैटों।संपत्ति की बिक्री के लिए यदि अपेक्षित होगा तो वे उस संस्था/कंपनी, जिसके पास संपत्ति बंधक है, से अनापत्ति प्रमाणपत्र/अनुमति प्राप्त करके देंगे।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया था कि वे उल्लिखित विनिर्देशनों का अनुपालन सुनिश्चित करें और निधियाँ तब तक जारी न की जाएं जब तक कि बिल्डर/डेवलपर/मालिक/कंपनी उल्लिखित अपेक्षाएं पूरी न कर दें।

93. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा दिव्यांग/दृष्टिहीन लोगों को ऋण सुविधा प्रदान करना

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा उत्पाद तथा ऋणों सहित सुविधाएं देने में दिव्यांग/दृष्टिहीन आवेदकों के साथ शारीरिक अक्षमता के आधार पर भेदभाव न किया जाए। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अपनी शाखाओं को यह भी सूचित करें कि वे विभिन्न कारोबारी सुविधाओं का लाभ ऐसे लोगों को देने में हर संभव सहायता करें। लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अपने सभी कर्मचारियों के लिए चलाये जाने वाले विभिन्न स्तरीय कार्यक्रमों में, एक उचित माड्यूल्स शामिल करें जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों को कानूनी तथा अंतराष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार संबंधी गारंटी शामिल हो। इसके अतिरिक्त , गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा स्थापित शिकायत निवारण पद्धति के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के शिकायत का निवारण किया जा रहा है।

94. करेंसी फ्यूचर्स में सहभागिता

एनबीएफ़सी को केवल अपनी अंतर्निहित विदेशी मुद्रा जोखिम की हेजिंग के उद्देश्य के लिए, ग्राहकों के रूप में, सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त नामित मुद्रा विकल्प / वायदा एक्सचेंजों में भारतीय रिजर्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) के इस मामले में दिशा-निर्देशों के अधीन भाग लेने के लिए अनुमति दी जाती है। सेबी द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार मुद्रा वायदा बाजार में किए गए लेनदेन से संबंधित बैलेंस शीट में प्रकटीकरण किया जाएगा ।

95. बीमा कारोबार में प्रवेश

(1) बीमा कारोबार में प्रवेश के लिए एनबीएफ़सी को आवश्यक विवरण के साथ उनके सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित आवेदन, गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को, जिसके अधिकार क्षेत्र में एनबीएफ़सी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, को करना होगा।
(2) लागू एनबीएफ़सी बीमा एजेंसी कारोबार प्रभार के आधार पर और जोखिम भागीदारी के बिना, निश्चित पात्रता शर्तों के अधीन बैंक की मंजूरी के बिना कर सकती है।
(3) विस्तृत दिशानिर्देश **अनुबंध XVIII** में दिए गए हैं।

96. क्रेडिट कार्ड जारी करना

लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को रिज़र्व बैक की पूर्वानुमति के बिना क्रेडिट कार्ड कारोबार करने की अनुमति नहीं है। क्रेडिट कार्ड कारोबार के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली कंपनियों सहित कोई भी कंपनी जो यह कारोबार करने की इच्छुक हो उसके लिए यह अपेक्षित है कि उसके पास पंजीकरण प्रमाणपत्र हो, विशेष रूप से इस कारोबार में प्रवेश की अनुमति के अलावा पूर्व शर्त के तहत न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियाँ 100 करोड़ रुपए हों तथा इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर लगायी गयी शर्तें भी पूरी करती हों। लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, स्टोर वैल्यू कार्ड, चार्ज कार्ड, आदि जारी करने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को रिज़र्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों को 21 नवंबर 2005 के परिपत्र सं.

बैंपविवि.एफएसडी.बीसी.49/24.01.011/2005-06 में यथा समय समय पर संशोधित जारी अनुदेशों का भी पालन करना है।

97. को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करना

भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को, चयनित आधार, पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के साथ, बिना जोखिम की हिस्सेदारी के, को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति से प्रारंभ में दो वर्षों के लिए एवं तदुपरांत समीक्षा के अधीन जारी करने की अनुमति दी जाए। न्यूनतम पात्रता अपेक्षाओं को पूरी करने वाली तथा कतिपय शर्तों का पालन करने वाली लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ एतदर्थ आवदन करने की पात्र हैं। पात्रता आवश्यकताएँ **अनुलग्नक XIX** में निर्धारित की गई हैं।

98. पारस्परिक निधियों का वितरण (मुचुअल फंडों)

भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकृत लागू एनबीएफ़सी को म्यूच्युअल फंड उत्पादों के वितरण की अनुमति है बशर्ते सेबी के दिशानिदेशों/विनियम का पालन करें तथा म्यूच्युअल फंड उत्पाद के वितरण के लिए आचार संहिता का पालन करें। विस्तृत दिशानिर्देश **अनुबंध XX** में दिए है।

99. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का भागीदारी फर्म में भागीदार नहीं बनना

(1) कोई भी लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी भागीदारी फर्म में पूंजी अंशदान नहीं करेगी अथवा ऐसी फर्म में भागीदार नहीं बनेगी।
(2) इस संबंध में;

ए) उपर्युक्त भागीदारी फर्म में सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) भी शामिल है।
बी) इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त प्रतिबंध व्यक्तियों के एसोसिएशन के लिए भी लागू है; क्योंकि इनकी प्रकृति भागीदारी फर्म के समान है।

लागू गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो पहले से एलएलपी/व्यक्तियों के एसोसिएशन में पूंजी का अंशदान कर चुकी हैं अथवा एलएलपी/व्यक्तियों के एसोसिएशन की भागीदार हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि एलएलपी/व्यक्तियों के एसोसिएशन से शीघ्र निकासी करें।

100. साख सूचना कंपनियों को आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण- साख संस्थाओं द्वारा आंकड़ों की प्रस्तुति के लिए फार्मेट

1) सभी लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (बिना किसी ग्राहक अंतरफलक (इंटरफेस) गतिविधियों के विशुद्ध रूप से निवेश का कारोबार करती हैं, को छोड़कर) से अपेक्षित है कि वे सभी क्रेडिट सूचना कंपनी की सदस्य बनें और उन्हें डाटा (पुराने डाटा सहित) प्रस्तुत करें ।
2) इस संबंध में साख सूचना कंपनियां (विनियमन) की अधिनियम 2005 की धारा 17 की उपधारा (1) और (2) के अनुसार साख सूचना कंपनी को साख सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम 2005 के उपबंधों के तहत अपने सदस्यों से, जैसा वह आवश्यक समझे, साख सूचना प्राप्त करने की अपेक्षा होगी और प्रत्येक साख सूचना संस्था को साख सूचना कंपनी को अपेक्षित सूचना देनी होगी। इसके अलावा साख सूचना कंपनी विनियमावली, 2006 के विनियमन 10 (क) (ii) के अनुसार प्रत्येक साख संस्था:

(ए) साख सूचना अपने पास उपलब्ध रखेगी, उसे मासिक आधार पर या उसे कम अंतराल पर अद्यतन रखेगी जैसाकि साख संस्था तथा साख सूचना कंपनी के बीच परस्पर सहमति से तय हो; तथा

(बी) ऐसे सभी आवश्यक उपाय करेगी जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रस्तुत की गई साख सूचना अद्यतन, सही और पूर्ण है ।

101. क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को क्रेडिट सूचना प्रस्तुत करने के लिए डेटा फार्मेट तथा अन्य विनियामक उपाय (कार्रवाई)

सभी लागू एनबीएफ़सी, बैंक के परिपत्र 27 जून 2014 बैंपविवि सं.सीआईडी.बीसी.127/20.16.056/2013-14 के द्वारा जारी समय-समय पर संशोधित निर्देशों का निम्नांकित के संबंध में पालन करेगी:

i) क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) के संबंध में जागरूकता लाना;

ii) सभी ऋण निर्णय तथा खाता खोलते समय सीआईआर का उपयोग करना;

iii) सभी सीआईसी के डेटा बेस में वाणिज्यिक डेटा अभिलेख को शामिल करना;

iv) डेटा फार्मेट का मानकीकरण;

v) तकनीकी कार्यदल समूह का गठन;

vi) अस्वीकृत डेटा के सुधार की प्रक्रिया;

vii) डेटा गुणवत्ता इंडेक्स का निर्धारण,

viii) क्रेडिट स्कोर का अंशशोधन (कैलीब्रेशन) तथा सीआईआर के फार्मेट का मानकीकरण।

ix) बैंक/वित्तीय संस्थाओं के लिए उत्तम आचरण।

लागू एनबीएफ़सी, बैंक द्वारा डीबीआर.संख्या.सीआईडी.बीसी.59/20.16.056/2014-15 दिनांक 15 जनवरी 2015 के द्वारा सीआईसीआरए धारा 11(1) के अधीन जारी निर्देशों का पालन करना चाहिए।

102. सरकार की 'हरित पहल' (ग्रीन इनिशियेटिव) का कार्यान्वयन

अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों से अनुरोध है कि इस संबंध में सक्रिय कदम उठायें और उत्तर दिनांकित चेक का समापन तथा अपने दैनिक कारोबारी विनिमय में क्रमबद्ध तरीके से चेक का समापन करते हुए इलेक्ट्रानिक भुगतान प्रणाली को बढ़ाएं। इससे परिणामस्वरूप विनिमय का समायोजन सटीक, कम लागत वाला, तेज तथा प्रभावी होगा।

103. जाली बैंक गारंटियों के उपयोग द्वारा धोखा देने का प्रयास – कार्य – प्रणाली

धोखाधड़ी के प्रयास के कुछ ऐसे प्रसंगों की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को दी गयी है जिसमें दो बैंक शाखाओं द्वारा विभिन्न संस्थाओं के पक्ष में कथित रूप से जारी बैंक गारंटियों (बीजी) को कुछ लाभार्थी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ वाणिज्य बैंकों/ व्यक्तियों द्वारा पुष्टिकरण हेतु प्रस्तुत किया गया है। बैंक गारंटियां पुष्टि सूचना/ स्वीकृति सूचना के साथ प्रस्तुत की गई थीं। लाभार्थियों में से एक रिपोर्टिंग बैंक का ग्राहक था। शेष लाभार्थी व आवेदक न तो बैंक के ग्राहक थे और न ही बैंक शाखा के अधिकारी उन्हें जानते थे।

उपर्युक्त बैंक गारंटियों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि ये बैंक गारंटियां फर्जी थीं और बैंक गारंटियों पर किए गए बैंक अधिकारियों के हस्ताक्षर नकली थे। कथित रूप से जिन बैंक शाखाओं ने बैंक गारंटियां जारी की थीं उन्होंने भी इसकी पुष्टि की है कि उन्होंने इसे जारी नहीं किया है। यहाँ तक कि बैंक गारंटियों के प्रारूप व उनके क्रमांक भी उक्त बैंक में प्रयुक्त प्रारूप व क्रमांक से मेल नहीं खाते थे।

एनबीएफ़सी को सूचित किया जाता है कि उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ऐसे मामलो पर कार्रवाई करते समय उचित सावधानी बरतें।

104. ऋण चूक अदला-बदली- उपयोगकर्ता के रूप में लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

(1) लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां केवल सीडीएस बाजार में उपयोगकर्ता के रूप में भाग लेंगी। उपयोगकर्ता के रूप में, उनको केवल उनके द्वारा धारण किये गये कार्पोरेट बांडों के संबंध में ऋण जोखिम को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऋण सुरक्षा खरीदने की अनुमति दी जायेगी। उनको सुरक्षा की बिक्री करने की अनुमति नहीं होगी और अर्थात उनको सीडीएस संविदाओं में खरीद से अधिक बिक्री की अनुमति नहीं होगी। तथापि, उन्हें सीडीएस की खरीद की स्थिति से उनके मूल प्रतिपक्षों के साथ खुलकर [अनवाइंड] या पूर्वाधिकार बांडों के खरीददार के पक्ष में अंतरित करके बाहर निकलने की अनुमति है।

(2) उक्त सभी प्रावधानों के अनुपालन के अलावा, उपयोगकर्ता लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा संलग्न दिशानिदेशों सहित उनके द्वारा सीडीएस के लिए **अनुबंध XXI** परिचालनात्मक आवश्यकताओं को पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए ।

105. प्रतिभूतिकरण लेनदेन पर दिशा-निर्देश

मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण पर **अनुलग्नक XXII** में दिए दिशानिर्देश का सभी लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा पालन किया जाएगा।

106. ऋण वर्धन/वृद्धि का पुनर्निर्धारण

1) बैंक द्वारा ऋण वर्धन/वृद्धि के पुनर्निधारण पर 1 जुलाई 2013 के परिपत्र संदर्भ:बैंपविवि सं.बीपी-बीसी-25/21.04.177/2013-14 द्वारा दिशानिदेश जारी किया गया है। इस दिशानिदेश में ऐसे पुनर्निर्धारण हेतु सभी तथ्यों को विस्तार से शामिल किया गया है बशर्ते कि वह इसमें निहित नियमों का पालन करती हो। अत: यह निर्णय लिया गया है कि इन निदेशों की प्रयोजनीयता का विस्तार एनबीएफसी द्वारा किए जाने वाले प्रतिभूतिकरण लेनदेन तक किया जाए।
2) 21 अगस्त 2012 के परिपत्र गैबैंपवि.नीप्र.सं.301/03.10.01/2012-13 के अनुसार जो लेनदेन पहले कर लिए गए हैं, उनका पुनर्निर्धारण बकाया प्रतिभूतियों के सभी निवेशकों की सहमति के अधीन किया जा सकता है। अगस्त 2012 के दिशानिदेशों के पूर्व किए गए लेनदेनों के संबंध में एमआरआर से संबंधित शर्त का पालन इस पुनर्निर्धारण में उल्लिखित ऋण वर्धन/वृद्धि (सीई) के पुनर्निर्धारण के उपर्युक्त पैरा (1) में दी गई अन्य शर्तों के अतिरिक्त होगा।

107. एनबीएफ़सी द्वारा अपरिवर्तनीय डिबेंचर्स आदि के प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से धनराशि जुटाना

सभी एनबीएफ़सी से अपेक्षित है कि अपरिवर्तनीय –डिबेंचर्स के प्राइवेट प्लेसमेंट (एनसीडी) पर **अनुबंध XXIII** में दिए गए दिशानिदेशों का अनुपालन करें। यह नोट किया जाए कि कंपनी अधीनियम 2013 के प्रावधान तथा इसके तहत जारी नियम वहां लागू होंगे जहां विरोधाभास नहीं है।

108. बंधक अभिलेखों को केन्द्रीय रजिस्ट्री में फाइल किया जाना

लागू एनबीएफसी को सूचित किया जाता है कि 31 मार्च 2011 तथा उसके बाद से अपने हित में बनाये गए सभी साम्यिक बंधक के अभिलेख को भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केन्द्रीय रजिस्ट्री (सीईआरएसएआई) के समक्ष फाइल और रजिस्टर करें तथा जब कभी उनके हित में साम्यिक बंधक बनता है तो उसे वे केन्द्रीय रजिस्ट्री में रजिस्टर करे। उक्त के अनुक्रम में सभी लागू एनबीएफसी को इसके अतिरिक्त सूचित किया गया था कि सभी प्रकार के बंधकों को सीईआरएसएआई के साथ पंजीकृत करें।

109. वित्तीय संकटग्रस्तता की शुरू में ही पहचान, समाधान हेतु तत्काल उपाय और उधारदाताओं हेतु उचित वसूली: अर्थ व्यवस्था में संकटग्रस्त परिसंपत्तियों को पुनरुज्जीवित करने के लिए संरचना

अर्थ व्यवस्था में संकटग्रस्त परिसंपत्तियों को पुनरुज्जीवित करने के लिए **अनुबंध XXIV** में दी गई संरचना एनबीएफसी-डी, एनबीएफसी-एनडी-एसआई और एनबीएफसी फैक्टर के लिए लागू होगा। रिजर्व बैंक के बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग ने अपने परिपत्र दिनांक 21 अक्तूबर, 22 दिसंबर 2014, 08 जून 2015, 24 सितंबर 2015 और 25 फरवरी 2016 द्वारा इस फ्रेमवर्क में संशोधन किए हैं। उपर्युक्त परिपत्रों के माध्यम से किये गए ये संशोधन लागू एनबीएफ़सी पर यथारूप लागू होंगे ।

110. एनबीएफ़सी द्वारा लेनदेनों को निकटतम रूपये में पूर्णांकित करना

एनबीएफ़सी सुनिश्चित करें कि जमाराशि पर ब्याज का भुगतानअग्रिम पर प्रभारित ब्याज आदि सहित / सभी लेनदेनों को निकटतम रूपये में पूर्णांकित किया जाए । 50 पैसे का अंश तथा उससे अधिक को रूपये की अगली उच्च राशि में पूर्णांकित किया जाए तथा जैसे 50 पैसे से कम के अंश को उपेक्षित कर दिया जाए। तथापि, यह भी सुनिश्चित करें कि ग्राहकों द्वारा जारी चेकड्राफ्ट जिसमें रूपये का अंश निहित / हो उसे उनके द्वारा अस्वीकार नहीं किया जाए।

111. जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी को मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के तहत सब-ऐजेंट (उपअभिकर्ता) के रूप में नियुक्ति

जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली सभी लागू एनबीएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमति के बगैर एमटीएसएस के तहत सब-ऐजेंट (उप-अभिकर्ता) के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाती है। जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफ़सी ऐसी गतिविधियां नहीं करेंगी।

112. लागू एनबीएफसी द्वारा सुरक्षित जमा लॉकर सुविधा का प्रावधान

सुरक्षित जमा लॉकर सुविधा प्रदान करना एक प्रभार आधारित सेवा है तथा इसकी गणना लागू एनबीएफसी द्वारा किए जाने वाले वित्तीय कारोबार के रूप में नहीं की जाएगी। ऐसी एनबीएफसी जो

सुरक्षित जमा लॉकर सुविधा प्रदान करती हों अथवा इसे प्रदान करने की इच्छा रखती हों, वे अपने ग्राहकों को यह स्पष्ट करें कि यह गतिविधि रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित नहीं है।

113. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के तहत राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के लिए पोइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) सेवाएं

₹500करोड़ और उससे अधिक आस्ति आकार वाले लागू एनबीएफसी को, जो निर्धारित सीआरएआर का अनुपालन करती हैं और जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में निवल लाभ प्राप्त किया है, पीएफआरडीए के साथ पंजीकरण के पश्चात एनपीएस के लिए पीओपी सेवा प्रदान करने की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार की सेवा देने वाली पात्र लागू एनबीएफसी यह सुनिश्चित करेगी कि जनता से एनपीएस अंशदान के रूप में स्वीकृत राशि स्वीकार करने वाली तिथि)टी 0+आधार पर; जहां टी नकदी अथवा अन्य किसी माध्यम से प्राप्त हुई स्पष्ट निधि है (को ही ट्रस्टी बैंक में जमा हो। यह राशि, पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित एनपीएस संबंधित विनियम के तहत इसी हेतु खोले गए ट्रस्टी बैंक खाते में जमा करानी होगी। पीओपी सेवा प्रदान करने वाली एनबीएफसी पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेगी। उक्त दिशानिर्देश का किसी भी प्रकार से उल्लंघन किए जाने पर पर्यवेक्षी कार्रवाई की जाएगी जो केवल पीओपी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति को निरस्त किये जाने तक ही सीमित नहीं रहेगी।

114. एनबीएफ़सी एनडी एसआई का दर्जा निर्धारित करने संबंधी मानक

(1) एक बार जब किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की परिसंपत्तियाँ ₹500 करोड़ रुपए या अधिक हो जाएंगी वैसे ही वह कंपनी इन निदेशों के विनियामक अपेक्षाओं के दायरे में आ जाएगी, भले ही अंतिम तुलनपत्र की तारीख को उसकी ऐसी परिसपत्तियाँ कम ही क्यों न रही हों। जमाराशि स्वीकार नही करने वाली ऐसी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जैसे ही ₹500 करोड़ रुपए या अधिक परिसंपत्तियों के स्तर को प्राप्त कर लेती हैं वैसे ही, ऐसा स्तर प्राप्त करने की तारीख पर विचार किए बिना, वे एनबीएफसी-एनडी-एसआई को समय-समय पर जारी विनियामक अपेक्षाओं/निदेशों का अनुपालन करेंगी।

(2) गतिशील माहौल में अस्थायी उतार-चढ़ाव के कारण, न कि वास्तव में, किसी माह विशेष के दौरान किसी कंपनी की परिसंपत्तियाँ ₹500 करोड़ से कम हो सकती हैं; ऐसे मामले में यह स्पष्ट किया जाता है कि कंपनी महत्त्वपूर्ण वित्तीय पैरामीटरों पर मासिक विवरणी भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करती रहेगी तथा एनबीएफसी-एनडी-एसआई के संबंध में लागू मौजूदा निदेशों का अनुपालन करती रहेगी जब तक कि उसका आगामी लेखापरीक्षित तुलनपत्र रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत न हो जाए एवं इस संबंध में रिज़र्व बैंक से विशिष्ट छूट के लिए अनुमति न मिल जाए।

115. लागू एनबीएफ़सी द्वारा शाखा/कार्यालय बन्द होने के संबंध में सार्वजनिक नोटिस पहले जारी करना

लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ किसी शाखा/कार्यालय को बंद करने की तारीख से कम से कम 3 माह पूर्व एक अग्रणी राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र तथा प्रादेशिक भाषा के एक अग्रणी समाचार पत्र (जिसके प्रसार क्षेत्र में शाखा /कार्यालय आता हो) में इस आशय की नोटिस, जमाकर्ताओं, आदि की सेवा के लिए किए गए प्रबंध सहित देंगी।

116. उत्तर दिनांकित चेक (पीडीसी) को समीकृत मासिक किस्त (ईएमआई) चेक को इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) (डेबिट) के अंतर्गत लाया जाना

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 25 के अधीन उपलब्ध सुरक्षा को देखा जाए तो आदाता (लाभार्थी) को वही अधिकार और प्रतिकार उपलब्ध कराता है जो पराक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत अपर्याप्त निधि के कारण इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण की अस्वीकृति के लिए उपलब्ध है, अत: लागू एनबीएफसी को ग्राहकों के ईसीएस (डेबिट) आदेश पत्र के अतिरिक्त, यदि कोई हो तो, अतिरिक्त चेक लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे स्थान जहां ईसीएस/ आरईसीएस की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां सीटीएस-2010 मानक को पूरा करने वाले प्रारूप का चेक लिया जाए।

117. परियोजना ऋणों का पुनर्वित्तीयन

(1) लागू एनबीएफसी पूर्व-निर्धारित व्यवस्था के बिना ही, किसी मौजूदाअवसंरचना या किसी अन्य परियोजना ऋण को अंतरण वित्तपोषण के जरिए पुनर्वित्त प्रदान करते हैं तथा दीर्घतर चुकौती अवधि निर्धारित करते हैं तो उसे पुनर्रचना नहीं माना जाएगा बशर्ते:

(i) ऐसे ऋण मौजूदा उधारदाताओं की बहियों में 'मानक' होने चाहिए तथा अतीत में उनकी पुनर्रचना न हुई हो।

(ii) ऐसे ऋण मुख्यतया (मूल्य के आधार पर बकाया ऋण के 50% से अधिक) मौजूदा वित्तीय उधारदाताओं से अधिग्रहीत होने चाहिए।

(iii) चुकौती की अवधि का निर्धारण परियोजना के जीवन चक्र और परियोजना से नकदी प्रवाह को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

(2) मौजूदा परियोजनागत ऋण, जिनमें सभी संस्थागत उधारदाताओं का कुल ऋण न्यूनतम ₹1,000 करोड़ है, ऐसे ऋणों को लागू एनबीएफसी पूर्ण अथवा आंशिक पुनर्वित्तयन कर सकती है, यद्यपि अन्य उधारदाताओं के साथ कोई पूर्व निर्धारित समझौता न भी हो, और चुकौती अवधि बढ़ा सकती है और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने की स्थिति में इसे मौजूदा और नए उधारदाताओं के खातों में पुनर्रचना नहीं माना जाएगा:

(i) वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ करने की तिथि (डीसीसीओ) प्राप्त होने के बाद परियोजना द्वारा वाणिज्यिक संचालन शुरू कर दिया गया हो;

(ii) पुनर्भुगतान की अवधि परियोजना की अवधि और परियोजना से नकदी प्रवाह को ध्यान में रखते हुए तय किया गया हो और मौजूदा और नए उधारदाताओं के बोर्ड परियोजना की व्यवहार्यता से संतुष्ट हों। साथ ही, पुनर्भुगतान की कुल अवधि परियोजना की आरंभिक आर्थिक अवधि/ पीपीपी परियोजनाओं के मामले में रियायत अवधि के 85% से अधिक नहीं होनी चाहिए;

(iii) ऐसा ऋण पुनर्वित्तीयन के समय मौजूदा उधारदाताओं की बहियों में 'मानक' होना चाहिए;

(iv) आंशिक वित्तपोषण की स्थिति में ऋण का एक बड़ा हिस्सा (बकाया ऋण के 25% से अधिक की राशि) मौजूदा वित्तपोषण उधारदाताओं से नए उधारदाताओं के एक समूह द्वारा ले लिया जाना चाहिए; और

(v) परियोजनागत ऋण के मौजूदा ऋण-इक्विटी अनुपात और कर्ज चुकौती कवरेज अनुपात (डीएससीआर) को एनबीएफसी के लिए स्वीकार्य बनाने हेतु, आवश्यकता पड़ने पर, ऋण को कम करने के लिए संस्थापकों द्वारा अतिरिक्त इक्विटी लाया जाना चाहिए।

(3) किसी ऋणदाता द्वारा परियोजना के लिए केवल कार्यशील पूंजी का वित्त पोषण किए जाने की स्थिति में मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उसे परियोजना मीयादी ऋण के एक हिस्से को लिए जाने के लिए 'नया ऋणदाता' माना जा सकता है।

(4) उपर्युक्त सुविधा मौजूदा परियोजना ऋणों के संपूर्ण जीवन काल के दौरान केवल एक बार के लिए उपलब्ध की जा सकेगी।

118. प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में एनबीएफसी द्वारा राहत उपायों के लिए दिशानिर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 मार्च 2015 के एफआईडीडी सं.एफएसडी बीसी 52/05.10.001 /2014-15, दिनांक 21 अगस्त 2015 के एफआईडीडी सं.एफएसडी.बीसी.12/05.10.001/2015-16 और दिनांक 30 जून 2016 के एफआईडीडी सं.एफएसडी.बीसी.27/05.10.001/2015-16 द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपायों के लिए दिशानिर्देश जारी किये है। यह निर्णय लिया गया है कि, उपरोक्त दिशा-निर्देश, यथोचित, उपयुक्त राहत उपायों के क्रियान्वयन के लिए संस्थागत ढांचा, यथा जिला परामर्शदात्री समिति/ राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, द्वारा निर्धारित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत एनबीएफसी पर भी लागू किया जाएगा।

119. ऋण राशि का नकद संवितरण

प्रत्येक एनबीएफसी आयकर अधिनियम, 1961, की धारा 269एसएस और 269टी के अंतर्गत आयकर अधिनियम, 1961 और समय समय पर इसमें संशोधनों के अंतर्गत की गई अपेक्षाएं लागू-करना सुनिश्चित करेंगे।

120. एनबीएफसी द्वारा वित्तीय सेवाएं आउटसोर्स करने में जोखिम और आचार संहिता प्रबंधन पर निदेश

सभी एनबीएफसी अपनी वर्तमान आउटसोर्सिंग व्यवस्था मूल्यांकन करेंगी और इसे अनुबंध- XXV में दिये गए निर्देशों के अनुसार बनाएंगी।

121. प्राधिकृत डीलर- श्रेणी II के रूप में लाइसेंस प्रदान करना

व्यापारेतर चालू खाते संबंधित दैनिक लेन-देन संबंधी सेवा को जनता के लिए सुलभ और बेहतर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि जमा राशि स्वीकार नहीं करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण निवेश और ऋण कंपनियां, निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्राधिकृत डीलर- श्रेणी II (एडी-कैट-II) का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी:

i. ऐसी सेवाएं प्रदान करने वाली एनबीएफसी' न्यूनतम निवेश श्रेणी रेटिंग 'वाली होंगी।

ii. ऐसी सेवाएं प्रदान करने वाली एनबीएफसी निम्नलिखित मुद्दों पर बोर्ड से अनुमोदित नीति बनाएगी (ए) मुद्रा जोखिम, यदि कोई है तो, सहित जोखिमों का प्रबंधन और (बी) ऐसी गतिविधियों के कारण होने वाली ग्राहक शिकायतों का निवारण। इन सेवाओं के लिए कम-से-कम मासिक अंतराल पर एक निगरानी प्रक्रिया स्थापित की जाएगी।

2. प्राधिकृत डीलर -श्रेणी II का कारोबार करने की इच्छा रखने वाली पात्र एनबीएफसी प्राधिकृत डीलर - श्रेणी II का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई से संपर्क करेंगी।

122. अकाउंट एग्रीगेटर (ए.ए.) परिवेश तंत्र के सभी प्रतिभागियों के लिए तकनीकी विनिर्देश

मास्टर निदेश – गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - अकाउंट एग्रीगेटर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के पैरा 3 (1)(ix) में दी गई परिभाषा के अनुसार एनबीएफसी-एए, विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और इंटरफेस को अपनाने वाले वित्तीय क्षेत्र के नियामकों में फैले, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के पास रखे, ग्राहक की वित्तीय जानकारी को समेकित करता है । यह सुनिश्चित करने के लिए कि उक्त आंकड़े का आदान-प्रदान सुरक्षित, विधिवत अधिकृत, सुचारु और निर्बाध हो, यह निर्णय लिया गया कि अकाउंट एग्रीगेटर (ए.ए.) परिवेश तंत्र के सभी प्रतिभागियों के लिए मुख्य तकनीकी विनिर्देश निर्धारित किए जाएं। रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (ReBIT), ने इन विनिर्देशों को तैयार किया है और इन्हें अपनी वेबसाइट (www.rebit.org.in) पर प्रकाशित है।

वित्तीय सूचना प्रदाताओं (एफआईपी)[5] या वित्तीय सूचना उपयोगकर्ताओं (एफआईयू) के रूप में कार्य करने वाली लागू एनबीएफसी से यह अपेक्षित है कि वे ReBIT द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर अद्यतन किए अनुसार तकनीकी विनिर्देशों को अपनाएं।

अध्याय – XIV
रिपोर्टिंग अपेक्षाएं

123. गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग द्वारा निर्धारित लागू एनबीएफ़सी के संबंध में रिपोर्टिंग अपेक्षाओं का पालन किया जाएगा।

अध्याय – XV
व्याख्याएं

124. इन दिशा-निर्देश के प्रावधानों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, बैंक, अगर आवश्यक समझता है, तो इसमें शामिल किसी भी बात के साथ-साथ बैंक द्वारा दिए गए निर्देशों के किसी प्रावधान की व्याख्या के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है जो अंतिम होगा और सभी संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होगा। इन निर्देशों के उल्लंघन पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी । इसके अलावा, ये प्रावधान तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य कानूनों, नियमों, विनियमों या निर्देश के प्रावधानों के अलावा होंगे और उन्हें न्यूनप्रभावी नहीं करेंगे ।

अध्याय - XVI
निरसन प्रावधान

125. इन निर्देशों के जारी करते ही बैंक द्वारा जारी किए गए निम्न परिपत्रों (सूची नीचे प्रदान की है) में निहित दिशानिर्देशों को निरस्त कर दिया माना जाए । उपरोक्त परिपत्रों के तहत दिए गए सभी अनुमोदन / स्वीकृतियां इन निर्देशों के तहत दी गई मानी जाएगी । ऐसे निरसन के होते हुए भी, निरस्त कर दिए अनुदेश / दिशा-निर्देशों के अधीन की गई /शुरू की गई किसी भी कार्रवाई कथित अनुदेश / दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के द्वारा निर्देशित किया जाना जारी रहेगा।

---

[5] एफ़आईपी और एफ़आईयू की परिभाषा मास्टर निदेश गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- एकाउंट एग्रीगेटर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 और समय-समय पर यथासंशोधित संस्करण के अनुसार है।

क्रमांक	परिपत्र सं	तारीख	विषय
1.	अधिसूचना संख्या डीएनबीएस. 128/सीजीएम (वीएसएनएम)-98	18 दिसंबर, 1998	एनबीएफसी प्रूडेंशियल मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998
2.	डीएनबीएस संख्या .सीसी.पीडी .11 /02.01/99-2000	15 नवंबर, 1999	एनबीएफसी विनियमों में संशोधन
3.	अधिसूचना संख्या डीएनबीएस. 135/सीजीएम (वीएसएनएम)-2000	13 जनवरी, 2000	एनबीएफसी प्रूडेंशियल मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998
4.	अधिसूचना डीएनबीएस.142/सीजीएम (वीएसएनएम)-2000	30 जून, 2000	एनबीएफसी प्रूडेंशियल मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998
5.	डीएनबीएस संख्या .सीसी.पीडी .15/ 02.01/2000-2001	जून 27, 2001	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) तंत्र - दिशानिर्देश
6.	डीएनबीएस संख्या .सीसी.पीडी .16/ 02.01/2000-01	जून 27, 2001	एनबीएफसी विनियमों में संशोधन
7.	डीएनबीएस संख्या .सीसी.पीडी .35/ 10.24/2003-04	फरवरी 10, 2004	बीमा कारोबार में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का प्रवेश
8.	डीएनबीएस संख्या .सीसी.पीडी .38 /02.02/2003-04	11 जून, 2004	सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन
9.	डीएनबीएससंख्या .सीसी.पीडी .41/ 10.27 / 2004-05	7 जुलाई, 2004	क्रेडिट कार्ड जारी करना
10.	डीएनबीएस संख्या .सीसी.पीडी .49 /02.02/2004-05	9 जून, 2005	तैयार वायदा संविदा में छूट / संशोधन, सरकारी प्रतिभूतियों के लेनदेन का निपटान और प्राथमिक इश्यू में आवंटित प्रतिभूतियों की बिक्री से संबंधित परिचालनात्मक निर्देश
11.	डीएनबीएस संख्या .सीसी.पीडी .63 / 02.02 / 2005-06	24 जनवरी, 2006	नियंत्रण / प्रबंधन में बदलाव के बारे में पूर्व सार्वजनिक सूचना
12.	डीएनबीएससंख्या .सीसी.पीडी .80 / 03.10.042/2005-06	28 सितंबर, 2006	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए उचित व्यवहार संहिता पर दिशानिर्देश
13.	डीएनबीएस संख्या .सीसी.पीडी .82 / 03.02.02/2006-07	अक्टूबर 27, 2006	नियंत्रण / प्रबंधन में बदलाव के बारे में पूर्व सार्वजनिक सूचना
14.	डीएनबीएस संख्या .सीसी.पीडी .83 / 03.10.27/2006-07	दिसंबर 04, 2006	को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करना

15.	डीएनबीएस संख्या .सीसी.पीडी .84 / 03.10.27/2006-07	दिसंबर 4, 2006	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा म्युचुअल फंड उत्पादों का वितरण
16.	डीएनबीएस संख्या .सीसी.पीडी .86 / 03.02.089/2006-07	दिसंबर 12, 2006	प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वित्तीय विनियमन और रिज़र्व बैंक के साथ संबंध - एनबीएफसी के लिए
17.	डीएनबीएस संख्या .सीसी.पीडी .89 / 03.05.002/2006-07	22 फरवरी, 2007	प्रूडेंशियल मानदंड दिशानिर्देश - जमा लेने वाली और जमा न लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)
18.	डीएनबीएस संख्या .सीसी.पीडी .95 / 03.05.002/2006-07	24 मई, 2007	एनबीएफसी द्वारा अत्यधिक ब्याज लगाने की शिकायतें
19.	डीएनबीएस संख्या .पीडी.सीसी .96 / 03.10.001/2007-08	31 जुलाई, 2007	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - कॉर्पोरेट बॉन्ड लेनदेन के लिए फिमडा रिपोर्टिंग प्लेटफार्म
20.	डीएनबीएस संख्या .सीसी.पीडी .104 / 03.10.042/2007-08	11 जुलाई, 2007	कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश
21.	डीएनबीएस संख्या .पीडी.सीसी .107 / 03.10.042/2007-08	अक्टूबर 10, 2007	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए उचित व्यवहार संहिता पर दिशानिर्देश
22.	डीएनबीएस संख्या .पीडी.सीसी .109 / 03.10.001/2007-08	नवंबर 26, 2007	अवांछित वाणिज्यिक संचार - राष्ट्रीय डीएनडी रजिस्ट्री
23.	डीएनबीएस संख्या .पीडी.सीसी .124 / 03.05.002/2008-09	31 जुलाई, 2008	आय पर कर की गणना - आय लेखा मानक 22 -आस्थगित कर संपत्ति(डीटीए) और आस्थगित कर देनदारियों (डीटीएल) का पूंजी की गणना के लिए लेखांकन
24.	डीएनबीएस संख्या .पीडी.सीसी .125 / 03.05.002/2008-2009	1 अगस्त, 2008	पूंजी पर्याप्तता, तरलता और प्रकटीकरण मानदंडों के संबंध में एनबीएफसी-एनडी-एसआई के लिए दिशानिर्देश
25.	डीएनबीएस संख्या .पीडी.सीसी .128 / 03.02.059/2008-09	15 सितंबर, 2008	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पुनर्वर्गीकरण

26.	डीएनबीएस संख्या .पीडी.सीसी .131 / 03.05.002/2008-09	29 अक्तूबर 2008	पूँजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए एनबीएफसी की पूँजी प्रापण विकल्पों में वृद्धि
27.	डीएनबीएस संख्या .पीडी.सीसी .133 / 03.10.001/2008-09	2 जनवरी, 2009	एनबीएफसी द्वारा अत्यधिक ब्याज लगाने संबंधी विनियम
28.	डीएनबीएस संख्या .पीडी.सीसी .134 / 03.10.001/2008-2009	फरवरी 04, 2009	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की रेटिंग
29.	डीएनबीएस संख्या .पीडी.सीसी .139 / 03.10.001/2008-09	24 अप्रैल, 2009	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा वित्त पोषण किए वाहनों की जब्ती के बारे में स्पष्टीकरण
30.	डीएनबीएस संख्या .पीडी.सीसी .141 / 03.10.001/ 2008-09	4 जून, 2009	एनबीएफसी-एनडी-एसआई नियमों का लागू होना
31.	डीएनबीएस संख्या .पीडी.सीसी .142 / 03.05.002/2008-09	9 जून, 2009	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - आस्थगित कर संपत्ति / कर देनदारियों का पूंजी की गणना के लिए लेखांकन
32.	डीएनबीएस संख्या .पीडी.सीसी .161 / 3.10.01/2009-10	18 सितंबर, 2009	ब्याज दर फ्यूचर्स - एनबीएफसी
33.	डीएनबीएस संख्या .पीडी.सीसी .165 / 03.05.002/2009-10	दिसंबर 1, 2009	पूंजी पर्याप्तता – संपार्श्विकृत उधार और ऋण दायित्व के माध्यम से उधार पर जोखिम भार (सीबीएलओ)
34.	डीएनबीएससंख्या .पीडी.सीसी .168 / 03.02.089/2009-10	12 फरवरी, 2010	इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियां
35.	डीएनबीएस संख्या .पीडी.सीसी .173 / 03.10.01/2009-10	03 मई, 2010	एनबीएफ़सी द्वारा विदेशी निवेश गैबैंपवि-, भारिबैं से अनापत्ति (एनओसी)
36.	डीएनबीएस संख्या .पीडी.सीसी .174 /03.10.001/2009-10	मई 6, 2010	आवास परियोजनाओं के लिए वित्त - नियम और शर्तों में एनबीएफसी के लिए संपत्ति के बंधक के बारे में पर्चे / ब्रोशर / विज्ञापनों, में जानकारी खुलासा करने के लिए खंड को शामिल करना
37.	डीएनबीएस संख्या .पीडी.सीसी .191 / 03.10.01/2010-11	27 जुलाई, 2010	शारीरिक रूप से अक्षम / नेत्रहीन को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा ऋण सुविधा

38.	डीएनबीएस संख्या .पीडी.सीसी .195 / 03.10.001/2010-11	9 अगस्त, 2010	करेंसी फ्यूचर्स में भागीदारी
39.	डीएनबीएस संख्या .पीडी.सीसी .196 / 03.05.002/2010-11	11 अगस्त, 2010	कारपोरेट कर्ज प्रतिभूतियों में तैयार वायदा सौदा
40.	डीएनबीएस संख्या .पीडी.सीसी .199 / 03.10.001/2010-11	16 सितंबर, 2010	मुद्रा विकल्प में भागिदारी
41.	डीएनबीएस संख्या .पीडी.सीसी .200 /03.10.001/2010-11	सितंबर 17, 2010	ऋण सूचना कंपनियों को आंकड़े प्रस्तुत करना ऋण - संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आंकड़ें का प्रारूप
42.	अधिसूचना संख्या डीएनबीएस. (पीडी).219/सीजीएम (यूएस)-2011	05 जनवरी, 2011	गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार अथवा धारण नहीं करने वाली कंपनी प्रूडेंशियल मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश 2007
43.	डीएनबीएस संख्या .पीडी.सीसी .208 / 03.10.01/2010-11	जनवरी 27, 2011	विकलांग व्यक्तियों के लिए सेवाएं - कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
44.	डीएनबीएस .(पीडी) संख्या .सीसी.213 / 03.10.001/2010-2011	16 मार्च, 2011	इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण की परिभाषा में संशोधन
45.	डीएनबीएस .(पीडी)संख्या .सीसी.. 214 / 03.02.002/2010-11	30 मार्च, 2011	एनबीएफसी के साझेदारी फर्म में भागीदार बनने पर प्रतिबंध
46.	डीएनबीएससंख्या .पीडी.सीसी ..221 / 03.02.002/2010-11	27 मई, 2011	बीमा कारोबार में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रवेश पर दिशानिर्देश की समीक्षा
47.	डीएनबीएस संख्या .पीडी.सीसी .222 / 03.10.001/2010-11	14 जून, 2011	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विदेश में शाखा / सहायक / संयुक्त उद्यम / प्रतिनिधि कार्यालय खोलना या उपक्रम में निवेश करना
48.	डीएनबीएस संख्या .पीडी.सीसी .245 /03.10.42/2011-12	सितंबर 27, 2011	फर्जी बैंक गारंटी का उपयोग कर छलना करने का प्रयास-कार्य पद्धति
49.	डीएनबीएस संख्या .पीडी.सीसी .248 / 03.10.01/2011-12	अक्टूबर 28, 2011	सरकार के हरित पहल का कार्यान्वयन
50.	डीएनबीएससंख्या .पीडी.सीसी . 249 / 03.02.089/2011-12	21 नवंबर, 2011	एनबीएफसी- इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड

51.	डीएनबीएस .पीडी.सीसी .संख्या 250 / 03.10.01/2011-12	दिसंबर 02, 2011	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की नई श्रेणी का प्रारम्भ - 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी माइक्रो फाइनेंस संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) – दिशानिर्देश
52.	डीएनबीएस संख्या .पीडी.सीसी .252 / 03.10.01/2011-12	दिसंबर 26, 2011	एनबीएफसी के लिए तुलन पत्र से इतर मदों के लिए संशोधित पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क
53.	डीएनबीएस संख्या .पीडी.सीसी .253 / 03.10.01/2011-12	दिसंबर 26, 2011	ऋण चूक अदला-बदली (स्वैप)
54.	डीएनबीएस संख्या .पीडी.सीसी .254 / 03.10.01/2011-12	दिसंबर 30, 2011	एनबीएफसी के लिए तुलन पत्र से इतर मदों के लिए संशोधित पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क-स्पष्टीकरण
55.	डीएनबीएस संख्या .पीडी.सीसी .255 / 03.10.01/2011-12	दिसंबर 30, 2011	गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करना (एनसीडी)
56.	डीएनबीएस संख्या .पीडी.सीसी .259 /03.02.59/2011-12	15 मार्च, 2012	बैंकों में वित्तीय आस्तियों के रूप में गैर गणना जमा
57.	डीएनबीएस संख्या .पीडी.सीसी .263 / 03.10.038/2011-12	20 मार्च, 2012	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) – प्रावधान मानदंड – समय विस्तार
58.	डीएनबीएससंख्या .पीडी.सीसी .265 / 03.10.01/2011-12	मार्च 21, 2012	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनिया - एकल उत्पाद की सुरक्षा के बदले ऋण - स्वर्ण आभूषण
59.	डीएनबीएस संख्या .पीडी.सीसी .266 / 03.10.01/2011-12	26 मार्च, 2012	एनबीएफसी के लिए उचित व्यवहार संहिता पर दिशानिर्देश
60.	डीएनबीएस संख्या .सीसी.पीडी .273 / 03.10.01/2011-12	11 मई, 2012	प्रूडेंशियल मानदंड निदेश, 2007 - इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियां - पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां - ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्रा लिमिटेड (ब्रिकवर्क)
61.	डीएनबीएस संख्या .सीसी.पीडी .276 / 03.02.089/2011-12	30 मई, 2012	पीपीपी और पोस्ट सीओडी परियोजनाओं को कवर करने वाली संपत्ति के लिए जोखिम भार में एकरूपता

62.	डीएनबीएस संख्या.पीडी.सीसी.297 / फैक्टर/22.10.91/2012-13	23 जुलाई, 2012	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – फैक्टर्स (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2012
63.	अधिसूचना डीएनबीएस .(पीडी) .248 / सीजीएम (यूएस)-2012	1 अगस्त, 2012	एनबीएफसी के लिए तुलनपत्र से इतर मदों के लिए पूंजी पर्याप्तता संशोधित फ्रेमवर्क – स्पष्टीकरण
64.	अधिसूचना डीएनबीएस .(पीडी) .249 / सीजीएम (यूएस)-2012	1 अगस्त, 2012	एनबीएफसी के लिए तुलनपत्र से इतर मदों के लिए पूंजी पर्याप्तता संशोधित फ्रेमवर्क – स्पष्टीकरण
65.	डीएनबीएससंख्या.पीडी.सीसी..300 / 03.10.038/2012-13	अगस्त 03, 2012	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) – दिशानिर्देश - संशोधन
66.	डीएनबीएस संख्या.पीडी.सीसी.301 / 3.10.01/2012-13	अगस्त 21, 2012	प्रतिभूतिकरण लेनदेन पर दिशानिर्देश में संशोधन
67.	डीएनबीएससंख्या.पीडी.सीसी..303 / फैक्टर/22.10.91/2012-13	14 सितंबर, 2012	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – फैक्टर्स (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2012
68.	डीएनबीएस संख्या.पीडी.सीसी.308 / 03.10.001/2012-13	नवंबर 06, 2012	चैक फार्म का मानकीकरण और सुरक्षा संबंधी विशेषताओं में संवर्धन - सीटीएस 2010 मानकों में माइग्रेशन
69.	डीएनबीएस संख्या.पीडी.सीसी.309 / 24.01.022/2012-13	नवंबर 08, 2012	प्रमुख सेवा प्रदाताओं की आईपीवी 4 से आईपीवी 6 में माइग्रेशन की तैयारी
70.	डीएनबीएससंख्या.पीडी.सीसी.317 / 03.10.001/2012-13	दिसंबर 28, 2012	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के 'इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण' की परिभाषा – संगतता
71.	डीएनबीएस संख्या.पीडी.सीसी.320 / 03.10.01/2012-13	18 फरवरी, 2013	एनबीएफसी के लिए उचित व्यवहार संहिता पर दिशानिर्देश - शिकायत निवारण तंत्र - नोडल अधिकारी
72.	डीएनबीएससंख्या.पीडी.सीसी.326 / 03.10.01/2012-13	27 मई, 2013	सोने की खरीद के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से वित्तपोषण

73.	डीएनबीएस संख्या.पीडी.सीसी.327 / 03.10.038/2012-13	31 मई, 2013	'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी माइक्रो-फाइनेंस संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) – दिशानिर्देश - क्रेडिट के मूल्य निर्धारण में संशोधन - मार्जिन कैप
74.	डीएनबीएस संख्या.पीडी.सीसी.328 / 03.02.002/2012-13	11 जून, 2013	एनबीएफसी साझेदारी फर्म में भागीदार नहीं होगी – स्पष्टीकरण
75.	डीएनबीएस संख्या.पीडी.सीसी.353 / 03.10.042/2013-14	26 जुलाई, 2013	अवांछित व्यावसायिक संचार - राष्ट्रीय डीएनडी रजिस्ट्री
76.	डीएनबीएस संख्या.पीडी.सीसी.354 / 03.10.001/2013-14	2 अगस्त, 2013	बुनियादी सुविधाओं का वित्तपोषण - 'इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण' की परिभाषा
77.	डीएनबीएससंख्या.पीडी.सीसी.356 /03.10.01/2013-14	16 सितंबर, 2013	एकल उत्पाद की सुरक्षा के बदले ऋण - स्वर्ण आभूषण
78.	डीएनबीएस संख्या.पीडी.सीसी.359 / 03.10.001/2013-14	नवंबर 06, 2013	उत्तर दिनांकित चेक (पीडीसी) / मासिक किस्त (ईएमआई) चेक से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (डेबिट) में माइग्रेशन
79.	डीएनबीएस संख्या.पीडी.सीसी.360 / 03.10.001/2013-14	नवंबर 12, 2013	न्यायसंगत बंधक के अभिलेखों की केन्द्रीय रजिस्ट्री के साथ फाइलिंग
80.	डीएनबीएस संख्या.पीडी.सीसी.361 / 03.02.002/2013-14	नवंबर 28, 2013	बीमा क्षेत्र में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सयभागिता
81.	डीएनबीएस संख्या.पीडी.सीसी.362 / 03.10.001/2013-14	नवंबर 29, 2013	बुनियादी सुविधाओं का वित्तपोषण - 'इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण' की परिभाषा
82.	डीएनबीएस संख्या.पीडी.सीसी.363 / 03.10.38/2013-14	1 जनवरी, 2014	ऋण जोखिम गारंटी कोष ट्रस्ट द्वारा निम्न आय आवास (CRGFTLIH) के लिए गारंटी किए गए अग्रिम - जोखिम भार और प्रोविजनिंग
83.	डीएनबीएस संख्या.पीडी.सीसी.365 / 03.10.01/2013-14	जनवरी 08, 2014	एकल उत्पाद की सुरक्षा के बदले ऋण - स्वर्ण आभूषण

84.	डीएनबीएस संख्या.पीडी.सीसी.367 / 03.10.01/2013-14	23 जनवरी, 2014	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अग्रिम के पुनर्गठन पर दिशानिर्देश की समीक्षा
85.	डीएनबीएससंख्या.पीडी.सीसी.369 / 03.10.038/2012-13	फरवरी 07, 2014	'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) – दिशानिर्देश - "ऋण का मूल्य निर्धारण" में संशोधन
86.	डीएनबीएस संख्या.पीडी.सीसी.371 / 03.05.02/2013-14	मार्च 21, 2014	वित्तीय संकट की जल्दी पहचान, उधारदाताओं के लिए उचित वसूली और समाधान के लिए शीघ्र कदम: अर्थव्यवस्था में व्यथित संपत्ति पुनर्जीवित करने के लिए फ्रेमवर्क
87.	डीएनबीएस संख्या.पीडी.सीसी.372 / 3.10.01/2013-14	24 मार्च, 2014	प्रतिभूतिकरण लेनदेन पर दिशानिर्देशों में संशोधन - क्रेडिट वृद्धि की रीसेट
88.	डीएनबीएस संख्या.पीडी.सीसी.373 / 03.10.01/2013-14	अप्रैल 07, 2014	वैकल्पिक निवेश फंड के माध्यम से निवेश - एनबीएफसी की एनओएफ की गणना पर स्पष्टीकरण
89.	डीएनबीएस संख्या.पीडी.सीसी.374 / 03.10.001/2013-14	अप्रैल 07, 2014	गैर-ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी (NOFHCs) का पंजीकरण
90.	डीएनबीएससंख्या.पीडी.सीसी.376 / 03.10.001/2013-14	26 मई, 2014	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के नियंत्रण के अधिग्रहण / हस्तांतरण के मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यकता
91.	डीएनबीएससंख्या.पीडी.सीसी.377 / 03.10.01/2013-14	27 मई, 2014	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा लेनदेन निकटतम रुपए में पूर्णांकित करना
92.	डीएनबीएससंख्या.पीडी.सीसी.399 / 03.10.42/2014-15	14 जुलाई, 2014	फ्लोटिंग रेट लोन पर प्रभार लगाना / प्री-पेमेंट जुर्माना

93.	डीएनबीएस संख्या.पीडी.सीसी.405 / 03.10.01/2014-15	12 अगस्त, 2014	₹100 करोड़ की संपत्ति के आकार के साथ गैर-जमा स्वीकारक एनबीएफसी की मनी ट्रांसफर सेवा योजनाओं(एमटीएसएस) के अंतर्गत उप एजेंट के रूप में नियुक्ति
94.	डीएनबीएस संख्या.पीडी.सीसी.406 / 03.10.01/2014-15	12 अगस्त, 2014	ब्याज दर वायदा – एनबीएफसी
95.	डीएनबीएस संख्या.पीडी.सीसी.407 / 03.10.42/2014-15	20 अगस्त, 2014	ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) को क्रेडिट जानकारी प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप और अन्य विनियामक उपाय
96.	डीएनबीएस संख्या.पीडी.सीसी.408 /03.10.001/2014-15	अगस्त 21, 2014	एनबीएफ़सी शेयरों- की जमानत पर ऋण
97.	डीएनबीआरसंख्या.पीडी.सीसी.002 / 03.10.001/2014-15	नवंबर 10, 2014	एनबीएफसी के लिए संशोधित विनियामक ढांचा
98.	डीएनबीआरसंख्या.पीडी.सीसी. 003 / 22.10.91/2014-15	नवंबर 10, 2014	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – फैक्टर्स (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2012 की समीक्षा
99.	डीएनबीआर संख्या.पीडी.सीसी.011 / 03.10.01/2014-15	16 जनवरी, 2015	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अग्रिम के पुनर्गठन पर दिशानिर्देशों की समीक्षा
100.	डीएनबीआर संख्या.पीडी.सीसी.015 / 03.10.001/2014-15	28 जनवरी, 2015	साख सूचना कंपनियों को आंकड़ो का (डाटा) प्रस्तुतीकरण साख संस्थानों – द्वारा आंकड़ो की प्रस्तुति के लिए प्रारूप (**फार्मेट**)
101.	डीएनबीआरसंख्या.पीडी.सीसी.019 / 03.10.001/2014-15	फरवरी 06, 2015	ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी)की सदस्यता
102.	डीएनबीआरसंख्या.पीडी.सीसी.021 / 03.10.001/2014-15	20 फरवरी, 2015	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) के प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए पैसा जुटाना

103.	अधिसूचना संख्या डीएनबीआर.009/सीजीएम.(सीडीएस)-2015	27 मार्च 2015	प्रणालीगत रूप से गैर-महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार अथवा धारण नहीं करने वाली कंपनी प्रूडेंशियल मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश 2015
104.	डीएनबीआर.011 /सीजीएम.(सीडीएस)-2015	27 मार्च, 2015	गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार अथवा धारण करने वाली) कंपनी प्रूडेंशियल मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश 2007. (संशोधन)
105.	डीएनबीआर.012/सीजीएम.(सीडीएस)-2015	27 मार्च, 2015	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – फैक्टर (रिज़र्व बैंक) निदेश 2012 (संशोधन)
106.	डीएनबीआर संख्या.पीडी.सीसी.027 / 03.10.01/2014-15	अप्रैल 08, 2015	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) – दिशानिर्देश - संशोधन
107.	डीएनबीआर संख्या.पीडी.सीसी.028 / 03.10.001/2014-15	अप्रैल 10, 2015	एनबीएफ़सी शेयरों - की जमानत पर ऋण - स्पष्टीकरण
108.	डीएनबीआर संख्या.पीडी.सीसी.029 / 03.10.001/2014-15	अप्रैल 10, 2015	
109.	डीएनबीआर संख्या.पीडी.सीसी.033 / 03.10.001/2014-15	30 अप्रैल, 2015	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा म्युचुअल फंड उत्पादों का वितरण
110.	डीएनबीआर संख्या.पीडी.सीसी.035 / 03.10.01/2014-15	14 मई, 2015	संरचनागत कर्ज निधि (आईडीएफ)
111.	डीएनबीआर संख्या.पीडी.सीसी.036 / 03.10.01/2014-15	21 मई, 2015	एकल उत्पाद की जमानत पर ऋण - स्वर्ण आभूषण
112.	डीएनबीआरसंख्या.पीडी.सीसी.041 / 03.10.01/2014-15	25 जून, 2015	₹100 करोड़ की संपत्ति के आकार के साथ गैर-जमा स्वीकारक एनबीएफसी की मनी ट्रांसफर सेवा योजनाओं(एमटीएसएस) के अंतर्गत उप एजेंट के रूप में नियुक्ति

113.	डीएनबीआर संख्या.पीडी.सीसी.064 / 03.10.001/2015-16	02 जुलाई 2015	ऋण संकेंद्रण नियमों की प्रयोज्यता
114.	डीएनबीआर संख्या.पीडी.सीसी.065 / 03.10.001/2015-16	जुलाई 09, 2015	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के नियंत्रण के अधिग्रहण / हस्तांतरण के मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यकता
115.	डीएनबीआरसंख्या.पीडी.सीसी.066 / 03.10.01/2015-16	23 जुलाई, 2015	वित्तीय संकट की जल्दी पहचान, उधारदाताओं के लिए वसूली और समाधान के लिए शीघ्र कदम: अर्थव्यवस्था में व्यथित संपत्ति पुनर्जीवित करने के लिए फ्रेमवर्कसंयुक्त - ऋणदाता 'फोरम (जेएलएफ़) और सुधारात्मक कार्रवाई योजना (सीएपी) पर दिशानिर्देश की समीक्षा
116.	डीएनबीआर संख्या.पीडी.सीसी.067 / 03.10.01/2015-16	30 जुलाई, 2015	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अग्रिम के पुनर्गठन पर दिशानिर्देश की समीक्षा
117.	डीएनबीआरसंख्या.पीडी.सीसी. 069 / 03.10.01/2015-16	अक्टूबर 01, 2015	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) – दिशानिर्देश - संशोधन
118.	डीएनबीआर संख्या.पीडी.सीसी.070 / 03.10.01/2015-16	29 अक्टूबर, 2015	वित्तीय संकट की जल्दी पहचान, उधारदाताओं के लिए वसूली और समाधान के लिए शीघ्र कदम: अर्थव्यवस्था में व्यथित संपत्ति पुनर्जीवित करने के लिए फ्रेमवर्कसंयुक्त - ऋणदाता 'फोरम (जेएलएफ़) और सुधारात्मक कार्रवाई योजना (सीएपी) पर दिशानिर्देश की समीक्षा

119.	डीएनबीआर संख्या.पीडी.सीसी.071 / 03.10.038/2015-16	नवंबर 26, 2015	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) - दिशानिर्देश डीएनबीएस पीडी संख्या . 234 / सीजीएम (यूएस) -2011 दिसंबर 2, 2011 और डीएनबीआर संख्या.पीडी.सीसी. 027 / 03.10.01 / 2014-15 दिनांक अप्रैल 08, दिनांक, 2015 - 24 माह से कम अवधि की ऋण राशि का संशोधन
120.	डीएनबीआर संख्या.पीडी.सीसी.072 / 03.10.001/2015-16	28 जनवरी, 2016	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा सुरक्षित जमा लॉकर सुविधा का प्रावधान
121.	डीएनबीआर संख्या.पीडी.सीसी.073 / 03.10.001/2015-16	18 फरवरी, 2016	पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) सेवा प्रदान करना
122.	डीएनबीआरसंख्या.पीडी.सीसी.074 / 03.10.01/2015-16	18 फरवरी, 2016	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – फैक्टर्स (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2012- समीक्षा
123.	डीएनबीआर संख्या.पीडी.सीसी.076 / 03.10.001/2015-16	मार्च 10, 2016	संप्रभु ऋण से जुड़े जोखिम भार की समीक्षा
124.	डीएनबीआर संख्या.पीडी.सीसी. 077/03.10.001/2015-16	07 अप्रैल 2016	ऋणनिवेश संकेन्द्रण मानदंडों / की उपयोगिता
125.	डीएनबीआरसंख्या.पीडी.सीसी.078 / 03.10.038/2015-16	13 अप्रैल 2016	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थान (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2011 - केन्द्रीय / राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा संचालित योजनाओं के लिए एजेंटों के रूप में कार्य करना
126.	डीएनबीआरसंख्या.पीडी.सीसी.079 / 03.10.01/2015-16	21 अप्रैल 2016	इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड (आइडीएफ)

127.	डीएनबीआरसंख्या.पीडी.सीसी.081 / 03.10.01/2015-16	26 मई, 2016	अर्थव्यवस्था में व्यथित संपत्ति पुनर्जीवित करने और सामरिक ऋण पुनर्गठन के लिए फ्रेमवर्क की समीक्षा
128.	डीएनबीआर संख्या.पीडी.सीसी.082 / 03.10.001/2015-16	2 जून, 2016	परियोजना ऋण का पुनर्वित्तीयन
129.	डीएनबीआर .(पीडी) सीसी संख्या.083 / 03.10.001/2016-17	28 जुलाई, 2016	प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों के लिए एनबीएफसी द्वारा राहत उपाय संबंधी निर्देश

(मनोरंजन मिश्रा)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुबंध-I

सरकारी एनबीएफसी के लिए समयरेखा

<table>
<tr><th>मानदंड</th><th>अन्य एनबीएफसी के लिए लागू प्रावधान</th><th>सरकारी एनबीएफसी - समय-सीमा</th></tr>
<tr><td colspan="3">प्रूडेंशियल विनियमन</td></tr>
<tr><td>आय निर्धारण</td><td>निर्धारित किये अनुसार</td><td>31 मार्च 2019 के तुलन पत्र के अनुसार</td></tr>
<tr><td>आस्ति वर्गीकरण</td><td><u>एनबीएफसी-एनडीएसआई तथा एनबीएफसी-डी- 90 दिन मानदंड</u>
<u>एनबीएफसी-एनडी- 180 दिन मानदंड</u></td><td><u>एनबीएफसी-एनडीएसआई तथा एनबीएफसी -डी</u>
<u>120 दिन- 31 मार्च 2019</u>
<u>90 दिन- 31 मार्च 2020</u>
<u>एनबीएफसी-एनडी</u>
<u>180 दिन मानदंड- 31 मार्च 2019</u></td></tr>
<tr><td>आवश्यक प्रावधानीकरण</td><td>एनपीए के लिए – निदेश में दिये अनुसार
मानक आस्तियों के लिए <u>एनबीएफसी-एनडीएसआई तथा एनबीएफसी-डी</u> -0.40%
<u>एनबीएफसी-एनडी-0.25%</u></td><td>31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार- निर्धारित मानदंड का 100%</td></tr>
<tr><td>एनडीएसआई तथा एनबीएफसी-डी के लिए लागू पूँजी पर्याप्तता</td><td>सीआरएआर- 15%
टिअर I-10%</td><td><table><tr><td>10% (न्यूनतम टिअर I - 7%);</td><td>31 मार्च 2019</td></tr><tr><td>12% (न्यूनतम टिअर I - 8%);</td><td>31 मार्च 2020</td></tr><tr><td>13% (न्यूनतम टिअर I - 9%);</td><td>31 मार्च 2021</td></tr><tr><td>15% (न्यूनतम टिअर I -10%)</td><td>31 मार्च 2022</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>लीवरेज अनुपात</td><td>एनबीएफसी-एनडी पर लागू</td><td>सरकारी एनबीएफसी-एनडी द्वारा 31 मार्च 2022 तक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाए।</td></tr>
<tr><td>ऋण/निवेश का संकेन्द्रन</td><td>निर्धारित किये अनुसार</td><td>किसी विशेष क्षेत्र में सेवा के लिए गठित सरकारी कंपनियां, इस संदर्भ में छूट के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से, यदि जरूरत हो तो, संपर्क कर सकती हैं, । अन्य सभी के लिए समय सीमा 31 मार्च 2022 का तुलन पत्र होगी।</td></tr>
<tr><td colspan="3">अन्य</td></tr>
<tr><td>कारपोरेट गवर्नेंस इत्यादि</td><td>निर्धारित किये अनुसार</td><td>31 मार्च 2019 का तुलन पत्र</td></tr>
<tr><td>कारोबार आचरण विनियमन (उचित आचार संहिता)</td><td>निर्धारित किये अनुसार</td><td>31 मार्च 2019 का तुलन पत्र</td></tr>
</table>

मानदंड	अन्य एनबीएफसी के लिए लागू प्रावधान	सरकारी एनबीएफसी - समय-सीमा
जमाराशि स्वीकार करने संबंधी निदेश		
जमाराशि संबंधी निदेश	एनबीएफसी-डी के लिए किये गए निर्धारण के अनुसार	• जनता से जमाराशियां स्वीकार करने के लिए निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग- 31 मार्च 2019 • निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग वाली कोई सरकारी एनबीएफसी-डी अपने एनओएफ के केवल 1.5 गुणा जमाराशि स्वीकार कर सकती है। तय सीमा से अधिक जमाराशि रखने वाली सरकारी एनबीएफसी नयी जमाराशियां स्वीकार नहीं करेंगी अथवा उपलब्ध तय सीमा के भीतर आने तक वर्तमान में जमाराशियों को नवीनीकृत नहीं करेंगी। वर्तमान में उपलब्ध जमाराशियों को परिपक्वता अवधि तक रख सकते हैं। • अन्य सभी निदेश 31 मार्च 2019 के तुलन पत्र के लागू होंगे।
सांविधिक प्रावधान		
धारा 45 आईबी	आस्तियों के प्रतिशत को बनाये रखना- बकाया जमाराशियों का 15%	31 मार्च 2019- बकाया जमाराशियों का 5% 31 मार्च 2020- बकाया जमाराशियों का 10% 31 मार्च 2021- बकाया जमाराशियों का 12% 31 मार्च 2022- बकाया जमाराशियों का 15%
धारा 45 आईसी	आरक्षित निधि	31 मार्च 2019

अनुबंध-II

चलनिधि जोखिम प्रबंधन[6] रुपरेखा पर दिशानिर्देश.

जमा स्वीकार न करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जिनकी आस्ति ₹1 बिलियन और इससे अधिक की हो, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण मूल निवेश कंपनियां और जमा स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (टाइप -1 एनबीएफ़सी-एनडी[7], गैर परिचालित वित्तीय होल्डिंग कंपनियों और एकल प्राथमिक डीलरों को छोड़कर) नीचे उल्लेख किए गए दिशानिर्देशों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करेंगी। यह बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि इन दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा स्थापित किया जाने वाला आंतरिक नियंत्रण पर्यवेक्षी समीक्षा के अधिन होगा। इसके अतिरिक्त विवेक को ध्यान में रखते हुए अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को चलनिधि जोखिम प्रबंधन पर इन दिशानिर्देशों को ऐच्छिक आधार पर अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह दिशानिर्देश चलनिधि जोखिम प्रबंधन रुपरेखा की निम्नलिखित पहलुओं को संबोधित करता हैः

क) चलनिधि जोखिम प्रबंधन नीति, कार्यनीति और कार्य-प्रणालियां
ख) प्रबंधन सूचना तंत्र (एम.आई.एस)
ग) आंतरिक नियंत्रण
घ) परिपक्वता रूपरेखा
ङ) चलनिधि जोखिम प्रबंधन-स्टॉक दृष्टिकोण
च) करेंसी जोखिम
छ) ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन
ज) चलनिधि जोखिम निगरानी के साधन

क. चलनिधि जोखिम प्रबंधन नीति, कार्यनीति और कार्य-प्रणालियां

स्वस्थ एवं सुदृढ़ चलनिधि जोखिम प्रबंधन प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बोर्ड चलनिधि जोखिम प्रबंधन तंत्र तैयार करे जो यह सुनिश्चित करे कि संबंधित एनबीएफसी पर्याप्त चलनिधि[8] बनाए रखती है तथा इसमें ऋण भार रहित, उच्च गुणवता वाली तरल आस्तियां की गुंजाइश है जिससे कि यह विभिन्न प्रकार की दबाव घटनाओं जिनमें जमानती और गैर जमानती वित्तपोषण स्रोतों की हानि या नुकसान भी शामिल है का सामना कर सके। यह संस्था के स्तर पर चलनिधि जोखिम सहनशीलता, वित्त पोषण की कार्यनीति, प्रूडेंशियल सीमाएं, चलनिधि की माप, आकलन, रिपोर्टिंग / समीक्षा करने की प्रणाली, दबाव जांच हेतु तंत्र, वैकल्पिक परिदृश्य / औपचारिक आकस्मिक निधि योजना, प्रबंधन रिपोर्टिंग की प्रकृति एवं आवृत्ति, चलनिधि प्रक्षेपण में इस्तेमाल किए गए धारणा की आवधिक समीक्षा इत्यादि की स्पष्ट व्याख्या करता हो।

---

[6] "चलनिधि जोखिम" का तात्पर्य एनबीएफसी की उस अक्षमता से है जो एनबीएफसी के किसी दायित्व को उसकी वित्तीय स्थिति को प्रतिकूल तरीके से प्रभावित किये बिना पूरा कर सकती है। प्रभावी चलनिधि जोखिम प्रबंधन आवश्यकता पड़ने पर एनबीएफसी के किसी दायित्व को निभाना सुनिश्चित करता है और प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होने की संभावना को कम करता है।

[7] टाइप 1-एनबीएफ़सी-एनडी की परिभाषा 17 जून 2016 को जारी आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है।

[8] "चलनिधि" का तात्पर्य है आस्तियों की वृद्धि के लिए निधि प्रदान करना और अपेक्षित तथा अनपेक्षित नकदी एवं संपार्श्विक दायित्वों का निर्वहन उचित मूल्य पर तथा अस्वीकार्य हानि के बिना पूरा कर पाना।

चलनिधि जोखिम प्रबंधन तंत्र के मुख्य तत्व नीचे प्रस्तुत हैः-

i) **चलनिधि जोखिम प्रबंधन का प्रशासनः**

किसी भी जोखिम प्रबंधन प्रकिया के सफलतापूर्वक लागू करने का दायित्व एनबीएफसी के उच्च प्रबंधन का है तथा उसे आधारभूत परिचालन एवं कार्यनीति निर्णय प्रक्रिया को जोखिम प्रबंधन से एकीकृत करने के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता प्रदर्शित करनी होगी। 16 मई 2019 को जारी हमारे परिपत्र गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.099/03.10.001/2018-19 की शर्तों के अधीन एनबीएफ़सी द्वारा नियुक्त मुख्य जोखिम अधिकारी चलनिधि जोखिमों की पहचान करने, मापने और उसे कम करने की प्रक्रिया में शामिल रहेगा। चलनिधि जोखिम प्रबंधन के लिए वांछित संगठनात्मक ढाँचा निम्नानुसार होगा:

क) **निदेशक बोर्डः** चलनिधि जोखिम के प्रबंधन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निदेशक बोर्ड की होगी। बोर्ड अपने द्वारा निर्धारित चलनिधि जोखिम सहनशीलता/सीमाओं के अनुसार चलनिधि जोखिम के प्रबंधन हेतु एनबीएफसी की कार्यनीति, कार्ययोजना और कार्य-पद्धतियां तय करेगा।

ख) **जोखिम प्रबंधन समितिः** जोखिम प्रबंधन समिति बोर्ड को रिपोर्ट करती है तथा यह मुख्य कार्य कारी अधिकारी (सीईओ)/प्रबंध निदेशक एवं विभिन्न जोखिम वर्टिकल के प्रमुखों से मिलकर बना होता है। यह समिति चलनिधि जोखिम सहित एनबीएफसी द्वारा सामना किए जाने वाले सम्पूर्ण जोखिम के मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी होगा।

ग) **आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (**ए.एल.सी.ओ**) -** ए.एल.सी.ओ में एनबीएफसी के उच्च प्रबंधन अधिकारी शामिल रहेंगे। ए.एल.सी.ओ की जिम्मेदारी होगी कि वह बोर्ड द्वारा निर्धारित जोखिम सहनशीलता/सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करे तथा साथ ही एनबीएफसी की चलनिधि जोखिम प्रबंधन कार्यनीति को भी लागू करे। सीईओ/एम.डी या कार्यकारी निदेशक (ईडी) समिति के अध्यक्ष होंगे। निवेश, क्रेडिट, संसाधन प्रबंधन या आयोजना, निधि प्रबंधन/कोष (विदेशी विनिमय /घरेलू), आर्थिक अनुसंधान के प्रमुख समिति के सदस्य होंगे। चलनिधि जोखिम के संदर्भ में ए.एल.सी.ओ की भूमिका में अन्य बातों के साथ-साथ वांछित परिपक्वता प्रोफाइल एवं वृद्धिशील संपत्ति एवं देयताओं के मिश्रण, वित्तपोषण के स्रोत के रूप में आस्ति की बिक्री, चलनिधि जोखिम प्रबंधन के लिए संरचना, उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण पर निर्णय लेना और सभी शाखाओं की चलनिधि स्थिति पर नजर रखना भी शामिल रहेंगें।

घ) **आस्ति देयता प्रबंधन (ए.एल.एम) सहयोग समूहः-** ए.एल.एम सहयोग समूह में परिचालन स्टाफ होंगे तथा यह चलनिधि जोखिम प्रोफाइल के विश्लेषण, निगरानी और ए.एल.सी.ओ को रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसी सहायता समूहों का गठन एनबीएफसी में चलनिधि जोखिम प्रबंधन के आकार एवं जटिलता पर निर्भर करेगा।

ii) **चलनिधि जोखिम सहनशीलता** एनबीएफसी के पास चलनिधि जोखिम की पहचान करने, मापन करने, निगरानी करने एवं नियंत्रित करने के लिए सुदृढ़ प्रक्रिया होनी चाहिए। इसे स्पष्ट रूप से चलनिधि जोखिम सहनशीलता अपनानी चाहिए जो इसके व्यवसायिक कार्यनीति और वित्तीय प्रणाली में इसकी भूमिका के अनुसार उचित हो। वरिष्ठ प्रबंधन इस प्रकार के जोखिम सहनशीलता के अनुसार चलनिधि जोखिम के प्रबंधन के लिए कार्यनीति तैयार करे तथा एनबीएफसी द्वारा पर्याप्त चलनिधि बनाए रखना सुनिश्चित करे।

iii) **चलनिधि लागत, लाभ एवं आंतरिक मूल्य निर्धारण में जोखिमः-** एनबीएफसी द्वारा चलनिधि लागत एवं लाभ की मात्रा निर्धारित करने की प्रक्रिया विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि इसे आंतरिक उत्पाद

मूल्य निर्धारण, प्रदर्शन माप, सभी प्रमुख बिजनेस लाइन, उत्पाद एवं गतिविधियों के लिए नव उत्पाद अनुमोदन प्रक्रिया में शामिल किया जा सके।

iv) **तुलन पत्र से इतर ऋण जोखिम तथा आकस्मिक देयताएः** चलनिधि जोखिम की पहचान करने, माप करने, निगरानी करने एवं नियंत्रित करने की प्रक्रिया में उचित समय सीमा के दौरान आस्तियों, देयताओं, एवं तुलन पत्र से इतर के मदों से उत्पन्न होने वाली नकदी प्रवाह को व्यापक रूप से प्रक्षेपित करने के लिए सुदृढ़ तंत्र को भी शामिल किया जाना चाहिए। दबाव के समय क्रियान्वित किये जाने के समय अनेक एनबीएफसी द्वारा चलनिधि जोखिमों की पहचान करने में होने वाली कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रयोजन माध्यम, वित्तीय व्युत्पन्नियाँ तथा गारंटी एवं प्रतिबद्धता के संबंध में कुछ विशेष प्रकार के तुलन पत्र से इतर चलनिधि जोखिमों के प्रबंधन पर विषेश रूप से महत्व देना।

v) **वित्तपोषण कार्यनीतिः- विविध वित्तपोषण**

एनबीएफसी को वित्तपोषण कार्यनीति स्थापित करनी चाहिए जो वित्तपोषण के स्रोत और परिपक्वता काल में प्रभावी विविधिकरण प्रदान करती हो। वित्तपोषण स्रोत के प्रभावी विविधिकरण को बढ़ावा देने के लिए इसे अपने चयनित वित्तपोषण मार्केट में वर्तमान उपस्थिति और निधि प्रदाताओं से अपने मजबूत संबंध बनाए रखना चाहिए। एनबीएफसी को प्रत्येक स्रोत से शीघ्रता से निधि एकत्र करने की अपनी क्षमता का नियमित रूप से आकलन करते रहना चाहिए। वित्तपोषण के एकल स्रोत पर अत्यधिक निर्भरता नहीं होनी चाहिए। वित्तपोषण कार्यनीति में विशिष्ट बाजार स्थितियों में जमा निकासी (जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी के लिए) के केंद्रित व्यवहार का गुणात्मक आयाम और विशिष्ट व्यावसायिक मॉडल के कारण वित्तपोषण के अन्य स्रोतों पर अत्याधिक निर्भरता का भी ध्यान रखना चाहिए।

vi) **संपार्श्विक स्थिति प्रबंधनः**—एनबीएफसी द्वारा ऋणग्रस्त और गैर -ऋणग्रस्त संपत्तियों को पृथक करके अपनी सांपर्श्विक स्थिति का सक्रियता से प्रबंध करना चाहिए। विधिक इकाई और भौतिक जगह जहां सांपर्श्विक रखा गया है उसकी निगरानी करनी चाहिए और इसे समयबद्ध तरीके से इस्तेमाल किया जाने पर विचार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक एनबीएफसी के पास अपने अपेक्षित एवं अनपेक्षित ऋण आवश्यकताओं तथा विभिन्न समयावधि में मार्जिन आवश्यकताओं में संभावित वृद्धि को पूरा करने के लिए पर्याप्त संपार्श्विक होना चाहिए।

vii) **दबाव परीक्षणः** दबाव परीक्षण सम्पूर्ण अभिशासन प्रणाली तथा चलनिधि जोखिम प्रबंधन संस्कृति का अभिन्न अंग होना चाहिए। एनबीएफसी द्वारा विविध प्रकार के अल्पावधि और प्रलंबित एनबीएफसी विनिर्दिष्ट और पूरे बाजार में दबाव परिदृश्य (अलग-अलग एवं संयुक्त रूप से) की नियमित आधार पर दबाव जांच की जानी चाहिए। चलनिधि दबाव परिदृश्य की रूपरेखा तैयार करते समय, एनबीएफसी व्यवसाय, गतिविधियों एवं अरक्षितता पर भी विचार किया जाना चाहिए ताकि परिदृश्य में प्रमुख वित्तपोषण एवं बाजार चलनिधि जोखिम जिससे एनबीएफसी असुरक्षित हैं, उसको भी शामिल किया जा सके।

viii) **आकस्मिक वित्तपोषण योजनाः** गंभीर व्यवधानों का सामना करने के लिए एनबीएफसी द्वारा आकस्मिक वित्तपोषण योजना तैयार की जानी चाहिए, जो एनबीएफसी की समयबद्ध तरीके और उचित लागत पर अपनी गतिविधियों में से कुछ या सभी के वित्तपोषण की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। आकस्मिक योजना में उपलब्ध /संभावित आकस्मिक वित्तपोषण स्रोतऔर राशि/अनुमानित राशि जो इन स्रोतों से आहरित की जा सके, पूर्ण प्रसार/ प्राथमिकता प्रक्रिया, प्रत्येक प्रक्रियाओं को कब और कैसे सक्रिय किया जा सकता है और किया जाना चाहिए इन सभी का विवरण और प्रत्येक आकस्मिक स्रोत से अतिरिक्त निधि प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय –सीमा का विस्तार से उल्लेख होना चाहिए।

ix) **सार्वजनिक प्रकटीकरणः** एनबीएफसी तिमाही आधार पर सूचनाओं (अनुलग्नक 1) का कंपनी की अधिकृत वेबसाइट पर एवं वार्षिक वित्तीय कथन के व्यय संबंधी नोट में सावर्जनिक प्रकटीकरण करे ताकि बाजार प्रतिभागी एनबीएफसी के चलनिधि जोखिम प्रबंधन तंत्र और चलनिधि स्थिति की सुदृढ़ता के बारे में सूचित निर्णय ले सकें।

x) **अंतःसमूह अंतरणः-**

अंतः समूह लेन-देन और ऋण जोखिम (आईटीई) के कारण संभावित रूप से बढ़े हुए जोखिम की पहचान करने के उद्देश्य से समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) से अपेक्षा की जाती है वह समूह कंपनियों[9] की जटिलता, जोखिम प्रोफाइल और परिचालन अवसर के अनुरूप चलनिधि प्रबंधन प्रक्रिया और वित्तपोषण कार्यक्रम तैयार करे और उसे बनाए रखे। समूह चलनिधि जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया और कार्यक्रमों से अपेक्षा की जाती है वे ऋण, निवेश एवं अन्य गतिविधियों का भी ध्यान रखें तथा यह सुनिश्चित करें कि शीर्ष और समूह के भीतर प्रत्येक घटक संस्था में पर्याप्त चलनिधि उपलब्ध रहे। इन प्रक्रियाओं और कार्यक्रम में वास्तविक और संभावित अवरोधों को शामिल किया जाना चाहिए, जिनमें इन इकाइयों के बीच और इन इकाइयों और मुख्य इकाई के बीच, निधि अंतरण पर विधिक और नियामक बाधाओं को भी पूर्ण रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए।

ख. **प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस):** एनबीएफसी के पास विश्वसनीय एम.आई.एस होना चाहिए जो सामान्य और दबाव दोनों ही स्थितियों में बोर्ड और ए.एल.सी.ओ को एनबीएफसी और समूह की चलनिधि स्थिति की समय पर और प्रगतिशील सूचना देने में सक्षम हो। इसमें आकस्मिक जोखिम और नई गतिविधियों के कारण प्रकट हो रहे जोखिम सहित चलनिधि जोखिम के समस्त स्रोत शामिल किए जाने चाहिए तथा इसमें दबाव के दौरान अधिक विस्तृत एवं समय-संवेदनशील सूचना प्रस्तुत करने की क्षमता होनी चाहिए।

ग. **आंतरिक नियंत्रणः** चलनिधि जोखिम नियमों और प्रक्रियाओं का अनुपलान सुनिश्चित करने के लिए एनबीएफसी के पास उचित आंतरिक नियंत्रण, प्रणाली और प्रक्रिया होनी चाहिए। प्रबंधन यह सुनिश्चित करे कि एक स्वतंत्र पक्ष एनबीएफसी के चलनिधि जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के विभिन्न भागों का नियमित रूप से समीक्षा और मूल्यांकन करे।

घ. **परिपक्वता प्रोफाइलिंगः-**

(क) निवल वित्तपोषण आवश्यकताओं की माप करने और इसका प्रबंध करने के लिए परिपक्वता सीढ़ी और किसी चयनित परिपक्वता तिथि को समेकित अधिशेष या अभाव की गणना एक मानक साधन के रूप में अपनाई जाती है। परिपक्वता प्रोफाइल का इस्तेमाल विभिन्न टाइम बकेट में एनबीएफसी के भविष्य में नकद प्रवाह मापने में किया जाना चाहिए। अनुलग्नक 1 में दिया गया परिपक्वता प्रोफाइल एनबीएफसी के विभिन्न टाइम बकेट के भावी नकदी प्रवाह मापने के लिए ईस्तमाल किया जा सकता है। टाइम बकेट निम्नानुसार विभाजित किया जाना चाहिएः-

(i) 1 दिन से 7 दिन
(ii) 8 दिन से 14 दिन
(iii) 15 दिन से 30/31 दिन (1 माह)
(iv) 1 माह से अधिक और 2 माह तक
(v) 2 माह से अधिक और 3 माह तक
(vi) 3 माह से अधिक और 6 माह तक

[9] मास्टर निदेश - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी -प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी)रिज़र्व बैंक (निदेश, 2016 में दी गई परिभाषा के अनुसार।

(vii) 6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक
(viii) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक
(ix) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक
(x) 5 वर्ष से अधिक

(ख) एनबीएफसी अपने निवेश पोर्टफोलियों में प्रतिभूतियों को व्यापक रूप से अनिवार्य प्रतिभूतियों (विधिक दायित्व के अधीन) या अन्य गैर अनिवार्य प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत करे। यदि एनबीएफसी सार्वजनिक जमाराशि धारण नहीं कर रही है तो प्रतिभूतियों में सभी निवेश, सार्वजनिक जमाराशि धारण कर रही एनबीएफसी है तो अधिशेष प्रतिभूति (आवश्यकता के अतिरिक्त धारण किया गया) गैर अनिवार्य प्रतिभूतियों की श्रेणी में वर्गीकृत की जाएगी। वैकल्पिक रूप से एनबीएफसी वर्तमान निर्देशों के अनुसार ट्रेडिंग बुक की अवधारणा का भी पालन कर सकती है।

(ग) सार्वजनिक जमा धारक एनबीएफसी को उनके लिए उपयुक्त किसी भी टाइम बकेट में अनिवार्य प्रतिभूतियां रखने की आजादी है। सूचीबद्ध गैर अनिवार्य प्रतिभूतियों को "1 दिन से 7 दिन, 8 दिन से 14 दिन, 15 दिन से 30/31 दिनों (एक माह) के लिए", "एक महीने से अधिक और 2 महीने" और "दो महीनों से अधिक और 3 महीने" तक बकेट में एनबीएफ़सी द्वारा प्रस्तावित उत्सादन अवधि के आधार पर रखा जा सकता है। गैर-सूचीबद्ध गैर अनिवार्य प्रतिभूतियों (जैसे इक्विटी शेयर, परिपक्वता की एक निश्चित अवधि के बिना प्रतिभूति आदि) को "5 वर्षों से अधिक" बकेट में रखा जा सकता है, जबकि परिपक्वता की एक निश्चित अवधि वाली गैर-सूचीबद्ध गैर अनिवार्य प्रतिभूतियों को अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार प्रासंगिक टाइम बकेट में रखा जा सकता है। अनिवार्य प्रतिभूति और सूचीबद्ध प्रतिभूतियों को एएलएम प्रणाली के प्रयोजन के लिए बाजार के लिए चिह्नित किया जा सकता है। असूचीबद्ध प्रतिभूतियों कीप्रूडेंशियल मानदंड दिशा-निर्देश के अनुसार गणना कर सकते हैं।

(घ) वैकल्पिक रूप से, एनबीएफ़सीव्यापार किताब की अवधारणा का पालन कर सकती हैं, जो इस प्रकार है:

i. रचना और मात्रा को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया हैं;

ii. अधिकतम परिपक्वता/पोर्टफोलियो की अवधि प्रतिबंधित है;

iii. होल्डिंग अवधि 90 दिन से अधिक नहीं;

iv. हानि की निर्धारित सीमा निर्धारित;

v. उत्सादन अवधि (उत्पाद के लिहाज से) अर्थात द्वितीयक बाजार में चलनिधि की स्थिति के आधार पर पोजीशन को परिसमापित करने में लगने वाला समय निर्धारित हैं;

एनबीएफसी जो इस तरह की 'ट्रेडिंग पुस्तकें' रखती है और उपरोक्त मानकों का पालन करती है, वह व्यापारिक प्रतिभूतियों को, उत्सादन अवधि के अनुसार "1 दिन से 30/31 दिनों (एक माह), एक महीने से अधिक और 2 महीने तक" और "दो महीनों से अधिक और 3 महीने तक" के बकेट में दिखा सकती हैं । एनबीएफसी के एल्को/बोर्ड द्वारा 'व्यापार किताब की मात्रा, रचना, धारण/उत्सादन अवधि, निर्धारित अधिकतम हानि को मंजूरी देनी चाहिए। प्रूडेंशियल मानदंड के तहत आवश्यक शेष निवेश भी कम अवधि और लंबी अवधि के निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

ङ. एएलएम के प्रयोजन के लिए निवेश पोर्टफोलियो की गणना पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा दर्ज की गई और उनके बोर्ड/एल्को द्वारा अनुमोदित नीति टिप्पणी को भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जाना चाहिए जिसके क्षेत्राधिकार में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है।

च. प्रत्येक टाइम बकेट के अंदर नकदी के अन्तर्वाह एवं बहिर्प्रवाह के आधार पर असंतुलन हो सकता है। यद्यपि एक वर्ष तक का असंतुलन नियंत्रित करना उचित होगा क्योंकि यह आने वाले चलनिधि समस्या की प्रारम्भिक चेतावनी प्रदान

करता है। मुख्य फोकस अल्पावधि असंतुलन यथा -1 से 30/31 दिनों के बकेट पर होना चाहिए। 1-7 दिन, 8-14 दिन एवं 15-30 दिन के परिपक्वता बकेट में संरचनात्मक चलनिधि विवरण में निवल संचयी नकरात्मक असंतुलन संबंधी टाइम बकेट में संचयी नकदी बहिप्रवाह 10%, 10% एवं 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। तथापि, एनबीएफसीज से यह अपेक्षित है कि वे बोर्ड की अनुमति से आंतरिक प्रूडेंशियल सीमाएं निर्धारित कर अन्य सभी टाइम बकेट में 1 वर्ष तक के संचयी असंतुलन (कुल क्रियाशील) की निगरानी करें। एनबीएफसी अपने संयुक्त परिचालन के लिए भी अपने संरचनात्मक चलनिधि विवरण के लिए उपरोक्त संचयी असंतुलन सीमा को अपनाएं।

छ. संरचनात्मक चलनिधि का विवरण सभी नकदी अंतर्वाहों एवं बहिर्प्रवाहों को नकदी प्रवाह के अनुमानित समय के अनुसार परिपक्वता क्रम में रखकर तैयार किया जाए। अवधिपूर्ण देयता को नकदी बहिर्प्रवाह मानी जाए और अवधिपूर्ण आस्ति को नकदी अंतर्वाह मानी जाए।

ज. 1 दिन से 6 माह तक की समय सीमा पर गतिशील आधार पर अपने अल्पावधि चलनिधि की निगरानी करने में एनबीएफसी को सक्षम बनाने हेतु, एनबीएफसी अपने अल्पकालिक चलनिधि प्रोफाइल का आकलन व्यावसायिक प्रोजेक्शन और योजना उद्देश्य के लिए अन्य प्रतिबद्धताओं के आधार पर करें।

ङ. चलनिधि जोखिम प्रबंधन- स्टॉक एप्रोच

एनबीएफसी उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदित और आंतरिक रूप से परिभाषित सीमा स्थापित कर चलनिधि जोखिम आंकलन एवं इस संबध में निश्चित महत्वपूर्ण अनुपात की निगरानी हेतु स्टॉक एप्रोच अपनाए। अनुपात एवं आंतरिक सीमा एनबीएफसी के चलनिधि जोखिम प्रबंधन क्षमताओं, अनुभव एवं प्रोफाइल पर आधारित होना चाहिए। निगरानी किए जाने योग्य निश्चित महत्वपूर्ण अनुपात की सूचनात्मक सूची में शामिल हैं कुल आस्तियों के लिए अलपावधि[10] देयताएं, दीर्घकालिक आस्तियों के लिए अल्पावधि देयताएं, कुल आस्तियों के लिए वाणिज्यिक पत्र, कुल आस्तियों के लिए अपरिवर्तनीय ऋण-पत्र, (एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता), कुल देयताओं के लिए अल्पावधि देयताएं, कुल आस्तियों के लिए दीर्घावधि आस्तियां इत्यादि।

च. **करेंसी जोखिमः** ऐसी एनबीएफसी जिनके तुलन पत्र में विदेशी आस्तियां या देयताएं हैं, उनके जोखिम प्रोफाइल को विनिमय दर में उतार-चढ़ाव एक नया आयाम प्रदान करती है। एनबीएफसी के बोर्ड को ऐसे ऋण जोखिम से पैदा होने वाली चलनिधि जोखिम की पहचान करनी चाहिए तथा जोखिम के प्रबंधन के लिए उचित तत्परता विकसित करनी चाहिए।

छ. **<u>ब्याज दर जोखिम (आईआरआर) का प्रबंधन</u>**-

क) एनबीएफसीज को आस्तियों और देयताओं के मूल्य निर्धारण में दिया गया परिचालनगत लचीलापन से आशय है कि वित्तीय प्रणाली ब्याज दर जोखिम को हेज करे। ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो बाजार में ब्याज दरों में परिवर्तन पर एनबीएफसी की वित्तीय स्थिति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। ब्याज दरों में परिवर्तन में एनबीएफसी को बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं। ब्याज दरों में बदलाव का तत्काल प्रभाव शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) पर पड़कर एनबीएफसी की कमाई (यानी सूचित मुनाफा) पर होता है। बदलती ब्याज दरों का एक दीर्घकालिक प्रभाव गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की इक्विटी के बाजार मूल्य (MVE) या निवल मालियत यानि संपत्ति, देनदारियों का आर्थिक मूल्य पर पड़ता है और तुलनपत्र से इतर मदें ब्याज दरों में बदलाव की वजह से प्रभावित हो जाती हैं। जब इन दोनों के दृष्टिकोण से ब्याज दर जोखिम देखा जाता है तो वह क्रमशः 'कमाई परिप्रेक्ष्य' और 'आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य' में जाना जाता है। कमाई के परिपेक्ष्य से जोखिम को शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) या शुद्ध ब्याज मार्जिन

[10] एक वर्ष से कम अवधि

(एनआईएम) में परिवर्तन के रूप में मापा जा सकता है। ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए कई माप और विश्लेषणात्मक तकनीक हैं। शुरू करने के लिए, परंपरागत अंतर विश्लेषण ब्याज दर जोखिम को मापने के एक उपयुक्त विधि है। भारतीय रिजर्व बैंक का यह इरादा है कि ब्याज दर माप की आधुनिक तकनीकों अवधि गैप विश्लेषण, सिमुलेशन और समय के साथ जोखिम पर मूल्य की ओर बढ़ा जाए और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एमआईएस अधिग्रहण और हैंडलिंग में पर्याप्त विशेषज्ञता और परिष्कार हासिल कर लें।

ख) नियत तिथि पर गैप या बेमेल जोखिम अलग समय अंतराल पर अंतराल की गणना के द्वारा मापा जा सकता है। गैप विश्लेषण दर संवेदनशील देयताएं और दर संवेदनशील परिसंपत्तियों (तुलनपत्र से इतर पदों सहित) के बीच बेमेल को नापता है। एक परिसंपत्ति या देयताओं को सामान्य रूप से दर संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि:

i. विचाराधीन समय अंतराल के भीतर, वहाँ नकदी प्रवाह है;

ii. अंतराल के दौरान अनुबंधात्मक ब्याज दर रिसेट / रीप्राइज किया हो;

iii. रिजर्व बैंक की ब्याज दरों / बैंक दर में परिवर्तन पर निर्भर हो ;

iv. कथित परिपक्वताओं से पहले अनुबंधात्मकता पूर्व देय या निकासी ।

ग) गैप रिपोर्ट अवशिष्ट परिपक्वता या अगले रीप्राइजिंग अवधि, जो भी पहले हो, के अनुसार टाइम बकेट में दर संवेदनशील देयताएं, आस्तियां और तुलनपत्र से इतर मदों के समूहीकरण के द्वारा उत्पन्न किया जाना चाहिए। गैप विश्लेषण में मुश्किल काम दर संवेदनशीलता का निर्धारण किया जाना है। सभी निवेश, अग्रिम, जमा, उधार खरीदा फंड, आदि जो एक निर्धारित समय सीमा के भीतर परिपक्व /रीप्राइज है, ब्याज दर के प्रति संवेदनशील हैं। इसी तरह, ऋण की किसी भी प्रिंसिपल चुकौती की दर संवेदनशील है यदि एनबीएफसी समय क्षितिज के भीतर इसे प्राप्त करने की उम्मीद रखती है। इसमे अंतिम मूलधन के भुगतान और अंतरिम किश्तें भी शामिल है। कुछ आस्ति और देयताएं/वेतन दर जो संदर्भ दर के साथ बदलती हैं। ये आस्ति और देयताएं पूर्व निर्धारित अंतराल पर रीप्राइज की जाती है और दर रीप्राइजिंग के समय संवेदनशील हैं। जहां कि सावधि जमा पर ब्याज दर अपनी अवधि के दौरान स्थायी रहती हैं, अग्रिम सामान्यतया फ्लोटिंग होता है। प्राप्त अग्रिमों पर ब्याज दरों को पीएलआर के बदलावों के अनुसार कितनी भी बार रीप्राइज किया जा सकता है।

घ) अंतराल को निम्नांकित टाइम बकेट में पहचाना जा सकता है:

i. 1 दिन से 7 दिन तक
ii. 8 दिन से 14 दिन
iii. 1-30 / 31 दिन (एक माह)
iv. एक महीने से अधिक से 2 महीने
v. दो महीने से अधिक से 3 महीने
vi. 3 महीने से अधिक से 6 महीने
vii. 6 महीने से अधिक से 1 वर्ष
viii. 1 वर्ष से 3 वर्ष
ix. 3 साल से अधिक से 5 साल
x. 5 वर्षों से अधिक
xi. गैर संवेदनशील

दर संवेदनशील आस्ति और देयताएं और तुलनपत्र से इतर वस्तुओं की विभिन्न मदों को अनुलग्नक–III के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है।

ङ) गैप हर टाइम बकेट के लिए दर संवेदनशील आस्तियां (आरएसए) और दर संवेदनशील देयताएं (आरएसएल) के बीच का अंतर है। सकारात्मक गैप इंगित करता है यह आरएसएल की तुलना में आरएसए अधिक है जबकि नकारात्मक गैप इंगित करता है, आरएलए की तुलना में आरएसए अधिक है। गैप रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि क्या संस्था सकारात्मक गैप (आरएसए> आरएसएल) होने से बढ़ती ब्याज दरों से लाभ प्राप्त कर सकती है या क्या यह एक नकारात्मक अंतर (आरएसएल> आरएसए) गैप से गिरावट आ रही ब्याज दरों से लाभ प्राप्त कर सकती है। इसलिए गेप को ब्याज दर संवेदनशीलता को नापने के एक उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

च) प्रत्येक एनबीएफसी को बोर्ड/प्रबंधन समिति के अनुमोदन के साथ अलग-अलग अंतराल पर प्रूडेंशियल सीमा तय करनी चाहिए। प्रूडेंशियल सीमा को कुल संपत्ति, कमाऊ संपत्ति या इक्विटी के साथ एक रिश्ता होना चाहिए। एनबीएफसी कमाई पर जोखिम (ईएआर) या शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) ब्याज दर उनके विचारों के आधार पर निर्धारित कर सकते हैं और बोर्ड/प्रबंधन समिति के अनुमोदन के साथ एक प्रूडेंशियल स्तर निर्धारित कर सकते हैं। ईएआर या एनआईएम पता लगाने के लिए कोई भी वर्तमान मॉडल इस्तेमाल किया जा सकता है।

छ) गैप रिपोर्ट (चलनिधि और ब्याज दर संवेदनशीलता) की तैयारी के लिए अलग-अलग टाइम बकेट में आस्ति और देयताएं के विभिन्न घटकों के वर्गीकरण के लिए अनुलग्नक I और II में दिए बेंचमार्क है। एनबीएफसी जो पिछले आंकड़ों/अनुभवजन्य अध्ययनों के आधार पर आस्ति और देयताएं के विभिन्न घटकों के व्यवहार पैटर्न का बेहतर अनुमान लगाने हेतु सुसज्जित हैं, एल्को/बोर्ड से अनुमोदन के अधीन उन्हें उचित टाइम बकेट में वर्गीकृत किया जा सकता है। एल्को/बोर्ड द्वारा स्वीकृत नोट की एक प्रति गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, का क्षेत्रीय कार्यालय जिसके अधिकार क्षेत्र में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, को भेजा जा सकता है। इन नोटों में 'क्या होगा अगर' विभिन्न संभावित शर्तों के तहत विश्लेषण हो सकता है और विभिन्न प्रतिकूल घटनाक्रमों का सामना करने के लिए आकस्मिकता योजना दी जा सकती है।

ज) वर्तमान ढांचा एनबीएफसी की चलनिधि और ब्याज दर जोखिम प्रोफाइल पर जमा राशि का समय से पहले बंद होना और ऋण और अग्रिम के पूर्व भुगतान के प्रभाव को शामिल नहीं करता है। बाजार में ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के समय जमा की समयपूर्व निकासी की मात्रा बहुत ज्यादा है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को इसलिए उपयुक्त तंत्र विकसित करना चाहिए जो अनुभवजन्य अध्ययन और व्यवहार विश्लेषण के द्वारा भविष्य के बाजार चर में आस्तियों, देयताओं और तुलन पत्र के बाहर की मदों में परिवर्तन और विकल्प की संभावनाओं का अनुमान लगा सके।

झ) एक वैज्ञानिक रूप से विकसित आंतरिक ट्रांसफर प्राइसिंग मॉडल, जो वर्तमान बाजार दर के आधार पर उपलब्ध कराई गई निधियों और धनराशि का मूल्यांकन कर सकें, एएलएम प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। हस्तांतरण मूल्य प्रणाली मार्जिन प्रबंधन यानी उधार या क्रेडिट प्रसार, धन या दायित्व प्रसार और बेमेल प्रसार के प्रबंधन को बेहतर कर सकते हैं। यह ब्याज दर जोखिम को केन्द्रित करने में मदद करता है, जिससे ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन और प्रभावी नियंत्रण में सुविधा होती है। अच्छी तरह से परिभाषित हस्तांतरण मूल्य निर्धारण प्रणाली आस्ति और देयताएं का मूल्य निर्धारण करने के लिए भी एक तर्कसंगत रूपरेखा प्रदान करती है।

अनुलग्नक I

चलनिधि जोखिम पर सार्वजनिक प्रकटीकरण

(i) महत्वपूर्ण प्रतिपक्षकार के आधार पर वित्तपोषण संकेन्द्रण (जमाराशि और ऋण दोनों)

क्र.सं	**महत्वपूर्ण प्रतिपक्षकारों की संख्या**	**राशि (₹ करोड़ में)**	**कुल जमा का प्रतिशत**	**कुल देयताओं का प्रतिशत**

(ii) सबसे बड़े 20 जमा (राशि ₹ करोड़ में एवं कुल जमा का %)

(iii) सबसे बड़े 20 उधारी (राशि ₹ करोड़ में एवं कुल ऋण का %)

(iv) महत्वपूर्ण लिखत /उत्पाद के आधार पर वित्तपोषण सकेन्द्रण

क्र.सं	**प्रपत्र/उत्पाद का नाम**	**राशि (₹ करोड़ में)**	**कुल देयताओं का %**

(v) स्टॉक अनुपातः

(ए) कुल सार्वजनिक निधि के प्रतिशत के रूप में वाणिज्यिक पत्र, कुल देयताएं एवं कुल आस्तियां.

(बी) कुल सार्वजनिक निधि, कुल देयताएं एवं कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में अपरिवर्तनीय ऋण –पत्र (मूल परिपक्वता एक वर्ष से कम)

(सी) कुल सार्वजनिक निधि, कुल देयताएं एवं कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में अन्य अल्पावधि देयताएं, यदि कोई हो.

(vi) चलनिधि जोखिम प्रबंधन के लिए संस्थागत ढांचा.

परिपक्वता प्रोफाइल - चलनिधि

लेखा शीर्ष	**टाइम बकेट श्रेणी**
ए बहिर्वाह	
1. पूंजी कोष	
क) इक्विटी पूंजी, गैर प्रतिदेय या सदा वरीयता पूंजी, भंडार, धन और अधिशेष	5 वर्षों से अधिक टाइम बकेट में।
बी) वरियता पूंजी - प्रतिदेय / गैर-मियादी	शेयरों की अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार।
2 उपहार, अनुदान, दान और उपकार	'5 वर्षों से अधिक टाइम-बकेट । हालांकि, इस तरह के तोहफे, अनुदान, आदि विशिष्ट अंतिम उपयोग के लिए है, तो इन्हे उद्देश्य / विशिष्ट अंतिम उपयोग के अनुसार निर्दिष्ट टाइम-बकेट में रखा जा सकता है।
3. नोट्स, बॉण्ड और डिबेंचर	
ए) प्लेन वनीला बॉण्ड / डिबेंचर	विलेखों की अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार
बी) बॉण्ड/ निहित काल/पुट विकल्प के साथ डिबेंचर (शून्य कूपन / गहरी डिस्काउंट बॉण्ड सहित)	निहित विकल्प के लिए जल्द से जल्द उपयोग की जाने वाली तारीख के लिए अवशिष्ट अवधि के अनुसार।
सी) निश्चित दर नोट	अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार
4. जमा:	
ए) जनता से सावधि जमा	अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार।
बी) इंटर कॉरपोरेट जमा	संस्थागत / थोक जमा होने से उनके अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार रखा जाना चाहिए

सी) वाणिज्यिक पत्र	अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार।
5. उधार	
ए) सावधि मनी उधारी	अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार
सी) डबल्यूसीडीएल सीसी आदि की प्रकृति में बैंक उधारी	छह महीने से अधिक और एक साल तक
6) मौजूदा देनदारिया और प्रावधान:	
ए) विविध लेनदार	नियत तारीख या नकद निकासी की संभावित समय के अनुसार। निकासी की प्रवृत्ति और मात्रा का व्यवहार विश्लेषण का हिसाब भी आकलन करने के लिए रखा जा सकता है।
बी) देय व्यय (ब्याज के अलावा अन्य)	नकदी बहिर्वाह की संभावना के अनुसार।
सी) प्राप्त अग्रिम आय, उधारकर्ताओं की प्राप्तियाँ समायोजन हेतु लंबित	'5 वर्ष से अधिक' टाइम-बकेट में, इसमे कोई भी नकद बहिर्वाह शामिल नहीं है।
डी) बॉण्ड / जमा पर देय ब्याज	भुगतान की नियत तारीख के अनुसार संबंधित टाइम बकेट में।
ई) एनपीए के लिए प्रावधान	प्रावधान की राशि एनपीए पोर्टफोलियो की सकल राशि से बाहर निकालकर और एनपीए की शुद्ध राशि को निर्धारित टाइम-बकेट में पूंजी प्रवाह के तहत एक मद के रूप में दिखाया जा सकता है।
एफ़) निवेश पोर्टफोलियो के लिए प्रावधान	राशि को निवेश पोर्टफोलियो का सकल मूल्य से घटाया जा सकता है और शुद्ध निवेश को निर्धारित समय स्लॉट में प्रवाह के रूप में दिखाया जा सकता है। यदि प्रावधानों को प्रतिभूतिवार नहीं धारित किया गया है तो प्रावधान को "5 साल के ऊपर " टाइम बकेट में दिखाया जा सकता है।
जी) अन्य प्रावधान	अंतर्निहित लेनदेन के उद्देश्य / प्रकृति के अनुसार बकेट किया जाना है।

बी अंतर्वाह	
1. रोकड़	1 से 7 दिन की टाइम बकेट में।
2. पारगमन में विप्रेषण	---वही---
3. बैंकों के पास बकाया (भारत में केवल)	
ए) चालू खाता	निर्धारित न्यूनतम शेष लिए 6 महीने से 1 साल के बकेट में दिखाया जाना है। न्यूनतम शेष राशि से अधिक शेष 1 से 7 दिन की टाइम बकेट में दिखाया जाना है।
बी) जमा खाते / लघु अवधि की जमा	अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार।
4. निवेश (शुद्ध प्रावधान)	
ए) अनिवार्य निवेश	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए उपयुक्त
बी) गैर अनिवार्य सूचीबद्ध	"1 दिन से 30/31 दिनों (एक माह)" "एक महीने से अधिक और 2 महीने" और "दो महीनों से अधिक और 3 महीने तक" बकेट गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तावित रद्द करने की अवधि के आधार पर
सी) गैर अनिवार्य गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों (जैसे शेयर, आदि)	" 5 साल के अधिक"
डी) निश्चित परिपक्वता अवधि वाली गैर-अनिवार्य गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतिया	अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार
ई) वेंचर कैपिटल इकाई	'5 वर्ष से अधिक' टाइम बकेट में।
5. ट्रेडिंग पुस्तक का पालन करने पर	
इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय तरजीही शेयर, गैर प्रतिदेय / सदा तरजीही शेयर, सहायक / संयुक्त उद्यम के शेयर और ओपन एंडेड	(I) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के व्यापार पुस्तक का प्रतिनिधित्व करने वाले "वर्तमान" के रूप में वर्गीकृत शेयरों को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तावित रद्द करने की अवधि के आधार पर एक

म्युचुअल फंड और अन्य निवेश ।	महीने से अधिक का "1 दिन से 7 दिन, 8 दिन से 14 दिन, 15 दिन से 30 दिन (एक माह)" "एक माह से अधिक और 2 महीने तक" और दो महीने से अधिक और 3 महीने" की टाइम बकेट में दिखाया जा सकता है।
	(ii) "दीर्घ अवधि के निवेश" के रूप में वर्गीकृत शेयरों को "5 साल के समय" बकेट में रखा जा सकता है। हालांकि, शुरुआती वित्तीय पैकेज के प्राप्त सहायता के हिस्से के रूप में वर्गीकृत सहायक इकाइयों/ कंपनियों के शेयरों को परियोजना के कार्यान्वयन / समय अधिवहित और ऐसे शेयरों के डाइवर्जन से विनिवेश के लिए परिणामी संभावित समय सीमा को ध्यान में रखते हुए संबंध टाइम बकेट में रखा जा सकता है ।
6. अग्रिम (उत्पादक)	
ए) बिल ऑफ एक्सचेंज और रियायती और पुनर्भुनाई वचन नोट	अंतर्निहित बिल के अवशिष्ट मुद्दत के अनुसार।
बी) सावधि कर्ज (केवल रुपया ऋण)	मूल/ संशोधित चुकौती अनुसूची में निर्धारित नकदी प्रवाह के समय के अनुसार निर्धारित ब्याज और ऋण की मूल के खाते पर संबंधित टाइम बकेट में रखा जा सकता है।
सी) कॉरपोरेट ऋण / अल्पावधि ऋण	अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार
7. ग़ैर–निष्पादक ऋण (प्रावधानों को नेट कर दिखाया जा सकता है, इंटरेस्ट सस्पेंस धारित)	
ए) अवमानक	
i) अगले तीन वर्षों के दौरान सभी अतिदेय और मूलधन की किस्त	3 से 5 साल की टाइम-बकेट में।
ii) अगले तीन वर्षों में देय पूरी मूल राशि	5 साल के समय में बकेट
<u>बी) संदिग्ध और हानि</u>	

i) अगले पांच वर्षों के दौरान देय मूलधन की सभी किश्त और सभी अतिदेय	5 वर्ष से अधिक टाइम-बकेट में
ii) अगले पांच साल से परे देय पूरी मूल राशि	5 वर्ष से अधिक टाइम-बकेट में
8. लीज़ पर संपत्ति	पट्टा लेनदेन से नकदी प्रवाह को नकदी प्रवाह के समय के अनुसार संबंधित टाइम बकेट में रखा जा सकता है।
9. अचल संपत्ति (पट्टे की संपत्ति को छोड़कर)	'5 वर्ष से अधिक' टाइम-बकेट में।
10. अन्य संपत्तियां	
(ए) अमूर्त आस्तियों और नकदी प्रवाह का प्रतिनिधित्व नहीं करने वाली मदें	'5 वर्ष से अधिक' टाइम-बकेट में।
(बी) अन्य मद (जैसे अर्जित आय, अन्य प्राप्तियां, स्टाफ ऋण, आदि)	नकदी प्रवाह के समय के अनुसार संबंधित परिपक्वता बकेट में।
सी . आकस्मिक देयताएं	
(ए) क्रेडिट के पत्र / गारंटीया (अवक्रमण के माध्यम से बहिर्वाह)	अवक्रमण तुलना पिछले प्रवृत्ति विश्लेषण पर गारंटी की बकाया राशि (धारित मार्जिन को घटाकर) पर आधारित है, संभावना अवक्रमण का अनुमान लगाया जाना चाहिए और इस राशि को अनुमान आधार पर विभिन्न टाइम बकेट में वितरित किया जा सकता है। अवक्रमण से बाहर बनाई परिसंपत्तियों को संभावित वसूली तारीखों के आधार पर संबंधित परिपक्वता बकेट में दिखाया जा सकता है।
(बी) लंबित संवितरण (बहिर्वाह) ऋण प्रतिबद्धताए	मंजूर संवितरण के कार्यक्रम के अनुसार संबंधित टाइम बकेट में।
(सी) अन्य संस्थानों (बहिर्वाह / अंतरवाह) को/से प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइन	क्रेडिट लाइन के तहत प्राप्त बिल के मुद्दत के अनुसार

ध्यान दें:

कोई भी घटना विशेष नकदी प्रवाह (जैसे वेतन समझौता बकाया, पूंजी व्यय, आयकर रिफंड आदि के कारण बहिर्वाह) इस तरह के नकदी प्रवाह के समय के लिए टाइम बकेट में दिखाया जाना चाहिए।

ए. सभी अतिदेय देनदारियों को व्यवहारगत अनुमानों के आधार पर 1 से 7 दिन और 8 से 14 दिन के टाइम बकेट में दिखाया जाना।

बी. ब्याज और मानक ऋणों की किस्तों / किराए खरीद की संपत्ति / पट्टे किराया के खाते पर अतिदेय प्राप्तियों को निम्नानुसार रखा जाना चाहिए:

(i)	कम से कम एक महीने के लिए अतिदेय।	3 से 6 महीने बकेट में।
(ii)	ब्याज कम से कम एक महीने से ज्यादा अतिदेय है, लेकिन सात महीनों से कम के लिए अतिदेय (यानी संबन्धित राशि छह महीने से पुरानी हो जाता है)	एक महीने की रियायती अवधि गणना किए बिना 6 से 12 महीने बकेट में।
(iii)	मूलधन और किश्त 7 महीनों से अतिदेय लेकिन कम से कम एक वर्ष के लिए अतिदेय	1 से 3 साल बकेट में।

अनुलग्नक III

ब्याज दर संवेदनशीलता

खाता शीर्ष	**टाइम बकेट की दर संवेदनशीलता**
दायित्व	
1. पूंजी, भंडार और अधिशेष	गैर संवेदनशील
2. उपहार, अनुदान व उपकार	-वही-
3. नोट्स, बॉण्ड और डिबेंचर:	
ए) फ्लोटिंग दर	संवेदनशील; रोल ओवर / रीप्राइज करने की तारीख को रीप्राइज तिथियों के अनुसार संबंधित टाइम बकेट में रखा जाना चाहिए।
बी) फिक्स्ड दर (वनीला) शून्य कूपन सहित	संवेदनशील; परिपक्वता पर रीप्राइज। अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार संबंधित टाइम बकेट में रखा जाएगा।
सी) एम्बेडेड विकल्पों के साथ संलेख	संवेदनशील; बढ़ते ब्याज के परिदृश्य में रीप्राइज करने की विकल्प की तिथियों के अनुसार रीप्राइज किया जा सकता है। अगली विकल्प तिथि के अनुसार संबंधित टाइम बकेट में रखा जाना चाहिए।
4. जमा	
ए) जमा / उधार	
i) स्थायी दर	संवेदनशील; लॉक-इन अवधि के बाद, यदि कोई हो, परिपक्वता पर या समय से पहले वापसी के मामले में रीप्राइज़ कर सकता है। अवशिष्ट परिपक्वता या अवशिष्ट लॉक-इन अवधि, जैसा भी मामला हो, के अनुसार के अनुसार संबंधित टाइम बकेट में रखा जा सकता है। बिना लॉक-इन अवधि या अतीत के लॉक-इन अवधि वाले समय से पहले निकले जमा को शीघ्रतम/लघु टाइम बकेट में रखा जाना चाहिए।

ii) फ्लोटिंग दर	संवेदनशील; संविदात्मक रोल-ओवर की तारीख पर रीप्राइज़। अगले रीप्राइजिंग तिथि के अनुसार संबंधित टाइम-बकेट में रखा जाना है।
बी) आईसीडी	संवेदनशील; परिपक्वता पर रीप्राइज। अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार संबंधित टाइम बकेट में रखा जाना है।
5. उधार:	
ए) अवधि-धन उधार	संवेदनशील; परिपक्वता पर रीप्राइज। अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार संबंधित टाइम बकेट में रखा जाना है।
बी) दूसरों से उधार	
i) स्थायी दर	संवेदनशील; परिपक्वता पर रीप्राइज ।संबन्धित टाइम बकेट में अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार रखा जाएगा।
ii) फ्लोटिंग दर	संवेदनशील; संविदात्मक रोल-ओवर की तारीख पर रीप्राइज़ ।अगले रीप्राइजिंग तिथि के अनुसार संबंधित टाइम-बकेट में रखा जाना है।
6. मौजूदा देनदारिया और प्रावधान	
i.विविध लेनदार ii.देय व्यय iii.स्वैप समायोजन खाता iv.लंबित ऋण लेने वालों से अग्रिम आय समायोजन प्राप्तिया /प्राप्त v.बांड / जमा पर देय ब्याज vi.प्रावधान	)))))) गैर संवेदनशील
7. रेपो / पुनभुनाई बिल / विदेशी मुद्रा स्वैप (बिक्री / खरीद)	संवेदनशील; संविदात्मक रोल-ओवर की तारीख पर रीप्राइज़ । अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार संबंधित टाइम-बकेट में रखा जाना है।

<u>आस्ति:</u>	
1. रोकड़	गैर संवेदनशील।
2. पारगमन में विप्रेषण	गैर संवेदनशील।
3. भारत में बैंकों के पास बकाया	
ए) चालू खाते में।	गैर संवेदनशील।
बी) जमा खातों, कॉल और अल्प सूचना पर धन और अन्य प्लेसमेंट	संवेदनशील; परिपक्वता पर रीप्राइज। संबन्धित टाइम बकेट में अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार रखा जाएगा।
4. <u>निवेश</u>	
ए) स्थायी आय प्रतिभूतियों (जैसे सरकार, प्रतिभूतियों, जीरो कूपन बॉण्ड, बॉण्ड, डिबेंचर, संचयी, गैर संचयी, प्रतिदेय तरजीही शेयर, आदि)	परिपक्वता पर संवेदनशील। अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार रखा जाना है। हालांकि, ब्याज की गैर सर्विसिंग के कारण एनपीए मानदंडों को लागू कर मूल्यांकित बॉण्ड / डिबेंचर प्रावधान घटकर दिखाया जाना चाहिए। i. 3-5 वर्ष बकेट - अगर अवमानक मानदंड लागू । ii. 5 वर्ष से अधिक बकेट - अगर संदिग्ध मानदंड लागू ।
बी) फ्लोटिंग दर की प्रतिभूतिया	परिपक्वता पर संवेदनशील। अवशिष्ट बिलों के समयावधि के अनुसार रखा जाना है।
सी) इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय तरजीही शेयर, सहायक / संयुक्त उद्यम के शेयर, उद्यम पूंजी इकाइया	गैर संवेदनशील।
5. अग्रिम (निष्पादक)	
ए) विनिमय बिल, रियायती और पुनभुनाई वचनपत्र	परिपक्वता पर संवेदनशील। अंतर्निहित बिल के अवशिष्ट मुद्दत के अनुसार रखा जाना है।

बी) सावधि ऋण / कॉर्पोरेट ऋण / अल्पावधि ऋण (केवल रुपया ऋण)	
i) स्थायी दर	नकदी प्रवाह / परिपक्वता पर संवेदनशील।
ii) फ्लोटिंग दर	संवेदनशील केवल जब पीएलआर या जोखिम प्रीमियम गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बदल दी गई है। बाजार ब्याज दर के अनुरूपों अपने पीएलआर को बदलने के लिए एनबीएफ़सी द्वारा लिए गए समय सावधि ऋण की राशि को टाइम बकेट में रखा जाना चाहिए।
6. ग़ैर - निष्पादक ऋण: (प्रावधान, इंटरेस्ट सस्पेंस और ईसीजीसी से प्राप्त दावे)	
i.अवमानक ii. संदिग्ध और हानि	परिशिष्ट I के मद बी 7 के अनुसार रखा जाए
7. लीज़ पर संपत्ति	पट्टे की संपत्ति पर नकदी प्रवाह ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील हैं। किराए पर संपत्ति नकदी प्रवाह नकदी प्रवाह के समय के अनुसार टाइम-बकेट में रखा जा सकता है।
8. अचल संपत्ति (लीज पर परिसंपत्तियों को छोड़कर)	गैर संवेदनशील।
9. अन्य संपत्तियां	
ए) अमूर्त संपत्ति और नकदी प्रवाह का प्रतिनिधित्व नहीं करने वाली मदें	गैर संवेदनशील।
बी) अन्य मद (जैसे अर्जित आय, अन्य प्राप्तियां, स्टाफ ऋण, आदि)	गैर संवेदनशील।
10. रिवर्स रेपो / स्वैप (खरीद / बिक्री) और पुनर्भुनाई बिल (डीयूपीएन)	परिपक्वता पर संवेदनशील। अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार रखा जाना है।

11. अन्य (ब्याज दर) उत्पाद	
ए) ब्याज दर स्वैप	संवेदनशील; संबंधित टाइम बकेट में अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार रखा जा सकता है।
बी) अन्य डेरिवेटिव	जब भी प्रारम्भ हो उचित रूप से वर्गीकृत किया जाएँ ।

अनुबंध III

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) संबंधी दिशानिर्देश

1) प्रयोज्यता

इन दिशानिर्देशों के अनुलग्नक 'ए' में दिये गए दिशानिर्देशों के अतिरिक्त, ₹5000 करोड़ और उससे अधिक (सकल निवेश कंपनियों, टाइप -1 एनबीएफ़सी-एनडी[11], गैर परिचालित वित्तीय होल्डिंग कंपनियों और एकल प्राथमिक डीलरों को छोड़कर) आस्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण सभी एनबीएफसी और कोई भी आस्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार करने वाली सभी एनबीएफसी चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) की गणना करते समय निम्नलिखित दिशानिर्देशों का भी पालन करेंगे।

2) परिभाषाएं

ए) इन निदेश के लिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, शर्तों का अर्थ निम्नलिखित अनुसार होगा –

i. **"उच्च गुणवत्ता चल आस्तियां (एचक्युएलए)"** का तात्पर्य ऐसे चल आस्तियों से है, जिसे तत्काल बेचा जा सकता है अथवा जिसे बहुत कम अथवा मूल्य कम किये बिना नकदी में परिणत किया जा सकता है अथवा दबाव की स्थिति में निधि प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

ii. **चलनिधि कवरेज़ अनुपात (एलसीआर)** को निम्नलिखित अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता हैः

$$\frac{\text{उच्च गुणवत्ता चलआस्तियां (एचक्युएलए)का स्टॉक}}{\text{अगले 30 कैलेंडर दिवसों में कुल निवल नकदी बहिर्गमन}}$$

iii**. "भार-रहित"** का तात्पर्य है, आस्तियों के परिसमापन, विक्री, हस्तांतरण अथवा प्रदान करने के संबंध में एनबीएफसी की क्षमता पर किसी विधिक, विनियामकीय, अनुबंधकीय अथवा अन्य कोई प्रतिबंध नहीं हो।

B) प्रयुक्त उन सभी उक्तियों के अर्थ, जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है, वे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की परिभाषा के अनुरूप, अथवा उस अधिनियम में उक्त संबंधित परिभाषा में आए हुए वैधानिक संशोधन के अनुरूप, अथवा वाणिज्यिक बोलचाल के अनुरूप होंगे।

3) सामान्य दिशानिर्देश

ए) इन निदेशों के अनुरूप एनबीएफसी अपने पास पर्याप्त भाररहित उच्च गुणवत्ता आस्ति (एचक्युएलए) की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे जिससे 30 कैलेंडर दिवसों के लिए किसी भी विकट चलनिधि दबाव की स्थिति में चलनिधि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नकद में परिवर्तित किया जा सकता है।

---

[11] टाइप -1 एनबीएफ़सीएनडी- की परिभाषा 17 जून 2016 को जारी आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है।

बी) चलनिधि जोखिम की निगरानी और नियंत्रण के लिए एलसीआर को नीचे(सी) में दिये अनुसार सतत रूप से बनाए रखना होगा|

सी) (i) यह एलसीआर आवश्यकता ₹10,000 करोड़ और उससे अधिक आस्ति आकार वाली प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली सभी एनबीएफसी और किसी भी आस्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफ़सी पर 01 दिसंबर 2020 से बाध्यकारी होगी, शुरुआत में एलसीआर 50% होगा और नीचे दर्शाये समय-सीमा के अनुसार 01 दिसंबर 2024 तक 100% के अपेक्षित स्तर तक पहुंचेगा:

से	**01 दिसंबर 2020**	**01 दिसंबर 2021**	**01 दिसंबर 2022**	**01 दिसंबर 2023**	**01 दिसंबर 2024**
न्यूनतम एलसीआर	**50%**	**60%**	**70%**	**85%**	**100%**

)ii) 5,000 करोड़ रूपए तथा उससे अधिक किन्तु 10,000 करोड़ रुपए से कम आस्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार नहीं करने सभी एनबीएफसी भी 01 दिसंबर 2020 से निम्नलिखित समय-सीमा के अनुसार चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) बनाए रखेगी:

से	**01 दिसंबर 2020**	**01 दिसंबर 2021**	**01 दिसंबर 2022**	**01 दिसंबर 2023**	**01 दिसंबर 2024**
न्यूनतम एलसीआर	**30%**	**50%**	**60%**	**85%**	**100%**

डी) यह एलसीआर 1 दिसंबर 2024 अर्थात फेज-इन अवधि के अंत तक न्यूनतम 100% (अर्थात एचक्युएलए का स्टॉक कम से कम कुल नकद बहिर्गमन के समान होगा) बना रहेगा।

बशर्ते वित्तीय दबाव की अवधि के दौरान एनबीएफसी को अपने एचक्युएलए के स्टॉक का उपयोग करने की अनुमति है, जिससे उस दौरान उनका एलसीआर 100% से कम होगा।

बशर्ते इसके पश्चात एनबीएफसी वित्तीय दबाव की अवधि के दौरान एचक्युएलए के स्टॉक के इस प्रकार के उपयोग तथा इसके कारणों और इस स्थिति को ठीक करने के लिए किये जाने वाले सुधारात्मक कार्रवाई का ब्योरा, आरबीआई (विनियमन विभाग और पर्यवेक्षण विभाग) को रिपोर्ट करेगी।

ई) एलसीआर के लिए, दबाव वाली स्थिति के तौर पर, एक संयुक्त सनकपूर्ण और बाजार-व्याप्त आघात शामिल किया गया है, जिसके परिणाम के रूप में:

i. जमाराशि का भाग की माँग होना (जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफ़सी के मामले में);
ii. गैर-जमानती थोक निधीयन क्षमता में आंशिक हानि;
iii. कुछ संपार्श्विक और प्रतिपक्षकारों के साथ जमानती अल्पकालीन निधीयन में आंशिक हानि;
iv. एनबीएफसी की सार्वजनिक क्रेडिट रेटिंग में गिरावट के कारण उत्पन्न अतिरिक्त संविदागत बहिर्प्रवाह, जैसे संपार्श्विक रक्कम बढ़ाने की अपेक्षा;

v. बाजार के उतार-चढ़ावों में वृद्धि, जो संपार्श्विक या व्युत्पन्नी स्थितियों के संभाव्य भावी एक्सपोजर की गुणवत्ता को प्रभावित करेंगे और इसलिए अधिक बड़े संपार्श्विक हेअरकट या अतिरिक्त संपार्श्विक की आवश्यकता तैयार होना या अन्य चलनिधि आवश्यकता उत्पन्न होना;

vi. एनबीएफसी द्वारा अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराई गई प्रतिबद्ध किंतु अप्रयुक्त ऋण और चलनिधि सुविधाओं का अनियत आहरण; तथा

vii. एनबीएफसी के लिए प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम कम करने की दृष्टि से ऋण की वापसी खरीद या गैर-संविदागत दायित्वों को निभाने की संभाव्य आवश्यकता।

4) **उच्च गुणवत्ता वाली चल आस्तियां**

ए) चल आस्तियों में उच्च गुणवत्ता वाली आस्तियां समाविष्ट हैं, जिन्हें विभिन्न प्रकार के दबाव परिदृश्यों में निधि प्राप्त करने के लिए आसानी से बेचा या संपार्श्विक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इन्हें भारमुक्त होना चाहिए। यदि आस्तियों को मूल्य की कम या बिल्कुल हानि के बिना आसानी से और तुरंत नकद में परिवर्तित किया जा सके, तो आस्तियों को उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियां माना जाता है। किसी आस्ति की तरलता अंतर्निहित दबाव परिदृश्य, मुद्रीकरण की जाने वाली राशि तथा सुविचारित समयावधिपर निर्भर करेगी। फिर भी, ऐसी कुछ आस्तियां हैं, जिनके द्वारा दबाव के समय में फायर-सेल के कारण भारी छूट के बिना भी निधि जुटाने की संभावना है।

बी) एचक्युएलए की मूलभूत विशेषताओं में कम ऋण या बाजार जोखिम; मूल्यांकन में आसानी और निश्चितता; जोखिमपूर्ण आस्तियों के साथ कम सहसंबंध तथा विकसित और मान्यता प्राप्त विनिमय बाजार में सूचीबद्ध होना अंतर्भूत है। एचक्युएलए की बाजार संबंधी विशेषताओं में सक्रिय और काफी बड़ा बाजार; प्रतिबद्ध बाजार निर्माताओं की उपस्थिति; कम बाजार संकेंद्रीकरण तथा गुणवत्ता की ओर उड़ान (प्रणालीगत संकट में इस प्रकार की आस्तियों की ओर रुझान) अंतर्भूत है।

सी) एचक्यूएलए की गणना में जिन्हें शामिल किया जाना है वे ऐसी आस्तियां हैं, जिन्हें एनबीएफसी दबाव अवधि के पहले दिन धारण किया हुआ है। एलसीआर की गणना के लिए ऐसी आस्तियों का मूल्य निर्धारण उनके वर्तमान बाजार मूल्य से अधिक राशि पर नहीं किया जाएगा। आस्तियों की प्रकृति के अनुसार, उन्हें निम्नानुसार भिन्न-भिन्न हेयरकट प्रदान किया गया है; जिनका उपयोग एलसीआर की गणना करने के लिए एचक्यूएलए की गणना के समय किया जाना है। आस्तियां और हेयरकट निम्नानुसार हैं:

(I) **बिना किसी हेयरकट के एचक्यूएलए के रूप में शामिल की जाने वाली आस्तियां:**

i. नकदी[12]

ii. सरकारी प्रतिभूतियां

iii. विदेशी सरकारों द्वारा जारी या प्रत्याभूत बाजारयोग्य प्रतिभूतियां, जो निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करती हैं:

[12] नकदी से तात्पर्य है हाथ में नकदी तथा शैडयूल्ड वाणिज्यिक बैंक में उपलब्ध मांग जमा।

(ए) ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत अप्रोच के तहत बैंकों द्वारा प्रदत जोखिम भार 0% वाली;

(बी) कम संकेंद्रीकरण वाले बड़े, गहरे और सक्रिय रेपो अथवा नकद बाजारों में सौदा किया गया हो; तथा दबावपूर्ण बाजार परिस्थितियों के दौरान भी बाजार (रिपो अथवा बिक्रय) में चलनिधि के भरोसेमंद स्रोत के रूप में रिकॉर्ड सिद्ध हुआ हो।

(सी) किसी बैंक/वित्तीय संस्था/गैर-बैकिंग वित्तीय संस्था अथवा उसकी संबद्ध हस्तियों द्वारा जारी न किया गया हो।

(II) 15% न्यूनतम हेअरकट के साथ एचक्यूएलए के लिए योग्य आस्तियां:

i. सरकारों, सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं (पीएसई) या मल्टीलैटरल विकास बैंकों द्वारा गारंटीकृत दावे वाली बाजार योग्य प्रतिभूतियां, जिन पर मानकीकृत विधि के अंतर्गत ऋण जोखिम पर 20% जोखिम भार लगाया गया हो और इस शर्त पर कि उन्हें किसी बैंक/वित्तीय संस्था/एनबीएफसी अथवा इनकी किसी संबद्ध हस्तियों द्वारा जारी न किया गया हो।

ii. किसी बैंक/वित्तीय संस्था/एनबीएफसी अथवा इनकी किसी संबद्ध हस्तियों द्वारा जारी न किए गए कॉर्पोरेट बॉन्डस, जिन्हें पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा AA- या उससे ऊपर की रेटिंग दी गई है।

iii. किसी बैंक/वित्तीय संस्था/पीडी अथवा इनकी किसी संबद्ध हस्तियों द्वारा जारी न किए गए कमर्शियल पेपर, जिन्हें पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा लघु-अवधि के लिए AA- या उससे ऊपर की रेटिंग दी गई है।

(III) 50% न्यूनतम हेअरकट के साथ एचक्यूएलए के लिए योग्य आस्तियां:

i. सरकारों पर या सरकारों द्वारा गारंटीकृत दावे वाली बाजारयोग्य प्रतिभूतियां, जिनका जोखिम भार 20% से अधिक किन्तु 50% से कम लगाया गया हो अर्थात जिन्हें भारत में बैंकों के लिए निर्धारित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा BBB- से कम की रेटिंग नहीं दी गई हो।

ii. सामान्य इक्विटी शेअर जो निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करते हों:

(ए) किसी बैंक/वित्तीय संस्था/गैर-बैकिंग वित्तीय संस्था अथवा उसकी संबद्ध हस्तियों द्वारा जारी न किया गया हो;

(बी) एनएसई सीएनएक्स निफ्टी सूचकांक और/अथवा एस&पी बीएसई सूचकांक इंडेक्स में शामिल किया गया हो।

iii. कारपोरेट कर्ज़ प्रतिभूतियां (वाणिज्यिक लिखत सहित) और एचक्यूएलए के लिए सामान्य मूलभूत और बाजार से जुड़ी सामान्य विषेशताओं से युक्त तथा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हो:

क. किसी बैंक, वित्तीय संस्था/, पीडी, गैर-बैकिंग वित्तीय संस्था अथवा उसकी संबद्ध हस्तियों द्वारा जारी न किया गया हो;

ख. किसी पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा दीर्घावधि के लिए A+ से BBB- के बीच और दीर्घावधि रेटिंग न होने की स्थिति में दीर्घावधि रेटिंग के समतुल्य लघु अवधि की रेटिंग हो;

ग. कम संकेंद्रीकरण वाले बड़े, गहरे और सक्रिय रेपो अथवा नकद बाजारों में सौदा किया गया हो; तथा

घ. दबावपूर्ण बाजार परिस्थितियों में बाजारमूल्य में अधिकतम गिरावट 20% से कम हो या विकट चलनिधि दबाव के दौरान 30 दिनों की अवधि में हेअरकट में 20 प्रतिशत पोईंट से कम वृद्धि हो, जिससे बाजार (रिपो अथवा बिक्रय) में चलनिधि के भरोसेमंद स्रोत के रूप में रिकॉर्ड सिद्ध हुआ हो।

डी) जमाराशि स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए एलसीआर की गणना के उद्देश्य से आरबीआई अधिनियम की धारा 45 आईबी के प्रावधानों के तहत रखी हुई भाररहित स्वीकृत प्रतिभूतियां अपेक्षित होल्डिंग के केवल 80% तक एचक्यूएलए प्रयोजनों के लिए गणना हेतु मानी जाएंगी।

ई) एनबीएफसी द्वारा चलनिधि आस्तियों के स्टॉक की सभी आस्तियों का प्रबंध उस समूह के एक भाग के रूप में किया जाना चाहिए तथा यह निम्नलिखित परिचालनगत अपेक्षाओं के अधीन होगा:

(i) नकद में परिवर्तन के लिए हर समय उपलब्ध होना चाहिए,
(ii) भारमुक्त होना चाहिए,
(iii) ट्रेडिंग पोजीशन में साथ नहीं मिलाये जाएँ /हेजेज के रूप में प्रयोग नहीं किए जाएँ; संरचित लेनदेनों में संपार्श्विक या ऋण में वृद्धि के लिए निर्दिष्ट नहीं किए जाएँ; या परिचालनगत लागत की पूर्ति के लिए निर्दिष्ट नहीं किए जाएँ,
(iv) आकस्मिक निधियों के स्रोत के रूप में प्रयोग के एकमात्र उद्देश्य से प्रबंध किया जाना चाहिए, और
(v) बैंक की चलनिधि जोखिम प्रबंधन से प्रभारित किए हुए विनिर्दिष्ट कार्यों के नियंत्रणाधीन होना चाहिए, जैसे: अल्को।

एफ़) एनबीएफसी को आवधिक रूप से रेपो अथवा तुरंत बिक्री द्वारा आस्तियों के समानुपाती भाग का मुद्रीकरण करना चाहिए, ताकि इन आस्तियों की बिक्री योग्यता की समय समय पर जांच हो सके तथा दबाव की अवधि के दौरान नकारात्मक संकेतों के जोखिम को कम किया जा सके। एनबीएफसी से यह भी अपेक्षित है कि वे अपनी चलनिधि आवश्यकताओं के वितरण के अनुरूप अपनी चलनिधि आस्तियों का नकद द्वारा रखरखाव करें।

जी) यदि पात्र चलनिधि आस्तियां अपात्र (अर्थात ग्रेड में गिरावट के कारण) होने की स्थिति में एनबीएफसी को अतिरिक्त 30 दिनों के लिए चलनिधि आस्तियों के अपने स्टॉक में रखने की अनुमति दी जाएगी ताकि उन्हें स्टॉक को समायोजित करने/आस्तियों को प्रतिस्थापित करने के लिए पर्याप्त समय प्राप्त हो सके।

5) कुल निवल नकद बहिर्वाह

ए) कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह को अगले 30 कैलेंडर दिनों के लिए कुल अपेक्षित नकद बहिर्वाह में से कुल अपेक्षित नकद अंतर्वाह को घटाए जाने के रूप में परिभाषित किया गया है। एनबीएफसी के तुलन पत्र की विशिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, दबावपूर्ण नकदी प्रवाहों की गणना सकल नकदी अंतर्वाहों और नकदी बहिर्वाहों को पूर्वपरिभाषित दबाव प्रतिशतता प्रदान करके की जाती है। कुल अपेक्षित नकद बहिर्वाहों (दबावपूर्ण बहिर्वाह) की गणना विभिन्न श्रेणियों के बकाया शेषों अथवा देयताओं तथा तुलन पत्र से इतर प्रतिबद्धताओं को 115% (15% वह दर है जिस दर से उनमें उछाल

आना अपेक्षित है) से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। कुल अपेक्षित नकद अंतर्वाहों (दबावपूर्ण अंतर्वाह) की गणना संविदागत प्राप्य राशियों की विभिन्न श्रेणियों के बकाया शेषों को 75%(25% वह दर है जिस दर से गिरावट आना अपेक्षित है) से गुणा करके की जाती है। तथापि, कुल नकदी अंतर्वाह कुल अपेक्षित नकदी बहिर्वाहों के 75% की अधिकतम सकल सीमा के अधीन होगी। दूसरे शब्दों में, अगले 30 दिन में कुल निवल नकद बहिर्वाह = दबावपूर्ण बहिर्वाह – न्यूनतम (दबावपूर्ण अंतर्वाह; दबावपूर्ण बहिर्वाह का 75%)।

नकदी अंतर्वाहों के मद	**नकदी बहिर्वाहों के मद**
a. एचक्यूएलए द्वारा समर्थित परिपक्व हो रही सुरक्षित ऋण लेनदेन b. अन्य सभी संपार्श्विक द्वारा समर्थित सीमांत ऋण c. अन्य सभी आस्तियां d. क्रेडिट लाइन्स –क्रेडिट अथवा चलनिधि सुविधाएं अथवा एनबीएफसी द्वारा अपने प्रयोजनों के लिए अन्य संस्थानों में रखी जाने वाली अन्य आकस्मिक निधियन सुविधाएं। e. काउंटरपार्टी द्वारा अन्य अंतर्वाह f. निवल व्युत्पन्नी नकदी अंतर्वाह g. अन्य संविदागत नकदी अंतर्वाह (कृपया फुटनोट के रूप में विनिर्दिष्ट करें)	a. जमा b. असुरक्षित थोक निधियन c. सुरक्षित निधियन d. अतिरिक्त अपेक्षाएं [(i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)+(vii)+(viii)]: (i) निवल व्युत्पन्नी नकदी बहिर्वाह (ii) 3 नॉच डॉउनग्रेड अथवा इतने तक 'डॉउनग्रेड ट्रिगर' होने की स्थिति में वित्तपोषण लेनदेन, व्युत्पन्नी तथा अन्य समझौतों से संबंधित चलनिधि आवश्यकताएं (जैसे संपार्श्विक रक्कम की मांग/क्रय) (iii) लूक बॅक अप्रोच पर आधारित व्युत्पन्नी लेनदेन (पिछले 24 महीनों के दौरान वसूल किये गए सबसे बड़े निरपेक्ष निवल 30 दिनों के संपार्श्विक प्रवाह) के बाजार-मूल्यों में परिवर्तन (iv) संपार्श्विक सुरक्षक व्युत्पन्नियों के मूल्यों में परिवर्तन की संभावना से चलनिधि की बढ़ी हुई आवश्यकताएं (v) प्रतिपक्षकार द्वारा संविदागत तरीके से किसी भी समय मांग किये जाने वाले, अलग नहीं किये गए अतिरिक्त संपार्श्विक से संबंधित चलनिधि की बढ़ी हुई आवश्यकताएं। (vi) प्रतिपक्षकार द्वारा अभी तक मांग नहीं किये गए संपार्श्विक अपेक्षित लेनदेन से संबंधित चलनिधि की बढ़ी हुई आवश्यकताएं। (vii) संपार्श्वक को गैर-एचक्यूएलए आस्तियों से प्रतिस्थापित करने की अनुमति देने वाले व्युत्पन्नी लेनदेन से संबंधित चलनिधि की बढ़ी हुई आवश्यकताएं। (viii) वर्तमान में अनाहरित वचनबद्ध क्रेडिट और चलनिधि सुविधाएं (e) अन्य आकस्मिक निधियन देयताएं (f) टेम्पलेट में अन्य किसी स्थान पर शामिल नहीं किये गए कोई अन्य संविदात्मक बहिर्वाह

निवल नकदी बहिर्प्रवाह की गणना

क्र. सं.	30 दिनों का निवल नकदी बहिर्प्रवाह	राशि
A	**कुल नकदी बहिर्वाह**	
B	**दबावपूर्ण नकदी बहिर्वाह (A*115%)**	
C	**कुल नकदी अंतर्वाह**	
D	**दबावपूर्ण नकदी अंतर्वाह (C*75%)**	
E	**अगले 30 दिनों में कुल निवल नकदी बहिर्वाह=दबावपूर्ण बहिर्वाह (बी)- न्यूनतम (दबावपूर्ण अंतर्वाह (डी); दबावपूर्ण बहिर्वाह के 75% (बी)**	

बी) एनबीएफसी को मदों के एक बार से अधिक गिनती की अनुमति नहीं होगी, अर्थात, यदि कोई संपत्ति "एचक्यूएलए के स्टॉक" (यथा अंश) के भाग के रूप में शामिल है, तो उससे संबंधित नकदी अंतर्वाह को भी नकदी अंतर्वाह (यथा भाजक का अंश) के रूप में नहीं गिना जा सकता। जहां किसी मद के एक से अधिक बहिर्वाह श्रेणियों में गिने जाने की संभावना है (जैसे 30 दिन की अवधि के अंदर परिपक्व हो रही ऋण को कवर करने के लिए दी गई प्रतिबद्ध नकदी सुविधाएं), वहाँ एनबीएफसी को उस उत्पाद के लिए केवल अधिकतम संविदात्मक बहिर्वाह को ही विचार में लेना होगा।

6) एलसीआर प्रकटीकरण मानक

ए) एनबीएफसी के लिए आवश्यक है कि वह प्रत्येक तिमाही में एलसीआर संबंधी सूचना प्रस्तुत करे। इसके साथ ही एनबीएफ़सी 31 मार्च 2021 से आरंभ करते हुए अपने वार्षिक वित्तीय कथन के वित्तीय विवरणों के नोट्स के तहत संबंधित वित्तीय वर्ष के सभी चारों तिमाहियों में अपने एल.सी.आर की सूचना का खुलासा करें। प्रकटीकरण प्रारूप अनुलग्नक I में दिया गया है।

बी) डेटा को पिछली तिमाही के मासिक अवलोकन के सरल औसत के रूप में प्रस्तुत करना होगा (यानी, औसत की गणना 90 दिनों की अवधि में की जाती है)। हालांकि, 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से, साधारण औसत की गणना दैनिक अवलोकन पर की जानी चाहिए।

सी) अनुलग्नक I में दिए गए प्रारूप में आवश्यक प्रकटीकरण के अलावा, एनबीएफसी एलसीआर के आसपास पर्याप्त गुणात्मक चर्चा (अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों में खातों के लिए नोट्स के तहत) उपलब्ध करानी चाहिए ताकि प्रदान किए गए परिणामों और आंकड़ों को समझने में सुविधा हो। उदाहरण के लिए, जहाँ एलसीआर के लिए महत्वपूर्ण है, एनबीएफसी चर्चा कर सकता है: (ए) उनके एलसीआर परिणामों के मुख्य कारण और समय के साथ एलसीआर की गणना में इनपुट के योगदान का विकास; (बी) समय के साथ परिवर्तन और साथ-साथ अंतर-अवधि में परिवर्तन; (सी) एचक्यूएलए की संरचना; (डी) वित्त पोषण के केन्द्रीकरण की स्थिति (ई) व्युत्पन्न जोखिम और संभावित संपार्श्विक मांग; (फ) एलसीआर में मुद्रा असंतुलन; (जी) एलसीआर गणना में अन्तर्वाह और बहिर्प्रवाह जो एलसीआर सामान्य टेम्पलेट में कैप्चर नहीं किए जाते हैं, लेकिन जिसे संस्थान अपनी चलनिधि प्रोफ़ाइल के लिए प्रासंगिक मानता है।

			अनुलग्नक 1
एल.सी.आर प्रकटीकरण टेम्पलेट नमूना			
(राशि ₹ करोड़ में)		**कुल अ-भारित मूल्य[13] (औसत)**	**कुल भारित मूल्य[14] (औसत)**
उच्च गुणवत्ता चल आस्तियां			
1	कुल उच्च गुणवत्ता चल आस्तियां (HQLA)		
नकद बहिर्प्रवाह			
2	जमा (जमा लेने वाली कंपनियों के लिए)		
3	असुरक्षित थोक वित्त पोषण		
4	सुरक्षित थोक वित्त पोषण		
5	अतिरिक्त आवश्यकता, जिसमें		
(i)	व्युत्पन्न जोखिम और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह		
(ii)	ऋण उत्पादों पर वित्तपोषण की हानि से संबंधित बहिर्वाह		
(iii)	ऋण एवं चलनिधि सुविधाएं		
6	अन्य संविदात्मक वित्तपोषण दायित्व		
7	अन्य आकस्मिक वित्तपोषण दायित्व		
8	**कुल नकदी बहिर्प्रवाह**		
नकदी बहिर्प्रवाह			
9	सुरक्षित ऋण		
10	पूर्ण रूप से प्रदर्शन करने वाले ऋण जोखिम से अन्तर्वाह		
11	अन्य नकदी अन्तर्वाह		
12	**कुल नकदी अन्तर्वाह**		
			कुल समायोजित मूल्य
13	**कुल HQLA**	[redacted]	
14	**कुल शुद्ध नकदी बहिर्प्रवाह**		
15	**नकदी कवरेज अनुपात (%)**		

*** एचक्यूएलए के घटकों को प्रकट करना आवश्यक है।

[13] अ-भारित मानों की गणना के लिए 30 दिनों के भीतर बकाया या कॉल करने योग्य बकाया राशि विचार में लेनी होगी (अंतर्वाह और बहिर्प्रवाह के लिए)

[14] अंतर्वाह और बहिर्वाह पर दबाव कारकों तथा संबंधित हेअरकट (एचक्यूएलए के लिए) को लागू करने के बाद भारित मूल्यों की गणना की जानी चाहिए।

अनुबंध-IV

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की बैलेंस शीट की अनुसूची

(लाख रुपए में)

	ब्योरे			
	देयताएं पक्ष		**बकाया राशि**	**बकाया राशि**
1	**गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम जिनमें इन पर उपचित पर न चुकाया गया ब्याज शामिल हैः** (ए) डिबेंचर: जमानती गैर-जमानती (लोक जमाराशि की परिभाषा से बाहर *) (बी) आस्थगित ऋण (सी) मीयादी ऋण (डी) अंतर-कंपनी ऋण और उधार (ई) वाणिज्यिक पत्र (एफ) लोक जमाराशि * (जी) अन्य ऋण (उनका स्वरूप बताएं) * कृपया नीचे का नोट 1 देखें			
(2)	**उपर्युक्त (1)एफ (उपचयित ब्याज जिसकी चुकौती नहीं हुई हो, सहित बकाया लोक जमा) का अलग-अलग विवरण**			
	(ए)	असुरक्षित डिबेंचर के रूप में		
	(बी)	आंशिक रूप से सुरक्षित डिबेंचर अर्थात ऐसे डिबेंचर जिसमें प्रतिभूति के मूल्य में कमी आई हो, के रूप में		
	(सी)	अन्य लोक जमा		
		* कृपया नीचे का नोट 1 देखें		
	परिसंपत्तियां पक्ष		बकाया राशि	
(3)	**प्राप्य बिलों-सहित ऋणों और अग्रिमों का अलग-अलग विवरण [नीचे (4) में शामिल के अलावा]-** (ए) जमानती (बी) गैर-जमानती			
(4)	**एएफसी गतिविधियों के लिए गणना की जानेवाली पट्टेवाली परिसंपत्तियों तथा किराये पर स्टाक और अन्य परिसंपत्तियों का अलग-अलग विवरण** (i) विविध देनदारों के अंतर्गत पट्टा किराया समेत पट्टा परिसंपत्तियां			

	(ए) वित्तीय पट्टे (बी) परिचालन पट्टे (ii) विविध देनदारों के अंतर्गत किराया प्रभार समेत किराए पर स्टाक (ए) किराए पर परिसंपत्तियां (बी) पुनःधारित परिसंपत्तियां (iii) एएफसी गतिविधियों के लिए गणना किए जानेवाले अन्य ऋण (ए) ऐसे ऋण जिनमें परिसंपत्तियां पुनः धारित की गईं (बी) उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त ऋण	
(5)	**निवेशों का विस्तारपूर्वक ब्योरा** **<u>चालू निवेश</u>** 1. <u>उद्धृत (कोटेड)</u> (i) शेयर (ए) इक्विटी (बी) अधिमान (ii) डिबेंचर और बांड म्युचुअल फंडों के यूनिट सरकारी प्रतिभूतियां अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें।) 2. <u>अनुद्धृत (अनकोटेड)</u> (i) शेयर (ए) इक्विटी (बी) अधिमान (ii) डिबेंचर और बांड म्यूचुअल फंडों के यूनिट सरकारी प्रतिभूतियां (v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें।)	
	<u>दीर्घावधि निवेश</u> 1. <u>उद्धृत (कोटेड)</u> (i) शेयर (ए) इक्विटी (बी) अधिमान (ii) डिबेंचर और बांड (iii) म्यूचुअल फंडों के यूनिट (iv) सरकारी प्रतिभूतियां (v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें।) 2. <u>अनुद्धृत (अनकोटेड)</u> (i) शेयर (ए) इक्विटी (बी) अधिमान (ii) डिबेंचर और बांड (iii) म्यूचुअल फंडों के यूनिट (iv) सरकारी प्रतिभूतियां (v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें।)	

(6)	**उपर्युक्त (3) एवं (4) में वित्तपोषित परिसंपत्तियों का उधारकर्ता समूहवार वर्गीकरण** **कृपया नीचे का नोट 2 देखें**			
	श्रेणी	राशि - प्रावधानों को घटाकर		
		जमानती	गैर-जमानती	कुल
	1. संबंधित पक्ष **			
	(ए) सहायक कंपनियां			
	(बी) उसी समूह की कंपनियां			
	(सी) अन्य संबंधित पक्ष			
	2. संबंधित पक्ष के अलावा अन्य			
	कुल			

(7.)	**शेयरों और प्रतिभूतियों (उद्धृत और अनुद्धृत दोनों) में किए गए समस्त निवेशों (चालू और दीर्घावधि) का निवेशक समूहवार वर्गीकरण** कृपया नीचे का नोट 3 देखें		
	श्रेणी	बाजार मूल्य/अलग-अलग या उचित मूल्य या निवल परिसंपत्ति मूल्य	बही मूल्य (प्रावधान घटाकर)
	1. संबंधित पक्ष **		
	(ए) सहायक कंपनियां		
	(बी) उसी समूह की कंपनियां		
	(सी) अन्य संबंधित पक्ष		
	2. संबंधित पक्ष के अलावा अन्य		
	कुल		

** आइसीएआइ के लेखांकन मानक के अनुसार (कृपया नोट 3 देखें)

8. अन्य जानकारी

ब्योरा	राशि
(i) सकल अनर्जक परिसंपत्तियां	
(ए) संबंधित पक्ष	
(बी) संबंधित पक्ष के अलावा अन्य	
(ii) निवल अनर्जक परिसंपत्तियां	
(ए) संबंधित पक्ष	
(बी) संबंधित पक्ष के अलावा अन्य	
(iii) ऋण की पूर्ति हेतु अधिगृहीत परिसंपत्तियां	

नोट:

1.	इस दिशानिर्देश के अध्याय 2 के पैराग्राफ 3 के बिन्दु xxvii में यथापरिभाषित।
2.	इस दिशानिर्देश में यथा निर्धारित प्रावधान मानदंड लागू होंगे।
3.	निवेश तथा अन्य परिसंपत्तियों के साथ-साथ ऋण की पूर्ति हेतु अधिगृहीत अन्य परिसंपत्तियों के मूल्यांकन-सहित सभी पर आइसीएआइ द्वारा जारी सभी लेखांकन मानक और निर्देश नोट लागू होंगे। तथापि, उद्धृत निवेशों के संबंध में बाजार मूल्यों और अनुद्धृत निवेशों के अलग-अलग/उचित मूल्य/निवल परिसंपत्ति मूल्यों का खुलासा किया जाना चाहिए, भले ही उपर्युक्त (5) में इन्हें दीर्घावधि या चालू रूप में वर्गीकृत किया गया हो।

अनुबंध V

गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों का डाटा

ऋण देने वाली एनबीएफसी का नाम	
पैन	
रिपोर्टिंग की तारीख	

शेयर धारण सूचना

कंपनी का नाम	आईएसआईएन	ऋण के बदले रखे गए शेयरों की संख्या	उधारकर्ता का प्रकार (गैर प्रवर्तक/प्रवर्तक)	उधारकर्ता का नाम	उधारकर्ता का पैन

अनुबंध - VI

निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने से संबंधित दिशानिर्देश
परिभाषाएं

I. प्रवर्तक

प्रवर्तक से तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो अपने रिश्तेदारों (कंपनी अधीनियम 1956 की धारा 6 में यथापरिभाषित) सहित, वोटिंग इक्विटी शेयरों में अपने स्वामित्व के आधार पर एनओएफएचसी का प्रभावी नियंत्रण रखता है और इसमें, जहां भी लागू हो, वे सभी संस्थाएं शामिल हैं जो प्रवर्तक समूह का हिस्सा हैं।

II. प्रवर्तक समूह

'प्रवर्तक समूह' में शामिल हैं:

(i) प्रवर्तक
(ii) कंपनी अधीनियम 1956 की धारा 6 में यथापरिभाषित प्रवर्तक के रिश्तेदार; और
(iii) यदि प्रवर्तक कोई कारपोरेट निकाय हो तो;
(ए) ऐसे कारपोरेट निकाय की सहायक कंपनी या होल्डिंग कंपनी;
(बी) कोई भी कारपोरेट निकाय जिसमें प्रवर्तक इक्विटी शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत या उससे अधिक धारण करता है या जो प्रवर्तक की इक्विटी शेयर पूंजी का 10% या उससे अधिक धारण करता हो;
(सी) ऐसा कोई कारपोरेट निकाय जिसमें व्यक्तियों का समूह या कंपनियां या उन दोनों का मिश्रण उस कारपोरेट निकाय में 20 प्रतिशत या उससे अधिक इक्विटी शेयर पूंजी धारण करता हो तथा प्रवर्तक की इक्विटी शेयर पूंजी का भी 20 प्रतिशत या उससे अधिक धारण करता है;
(डी) प्रवर्तक के साथ संयुक्त उद्यम (एएस 23 के अनुसार यथापरिभाषित);
(ई) प्रवर्तक का सहयोगी (एएस 27 के अनुसार यथापरिभाषित);
(एफ) प्रवर्तक से संबंधित पक्ष (एएस 18 के अनुसार यथापरिभाषित); और

(iv) यदि प्रवर्तक कोई व्यक्ति हो तो:

(ए) कोई कारपोरेट निकाय जिसमें इक्विटी शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत या अधिक प्रवर्तक द्वारा या प्रवर्तक के किसी रिश्तेदार द्वारा या किसी फर्म द्वारा या हिन्दू अविभक्त परिवार द्वारा जिसमें प्रवर्तक या उसके निकट रिश्तेदारों में से एक या एक से अधिक सदस्य हों, धारण किया जाता है।

(बी) कोई कारपोरेट निकाय जिसमें उपर्युक्त (क) में निर्दिष्ट कारपोरेट निकाय इक्विटी शेयर पूंजी का दस प्रतिशत या उससे अधिक धारण करता है।
(सी) कोई हिन्दू अविभक्त परिवार या फर्म जिसमें प्रवर्तक और उसके निकट संबंधियों की समग्र शेयरधारिता कुल शेयरधारिता के दस प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक है; और

(v) सभी व्यक्ति जिनकी शेयरधारिता प्रोस्पेक्टस में 'प्रवर्तक समूह की शेयरधारिता' शीर्ष के अंतर्गत प्रकट करने के उद्देश्य से समेकित की जाती है।

(vi) जहां प्रवर्तक एक कारपोरेटर निकाय है वहां ए, बी, सी, डी, ई, एफ में और जहां प्रवर्तक कोई व्यक्ति है वहां ए, बी और सी में उल्लिखित हस्तयों के साथ समान ब्रांड नाम वाली संस्थाएं ;

बशर्ते किसी वित्तीय संस्था, अनुसूचित बैंक, विदेशी संस्थागत निवेशक या म्युचुअल फंड को केवल इस तथ्य के कारण प्रवर्तक समूह नहीं माना जाएगा कि इस प्रकार की संस्था द्वारा प्रवर्तक की इक्विटी शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत या उससे अधिक धारण किया गया है।

अनुबंध VII

एनबीएफसी द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना पर मानदंड

1. यह प्रूडेंशियल मानदंड सीडीआर पद्धति के तहत आनेवाली सभी पुनर्रचनाओं पर लागू होगी। सीडीआर पद्धति और एसएमई कर्ज पुनर्रचना के लिए संस्थागत/संगठनात्मक संरचना पद्धति, बैंकों पर लागू 1 जुलाई 2013 का डीबीओडी.नं.बीपी.बीसी.1/21.04.048/2013-14 के अनुबंध 4 के अनुसार लागू होंगी। यह अनुलग्नक -3 में दिया गया है।

2. प्रमुख अवधारणाएं

इन मानदंडों में प्रयोग की गई प्रमुख अवधारणाएं अनुलग्नक-2 में वर्णित है।

3. कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाएं

3.1 एनबीएफसी द्वारा वित्तपोषित सभी परियोनाओं के लिए, परियोजना की वित्तीय पूर्णता के समय परियोजना की 'समाप्ति की तारीख' तथा 'वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की तारीख (डीसीसीओ)' का स्पष्ट रूप से अलग उल्लेख होना चाहिए तथा इसे औपचारिक रूप से विलेखित किया जाना चाहिए। इसे ऋण मंजूर करते समय एनबीएफसी द्वारा मूल्यांकन नोट पर भी विलेखित किया जाना चाहिए।

3.2 परियोजना ऋण

विधिक और सरकारी अनुमोदन आदि में विलंब जैसे अन्य बाहरी कारणों से ऐसे कई मौके आते हैं जब परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब हो जाता है। इन सभी कारकों, जो प्रोमोटरों के नियंत्रण के बाहर होते हैं, के चलते परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब हो सकता है जिससे एनबीएससी को ऋण को पुनर्रचित एवं पुनर्व्यवस्थित करना पड़ सकता है। तदनुसार परियोजना ऋण के लिए वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने से पहले आस्ति वर्गीकरण संबंधी निम्नलिखित मानदंड लागू होंगे ।

इस प्रयोजन के लिए से सभी परियोजना ऋणों को निम्नलिखित दो श्रेणियों में बांटा गया है

ए . इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए परियोजना ऋण
बी . गैर-इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए परियोजना ऋण

इन निदेशों के संबंध में 'परियोजना ऋण' का तात्पर्य है ऐसा कोई मीयादी ऋण जो कोई आर्थिक उद्यम स्थापित करने के उद्देश्य से दिया गया है । इसके अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर की परिभाषा मौजूदा, एनबीएफसी के लिए प्रूडेंशियल मानदंड के अनुसार है।

3.3. इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए परियोजना ऋण

(i) किसी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के ऋण को वाणिज्यिक परिचालन के प्रारंभ होने से पहले वसूली के रिकार्ड के अनुसार किसी भी समय एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाएगा यदि निम्नलिखित पैरा (iii) से (v) के अनुसार उसे पुनर्रचित नहीं किया जाता और वह 'मानक आस्ति' के रूप में वर्गीकृत किए जाने का पात्र नहीं हो जाता।

(ii) किसी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के लिए दिए गए ऋण को एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाएगा यदि वह वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ (डीसीसीओ) करने की मूल तिथि से दो वर्ष के भीतर वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ नहीं कर पाता है भले ही वह वसूली के रिकार्ड के अनुसार नियमित हो। तथापि यदि इसे

पुनर्रचित किया गया हो और वह निम्नलिखित पैरा (iii) से (v) के अनुसार 'मानक आस्ति' के रूप में वर्गीकृत किए जाने का पात्र हो तो उसे एनपीए नहीं माना जाएगा।

(iii) यदि 'मानक आस्ति' के रूप में वर्गीकृत किसी ऋण को वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की मूल तिथि (डीसीसीओ) से दो वर्ष के भीतर पुनर्रचित किया जाता है तो उसे मानक आस्ति के रूप में बनाए रखा जा सकता है यदि वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की नयी तिथि निम्नलिखित सीमाओं के भीतर निर्धारित की जाती है और यदि पुनर्रचित शर्तों के अनुसार खाते में ब्याज का भुगतान किया जाता रहा हो।

(ए) न्यायिक मामलों वाली इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं

यदि उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि में बढ़ोतरी का कारण मध्यस्थता संबंधी कार्यवाही अथवा न्यायिक मामला हो तो 2 वर्ष तक पैरा 3.3(ii) में विनिर्दिष्ट समय सीमा में 2 वर्ष की मौजूदा वृद्धि के बाद अर्थात् कुल 4 वर्ष की समय वृद्धि)

(बी) प्रोमोटरों के नियंत्रण से बाहर के कारणों से इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में हुआ विलंब

न्यायिक मामलों से इतर मामलों में 1 वर्ष तक पैरा 3.3(ii) में विनिर्दिष्ट समय सीमा में 2 वर्ष की मौजूदा बढ़ोतरी के बाद 1 वर्ष अर्थात् कुल 3 वर्ष की समय वृद्धि)

(iv) यह बात दोहराई जाती है कि उपर्युक्त पैरा 3.3(iii) के अंतर्गत दी गयी छूट तभी लागू होगी जब खातों की पुनर्रचना से संबंधित उपबंधों का अनुपालन किया गया हो जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ है कि पुनर्रचना के लिए आवेदन वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की मूल तिथि से दो वर्ष की समय सीमा समाप्त होने से पहले प्राप्त किया गया हो और खाता वसूली के रिकॉर्ड के अनुसार अभी भी मानक बना हुआ हो। अन्य लागू होने वाली शर्तें निम्नलिखित होंगी:

(ए) जिन मामलों में ब्याज के भुगतान के लिए अधिस्थगन लगाया गया हो उनमें एनबीएफसी को, ऐसे पुनर्रचित खातों से जुड़े उच्च जोखिम पर विचार करते हुए, वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की मूल तिथि से दो वर्ष के बाद उपचित आधार पर आय दर्ज नहीं करनी चाहिए।

(बी) एनबीएफसी को ऐसे खातों के लिए उचित मूल्य में ह्रास के प्रावधान के अतिरिक्त जब तक उन्हें मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत रखा जाता है निम्नानुसार प्रावधान बनाए रखना चाहिए:

ब्योरा	प्रावधानीकरण आवश्यकताएं
यदि संशोधित डीसीसीओ वित्तीय पूर्णता के समय निर्धारित मूल डीसीसीओ से दो वर्षों के भीतर हो तो	• 0.25 प्रतिशत
यदि डीसीसीओ का दो वर्षों से अधिक तथा चार वर्षों तक अथवा तीन वर्षों तक जैसा भी मामला हो, मूल डीसीसीओ से विस्तार होता है, तो ऐसे विलम्ब के लिए कारणों के अनुसार	24 जनवरी 2014 से पुनर्रचित परियोजना ऋण: • 5.00 प्रतिशत – ऐसे पुनर्रचना की तारीख से संशोधित डीसीसीओ तक अथवा पुनर्रचना की तारीख के 2 वर्षों से, जो भी बाद में हो।

	23 जनवरी 2014 को पुनर्रचित के रूप में वर्गीकृत परियोजना ऋण स्टॉक: * 2.75 प्रतिशत –31 मार्च 2014 से प्रभावी * 3.50 प्रतिशत - 31 मार्च 2015 से प्रभावी (2014-15 की चार तिमाहियों में बांटा गया) * 4.25 प्रतिशत - 31 मार्च 2016 से प्रभावी (2015-16 की चार तिमाहियों में बांटा गया) * 5 प्रतिशत - 31 मार्च 2017 से प्रभावी (2016-17 की चार तिमाहियों में बांटा गया) * उक्त प्रावधान पुनर्रचना की तारीख से संशोधित डीसीसीओ तक अथवा पुनर्रचना की तारीख के 2 वर्षों तक, जो भी बाद में हो, लागू होंगे।

(v) यदि संशोधित डीसीसीओ, मूल डीसीसीओ के दो वर्षों की अवधि के अंदर होता है तो मात्र इस कारण से इन निदेशों के प्रयोजन के लिए डीसीसीओ के विस्तार को पुनर्रचना नहीं माना जाएगा। ऐसे मामलों में जहां डीसीसीओ के विस्तार समान अथवा अल्प कालावधि (संशोधित पुनर्भुगतान समय के प्रारंभ तारीख तथा समाप्ति तारीख को शामिल करते हुए) का अनुवर्ती शिफ्ट हो, उसे भी पुनर्रचना नहीं माना जाएगा, बशर्ते कि ऋण के सभी अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तनीय हों। चूँकि ऐसे परियोजना ऋणों को ऐसे परियोजना ऋण को सभी संदर्भों के लिए मानक आस्ति माना जाएगा, उन पर मानक आस्ति के लिए लागू 0.25 प्रतिशत का प्रावधान करना जरूरी होगा।

(v)(ए) डीसीसीओ में विभिन्न संशोधनों तथा एकसमान और अल्प अवधि के लिए भुगतान कार्यक्रम में अनुवर्ती परिवर्तन (जिसमें भुगतान कार्यक्रम की प्रारंभ तारीख और अंतिम तारीख में संशोधन शामिल हो) को पुनर्रचना का एकल घटना माना जाएगा बशर्ते कि उक्त बिन्दुओं के अनुरूप संबंधित समय सीमा के अंदर संशोधित डीसीसीओ निर्धारित किया गया हो तथा ऋण के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तनीय हो। यदि उचित हो, एनबीएफसी डीसीसीओ को उक्त (iii)(ए)से(बी) तक में विनिर्दिष्ट संबंधित समय सीमा से अधिक विस्तारित कर सकती है; तथापि उस स्थिति में एनबीएफसी ऐसे ऋण के आस्ति वर्गीकरण में इसे 'मानक' के रूप में नहीं बनाये रख पायेंगी।

(v)(बी) ऐसे मामलों में जहां एनबीएफसी ने प्रारंभिक वित्तीय व्यवस्था में निधि लागत के बढ़ने की स्थिति में विशेष रूप से "एवजी सुविधा" मंजूर की हो, उस स्थिति में सहमत नियम और शर्तों के अधीन ऐसी निधि लागत बढाई जा सकती है।

ऐसे मामले में जहां प्रारंभिक वित्तीय व्यवस्था में ऐसी बढ़ी हुई वित्तीय लागत के लिए व्यवस्था नहीं है, वहां एनबीएफसी को निधि लागत बढाने की अनुमति है जिसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन 'पुनर्रचना ऋण' के रूप में ऋण माने बिना उक्त (iii)(ए)से(बी) में उल्लिखित समय सीमा के अंतर्गत डीसीसीओ विस्तार के तहत बढाया गया हो:

i) परियोजना की पूर्णता में विलम्ब के कारण उत्पन्न स्थिति में एनबीएफसी अतिरिक्त निर्माण के दौरान ब्याज के लिए अतिरिक्त ऋण दे सकती है।

ii) अन्य बढ़ी हुई निधि लागत (निर्माण के दौरान ब्याज को छोड़कर) को मूल परियोजना लागत का अधिकतम 10% तक बढाया जा सकता है। अन्य सभी बढ़ी हुई निधि लागतों के मामले में यह सीमा लागू होगी (निर्माण के दौरान ब्याज को छोड़कर) जिसमें अन्य करेंसी की तुलना में भारतीय रूपए के मूल्य में हुए उतार-चढ़ाव के कारण लागत निधि में वृद्धि शामिल है, जो स्थिति वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने के की तारीख बढ़ाने के कारण उत्पन्न हुई हो।

iii) प्रारंभिक वित्तीय व्यवस्था के समय सहमत ऋण इक्विटी अनुपात निधि लागत बढोत्तरी के बाद भी अपरिवर्तित रहेगी अथवा ऋणदाता के पक्ष में सुधारात्मक होगी तथा संशोधित ऋण सर्विस कवरेज़ अनुपात ऋणदाता को स्वीकार्य होनी चाहिए।

iv) निधि लागत वृद्धि का संवितरण केवल प्रायोजक/प्रवर्तक द्वारा निधि लागत वृद्धि के लिए उनके शेयर लागत बढ़ाये जाने के बाद ही किया जाएगा तथा;

v) ऋण के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तनीय रहेंगे अथवा ऋण दाता के पक्ष में सुधारात्मक होंगे।

(v) (सी)(ए) मुख्य रूप मौजूदा प्रमोटरों की अपर्याप्तता के कारण ठप परियोजनाओं के पुनरुद्धार करने के लिए यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पैराग्राफ 3(3.3)(iii) और 3(3.3)(v) में उद्धृत अवधि के दौरान या मूल डीसीसीओ से पहले स्वामित्व में परिवर्तन होता है तो एनबीएफसी खाते की परिसंपत्ति वर्गीकरण में किसी भी बदलाव के बिना निम्नलिखित पैराग्राफ में निर्धारित शर्तों के अधीन उपरोक्त पैराग्राफ 3(3.3)(iii) और 3(3.3)(v) में, जैसा भी मामला हो, उद्धृत अवधि के अलावा दो साल तक इन परियोजनाओं के डीसीसीओ के विस्तार की अनुमति दे सकता है। यदि आवश्यक हो, तो एनबीएफसी तदनुसार चुकौती अनुसूची को भी एक बराबर या कम अवधि से विस्थापित कर/ बढ़ा सकता है।

(बी) यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में जहां स्वामित्व में परिवर्तन और डीसीसीओ का विस्तार (ऊपर पैरा 3(3.3)(v)(c)(a) में दिए रूप में) मूल डीसीसीओ से पहले होता है, और परियोजना विस्तारित डीसीसीओ मे वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने में विफल रहता है, तो परियोजना उक्त पैराग्राफ 3(3.3)(iii) और 3(3.3)(v) में उद्धृत दिशा निर्देशों के संदर्भ में डीसीसीओ के विस्तार के लिए पात्र हो जाएगा। इसी प्रकार, ऐसे मामलों में जहां स्वामित्व में परिवर्तन और डीसीसीओ का विस्तार उपरोक्त पैरा 3(3.3)(v) में उद्धृत अवधि के दौरान होता है, तो खाता को अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किए बिना डीसीसीओ के विस्तार से ऊपर पैरा 3(3.3)(iii) में उद्धृत दिशा निर्देशों के संदर्भ में पुनर्रचना किया जा सकता है।

(सी) उपर्युक्त उप पैराग्राफ (ए) और (बी) के प्रावधान निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं:

i) एनबीएफसी को यह स्थापित करना होगा कि मौजूदा प्रमोटरों/ प्रबंधन की अपर्याप्तता के कारण परियोजना का कार्यान्वयन ठप हुआ है/मुख्य रूप से प्रभावित हुआ है और स्वामित्व के परिवर्तन से विस्तारित अवधि के भीतर परियोजना का वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने की बहुत अधिक संभावना है;

ii) विचाराधीन परियोजना परिचालन के क्षेत्र में पर्याप्त विशेषज्ञता वाले एक नए प्रवर्तक / प्रवर्तक समूह द्वारा अधिग्रहित की जानी चाहिए। यदि अधिग्रहण एक विशेष प्रयोजन माध्यम (घरेलू या विदेशी) द्वारा किया जा रहा है तो एनबीएफसी स्पष्ट रूप से प्रदर्शन करने के लिए सक्षम होना चाहिए कि अधिग्रहणकर्ता संस्था, संचालन के क्षेत्र में पर्याप्त विशेषज्ञता वाले नए प्रमोटर समूह का हिस्सा है;

iii) नए प्रमोटरों की अधिग्रहण परियोजना में हिस्सेदारी चुकता इक्विटी पूंजी की कम से कम 51 प्रतिशत होनी चाहिए। यदि नया प्रमोटर एक अनिवासी है और ऐसे क्षेत्र में है जहां विदेशी निवेश की ऊपरी सीमा 51 प्रतिशत से कम है तो नए प्रमोटर को लागू विदेशी निवेश की सीमा तक या कम से कम 26 प्रतिशत चुकता इक्विटी पूंजी, जो भी अधिक हो, को धारण करना चाहिए बशर्ते कि एनबीएफसी संतुष्ट हो कि इस इक्विटी हिस्सेदारी के साथ, नए अनिवासी प्रमोटर परियोजना के प्रबंधन पर नियंत्रण रखते है;

iv) एनबीएफसी की संतुष्टि पर परियोजना की व्यवहार्यता स्थापित किया जाना चाहिए;

v) अंतर-समूह कारोबार पुनर्रचना / विलय / अधिग्रहण और / या अन्य संस्थाओं / सहायक कंपनियों/ एसोसिएट्स आदि (विदेशी के साथ-साथ घरेलू) द्वारा परियोजना का अधिग्रहण जो कि मौजूदा प्रवर्तक / प्रवर्तक समूह से संबंधित है इस सुविधा का पात्र नहीं होगा। एनबीएफसी को स्पष्ट रूप से यह स्थापित करना होगा कि अधिग्रहणकर्ता मौजूदा प्रमोटर समूह से संबंधित नहीं है;

vi) 'संदर्भित तिथि'को खाते का आस्ति वर्गीकरण वर्धित अवधि के दौरान बना रहेगा। इस उद्देश्य के लिए, 'संदर्भित तिथि'लेनदेन से जुड़े पक्षों के बीच प्राथमिक प्रतिबद्धता करार के निष्पादन की तिथि होगी, बशर्ते कि स्वामित्व के इस प्रकार के अर्जन/अधिग्रहण को निर्देशित करने वाली विधि/विनियम के अनुसार प्राथमिक प्रतिबद्धता करार के निष्पादन की तिथि से 90 दिनों के भीतर अर्जन/अधिग्रहण सम्पन्न किया गया हो। इसके बीच की अवधि के दौरान सामान्य वर्गीकरण मानदंड लागू होंगे। यदि स्वामित्व में परिवर्तन प्रारंभिक प्रतिबद्धता करार से 90 दिनों के भीतर नहीं होता है तो 'संदर्भित तिथि'इस प्रकार के अर्जन/अधिग्रहण को निर्देशित करने वाली विधि/विनियम के अनुसार अर्जन/अधिग्रहण की प्रभावी तिथि होगी।

vii) नए स्वामियों/प्रायोजकों से यह अपेक्षित है कि वे वर्धित समयावधि में परियोजना को पूरा करने के लिए वांक्षित धन के एक बड़े हिस्से को प्राप्त करने के अपने दायित्वों का निर्वहन करें। इस प्रकार, परियोजना के लिए लागत वृद्धि का वित्तपोषण इन निदेशों में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अधीन रहेगा। 16 जनवरी, 2015 के परिपत्र में निर्धारित सीमा से अधिक लागत के वित्तपोषण को पुनर्संरचना के रूप में माना जाएगा, भले ही डीसीसीओ का विस्तार ऊपर निर्धारित सीमाओं के भीतर हो;;

viii) ऊपर उल्लिखित परिकल्पित लाभों के लिए डीसीसीओ के विस्तार (2 अतिरिक्त वर्ष की अवधि तक) पर विचार करते समय एनबीएफ़सी यह सुनिश्चित करगी कि पुनर्भुगतान का पुनर्निर्धारित अवधि काल परियोजना की आर्थिक आयु/रियायत अवधि के 85% से अधिक न हो और

ix) यह सुविधा किसी परियोजना को केवल एक बार उपलब्ध होगी और स्वामित्व में तदन्तर परिवर्तन के दौरान, यदि कोई हो, नहीं होगी।.

(d) दिशानिर्देश के अंतर्गत शामिल ऋणों के लिए उनकी आस्ति वर्गीकरण स्थिति के अनुरूप मौजूदा प्रावधानीकरण मानदंडों के अनुसार प्रावधानीकरण करना होगा।.

(vi) कार्यान्वयन के अधीन इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के मामलों में, जहां वांछित शर्तों को रियायत अधिकारों द्वारा पूरा न कर सकने के कारण नियत तारीख (रियायत करार में यथा परिभाषित) को शिफ्ट

किया गया, वहां ऐसी स्थिति में वाणिज्यिक परिचालन को प्रारंभ करने की तारीख (डीसीसीओ) को निम्नलिखित शर्तों के अधीन "पुनर्रचना" के रूप में नहीं माना जाएगा:

(ए) परियोजना सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा सरकारी निजी सहभागिता के अधीन इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना हो;

(बी) ऋण का संवितरण किया जाना शेष हो;

(सी) उधारकर्ता तथा उधारदाता के बीच वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की संशोधित तारीख को अनुपूरक करार द्वारा प्रलेखित किया गया हो, तथा;

(डी) परियोजना व्यवहार्यता का पुन: मूल्यांकन किया गया हो तथा अनुपूरक करार के समय सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी प्राप्त की गई हो।

3.4. गैर-इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए परियोजना ऋण (वाणिज्यिक स्थावर संपदा एक्सपोजर को छोड़कर)

(i) गैर-इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के ऋण को वाणिज्यिक परिचालन के प्रारंभ के पहले वसूली के रिकार्ड के अनुसार किसी भी समय एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाएगा यदि निम्नलिखित पैरा (iii) से (iv) के अनुसार उसे पुनर्रचित नहीं किया जाता और वह 'मानक आस्ति' के रूप में वर्गीकृत किए जाने का पात्र नहीं हो जाता।

(ii) गैर-इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के ऋण को एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाएगा यदि वह वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की मूल तिथि से एक वर्ष के भीतर वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ नहीं कर पाता है भले ही वह वसूली के रिकार्ड के अनुसार नियमित हो जब तक कि उसे निम्नलिखित पैरा (iii) से (iv) के अनुसार पुनर्रचित नहीं किया जाता और वह 'आस्ति मानक' के रूप में वर्गीकृत किए जाने का पात्र नहीं हो जाता।

(iii) गैर-इंफ्रास्ट्रक्चर परियोयजनाओं के मामले में यदि वाणिज्यिक परिचालनों को प्रारंभ करने में विलंब वित्तीय क्लोजर के समय तयशुदा परियोजना समाप्त करने की तिथि से एक वर्ष से अधिक होता है तो एनबीएफसी वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की नयी तिथि तय कर सकते हैं और खातों की पुनर्रचना करके 'मानक' वर्गीकरण बनाए रख सकते हैं बशर्ते वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की नयी तिथि वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की मूल तिथि से दो वर्षों की अवधि से अधिक न हो। अन्य बातों के साथ इसका यह तात्पर्य होगा कि पुनर्रचित करने का आवेदन वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की मूल तिथि से एक वर्ष का समय पूरा होने से पहले तथा जब वसूली के रिकॉर्ड के अनुसार खाता 'मानक' हो तब प्राप्त हुआ है। लागू होने वाली अन्य शर्तें निम्नलिखित होंगी:

(ए) जिन मामलों में ब्याज के भुगतान के लिए अधिस्थगन लगाया गया हो उनमें एनबीएफसी को ऐसे पुनर्रचित खातों से जुड़े उच्च जोखिम पर विचार करते हुए वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की मूल तिथि से एक वर्ष से अधिक समय के बाद उपचित आधार पर आय दर्ज नहीं करनी चाहिए।

(बी) एनबीएफसी को ऐसे खातों के लिए उचित मूल्य में ह्रास के प्रावधान के अतिरिक्त जब तक उन्हें मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत रखा जाता है, निम्नानुसार प्रावधान बनाए रखना चाहिए:

ब्योरा	प्रावधानीकरण आवश्यकताएं
यदि संशोधित डीसीसीओ वित्तीय पूर्णता के समय निर्धारित मूल डीसीसीओ से एक वर्षों के भीतर हो तो	• 0.25 प्रतिशत
यदि डीसीसीओ को एक वर्ष से अधिक तथा वित्तीय पूर्णता के समय निर्धारित मूल डीसीसीओ से दो वर्षों तक बढ़ाया जाना है	24 जनवरी 2014 से प्रभावी परियोजना ऋण पुनर्रचना: • 5.00 प्रतिशत – पुनर्रचना की तारीख से दो वर्षों के लिए 23 जनवरी 2014 को परियोजना ऋण के स्टॉक को पुनर्रचना के रूप में वर्गीकरण: * 2.75 प्रतिशत –31 मार्च 2014 से प्रभावी * 3.50 प्रतिशत –31 मार्च 2015 से प्रभावी (2014-15 के चार तिमाहियों में बांटा गया) * 4.25 प्रतिशत - 31 मार्च 2016 से प्रभावी (2015-16 के चार तिमाहियों में बांटा गया) * 5 प्रतिशत - 31 मार्च 2017 से प्रभावी (2016-17 के चार तिमाहियों में बांटा गया) * उक्त प्रावधान पुनर्रचना की तारीख से 2 वर्षों के लिए लागू होगा। .

(iii) यदि संशोधित डीसीसीओ मूल डीसीसीओ से एक वर्ष की अवधि के अंदर होता है तो इन निदेशों के प्रयोजन के लिए डीसीसीओ के विस्तार को पुनर्रचना नहीं माना जाएगा। ऐसे मामलों में जहां डीसीसीओ विस्तार अवधि की तुलना में (समान अथवा कम अवधि का हो, संशोधित पुनर्भुगतान के प्रारंभ तारीख तथा समाप्ति तारीख को शामिल करते हुए) पुनर्भुगतान अवधि में अनुवर्ती शिफ्ट, उसे भी पुनर्रचना नहीं माना जाएगा, बशर्ते कि ऋण के सभी अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तनीय हो। चूंकि, ऐसे परियोजना ऋण को सभी संदर्भों के लिए मानक आस्ति माना जाएगा, उनके लिए मानक आस्ति के 0.25 प्रतिशत का प्रावधान आवश्यक होगा।

(iv)(ए) डीसीसीओ में एकाधिक संशोधनों तथा एकसमान या कम अवधि के पुन: भुगतान कार्यक्रम में अनुवर्ती परिवर्तन (जिसमें भुगतान कार्यक्रम की प्रारंभ तारीख और अंतिम तारीख में संशोधन शामिल हो) को पुनर्रचना का एकल घटना माना जाएगा बशर्ते कि उक्त बिन्दुओं के अनुरूप संबंधित समय सीमा के अंदर संशोधित डीसीसीओ निर्धारित किया गया हो तथा ऋण के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तनीय हों। यदि उचित हो तो, एनबीएफसी डीसीसीओ को उक्त (iii)(ए)से(बी) तक में विनिर्दिष्ट संबंधित समय सीमा से अधिक विस्तारित कर सकती है; तथापि उस स्थिति में एनबीएफसी ऐसे ऋण के आस्ति वर्गीकरण में इसे 'मानक' के रूप में नहीं बनाये रख पायेंगी।

(iv)(बी) ऐसे मामलों में जहां एनबीएफसी ने प्रारंभिक वित्तीय व्यवस्था में निधि लागत के बढ़ने के मामले में विशेष रूप से "एवजी सुविधा" मंजूर की हो, उस स्थिति में सहमत नियम और शर्तों के अधीन बढ़ी हुई निधि लागत के लिए निधि उपलब्ध की जा सकती है।

ऐसे मामलों में जहां प्रारंभिक वित्तीय व्यवस्था में ऐसे निधि लागत में वृद्धि को कल्पित नहीं किया गया हो, ऐसी स्थिति में एनबीएफसी को निधि लागत वृद्धि के लिए निधि उपलब्ध कराने की अनुमति है। उक्त (iii)(ए)से(बी) में उल्लिखित समय सीमा के अंतर्गत डीसीसीओ विस्तार के कारण आवश्यक हो गया हो। ऐसे ऋणों को निम्नलिखित शर्तों के साथ पुनर्रचित आस्ति नहीं माना जाएगा:

i) एनबीएफसी अतिरिक्त 'निर्माण के दौरान ब्याज' के लिए निधि उपलब्ध कर सकती है जो परियोजना की पूर्णता में विलम्ब के कारण आवश्यक हो;

ii) अन्य लागत को मूल परियोजना लागत का अधिकतम 10% तक बढाया जा सकता है (निर्माण के दौरान ब्याज को छोड़कर)। वाणिज्यिक परिचालन की तारीख से उत्पन्न यह उच्चतम सीमा वित्त की अन्य सभी लागत बढाने पर लागू होगी) निर्माण के दौरान ब्याज को छोड़कर) अन्य देशों की तुलना में भारतीय रूपये में उतार- चढ़ाव द्वारा लागत में बढोत्तरी सहित।

iii) प्रारंभीक वित्तीय व्यव्स्था के समय मंजूर कर्ज इक्विटी अनुपात निधि लागत बढोत्तरी के अनुवर्ती अपरिवर्तीत रहेगी अथवा ऋणदाता के पक्ष में सुधारात्मक होगी तथा संशोधित कर्ज सेवा कवरेज़ अनुपात ऋणदाता द्वारा स्वीकार्य होनी चाहिए।

iv) बढाई गई निधि का संवितरण केवल प्रायोजक/प्रवर्तक द्वारा उनके शेयर लागत बढाये जाने के बाद ही किया जाएगा तथा;

v) ऋण के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तनीय रहेंगे अथवा ऋण दाता के पक्ष में सुधारात्मक होंगे।

(iv)(सी)(ए) मुख्य रूप मौजूदा प्रमोटरों की अपर्याप्तता के कारण ठप परियोजनाओं के पुनरुद्धार करने के लिए यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पैराग्राफ 3(3.4)(iii) और 3(3.4)(iv) में उद्धृत अवधि के दौरान या मूल डीसीसीओ से पहले स्वामित्व में परिवर्तन होता है तो एनबीएफसी खाते की परिसंपत्ति वर्गीकरण में किसी भी बदलाव के बिना निम्नलिखित पैराग्राफ में निर्धारित शर्तों के अधीन उपरोक्त पैराग्राफ 3(3.4)(iii) और 3 (3.4)(iv) में, जैसा भी मामला हो, उद्धृत अवधि के अलावा दो साल तक इन परियोजनाओं के डीसीसीओ के विस्तार की अनुमति दे सकता है । यदि आवश्यक हुआ तो एनबीएफसी तदनुसार चुकौती अनुसूची को भी एक बराबर या कम अवधि से विस्थापित कर/ बढ़ा सकता है।

(बी) यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में जहां स्वामित्व में परिवर्तन और डीसीसीओ का विस्तार (ऊपर पैरा 3(3.4)(iv)(c) (a) में दिए रूप में) मूल डीसीसीओ से पहले होता है, और परियोजना विस्तारित डीसीसीओ मे वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने में विफल रहता है, तो परियोजना उक्त पैराग्राफ 3(3.4)(iii) और 3(3.4)(iv) में उद्धृत दिशा निर्देशों के संदर्भ में डीसीसीओ के विस्तार के लिए पात्र हो जाएगा। इसी प्रकार, ऐसे मामलों में जहां स्वामित्व में परिवर्तन और डीसीसीओ का विस्तार उपरोक्त पैरा 3(3.4)(iv) में उद्धृत अवधि के दौरान होता है, तो खाता को अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किए बिना डीसीसीओ के विस्तार से ऊपर पैरा 3(3.4)(iii) में उद्धृत दिशा निर्देशों के संदर्भ में पुनर्रचना किया जा सकता है ।

(सी) उपर्युक्त उप पैराग्राफ (ए) और (बी) के प्रावधान निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं:

i. एनबीएफसी को यह स्थापित करना होगा कि मौजूदा प्रमोटरों / प्रबंधन की अपर्याप्तता के कारण परियोजना का कार्यान्वयन मुख्य रूप से प्रभावित हुआ है/ ठप हुआ है और स्वामित्व के परिवर्तन

सेविस्तारित अवधि के भीतर परियोजना का वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने की एक बहुत अधिक संभावना है;

ii. विचाराधीन परियोजना परिचालन के क्षेत्र में पर्याप्त विशेषज्ञता के साथ एक नए प्रवर्तक प्रवर्तक / घरेलू या) समूह द्वारा अधिग्रहित की जानी चाहिए। यदि अधिग्रहण एक विशेष प्रयोजन माध्यम द्वारा किया जा रहा है तो एनबीएफसी स्पष्ट रूप से प्रदर्शन (विदेशी करने के लिए सक्षम होना चाहिए कि अधिग्राहणकर्ता संस्था, संचालन के क्षेत्र में पर्याप्त विशेषज्ञता के साथ एक नए प्रमोटर समूह का हिस्सा है;

iii. नए प्रमोटरों की अधिग्रहण परियोजना में हिस्सेदारी चुकता इक्विटी पूंजी की कम से कम 51 प्रतिशत होनी चाहिए। यदि नया प्रमोटर एक अनिवासी है और ऐसे क्षेत्र में है जहां विदेशी निवेश की ऊपरी सीमा 51 प्रतिशत से कम है तो नए प्रमोटर को लागू विदेशी निवेश की सीमा तक या कम से कम 26 प्रतिशत चुकता इक्विटी पूंजी, जो भी अधिक हो, को धारण करना चाहिए बशर्ते कि एनबीएफसी संतुष्ट हो कि इस इक्विटी हिस्सेदारी के साथ, नए अनिवासी प्रमोटर परियोजना के प्रबंधन पर नियंत्रण रखते है;

iv. एनबीएफसी की संतुष्टि पर परियोजना की व्यवहार्यता स्थापित किया जाना चाहिए;

v. अंतर-समूह कारोबार पुनर्रचना / विलय / अधिग्रहण और / या अन्य संस्थाओं / सहायक कंपनियों/ एसोसिएट्स आदि (विदेशी के साथ-साथ घरेलू) द्वारा परियोजना का अधिग्रहण जो कि मौजूदा प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह से संबंधित है इस सुविधा का पात्र नहीं होगा। एनबीएफसी को स्पष्ट रूप से स्थापित करना चाहिए कि अधिग्राहणकर्ता मौजूदा प्रमोटर समूह से संबंधित नहीं है;

vi. "संदर्भ तिथि"को खाते की आस्ति वर्गीकरण विस्तारित अवधि के दौरान जारी रहेगी। इस उद्देश्य के लिए, 'संदर्भ तिथि' लेन-देन के लिए पार्टियों के बीच प्रारंभिक बाध्यकारी समझौते के निष्पादन की तारीख होगी, बशर्ते कि इस तरह के अधिग्रहण के कानून / नियमों के प्रावधानों के अनुसार स्वामित्व का अधिग्रहण के प्रारंभिक बाध्यकारी समझौते के निष्पादन की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर पूरा कर लिया गया हो। मध्यवर्ती समय के दौरान, सामान्य परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंडों को लागू करना जारी रहेगा। यदि स्वामित्व में परिवर्तन प्रारंभिक बाध्यकारी समझौते से 90 दिनों के भीतर पूरा नहीं किया जाता है तो 'संदर्भ तिथि' ऐसे अधिग्रहण के कानून / नियमों के प्रावधानों के अनुसार अधिग्रहण की प्रभावी तिथि होगी;

vii. नए मालिकों / प्रमोटरों से अपेक्षित है कि विस्तारित समय अवधि के भीतर इस परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त पैसा लाकर उनकी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करें। इसी तरह इस परियोजना के लिए बढ़ी लागत के वित्तपोषण का व्यवहार इन निदेशों में विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अधीन होंगे। 16 जनवरी 2015 का परिपत्र में निर्धारित सीमा से अधिक बढ़ी लागत का वित्तपोषण पुनर्रचना की एक घटना माना जाएगा यद्यपि वह डीसीसीओ का विस्तार के ऊपर निर्धारित सीमा के भीतर हो।

viii. उपरोक्त लाभ के लिए डीसीसीओ के विस्तार पर विचार करते समय (2 साल की अतिरिक्त अवधि के लिए) एनबीएफसी सुनिश्चित करेगा कि चुकौती अनुसूची परियोजना के आर्थिक जीवन / रियायत अवधि के 85 प्रतिशत से अधिक विस्तारित नहीं हो; और

ix. यह सुविधा परियोजना के लिए केवल एक बार ही उपलब्ध होगी और बाद में स्वामित्व में बदलाव, यदि कोई हो, की स्थिति के दौरान उपलब्ध नहीं होगी।

(डी) इस दिशानिर्देश के तहत शामिल ऋण, मौजूदा प्रावधानीकरण मानदंड के अनुसार उनकी आस्ति वर्गीकरण स्थिति पर प्रावधानीकरण को आकर्षित करेगा।

3.5. अन्य मुद्दे

(i) परियोजना के दायरे एवं आकार में वृद्धि के कारण परियाजना के परिव्यय में वृद्धि के परिणामस्वरूप किसी परियोजना ऋण के चुकौती कार्यक्रम में किसी परिवर्तन को पुनर्रचना नहीं माना जाएगा यदि:

(ए) परियोजना के दायरे और आकार में वृद्धि मौजूदा परियोजना का वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने से पहले होती है।

(बी) मूल परियोजना की परिकल्पित लागत में निधि लागत में वृद्धि को छोड़कर, लागत में अन्य वृद्धि मूल परिव्यय के 25% अथवा उससे अधिक है।

(सी) एनबीएफसी परियोजना के दायरे में वृद्धि को अनुमोदित करने तथा वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की नयी तिथि निर्धारित करने से पहले परियोजना की व्यावहारिकता का पुनर्मूल्यांकन करती है।

(डी) पुनः रेटिंग के उपरांत (यदि पहले रेटिंग की गयी हो) नयी रेटिंग पिछली रेटिंग से एक से अधिक श्रेणी कम न हो।

(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा के लिए परियोजना ऋण
सीआरई परियोजनाओं के लिए डीसीसीओ विस्तार को पुनर्रचना नहीं माना जाएगा, यदि संशोधित डीसीसीओ, मूल डीसीसीओ से एक वर्ष की समय अवधि के भीतर है तथा पुनर्भुगतान समय में डीसीसीओ में किये गए विस्तार की तुलना में समान अथवा कम अवधि के संभाव्य शिफ्ट और ऋण सर्विसिंग को छोड़कर, अन्य नियम और शर्तों में परिवर्तन न हो। ऐसे सीआरई परियोजना ऋणों को, मानक आस्ति पुनर्रचना हेतु लागू उच्च प्रावधानीकरण को आकृष्ट किए बिना, इस उद्देशय के लिए सभी मामलों में मानक आस्ति माना जाएगा। तथापि यदि वे पुनर्रचित हैं तो सीआरई परियोजनाओं के लिए आस्ति वर्गीकरण लाभ उपलब्ध नहीं होगा।

(iii) पुनर्रचना के उक्त सभी मामलों में जहां विनियामक समयावधि को विस्तार दिया गया है वहां एनबीएफसी के बोर्ड को परियोजना की व्यवहार्यता तथा पुनर्रचना योजना के प्रति स्वयं संतुष्ट करना होगा।

3.6. आय निर्धारण

(i) एनबीएफसी को चाहिए कि वे कार्यान्वित की जा रही, 'मानक' आस्ति के रूप में वर्गीकृत, परियोजनाओं के संबंध में आय की गणना उपचय आधार पर करें।

(ii) एनबीएफसी को चाहिए कि वे कार्यान्वित की जा रही 'अवमानक' आस्तियों के रूप में वर्गीकृत, परियोजनाओं के संबंध में आय की गणना उपचय आधार पर न करें। वे नकदी आधार पर वसूली के बाद ही ऐसे खातों के संबंध में आय की गणना करें।

अतः जिन एनबीएफसी ने पहले गलत ढंग से आय का निर्धारण किया है उन्हें चाहिए कि यदि मौजूदा वर्ष के दौरान इसे आय के रूप में निर्धारित कर दिया गया हो तो वे ब्याज को प्रतिवर्तित कर दें अथवा यदि पिछले वर्ष (वर्षों) में इसे आय के रूप में निर्धारित किया गया हो तो, उसके समतुल्य राशि के लिए प्रावधान कर दें। 'निधिक ब्याज' के रूप में निर्धारित आय की विनियामक प्रक्रिया और 'इक्विटी, डिबेंचरों या किसी अन्य लिखत में परिवर्तन' के बारे में एनबीएफसी को चाहिए कि वे निम्नलिखित का पालन करें ।

(ए) निधिक ब्याजः अनर्जक आस्तियों के बारे में आय निर्धारण चाहे वे ऋण करार की शर्तों के अनुसार पुनर्रचना/ पुनर्निर्धारण /पुनः समझौता के अधीन हो या न हो, वसूली के बाद ही, कड़ाई से नकदी आधार पर, किया जाना चाहिए, न कि बकाया ब्याज की राशि को निधि उपलब्ध कराने पर। परंतु यदि, निधिक ब्याज की राशि को आय के रूप में निर्धारित किया गया हो तो, साथ ही साथ, समतुल्य राशि का भी प्रावधान किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, अनर्जक आस्तियों के संदर्भ में ब्याज के निधीयन को यदि आय के रूप में निर्धारित किया गया हो तो उसके लिए पूर्णतः प्रावधान किया जाना चाहिए।

(बी) इक्विटी, डिबेंचर या किसी अन्य लिखत में परिवर्तन: अन्य लिखतों में परिवर्तित बकाया राशि में सामान्यतः मूलधन और ब्याज के घटक शामिल होंगे। यदि ब्याज की बकाया राशि को इक्विटी या किसी अन्य लिखत में परिवर्तित किया जाता हो और इसके कारण आय निर्धारित की जाती हो तो, इस रूप में निर्धारित आय की राशि के लिए पूरा प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि इस प्रकार के आय निर्धारण के प्रभाव से बचा जा सके। इस प्रकार का प्रावधान उस राशि के अतिरिक्त होगा जो निवेश मूल्यन मानदंडों के अनुसार इक्विटी या अन्य लिखतों के मूल्य में ह्रास के लिए आवश्यक है। परंतु, यदि ब्याज को निर्दिष्ट भाव वाली इक्विटी में परिवर्तित किया जाता है तो परिवर्तन की तारीख को इक्विटी के बाज़ार मूल्य पर ब्याज आय का निर्धारण किया जा सकेगा जो इक्विटी में परिवर्तित ब्याज की राशि से अधिक नहीं होगा। इसके बाद इस प्रकार की इक्विटी को 'वर्तमान निवेश' श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा और उसका मूल्यन निम्न लागत या बाजार मूल्य पर किया जाएगा। अनर्जक आस्तियों के संदर्भ में मूल और /या ब्याज को डिबेंचरों में परिवर्तन के मामले में, ऐसे डिबेंचरों को उसी आस्ति वर्गीकरण में प्रारंभ से अनर्जक आस्ति के रूप में माना जाना चाहिए जो परिवर्तन के एकदम पहले ऋण पर लागू था तथा मानदंडों के अनुसार उसके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। यह मानदंड जीरो कूपन बांडों या ऐसे अन्य लिखतों पर भी लागू होगा जिससे जारीकर्ता की देयता आस्थगित होती हो। ऐसे डिबेंचरों पर, आय का निर्धारण केवल वसूली के आधार पर किया जाना चाहिए। वसूल न किये गये ब्याज, जिसे डिबेंचरों या किसी अन्य नियत अवधिपूर्णता के लिखत में परिवर्तित किया गया है, के संदर्भ में आय का निर्धारण ऐसे लिखत के प्रतिदान पर ही किया जाना चाहिए। उपर्युक्त की शर्त पर, ऋण की मूल राशि के परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न इक्विटी शेयर या अन्य लिखत भी ऐसे लिखतों पर लागू सामान्य प्रूडेंशियल मूल्यांकन मानदंडों की शर्त के अधीन होंगे।

4. पुनर्रचित अग्रिमों के लिए सामान्य सिद्धांत और प्रूडेंशियल मानदंड

इस पैराग्राफ में निर्धारित सिद्धांत और प्रूडेंशियल मानदंड सभी अग्रिमों पर लागू होंगे।

4.1 अग्रिमों की पुनर्रचना के लिए पात्रता मानदंड

4.1.1 एनबीएफसी 'मानक', 'अवमानक' और 'संदिग्ध' श्रेणियों में वर्गीकृत खातों की पुनर्रचना कर सकते हैं।

4.1.2 एनबीएफसी पूर्व व्यापी प्रभाव से उधार खातों की अवधि का पुनर्निर्धारण/ऋण की पुनर्रचना/ऋण की शर्तों में परिवर्तन नहीं कर सकते। जब कोई पुनर्रचना प्रस्ताव विचाराधीन हो तब सामान्य आस्ति वर्गीकरण मानदंड लागू रहेंगे। केवल इसलिए कि पुनर्रचना प्रस्ताव विचाराधीन है, किसी आस्ति की पुनर्वर्गीकरण प्रक्रिया नहीं रुकनी चाहिए। सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनर्रचना पैकेज के अनुमोदन की तारीख को आस्ति वर्गीकरण की जो स्थिति है वह पुनर्रचना/अवधि के पुनर्निर्धारण/ऋण की शर्तों में परिवर्तन के बाद खाते की आस्ति वर्गीकरण स्थिति निश्चित करने में प्रासंगिक होगी। यदि पुनर्रचना पैकेज की मंजूरी में अनुचित विलंब होता है तथा इस बीच खाते की आस्ति वर्गीकरण स्थिति में गिरावट आती है तो यह मामला पर्यवेक्षीय विषय का होगा।

4.1.3 सामान्यतया पुनर्रचना तब तक नहीं हो सकती, जब तक कि ऋणकर्ता की औपचारिक सहमति/आवेदन द्वारा मूल ऋण करार में बदलाव/परिवर्तन न किया गया हो। तथापि उपयुक्त मामलों में एनबीएफसी पुनर्रचना प्रक्रिया आरंभ कर सकती है, बशर्ते ग्राहक निबंधन और शर्तों से सहमत हो।

4.1.4 एनबीएफसी तब तक किसी खाते की पुनर्रचना नहीं करेंगी जब तक पुनर्रचना की वित्तीय व्यवहार्यता स्थापित न हो जाए तथा पुनर्रचित पैकेज की शर्तों के अनुसार उधारकर्ता से चुकौती प्राप्त करने की अच्छी संभावना न हो। उधारकर्ता के नकद प्रवाह तथा एनबीएफसी द्वारा वित्तेपोषित परियोजना/ गतिविधि की व्यवहारिकता का आंकलन किए बिना की गई किसी पुनर्रचना को हमेशा कमजोर रहने वाला ऋण माना जाएगा तथा यह पर्यवेक्षी चिंता/कार्रवाई को आकर्षित करेगा। एनबीएफसी को ऐसे खातों से वसूली के लिए उपायों में गति लानी चाहिए। एनबीएफसी द्वारा व्यवहार्यता का निर्धारण उनके द्वारा निर्धारित स्वीकार्य व्यवहार्यता बेंचमार्क के आधार पर होना चाहिए तथा इसे हर मामले के गुण-दोष को विचार में लेते हुए मामला-दर-मामला आधार पर लागू किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए मापदंडों के भीतर विनियोजित पूंजी पर प्रतिफल, ऋण सेवा व्याप्ति अनुपात, प्रतिफल की आंतरिक दर और निधियों की लागत के बीच अंतराल तथा पुनर्रचित अग्रिम के उचित मूल्य में कमी के बदले अपेक्षित प्रावधान की राशि को शामिल किया जा सकता है। चूंकि भिन्न आर्थिक क्षेत्रों के कार्यनिष्पादन के भिन्न सूचक होते हैं, यह उचित होगा कि एनबीएफसी द्वारा इन व्यापक बेंचमार्कों को समुचित संशोधन के साथ अपनाया जाए। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि एनबीएफसी द्वारा स्वीकार्य व्यवहारिकता मानदंड तथा उनके द्वारा निर्धारित प्रत्येक मानदंड पर आधारित व्यवहारिकता को निर्धारित किया जाए। सीडीआर पद्धति द्वारा व्यवहारिकता मानदंड के लिए अपनाए जाने वाले बेंचमार्क परिशिष्ट -1 में दिए गए हैं। गैर-सीडीआर मामलों में विशिष्ट सेक्टर के खातों का पुनर्रचना करने हेतु एनबीएफसी उचित समायोजन के साथ, यदि कोई हो तो, समुचित रूप से इसे अपनाए।

4.1.5 जिन उधारकर्ताओं ने कपट या कदाचार किया है वे पुनर्रचना के पात्र नहीं होंगे.

4.1.6 बीआइएफआर मामलों की पुनर्रचना बिना उनके स्पष्ट अनुमोदन के नहीं की जा सकती। सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत पुनर्रचित अग्रिमों के मामले में सीडीआर कोर ग्रुप, एसएमई ऋण पुनर्रचना प्रणाली के मामले में अग्रणी बैंक तथा अन्य मामलों में संबंधित एनबीएफसी यह सुनिश्चित करने के बाद कि पैकेज के कार्यान्वयन के पहले बीआइएफआर से अनुमोदन प्राप्त करने की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गयी हैं, ऐसे मामलों में पुनर्रचना के प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं।

4.2 आस्ति वर्गीकरण मानदंड

अग्रिमों की पुनर्रचना निम्नलिखित चरणों में की जाएगी:

(ए) वाणिज्यिक उत्पादन/परिचालन आरंभ होने के पहले;

(बी) वाणिज्यिक उत्पादन/परिचालन के आरंभ होने के बाद लेकिन आस्ति के 'अवमानक' वर्गीकरण के पहले;

(सी) वाणिज्यिक उत्पादन/परिचालन के आरंभ होने के बाद और आस्ति के 'अवमानक' या 'संदिग्ध' वर्गीकरण के बाद

4.2.1 पुनर्रचना के बाद 'मानक आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत खातों को तुरंत 'अवमानक आस्तियों' के रूप में पुनः वर्गीकृत करना चाहिए।

4.2.2 पुनर्रचना के बाद अनर्जक आस्तियों का वही आस्ति वर्गीकरण रहेगा जो पुनर्रचना के पहले था तथा पुनर्रचना के पूर्व चुकौती अनुसूची के संदर्भ में विद्यमान आस्ति वर्गीकरण मानदंडों के अनुसार और भी घटकर न्यूनतर आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में चला जाएगा।

4.2.3 एनपीए के रूप में वर्गीकृत मानक खाता यदि एनबीएफसी द्वारा पुनर्रचना के समय उस श्रेणी में बना रहता है तो ऐसी स्थिति में उसे केवल तब अपग्रेड किया जाए जब "विशिष्ट अवधि" (अनुलग्नक-2) के दौरान खाते में सभी बकाया ऋण/सुविधा का कार्य निष्पादन संतोषजनक हो जैसे उस अवधि के दौरान नियम और शर्तों के अनुरूप खाते में मूलधन तथा ब्याज की सभी सुविधाओं की सर्विस की जा रही हो।

4.2.4 लेकिन जिन मामलों में विनिर्दिष्ट अवधि के बाद संतोषजनक कार्य निष्पादन नहीं देखा गया है, उन मामलों में पुनर्रचित खाते का आस्ति वर्गीकरण पुनर्रचना के पूर्व की चुकौती अनुसूची से संबंधित प्रयोज्य प्रूडेंशियल मानदंडों के अधीन होगा।

4.2.5 विशिष्ट अवधि (अनुलग्नक-2) के दौरान किसी अतिरिक्त वित्तपोषण को, अनुमोदित पुनर्रचना पैकेज के अंतर्गत 'मानक आस्ति' माना जाएगा। परंतु ऐसे खातों के मामले में जिन्हें पुनर्रचना के पहले 'अवमानक' और 'संदिग्ध' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था, अतिरिक्त वित्तपोषण की ब्याज आय नकदी आधार पर ही मान्य होनी चाहिए। उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के अंत में यदि पुनर्रचित आस्ति श्रेणी उन्नयन

के लिए पात्र नहीं होती है तो अतिरिक्त वित्तपोषण को उसी आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में रखा जाएगा जिसमें पुनर्रचित ऋण है।

4.2.6 यदि कोई पुनर्रचित आस्ति पुनर्रचना के बाद मानक आस्ति है तथा बाद में उसकी पुनः पुनर्रचना की जाती है तो उसे अवमानक के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। यदि पुनर्रचित आस्ति अवमानक या संदिग्ध आस्ति है तथा बाद में उसकी पुनः पुनर्रचना की जाती है तो उसके आस्ति वर्गीकरण की गणना उस तारीख से की जाएगी जिस दिन वह पहली बार अनर्जक आस्ति बनी। परंतु दूसरी बार या दो से अधिक बार पुनर्रचित ऐसे अग्रिमों को, संतोषजनक कार्यनिष्पादन के अधीन चालू पुनर्रचना पैकेज की शर्तों के अनुसार विशिष्ट अवधि (अनुलग्नक -2) के बाद मानक संवर्ग में वर्गोन्नत किया जा सकता है ।

4.3 आय निर्धारण मानदंड

पैरा 4.2.5, 5.2 और 6.2 के प्रावधानों के अधीन, 'मानक आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत पुनर्रचित खातों के मामले में ब्याज आय को उपचय आधार पर तथा 'अनर्जक आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत खातों के मामले में नकदी आधार पर आय निर्धारण करना चाहिए।

4.4 प्रावधानीकरण मानदंड

4.4.1 पुनर्रचित अग्रिमों के लिए प्रावधान

(i) एनबीएफसी विद्यमान प्रावधानीकरण मानदंडों के अनुसार पुनर्रचित अग्रिमों के लिए प्रावधान रखेंगे।

(ii) मानक अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत पुनर्रचित खातों के लिए पुनर्रचना की तारीख से प्रथम दो वर्षों के लिए उच्च प्रावधान (समय समय पर निर्धारित) करना आवश्यक होगा। पुनर्रचना के बाद ब्याज/मूलधन के भुगतान के अधिस्थगन के मामले में, ऐसे अग्रिमों की अधिस्थगन अवधि तथा उसके बाद दो वर्षों की अवधि तक कवर करने के लिए निर्धारित उच्च प्रावधान करना आवश्यक होगा।

(iii) अनर्जक अग्रिम के रूप में वर्गीकृत पुनर्रचित खातों को जब मानक श्रेणी में अपग्रेड किया जाता है तब अपग्रेडेशन की तारीख से एक वर्ष के लिए उच्च प्रावधान (समय-समय पर निर्धारित) करना आवश्यक होगा।

(iv) 24 जनवरी 2014 से पुनर्रचित मानक अग्रिमों पर उक्त उच्च प्रावधान नए पुनर्रचित मानक खातों (फ्लो) के संबंध में 5 प्रतिशत होगा तथा 23 जनवरी 2014 को पुनर्रचित मानक खातों के स्टॉक के मामले में निम्नलिखित के अनुसार चरणबद्ध ढंग से वृद्धि होगी।

* 2.75 प्रतिशत- 31 मार्च 2014 से प्रभावी
* 3.50 प्रतिशत- 31 मार्च 2015 से प्रभावी (2014-15 की चार तिमाहियों में बांटा गया)
* 4.25 प्रतिशत-- 31 मार्च 2016 से प्रभावी (2015-16 की चार तिमाहियों में बांटा गया)
* 5 प्रतिशत - 31 मार्च 2017 से प्रभावी (2016-17 के चार तिमाहियों में बांटा गया)

4.4.2 पुनर्रचित अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान

(i) पुनर्रचना के अंग के रूप में ब्याज दर में कमी और/अथवा मूल ऋण राशि की चुकौती की अवधि में परिवर्तन के कारण अग्रिम के उचित मूल्य में कमी आएगी। मूल्य में ऐसी कमी एनबीएफसी के लिए एक आर्थिक हानि है और इसका एनबीएफसी के बाजार मूल्य पर असर पड़ेगा। अतः यह आवश्यक है कि एनबीएफसी अग्रिम के उचित मूल्य में आयी कमी का मूल्यांकन करें तथा लाभ और हानि खाते में नामे डालकर इसके लिए प्रावधान करें। ऐसा प्रावधान ऊपर पैरा 4.4.1 में निर्दिष्ट विद्यमान प्रावधानीकरण मानदंड के अनुसार किये गये प्रावधान के अतिरिक्त होगा तथा उसे सामान्य प्रावधानों के खाते से अलग खाते में रखा जाना चाहिए।

इस प्रयोजन के लिए अग्रिम के उचित मूल्य में कमी की गणना पुनर्रचना के पूर्व तथा बाद में ऋण के उचित मूल्य के बीच के अंतर के रूप में की जानी चाहिए । पुनर्रचना के पूर्व ऋण के उचित मूल्य की गणना अग्रिम पर प्रभारित की गई पुनर्रचना के पूर्व विद्यमान ब्याज दर तथा पुनर्रचना की तारीख को एनबीएफसी का स्पष्ट ऋण दर जैसे उधारकर्ता पर लागू ऋण करार के अनुसार प्रभारित ब्याज दर जिसके अनुसार अविलम्ब प्रदान किया गया था, जैसा कि संबंधित उधारकर्ता पर लागू है, योग के रूप में की जाएगी। पुनर्रचना के बाद ऋण के उचित मूल्य की गणना अग्रिम पर पुनर्रचना के पश्चात् प्रभारित की गई ब्याज दर तथा पुनर्रचना की तारीख को उधारकर्ता पर लागू होता एनबीएफसी के स्पष्ट ऋण दर के समतुल्य दर पर बट्टाकृत मूलधन को दर्शानेवाले नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्य तथा पुनर्रचना की तारीख को उधारकर्ता श्रेणी के लिए उचित अवधि प्रीमियम तथा ऋण जोखिम प्रीमियम के योग के रूप में की जाएगी।

उपर्युक्त फॉर्मूला ब्याज दर चक्र के साथ ऋणों के वर्तमान मूल्यों में होनेवाली कमी के उतार-चढ़ावों को नियंत्रित करता है तथा उसका भविष्य में नियमित रूप से एनबीएफसी को अनुपालन करना होगा। साथ ही, इस बात को दोहराया जाता है कि उपर्युक्त के अनुसार प्रावधानों की आवश्यकता एनबीएफसी की कार्रवाई के कारण होती है क्योंकि ऐसी कार्रवाई के परिणामस्वरूप पुनर्रचना किए जाने पर ऋण की संविदागत शर्तों में परिवर्तन होता है जो वित्तीय रियायतों के स्वरूप की हैं । ये प्रावधान अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत खाते के आस्ति वर्गीकरण से जुड़े हुए प्रावधानों से अलग हैं और ऋण की गुणवत्ता में ह्रास के कारण हुई क्षति को प्रतिबिम्बित करते हैं । इस प्रकार ये दो प्रकार के प्रावधान एक-दूसरे का बदली नहीं हैं।

(ii) पुनर्रचना पर मूल्यांकन राशि को ऋण/इक्विटी लिखत में परिवर्तन हेतु, 'वर्तमान निवेश' के तहत धारण करने की आवशयकता है तथा इसका मूल्यांकन, सामान्य मूल्यांकन के अनुसार किया जाएगा। अत: उचित मूल्य में क्षरण के उद्देश्य तक पहुंचने के प्रयोजन से ऋण/इक्विटी में परिवर्तित नहीं किया जाएगा और एनपीवी के भाग के लिए मूलधन की गणना अलग से की जाएगी। तथापि एनबीएफसी में शामिल कुल हानि, ऋण/इक्विटी के परिवर्तन पर मूल्यांकन हानि सहित एनपीवी के उक्त भाग के लिए होगा।

अत: एनबीएफसी को सूचित किया जाता है कि वे पुनर्रचित खातों के उचित मूल्य में ह्रास की गणना सटीक रूप में करें क्योंकि यह न केवल उनके द्वारा बनाए गए आवश्यक प्रावधानीकरण को प्रभावित करता है बल्कि प्रोमोटर्स से विशिष्ट आवश्यक राशि को भी प्रभावित करता है (संदर्भ पैरा 7. 6)। इसके अतिरिक्त एनबीएफसी की तरफ से किसी वित्तीय इंजीनियरी को कृत्रिम रूप से निवल वर्तमान मूल्य के नकद प्रवाह

को कम नहीं किया जाना चाहिए। एनबीएफसी को यह भी सूचित किया जाता है कि पुनर्रचित खातों के उचित मूल्य में ह्रास की गणना को सुनिश्चित करने हेतु एक पर्याप्त जांच और तुलन स्थापित किया जाए।

(iii) यदि अग्रिम के उचित मूल्य में कमी के बदले कोई जमानत ली जाती है तो जमानत की परिपक्वता तक उसका मूल्य 1 रुपया माना जाना चाहिए । इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि लाभ और हानि खाते में आर्थिक क्षति प्रभारित करने का प्रभाव समाप्त नहीं होगा।

(iv) उचित मूल्य में कमी की गणना प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को पुनः की जानी चाहिए, जब तक कि सभी चुकौती दायित्व संतोषजनक रूप से पूरे नहीं कर लिये जाते हैं तथा खाते के बकाये की पूरी चुकौती नहीं हो जाती है। ऐसा इसलिए किया जाना है ताकि उधारकर्ताओं पर प्रभारित स्पष्ट ब्याज दर, अवधि प्रीमियम और उधारकर्ता की ऋण श्रेणी में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य में आए परिवर्तन को गणना में शामिल किया जा सके। इसके फलस्वरूप, एनबीएफसी प्रावधान में आयी कमी को पूरा कर सकते हैं या अलग खाते में रखे अतिरिक्त प्रावधान को रिवर्स कर सकते हैं।

(v) यदि विशेषज्ञता/समुचित इनफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में दिये गये अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी की गणना सुनिश्चित करना एनबीएफसी के लिए कठिन हो तो उचित मूल्य में कमी की राशि की गणना के लिए ऊपर निर्धारित क्रियाविधि के विकल्प के रूप में एनबीएफसी उचित मूल्य में कमी की राशि की गणना नोशनल आधार पर कर सकते हैं तथा उन सभी पुनर्रचित खातों के मामले में जहां एनबीएफसी का कुल बकाया एक करोड़ रुपये से कम हो कुल एक्सपोज़र के पांच प्रतिशत पर प्रावधान कर सकते हैं ।

4.4.3 किसी खाते के लिए अपेक्षित कुल प्रावधान (सामान्य प्रावधान तथा अग्रिम के उचित मूल्य में कमी के बदले प्रावधान) की अधिकतम राशि बकाया ऋण राशि का 100% है।

5. मूल ऋण राशि को ऋण/इक्विटी लिखत में परिवर्तन के लिए प्रूडेंशियल मानदंड

5.1 आस्ति वर्गीकरण मानदंड

पुनर्रचना के अंग के रूप में बकाया मूल ऋण राशि के एक हिस्से को ऋण या इक्विटी लिखत में परिवर्तित किया जा सकता है । इस प्रकार निर्मित ऋण/इक्विटी लिखत को उसी आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में रखा जाएगा जिसमें पुनर्रचित अग्रिम है। इसके अतिरिक्त इन लिखतों में आस्ति वर्गीकरण का परिचालन अनुवर्ती पुनर्रचित अग्रिमों के निर्धारण के आधार पर भी होगा।

5.2 आय निर्धारण मानदंड

5.2.1 मानक खाते

'मानक' रूप में वर्गीकृत पुनर्रचित खातों के मामले में इन लिखतों द्वारा निर्मित आय, यदि कोई हो, को उपचित आधार पर निर्धारित किया जाए।

5.2.2 अनर्जक खाते

अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुनर्रचित खातों के मामले में इन लिखतों द्वारा निर्मित आय, यदि कोई हो, का निर्धारण केवल नकद आधार पर किया जाए।

5.3 मूल्यांकन तथा प्रावधानीकरण मानदंड

इन लिखतों को 'वर्तमान निवेश' के अंतर्गत धारित किया जाए तथा सामान्य मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार इनका मूल्यांकन किया जाए। मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत इक्विटी का मूल्यांकन यदि उसे कोट किया गया हो तो बाजार मूल्य पर अथवा यदि नहीं किया गया हो तो कंपनी के अद्यतन तुलन-पत्र से परिकलित उसके विश्लेषित मूल्य पर (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि यदि कोई हो, पर ध्यान दिए बिना) किया जाए। अद्यतन तुलन पत्र उपलब्ध न होने पर शेयरों का 1 रुपए पर मूल्यांकन किया जाए। अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत इक्विटी लिखत का यदि उसे कोट किया हो तो बाजार मूल्य पर मूल्यांकन किया जाए और ऐसे मामले में जहां इक्विटी कोट नहीं की गयी है, उसे 1 रुपए पर मूल्यांकित किया जाए। इन लिखतों पर मूल्यह्रास को 'वर्तमान निवेश' श्रेणी के अंतर्गत धारित किन्हीं अन्य प्रतिभूतियों में हुए मूल्य वर्धन के बदले समायोजित नहीं किया जाए।

6. अदत्त ब्याज का 'निधिक ब्याज मीयादी ऋण'(एफआईटीएल) ऋण अथवा इक्विटी लिखतों में परिवर्तन के लिए प्रूडेंशियल मानदंड

6.1 आस्ति वर्गीकरण मानदंड

अदत्त ब्याज के परिवर्तन से निर्मित एफआईटीएल/ ऋण अथवा इक्विटी लिखत को उसी आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा जिसमें पुनर्रचित अग्रिम का वर्गीकरण किया गया है। एफआईटीएल/ऋण अथवा इक्विटी लिखतों के आस्ति वर्गीकरण में अगला उतार-चढ़ाव भी पुनर्व्यवस्थित अग्रिम के परवर्ती आस्ति वर्गीकरण के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

6.2 आय-निर्धारण मानदंड

6.2.1 इन लिखतों से प्राप्त आय, यदि कोई हो को, इन लिखतों को यदि 'मानक' के रूप में वर्गीकृत किया गया है तो उपचित आधार पर, और अनर्जक आस्ति के रूप में जिनका वर्गीकरण किया गया है उस मामले में नकद आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

6.2.2 अप्राप्त आय का प्रतिनिधित्व करने वाले एफआईटीएल/ऋण अथवा इक्विटी लिखत के संबंध में "फुटकर देयता लेखा (ब्याज का पूंजीकरण)" शीर्ष वाले लेख में तदनुरूपी जमा होनी चाहिए।

6.2.3 अप्राप्त ब्याज के कोट की गई इक्विटी में परिवर्तन के मामले में ब्याज से प्राप्त आय का मानक श्रेणी में उक्त खाते के उन्नयन के बाद ऐसे उन्नयन की तारीख को इक्विटी में परिवर्तित ब्याज की राशि से अनधिक इक्विटी के बाजार मूल्य पर निर्धारण किया जाएगा।

6.2.4 एफआईटीएल के मामले में चुकौती के बाद अथवा ऋण/ इक्विटी लिखतों की बिक्री /मोचन से राशि प्राप्त होने के बाद ही, प्राप्त राशि को लाभ-हानि लेखे में दर्ज किया जाएगा और उसी समय 'फुटकर देयताएं लेखे (ब्याज का पूंजीकरण)' में शेष को कम किया जाएगा।

6.3 मूल्यांकन तथा प्रावधानीकरण मानदंड

मूल्यांकन तथा प्रावधानीकरण मानदंड उपर्युक्त पैरा 5.3 के अनुसार होंगे। मूल्यांकन पर होने वाले मूल्यह्रास को, यदि कोई हो, फुटकर देयता (ब्याज का पूंजीकरण) खाते में प्रभारित किया जाए।

7. विविध

निम्नलिखित सामान्य शर्तें पुनर्रचना के सभी मामलों पर लागू होंगे-

7.1 एनबीएफसी को परिवर्तनीयता (इक्विटी में) के विकल्प संबंधी मामले पर पुनर्रचना कार्य के एक भाग के रूप में निर्णय लेना होगा। इसके अनुसार एनबीएफसी को सेबी के संबंधित विनियमों के अंतर्गत सांविधिक अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए पुनर्रचित खाते के कुछ हिस्से को इक्विटी में परिवर्तित करने का अधिकार रहेगा।

7.2 कर्ज का अधिमानी शेयर में परिवर्तन केवल अंतिम विकल्प में किया जाना चाहिए तथा ऐसे कर्ज का इक्विटी/अधिमानी शेयर में परिवर्तन, किसी भी मामले में, को अधिकतम सीमा तक सीमित किया जाए (जैसा कि पुनर्रचित कर्ज का 10 प्रतिशत)। इसके अतिरिक्त कर्ज का इक्विटी में परिवर्तन केवल सूचीबद्ध कंपनी के मामले में किया किया जाना चाहिए।

7.3 एनबीएफसी, चुकौती और समय-पूर्व भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अनुमोदित पुनर्रचना पैकेजों के लेनदार के अधिकारों को शामिल करने पर विचार कर सकती है। इसके अतिरिक्त सभी पुनर्रचना पैकेज में आवश्यक रूप से "क्षतिपूर्ति का अधिकार" क्लॉज को शामिल किया जाए तथा यह उधारकर्ता के निश्चित कार्यनिष्पादन मानदंड पर आधारित होना चाहिए। किसी भी मामले में, न्यूनतम 75 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि ऋणदाता से वसूल की जानी चाहिए तथा कुछ मामले जहां ऋण दर को केवल पुनर्रचना सुविधा के लिए विस्तारित किया गया है वहां 100 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि वसूल की जाए।

7.4 जैसा कि निर्धारित व्यक्तिगत गारंटी प्रोमोटर्स के "स्कीन इन द गेम" अथवा पुनर्रचना पैकेज के प्रति वचनबद्धता को सुनिश्चित करेगा अत: सभी पुनर्रचना के मामलों में प्रोमोटर्स की व्यक्तिगत गारंटी की जाए तथा कारपोरेट गारंटी को व्यक्तिगत गारंटी के प्रतिपूरक के रूप में नहीं माना जाए। तथापि कारपोरेट गारंटी को उन मामलों के लिए स्वीकार किया जाए जहां कंपनी का प्रोमोटर्स व्यक्ति न हो किंतु अन्य कारपोरेट निकाय हो अथवा जहां व्यक्तिगत प्रोमोटर्स को स्पष्ट रूप से पहचान नहीं किया जा सके।

7.5 सभी पुनर्गठन पैकेजों को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाना आवश्यक होगा। सीडीआर / जेएलएफ़ / कंसोर्टियम / एमबीए व्यवस्था के तहत सभी पुनर्गठन पैकेज मंजूरी की तारीख से 90 दिनों के भीतर लागू किये जाने चाहिए। अन्य पुनर्गठन पैकेज एनबीएफसी द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 120 दिनों के भीतर लागू किये जाने चाहिए।

7.6 प्रमोटरों को पुनर्गठन के सभी मामलों में अतिरिक्त धन लाना होगा। अतिरिक्त प्रमोटरों द्वारा लाई गई निधियां गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के योगदान का न्यूनतम 20 फीसदी या पुनर्गठित ऋण का 2 प्रतिशत, जो भी अधिक हो , होनी चाहिए। ऋण लेने वालों को पुनर्गठन लाभ देते समय प्रवर्तकों के योगदान सदा ही अग्रिम में लाया जाना चाहिए। प्रमोटर का योगदान नकद में ही लाया जाना जरूरी नहीं है और प्रवर्तकों से अप्रतिभूत ऋण के इक्विटी में रूपांतरण के रूप में लाया जा सकता है;

7.7 एनबीएफसी को नकदी प्रवाह और टेक्नो आर्थिक व्यवहार्यता (TEV) के एक अध्ययन पर आधारित एक उचित समय अवधि निर्धारित करनी चाहिए जिसमें अकाउंट व्यवहार्य हो जाने की संभावना है;

7.8 एनबीएफसी को संतुष्ट हो जाना चाहिए कि पुनर्गठन पश्चात चुकाने की अवधि अपने स्वयं के बोर्ड से मंजूर नीति के अनुसार उचित और अनुमानित नकदी प्रवाह के अनुरूप और खाते में आवश्यक डीएससीआर के अनुसार होना चाहिए।

7.9 प्रत्येक एनबीएफसी को टीईवी का आकलन करने में स्पष्ट रूप से उचित सावधानी और पुनर्गठन भुगतान शर्तों में अंतर्निहित मान्यताओं की व्यवहार्यता का दस्तावेजी अभिलेख बनाना चाहिए।

8. प्रकटीकरण

मार्च 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एनबीएफसी को 'खातों पर टिप्पणियां' के तहत अपने वार्षिक तुलन पत्र को प्रकाशित करना होगा, पुनर्रचित ऋण खातों की संख्या तथा राशि से संबंधित सूचना और पुनर्रचित आग्रिम के उचित मूल्य में राशि की कमी को अनुलग्नक- 4 में दिए गए फार्मेट में देना होगा। सीडीआर पद्धति, एसएमई कर्ज पुनर्रचना पद्धति तथा अन्य श्रेणियों के तहत पुनर्रचित अग्रिम के लिए अलग अलग सूचना की आवश्यकता होगी। एनबीएफसी को सभी उधारकर्ताओं के खातों/सुविधाओं की कुल बकाया राशि को आवश्यक रूप से प्रकट करना होगा जिसका खाता पुनर्रचित भाग अथवा सुविधा के साथ पुनर्रचित किया गया है। इसका अर्थ यह है कि किसी उधारकर्ता के एक खाता/सुविधा को यदि पुनर्रचित किया गया है तो ऐसी स्थिति में एनबीएफसी को उस उधारकर्ता के सभी सुविधा/खातों से संबंधित संपूर्ण बकाया राशि को भी प्रकट करना होगा। प्रकटीकरण फार्मेट अनुलग्नक-4 में दिया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मदें शामिल हैं:

i. संचयी आधार पर पुनर्रचित खातों का ब्योरा, मानक खातों को छोड़कर, जिससे उच्च प्रावधान तथा जोखिम भार (यदि लागू हो तो) प्रभावित होते है;
ii. विभिन्न श्रेणियों के तहत पुनर्रचित खातों पर किया गया प्रावधान, तथा
iii. पुनर्रचित खातों के परिचालन का ब्योरा

इसका अर्थ यह है कि एक बार पुनर्रचित अग्रिम (मानक के रूप में वर्गीकृत अथवा अनर्जक आस्ति श्रेणी से नये सिरे से अपग्रेडेशन) उच्च प्रावधान से निर्धारित अवधि के दौरान संतोषजक कार्यनिष्पादन के सामान्य स्तर पर परिवर्तित होने पर, ऐसे अग्रिमों को एनबीएफसी द्वारा उनके वार्षिक तुलन पत्र में 'खातों पर टिप्पणियां' में पुनर्रचना के तहत और प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है।तथापि, ऐसे पुनर्रचित खातों पर पुनर्रचित खातों के उचित मूल्य में ह्रास के प्रावधान को एनबीएफसी द्वारा मौजूदा निदेशों के अनुसार बनाए रखना चाहिए।

9. सीडीआर पद्धति गैर औद्योगिक गतिविधि करने वाले कार्पोरेट्स के लिए भी उपलब्ध होगा, यदि वे इस उद्देश्य के लिए पुनर्रचना हेतु निर्धारित मानदंड के तहत पात्र हैं। इसके अतिरिक्त एनबीएफसी को सहायता संघ एकाधित ऋण खातों के मामले में, जो सीडीआर पद्धति के तहत शामिल नहीं हैं, स्वयं/ क्रेडिटर्स के साथ समन्वय कर मजबूत बनने की प्रेरणा दी जाती है।

यह दोहराया जाता है कि पुनर्रचना का मूल उद्देश्य समस्याप्रद खातों को हमेशा ठीक बनाये रखना नहीं है बल्कि इकाइकों के आर्थिक मूल्य को संरक्षित करने के लिए है। एनबीएफसी और उधारकर्ताओं द्वारा यह तब हासिल किया जा सकता है जब व्यावहार्यता का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन किया जाता है, खातों की त्वरित पहचान की जाती है और पुनर्रचना पैकेजों को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाता हो।

व्यवहार्यता मानदंड के लिए व्यापक बेंचमार्क

i. नियोजित पूंजी पर रिटर्न कम से कम 5 वर्षों के सरकारी प्रतिभूति ईल्ड और 2 प्रतिशत के बराबर होना चाहिए।

ii. कर्ज़ चुकौती कवरेज अनुपात औसत 5 वर्ष की अवधि से 1.25 से अधिक होनी चाहिए जिसमें ईकाइ व्यवहार्य बनी तथा वर्ष दर वर्ष आधार पर अनुपात 1 से ऊपर होना चाहिए। 10 वर्ष के भुगतान अवधि के लिए सामान्य कर्ज चुकौती कवरेज अनुपात लगभग 1.33 होना चाहिए।

iii. आंतरिक प्रतिलाभ दर तथा पूंजी की लागत के बीच का बेंचमार्क अंतर कम से कम 1 प्रतिशत होना चाहिए।

iv. परिचालन तथा नकद लाभ-अलाभ बिन्दु पर कार्य किया जाना चाहिए तथा इसे औद्योगिक मानक के तुलनीय होना चाहिए।

v. ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर कंपनी का चलन तथा भावी अनुमान औद्योगिक प्रवृत्ति के साथ तुलनीय हो। पिछले व मार्क ईबीआईडीटीए गतिविधि का अध्ययन किया जाए और उसकी तुलना औद्योगिक औसत के साथ की जाए।

vi. निम्न वर्णित ऋण लाइफ अनुपात (एलएलआर) 1.4 होना चाहिए, जिसमें चुकाई जाने वाली ऋण राशि में 40% का कुशन होगा।

$$\text{एलएलआर} = \frac{\text{ऋण लाइफ अवधि के दौरान (ब्याज और मूलधन सहित) कुल उपलब्ध नकद प्रवाह(एसीएफ) का वर्तमान मूल्य}}{\text{अधिकतम ऋण राशि}}$$

मुख्य बातें

(i) अग्रिम

'अग्रिम' शब्द का अर्थ होगा सभी प्रकार की ऋण सुविधाएं जिनमें नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट, मीयादी ऋण, भुनाए /खरीदे गए बिल, आढ़तीय प्राप्य राशियां आदि तथा इक्विटी स्वरूप के छोड़कर अन्य निवेश शामिल होंगे।

(ii) पूरी तरह प्रतिभूत

जब एनबीएफसी को देय राशियां (पुनर्रचित ऋण की शर्तों के अनुसार मूलधन तथा प्राप्य ब्याज का वर्तमान मूल्य), उन राशियों के संबंध में एनबीएफसी के पक्ष में विधिवत् प्रभारित जमानत के मूल्य द्वारा पूरी तरह प्रतिभूत हैं, तब बैंक को देय राशियों को पूरी तरह प्रतिभूत समझा जाता है। जमानत वसूली योग्य मूल्य का मूल्यांकन करते समय प्राथमिक तथा संपार्श्विक प्रतिभूतियों की भी गणना की जाएगी, बशर्ते ऐसी प्रतिभूतियां मूर्त स्वरूप की हैं और प्रवर्तक /अन्यों की गारंटी आदि जैसे अमूर्त रूप में नहीं हैं। तथापि, इस प्रयोजन के लिए बैंक की गारंटियों, राज्य सरकार की गारंटियों तथा केंद्र सरकार की गारंटियों को मूर्त जमानत के समतुल्य माना जाएगा।

(iii) पुनर्रचित खाते

पुनर्रचित खाता ऐसा खाता है जहां एनबीएफसी उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाई से संबंधित आर्थिक अथवा विधिक कारणों के लिए उधारकर्ता को ऐसी रियायतें प्रदान करता है जिन्हें प्रदान करने पर एनबीएफसी अन्यथा विचार न करता। पुनर्रचना में सामान्यतः अग्रिमों /जमानत की शर्तों में संशोधन किया जाएगा जिसमें सामान्यतः अन्य बातों के साथ चुकौती की अवधि/चुकौती योग्य राशि/किस्तों की राशि/ब्याज की दर (स्पर्धा संबंधी कारणों को छोड़कर अन्य कारणों से) में परिवर्तन शामिल होगा। तथापि, फ्लोटिंग ऋण दर के भुगतान की अवधि को ब्याज दर पुनर्निधारण पर विस्तारित किया गया, ताकि ईएमआई अपरिवर्तित रहे, बशर्ते कि यह खाता की श्रेणी पर एकरूपता से लागू हो और खातों को 'पुनर्रचना खाता' के रूप में वर्गीकृत करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। अन्य शब्दों में संपूर्ण श्रेणी के संबंध में व्यक्तिगत उधारकर्ता के प्रति ईएमआई विस्तार अथवा स्थगन किए जाने से है वे खाते 'पुनर्रचना खाते' की श्रेणी में वर्गीकृत हो जाएंगे।

अल्प अवधि ऋण के रोल ओवर के मामले में, जहां व्यवस्थित पूर्व मूल्यांकन मंजूरी किया गया था तथा उधारकर्ता के वास्तिवक आवश्यकता के आधार पर रोल ओवर को मंजूरी दी गई थी तथा उधारकर्ता के क्रेडिट कमजोरी के कारण कोई रियायत नहीं दी गई थी, ऐसी स्थिति में खातों को पुनर्रचना खाते के रूप में विचार नहीं किया जाए। तथापि ऐसे खाते यदि दो से अधिक बार रोल ओवर किया गया है तब तीसरे और उससे अगले रोल ओवर के लिए खाता को पुनर्रचित माना जाएगा।

इसके साथ साथ, एनबीएफसी को ऐसी सुविधा मंजूर करते समय सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि उधारकर्ता अन्य बैंक/सहायता संघ के क्रेडिटर से अथवा बहु-बैंकिंग के तहत इस सुविधा को प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त, इस प्रावधान के उद्देश्य से अल्प अवधि ऋण को नियमित कार्यशील पूंजी ऋण जैसे परिक्रामी नकद ऋण अथवा कार्यशील पूंजी मांग ऋण के रूप में शामिल कर मूल्यांकित नहीं किया जाएगा।

(iv) पुनरावृत्त पुनर्रचित खाते

जब कोई एनबीएफसी किसी खाते की दूसरी (अथवा उससे अधिक) बार पुनर्रचना करती है तो उस खाते को पुनरावृत्त पुनर्रचित खाता' समझा जाएगा। तथापि, पहली पुनर्रचना की शर्तों के अंतर्गत प्रदान की गई रियायतों की अवधि समाप्त होने के बाद यदि दूसरी पुनर्रचना की जाती है तो उस खाते को 'पुनरावृत्त पुनर्रचित खाता' नहीं समझा जाएगा।

(v) एसएमई

लघु तथा मध्यम उद्यम समय-समय पर संशोधित ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग के 4 अप्रैल 2007 के परिपत्र ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं.63.06.02/2006-07 में परिभाषित उपक्रम है।

(vi) निर्दिष्ट अवधि

निर्दिष्ट अवधि का अर्थ है पुनर्रचना पैकेज के नियम के तहत ऋण सुविधा के लिए लम्बी अवधि अधिस्थगन पर पुनर्रचना पैकेज की शर्तों के अनुसार ब्याज अथवा मूल धन की किस्त की पहली अदायगी देय होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि।

(vii) संतोषजनक कार्यनिष्पादन

निर्दिष्ट अवधि के दौरान संतोषजनक कार्यनिष्पादन का अर्थ उस अवधि के दौरान निम्नलिखित शर्तों का पालन किए जाने से है।

कृषीतर मीयादी ऋण खाते

कृषीतर मीयादी ऋण खातों के मामलें में ,कोई भुगतान उस समय अवधि के दिनों से अधिक समय के लिए बकाया नहीं होना चाहिए ,जिसके लिए उसे एनपीए में वर्गीकृत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर कोई बकाया नहीं होना चाहिए।

* नोट:

(i) ईएमआई को बनाये रखते हुए गृह ऋण के संबंध में भुगतान अवधि को विस्तारित करते समय, एनबीएफसी को विस्तारित समयवधि सहित पूरे भुगतान की अवधि के दौरान उधारकर्ता के भुगतान /राजस्व अर्जन क्षमता के प्रति स्वयं को संतुष्ट करना होगा।

(ii) एनबीएफसी ऐसे उधारकर्ता के भुगतान अवधि को विस्तारित नहीं करेगी जहां विस्तारित अवधि के बाद भी भुगतान के संबंध में चिंताएं व्याप्त हो, यद्पि ईएमआई अपरिवर्तन को बनाये रखते हुए उधारकर्ता अवधि में विस्तार की इच्छा रखता हो।

(iii) एनबीएफसी ऐसे उधारकर्ता को उच्च ईएमआई का विकल्प प्रदान करें जो मूल भुगतान अवधि के अनुसार गृह ऋण का भुगतान करना चाहते है।

अनुलग्नक 3

सहायता संघीय/बहु बैंकिंग/समूहन व्यवस्थाओं के अंतर्गत अग्रिमों की पुनर्रचना के लिए संगठनात्मक संरचना

ए. कंपनी ऋण पुनर्रचना (सीडीआर) प्रणाली

1.1 उद्देश्य

कंपनी ऋण पुनर्रचना फ्रेमवर्क का उद्देश्य औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआइएफआर), ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डी आर टी) तथा अन्य कानूनी कार्यवाही की परिधि से बाहर समस्याओं का सामना कर रही, संभाव्य क्षमता वाली कंपनियों के कंपनी ऋणों की पुनर्रचना के लिए समय पर और पारदर्शी तंत्र सुनिश्चित करना है, जो सभी संबंधित संस्थाओं के लिए लाभदायक हो। विशेष रूप से संरचना का लक्ष्य संभाव्य क्षमता वाली उन कंपनियों को बचाना होगा जो कतिपय आंतरिक और बाह्य कारकों से प्रभावित हों और इसका उद्देश्य ऋणदाताओं तथा अन्य हितधारकों की हानियों को सुव्यवस्थित और समन्वित पुनर्रचना कार्यक्रम के माध्यम से कम करना भी है।

1.2 व्याप्ति

एक से अधिक बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने वाले उधारकर्ताओं के अग्रिमों की समन्वित तरीके से पुनर्रचना करने के लिए सीडीआर प्रणाली को तैयार किया गया है। सीडीआर प्रणाली एक संगठनात्मक संरचना है जिसे एक से अधिक बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से वित्त लेनेवाले बड़े उधारकर्ताओं के पुनर्रचना के प्रस्तावों के तेजी से निपटान के लिए एक स्थायी रूप दिया गया है । यह प्रणाली किसी भी प्रकार के कार्य करनेवाले सभी उधारकर्ताओं को निम्नलिखित शर्तों के अधीन उपलब्ध होगी

ए) उधारकर्ता उधार देने की बहु बैंकिंग/समूहन/सहायता संघीय प्रणाली के अंतर्गत एक से अधिक बैंक/वित्तीय संस्थाओं से उधार सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।

बी) कुल बकाया एक्सपोजर (निधि आधारित तथा निधीतर आधारित) 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक है ।

हमारे देश में कंपनी ऋण पुनर्रचना प्रणाली का संरचना तीन स्तरीय होगाः

- कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच और उसका मुख्य समूह
- कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह
- कंपनी ऋण पुनर्रचना कक्ष

2. कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच

2.1 कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच इस प्रणाली में भाग लेने वाली सभी वित्तीय संस्थाओं और बैंकों का प्रतिनिधिक सामान्य निकाय (बॉडी) होगा। सभी वित्तीय संस्थाओं और बैंकों को अपने हित में इस प्रणाली में भाग लेना चाहिए। कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच स्वयं में एक अधिकार प्राप्त निकाय होगा, जो नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करेगा तथा कंपनी ऋण पुनर्रचना की प्रगति पर निगरानी रखेगा।

2.2 यह मंच ऋणदाताओं और ऋणकर्ताओं दोनों के लिए (परामर्श द्वारा) सभी संबंधित संस्थाओं के हित में ऋण पुनर्रचना योजनाएं बनाने के लिए नीतियां और दिशानिर्देश परस्पर सहमति से और सामूहिक रूप से विकसित करने के लिए एक आधिकारिक मंच प्रदान करेगा।

2.3 कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड; अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक; प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक निदेशक, आईसीआईसीआई बैंक; अध्यक्ष, भारतीय बैंक संघ और साथ ही प्रणाली में स्थायी सदस्य के रूप में भाग लेने वाले सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक शामिल होंगे। चूंकि भारतीय यूनिट ट्रस्ट, साधारण बीमा निगम, जीवन बीमा निगम जैसी संस्थाओं को कुछ ऋणकर्ताओं के संबंध में ऋण जोखिम उठाने पड़े होंगे, अतः ये संस्थाएं कंपनी ऋण पुनर्रचना प्रणाली में भाग ले सकती हैं। यह मंच एक वर्ष की अवधि के लिए अपना अध्यक्ष चुनेगा और बाद के वर्षों में क्रमिक रूप से चयन का सिद्धांत अपनाया जायेगा। परंतु यह मंच कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच को मार्गदर्शन देने और मंच के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए पूर्णकालिक अधिकारी के रूप में एक कार्यकारी अध्यक्ष रखने का निर्णय कर सकता है। रिज़र्व बैंक, कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच और मुख्य समूह का सदस्य नहीं होगा। इसकी भूमिका विस्तृत दिशानिर्देश प्रदान करने तक सीमित होगी।

2.4 कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच की बैठक हर छः महीने में कम से कम एक बार होगी और मंच कंपनी ऋण पुनर्रचना प्रणाली की प्रगति की समीक्षा करेगा और उस पर निगरानी रखेगा। यह मंच ऋण की पुनर्रचना के लिए कंपनी ऋण पुनर्रचना (सीडीआर) अधिकारप्राप्त समूह और कंपनी ऋण पुनर्रचना (सीडीआर) कक्ष द्वारा अपनायी जानेवाली नीतियाँ और दिशानिर्देश जिनमें पुनर्रचना के लिए महत्वपूर्ण मानदंड शामिल हैं (उदाहरण के लिए पुनर्रचना पैकेज के अंतर्गत किसी इकाई के सक्षम हो जाने की अधिकतम अवधि, प्रवर्तकों के न्यूनतम स्तर के त्याग आदि) भी निर्धारित करेगा तथा उनके सुचारु रूप से कार्य निष्पादन और ऋण पुनर्रचना के लिए निर्धारित समय अनुसूचियों का पालन सुनिश्चित करेगा। यह मंच कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह और ऋण पुनर्रचना कक्ष के अलग-अलग निर्णयों की भी समीक्षा करेगा। कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच उन मामलों के निपटान के लिए विशेष व्यवहार हेतु दिशानिर्देश भी बना सकता है जो जटिल हैं तथा जिनमें उन पर कार्रवाई के लिए निर्दिष्ट समय-सीमा से अधिक देरी होने की संभावना है।

2.5 कंपनी ऋण पुनर्रचना का मुख्य समूह (कोर ग्रुप) कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच में से बनाया जायेगा, जो स्थायी मंच की ओर से बैठकों के संयोजन और नीति संबंधी निर्णय लेने में स्थायी मंच की सहायता करेगा । इस मुख्य समूह में आईडीबीआई, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक लि., बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नैशनल बैंक, भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यपालक होंगे तथा भारतीय बैंक संघ के उपाध्यक्ष भी होंगे जो भारत में विदेशी बैंकों का प्रतिनिधित्व करते है।

2.6 कंपनी ऋण पुनर्रचना मुख्य समूह ऋण की पुनर्रचना के लिए कंपनी ऋण पुनर्रचना (सीडीआर) अधिकारप्राप्त समूह और कंपनी ऋण पुनर्रचना (सीडीआर) कक्ष द्वारा अपनायी जाने वाली नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करेगा। इन दिशा-निर्देशों में कंपनी ऋण पुनर्विन्यास अधिकारप्राप्त समूह की कार्यप्रणाली में अनुभव की गयी परिचालन संबंधी कठिनाइयों को उपयुक्त रूप से दूर करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। कंपनी ऋण पुनर्रचना मुख्य समूह कंपनी ऋण पुनर्रचना प्रणाली को भेजे जाने वाले मामलों की जांच के लिए पर्ट(PERT) चार्ट भी निर्धारित करेगा तथा समय सीमा को लागू करने के तरीकों पर निर्णय लेगा। कंपनी ऋण पुनर्रचना मुख्य समूह ऐसे दिशा-निर्देश भी निर्धारित करेगा जिनसे यह

सुनिश्चित हो कि पुनर्रचना प्रस्ताव तैयार/अनुमोदित करते समय अति आशावादी अनुमान (प्रोजेक्शन) नहीं किये जाते, विशेष रूप से क्षमता के उपयोग, उत्पाद की कीमत, लाभ मार्जिन, मांग, कच्चे माल की उपलब्धता, आगत-निर्गत अनुपात तथा आयातों/अंतरराष्ट्रीय लागत संबंधी प्रतिस्पर्धा के संभावित प्रभाव के संबंध में।

3. कंपनी ऋण पुनर्रचना (सीडीआर) अधिकारप्राप्त समूह

3.1 सीडीआर के अलग-अलग मामलों का निर्णय कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह द्वारा किया जायेगा, जिसमें आईडीबीआई लि., आईसीआईसीआई बैंक लि. और भारतीय स्टेट बैंक के कार्यपालक निदेशक के स्तर के प्रतिनिधि स्थायी सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त वित्तीय संस्थाओं और बैंकों के कार्यपालक निदेशक के स्तर के प्रतिनिधि तो होंगे ही जिनका संबंधित कंपनी के प्रति ऋण आदि जोखिम विद्यमान है । जहां स्थायी सदस्य समूह की बैठकों के संचालन को सुसाध्य बनाएंगे, वहीं वोटिंग केवल ऋणदाताओं के ऋण जोखिम के अनुपात में होगी। कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह प्रभावशाली एवं व्यापक आधार वाला हो तथा कुशलतापूर्वक और सुचारु रूप से कार्य कर सके, इसके लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि सहभागी संस्थाएं /बैंक वरिष्ठ अधिकारियों के ऐसे पैनल को अनुमोदित करें जो कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह में उनका प्रतिनिधित्व करें और यह सुनिश्चित किया जाये कि वे कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह की बैठकों में भाग लेने के लिए पैनल में से ही अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जाता है। इसके साथ ही, एक खाते से संबंधित बैठक में भाग लेने वाले नामिती को ही उस खाते से संबंधित सभी बैठकों में अनिवार्यतः भाग लेना चाहिए, न कि उनके प्रतिनिधियों को।

3.2 कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप से वरिष्ठ स्तर का होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संबंधित बैंक/ वित्तीय संस्था त्याग सहित ऋण पुनर्रचना की आवश्यक वचनबद्धताओं का पालन करती है। सहभागी संस्थाओं/बैंकों के संबंधित बोर्डों द्वारा कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह के प्रतिनिधियों के पक्ष में सामान्य प्राधिकरण होना चाहिए, जिसमें अलग-अलग कंपनियों के ऋण पुनर्रचना के संबंध में संगठन की ओर से निर्णय लेने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया हो।

3.3 उक्त अधिकारप्राप्त समूह सीडीआर कक्ष द्वारा उसे प्रस्तुत पुनर्रचना के अनुरोधों के सभी मामलों की प्रारंभिक रिपोर्ट पर विचार करेगा। अधिकारप्राप्त समूह द्वारा यह निर्णय किये जाने के बाद कि प्रथम दृष्टि में कंपनी की पुनर्रचना संभव है और स्थायी मंच द्वारा बनायी गयी नीति और दिशा-निर्देशों के अनुसार यह उद्यम संभाव्य रूप से अर्थक्षम है, तो सी डी आर कक्ष द्वारा प्रमुख संस्था के सहयोग से विस्तृत पुनर्रचना पैकेज तैयार किया जायेगा। तथापि, यदि प्रमुख संस्थान के सामने विस्तृत पुनर्रचना पैकेज कार्यक्रम बनाने में कठिनाई आती है तो सहभागी बैंकों /वित्तीय संस्थाओं को ऐसी वैकल्पिक संस्था/बैंक का निर्णय लेना चाहिए जो अधिकारप्राप्त समूह की पहली बैठक में, जब कंपनी ऋण पुनर्रचना कक्ष की प्रारंभिक रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा हो, विस्तृत पुनर्रचना कार्यक्रम तैयार करेगा।

3.4 कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह को ऋण की पुनर्रचना के प्रत्येक मामले को देखने, कंपनी की अर्थक्षमता तथा पुनर्व्यवस्था की संभावना की जांच करने तथा 90 दिन की विनिर्दिष्ट अवधि अथवा अधिकारप्राप्त समूह को मामला प्राप्त होने के अधिक से अधिक 180 दिन के भीतर पुनर्रचना पैकेज को अनुमोदित करने का कार्य सौंपा जायेगा। कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह निम्नलिखित

उदाहरणस्वरूप मानदंडों के आधार पर स्वीकार्य व्यवहार्यता आधार (बेंचमार्क) स्तर निश्चित करेगा, जो अलग-अलग मामले के गुणदोषों के आधार पर प्रत्येक मामले के आधार पर लागू होंगे

* लगायी गयी पूंजी पर प्रतिफल (आरओसीई)
* ऋण शोधन व्याप्ति अनुपात (डीएससीआर)
* प्रतिफल की आंतरिक दर और निधि की लागत के बीच अंतर
* परित्याग (सेक्रीफाइस) की सीमा

3.5 प्रत्येक बैंक /वित्तीय संस्था के बोर्ड द्वारा अपने मुख्य कार्यपालक अधिकारी और/या कार्यपालक निदेशक को प्राधिकृत किया जाना चाहिए कि वह कंपनी ऋण पुनर्रचना प्रणाली के पास आने वाले मामलों के संदर्भ में नियंत्रण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपेक्षित आवश्यकताओं सहित पुनर्रचना पैकेज कार्यक्रम के बारे में निर्णय ले सके। कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह प्रत्येक ऋण खाते के संदर्भ में दो या तीन बार मिलेगा। इससे सहभागी सदस्यों को उन मामलों के संदर्भ में जहां पुनर्रचना के जटिल महत्वपूर्ण मानदंड उन्हें दिये गये प्राधिकार की सीमा से ऊपर हैं, आवश्यकता होने पर अपने मुख्य कार्यपालक अधिकारी/कार्यपालक निदेशक से उचित प्राधिकार की मांग करने का अवसर प्राप्त होगा।

3.6 कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह के निर्णय अंतिम होंगे। यदि ऋण की पुनर्रचना अर्थक्षम और संभाव्य पायी जाये और अधिकारप्राप्त समूह द्वारा स्वीकार की जाये, तो कंपनी को पुनर्रचना प्रणाली में रखा जायेगा। तथापि, यदि पुनर्रचना को अर्थक्षम नहीं पाया जाये, तो लेनदार प्राप्य राशि की तत्काल वसूली और/या समापन या कंपनी को बंद करने के लिए सम्मिलित रूप से या अलग-अलग आवश्यक कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

4. कंपनी ऋण पुनर्रचना कक्ष (सीआरडी कक्ष)

4.1 सीडीआर स्थायी मंच तथा सीडीआर अधिकारप्राप्त समूह को उनके सभी कार्यों में एक कंपनी ऋण पुनर्रचना कक्ष द्वारा सहायता प्रदान की जायेगी। यह सीडीआर कक्ष ऋणकर्ताओं/ऋणदाताओं से प्राप्त प्रस्तावों की, प्रस्तावित पुनर्रचना योजना और अन्य सूचना मंगवाकर प्रारंभिक संवीक्षा करेगा और मामले को सीडीआर अधिकारप्राप्त समूह के समक्ष एक महीने के भीतर रखेगा, ताकि यह निर्णय किया जा सके कि प्रथम दृष्टि में पुनर्रचना संभाव्य है या नहीं। यदि संभाव्य है, तो सीडीआर कक्ष ऋणदाताओं की सहायता से विस्तृत पुनर्रचना योजना तैयार करेगा तथा यदि आवश्यक हुआ तो बाहर से विशेषज्ञों को भी कार्य में लगायेगा। यदि मामला प्रथम दृष्टि में संभाव्य नहीं पाया जाता तो ऋणदाता अपनी प्राप्य राशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू कर सकते हैं।

4.2 ऋणदाताओं या ऋणकर्ताओं द्वारा कंपनी ऋण पुनर्रचना के सभी मामले सी डी आर कक्ष को भेजे जायेंगे। अग्रणी संस्था /कंपनी के प्रमुख हितधारकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श कर प्रारंभिक पुनर्रचना योजना तैयार करें और एक महीने के भीतर सी डी आर कक्ष को प्रस्तुत करें। सीडीआर कक्ष सीडीआर स्थायी मंच द्वारा अनुमोदित सामान्य नीतियों और दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्रचना योजना तैयार करेगा तथा निर्णय के लिए 30 दिन के भीतर अधिकारप्राप्त समूह के समक्ष विचारार्थ रखेगा। अधिकारप्राप्त समूह उसे अनुमोदित कर सकता है या संशोधन का सुझाव दे सकता है, परंतु यह सुनिश्चित करना होगा कि अंतिम निर्णय 90 दिन की कुल अवधि के भीतर ले लिया

जाना चाहिए। तथापि, पर्याप्त कारण होने पर, यह अवधि सीडीआर कक्ष को मामला प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम 180 दिन तक बढ़ायी जा सकती है।

4.3 कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच, कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह और कंपनी ऋण पुनर्रचना कक्ष का कार्यस्थल प्रारंभ में आईडीबीआई लि. में होगा और उसके बाद यदि आवश्यक समझा जाए तो स्थायी मंच द्वारा निर्णय किये गये स्थान पर अंतरित किया जा सकेगा। प्रशासनिक तथा अन्य लागतों में सभी वित्तीय संस्थाओं और बैंकों की हिस्सेदारी होगी। हिस्सेदारी का स्वरूप स्थायी मंच द्वारा तय किये गये रूप में होगा।

4.4 सीडीआर कक्ष के लिए पर्याप्त स्टाफ-सदस्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से प्रतिनियुक्त किये जायेंगे। सीडीआर कक्ष बाहर के व्यावसायिकों की सहायता भी ले सकता है। सीडीआर कक्ष सहित कंपनी ऋण पुनर्रचना तंत्र के परिचालन की लागत की पूर्ति मुख्य समूह (कोर ग्रुप) में रहने वाली वित्तीय संस्थाओं और बैंकों से प्रत्येक द्वारा ₹50 लाख की दर से तथा अन्य संस्थाओं और बैंकों से प्रत्येक द्वारा ₹5 लाख की दर से अंशदान द्वारा की जायेगी।

5. अन्य विशेषताएं

5.1 पात्रता मानदंड

5.1.1 यह योजना उन खातों पर लागू नहीं होगी, जिनमें केवल एक वित्तीय संस्था या एक बैंक शामिल है। कंपनी ऋण पुनर्रचना तंत्र में बैंकों और संस्थाओं द्वारा दिये गये ₹10 करोड़ और उससे अधिक के निधि आधारित और गैर निधि आधारित बकाया ऋण आदि जोखिम वाले कंपनी उधारकर्ताओं के बहुविध बैंकिंग खाते/समूहन/सहायता संघीय खाते शामिल होंगे।

5.1.2 श्रेणी 1 सीडीआर प्रणाली केवल उन्हीं खातों पर लागू होगी जिन्हें 'मानक' और 'अवमानक' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसी स्थिति हो सकती है जहां किसी बैंक द्वारा ऋण का एक छोटा भाग ही संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किया गया हो। इस स्थिति में, यदि खाते को कम-से-कम 90 प्रतिशत ऋणदाताओं की बहियों में (मूल्य के अनुसार) 'मानक'/ 'अवमानक' के रूप में वर्गीकृत किया गया हो तो उसे 10 प्रतिशत शेष ऋणदाताओं की बहियों में सी डी आर के लिए पात्र के रूप में खाते का निर्णय करने के प्रयोजन के लिए ही मानक /अवमानक के रूप में माना जायेगा। सीडीआर प्रणाली को भेजने के पूर्व किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए खाते/कंपनी को रुग्ण, अनर्जक आस्ति होने या चूक वाली होने की आवश्यकता नहीं होगी। किंतु अनर्जक आस्ति के अर्थक्षम संभाव्य मामलों को प्राथमिकता मिलेगी। इस दृष्टिकोण से आवश्यक लचीलापन मिलेगा और ऋण पुनर्रचना के लिए समय पर हस्तक्षेप किया जा सकेगा। कोई मील का पत्थर निर्दिष्ट करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ऋण पुनर्रचना करने का कार्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा या उनकी सहमति से किया जा रहा है ।

5.1.3 जब कि किसी भी बैंक में धोखाधड़ी और कदाचार में लिप्त कार्पोरेटों को सीडीआर तंत्र के अंतर्गत पुनर्रचना के लिए अब तक की तरह अपात्र माना जाता रहेगा, प्रमुख समूह, जान बूझकर चूककरनेवालों को वर्गीकृत करने के कारणों की समीक्षा कर सकता है विशेषकर पुराने मामलों में जहां जानबूझकर चूक करने वाले के रूप में एक उधारकर्ता का वर्गीकरण करना पारदर्शी नहीं था तथा इस बात से स्वयं को संतुष्ट कर लेगा कि उधारकर्ता जानबूझकर उधार करने वाली स्थिति को सुधारने की स्थिति में है, बशर्ते सीडीआर तंत्र के अंतर्गत उसे एक अवसर दिया जाए। ऐसे अपवाद स्वरूप मामले सिर्फ प्रमुख समूह के अनुमोदन से ही पुनर्रचना के लिए स्वीकार किए जा सकते हैं। प्रमुख समूह यह सुनिश्चित करे कि धोखाधड़ी

या निधि के नाजायज इरादे के लिए विपथन के मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। अर्थक्षम खातों के आर्थिक मूल्य को बचाये रखने के दृष्टिकोण से यह निर्णय लिया गया है कि धोखाधड़ी/ अपराध के मामले में, जहाँ वर्तमान प्रवर्तकों को नये प्रवर्तकों द्वारा प्रस्थापित किया गया है और जहाँ उधारकर्ता कंपनी पूर्व के प्रवर्तकों/ प्रबंधन से पूरी तरह संपर्क विच्छेद हो गया है, तो एनबीएफसी और जेएलएफ पूर्व प्रवर्तकों/ प्रबंधन के विरुद्ध जारी आपराधिक कार्रवाई से पूर्वाग्रह के बिना अपनी अर्थक्षमता के आधार पर ऐसे खातों के पुनर्रचना पर विचार करे। इसके अतिरिक्त ऐसे खाते स्वामित्व में परिवर्तन के पश्चात पुनर्वित्तीयन हेतु उपलब्ध आस्ति वर्गीकरण लाभ के लिए पात्र होगें; बशर्ते कि स्वामित्व में ऐसा परिवर्तन "उधारकर्ता संस्थाओं (कार्यनीतिक ऋण पुनर्रचना योजना से बाहर) के स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रूडेंशियल मानदंड" विषय पर 24 सितंबर 2015 को जारी परिपत्र संख्या डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.41/21.04.048/2015-16 में दिये गए निर्देश के अनुसार हो। ऐसी आस्तियों के पुनर्रचना के संबंध में प्रत्येक एनबीएफसी अपने लिए बोर्ड द्वारा स्वीकृत नीति और अपेक्षाएं तय करेगी।

5.1.4 ऐसे खाते जहां ऋणदाता द्वारा कंपनी के खिलाफ वसूली मुकदमा दायर किया गया है, कंपनी ऋण पुनर्रचना प्रणाली के अंतर्गत विचार किये जाने के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कंपनी ऋण पुनर्रचना प्रणाली के अंतर्गत मामले को निपटाने के लिए ऋणदाताओं के कम से कम 75 प्रतिशत (मूल्य के अनुसार) और ऋणदाताओं के 60 प्रतिशत (संख्या के अनुसार) द्वारा कार्रवाई करने का निर्णय लिया हो।

5.1.5 औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के मामले कंपनी ऋण पुनर्रचना प्रणाली के अंतर्गत पुनर्रचना के लिए पात्र नहीं हैं। किंतु उक्त बोर्ड के उच्च मूल्य के मामले उस स्थिति में कंपनी ऋण पुनर्रचना प्रणाली के अंतर्गत पुनर्रचना के पात्र होंगे जब कंपनी ऋण पुनर्रचना मुख्य समूह द्वारा विशेष रूप से उनकी सिफारिश की गयी हो। मुख्य समूह अपवादस्वरूप बीआइएफआर के मामलों की कंपनी ऋण पुनर्रचना प्रणाली के अंतर्गत विचार किये जाने के लिए मामले-दर-मामले के आधार पर सिफारिश करेगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऋण देनेवाली संस्थाएं पैकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के पहले बी आई. एफ. आर. से अनुमोदन प्राप्त करने संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी करती हैं।

5.2 कंपनी ऋण पुनर्रचना प्रणाली को मामला भेजना

5.2.1 कंपनी ऋण पुनर्रचना तंत्र को मामला निम्नलिखित द्वारा भेजा जा सकता है - (i) किसी एक या अधिक ऐसे जमानती ऋणदाता द्वारा जिसका कार्यकारी पूंजी या मीयादी वित्त में न्यूनतम 20 प्रतिशत अंश है या (ii) संबंधित कंपनी द्वारा, यदि किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा समर्थित हो जिसका उपर्युक्त (i) में दिये गये अनुसार हिस्सेदारी हो।

5.2.2 हालांकि लचीलापन उपलब्ध है, जिसके द्वारा ऋणदाता कंपनी ऋण पुनर्रचना प्रणाली की परिधि के बाहर पुनर्रचना पर विचार कर सकते हैं अथवा जहां आवश्यक हो, वहां कानूनी कार्यवाही भी शुरू कर सकते हैं, फिर भी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को ऐसे सभी पात्र मामलों की समीक्षा करनी चाहिए जिनमें वित्तीय प्रणाली का ऋण आदि जोखिम ₹100 करोड़ से अधिक है तथा इस बारे में निर्णय करना चाहिए कि मामला कंपनी ऋण पुनर्रचना प्रणाली को भेजा जाए या नये वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत कार्रवाई की जाये या ऋण वसूली न्यायाधिकरण आदि के अंतर्गत मुकदमा दायर किया जाये।

5.3 कानूनी आधार

5.3.1 सीडीआर प्रक्रिया एक गैर-सांविधिक प्रक्रिया होगी जो ऋणकर्ता - ऋणदाता करार (डीसीए) और अंतर -ऋणदाता करार (आइसीए) पर आधारित स्वैच्छिक प्रणाली होगी। कंपनी ऋण पुनर्रचना तंत्र के लिए कानूनी आधार ऋणकर्ता - ऋणदाता करार (डीसीए) और अंतर-ऋणदाता करार द्वारा प्रदान किया जायेगा। ऋणकर्ता को या तो मूल ऋण के दस्तावेज तैयार करते समय (भविष्य के मामलों के लिए) अथवा कंपनी ऋण पुनर्रचना कक्ष को मामला भेजते समय ऋणकर्ता - ऋणदाता करार को स्वीकार करना होगा। इसी तरह, स्थायी मंच की अपनी सदस्यता के माध्यम से सीडीआर तंत्र के सभी सहभागियों को, आवश्यक प्रवर्तन और दंडात्मक शर्तों सहित, निर्धारित नीतियों और दिशानिर्देशों के माध्यम से प्रणाली को परिचालित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी करार करना होगा। ऋणदाताओं द्वारा हस्ताक्षरित आइसीए प्रारंभ में 3 वर्ष के लिए वैध होगा, जिसे उसके बाद और 3 वर्ष के लिए नवीकृत किया जा सकेगा। विदेशी मुद्रा में देश से बाहर ऋण प्रदान करनेवाले ऋणदाता सीडीआर प्रणाली में भाग नहीं ले सकेंगे। ऐसे ऋणदाता और जीआईसी, एलआईसी, यूटीआई आदि ऋणदाता जो सीडीआर प्रणाली में शामिल नहीं हुए हैं, किसी कार्पोरेट विशेष की सीडीआर प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं और इसके लिए उन्हें कार्पोरेट से संबंधित ऋण आदि जोखिम के लिए लेनदेन-वार आईसीए पर हस्ताक्षर करना होगा।

5.3.2 अंतर-ऋणदाता करार अपेक्षित प्रवर्तन और दंडात्मक शर्तों के साथ ऋणदाताओं के बीच कानूनी बाध्यता का करार होगा, जिसमें ऋणदाताओं को सी डी आर तंत्र के विभिन्न तत्वों का पालन करने का उन्हें वचन देना होगा। साथ ही, ऋणदाताओं को इससे सहमत होना पड़ेगा कि यदि मूल्य के आधार पर 75 प्रतिशत और संख्या के आधार पर 60 प्रतिशत ऋणदाता वर्तमान ऋण (अर्थात् बकाया ऋण) के पुनर्रचना पैकेज के लिए सहमत होते हैं, तो वही शेष ऋणदाताओं पर भी बाध्यकारी होगा। चूंकि सीडीआर योजना के वर्ग 1 में मानक और अवमानक खाते ही आते हैं जिनके संबंध में मूल्य के आधार पर 75 प्रतिशत और संख्या के आधार पर 60 प्रतिशत ऋणदाताओं के विचार में सीडीआर पैकेज लागू होने के बाद ये निष्पादक हो सकते हैं, अतः यह अपेक्षा की जाती है कि अन्य सभी ऋणदाता (अर्थात् न्यूनतम मूल्य के आधार पर 75 प्रतिशत और संख्या के आधार पर 60 प्रतिशत से भिन्न) सहमत अतिरिक्त वित्तपोषण सहित समग्र सीडीआर पैकेज में शामिल होने के इच्छुक होंगे।

5.3.3 सीडीआर तंत्र का प्रभाव बढ़ाने के लिए सहायता संघ/समूहन खातों के ऋण करारों में एक खंड जोड़ा जा सकता है, जिससे उन ऋणदाताओं सहित जो सीडीआर तंत्र के सदस्य नहीं हैं, सभी ऋणदाता इस बात के लिए सहमति दें कि वे पुनर्रचना आवश्यकता पड़ने पर सीडीआर तंत्र के अंतर्गत अनुमोदित पुनर्रचना पैकेज की शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

5.3.4 ऋणकर्ता-ऋणदाता करार का एक महत्वपूर्ण तत्व दोनों ओर से 90 दिन या 180 दिनों के लिए बाध्यकारी 'स्टैंड स्टिल' करार होगा। इस खंड के अंतर्गत, ऋणकर्ता और ऋणदाता (ऋणदाताओं) दोनों को कानूनी तौर पर बाध्यकारी 'स्टैंड स्टिल' के लिए सहमत होना पड़ेगा, जिससे दोनों पार्टियों को 'स्टैंड स्टिल' अवधि के दौरान किसी अन्य कानूनी कार्रवाई का सहारा न लेने का वचन देना होगा, ताकि न्यायिक अथवा अन्य किसी बाहरी हस्तक्षेप के बिना आवश्यक ऋण पुनर्रचना करने के लिए सीडीआर तंत्र आवश्यक कदम उठा सके। परंतु स्टैंड स्टिल खंड ऋणकर्ता अथवा ऋणदाता द्वारा दूसरे पक्ष के विरुद्ध सिविल कार्रवाई के लिए लागू होगा, न कि किसी आपराधिक कार्रवाई के लिए। इसके अतिरिक्त, स्टैंड स्टिल की अवधि के दौरान बकाया विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं (फॉरवर्ड कंट्रेक्ट्स), डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स आदि को निश्चित रूप (क्रिस्टेलाइजेशन) दिया जा सकता है, बशर्ते कि उधारकर्ता ऐसा करने के लिए

सहमत हो। ऋणकर्ता यह अतिरिक्त वचन भी देगा कि स्टैंड स्टिल की अवधि के दौरान परिसीमन (लिमिटेशन) के प्रयोजन के लिए दस्तावेज की परिसीमन अवधि विस्तारित हुई मानी जायेगी और यह भी कि वह राहत के लिए किसी अन्य प्राधिकारी के पास नहीं जायेगा और ऋणकर्ता कंपनी के निदेशक यथास्थिति की इस अवधि के दौरान निदेशक मंडल से इस्तीफा नहीं देंगे।

5.4 अतिरिक्त वित्त का बंटवारा

5.4.1 'मानक' या 'अवमानक' खाते के सभी ऋणदाताओं द्वारा समानुपातिक आधार पर अतिरिक्त वित्त, यदि कोई हो, प्रदान करना होगा चाहे वे कार्यशील पूंजी ऋणदाता हों या मीयादी ऋणदाता। किसी आंतरिक कारण से कोई भी ऋणदाता (न्यूनतम 75 प्रतिशत और 60 प्रतिशत से बाहर) अतिरिक्त वित्तपोषण नहीं करना चाहता, उस ऋणदाता को पैरा 5.6 के प्रावधानों के अनुसार एक विकल्प उपलब्ध होगा।

5.4.2 अतिरिक्त एक्सपोज़र के संबंध में वसूलियों से प्राप्त होनेवाले नकदी प्रवाहों पर अतिरिक्त वित्त प्रदान करनेवाले मौजूदा ऋणदाताओं अथवा नए ऋणदाताओं का विद्यमान वित्त के प्रदाताओं की अपेक्षा पहला अधिकार होगा और पुनर्रचना पैकेज में ऐसी व्यवस्था की जाएगी।

5.5 प्रणाली से बाहर होने का विकल्प

5.5.1 जैसा कि पैराग्राफ 5.4.1 में उल्लेख किया गया है, किसी भी ऋणदाता (न्यूनतम 75 प्रतिशत और 60 प्रतिशत से बाहर) जो किसी आंतरिक कारण से वित्त नहीं लगाना चाहता के लिए एक विकल्प उपलब्ध होगा। साथ ही, "फ्री राइडर" समस्या से बचने के लिए इस विकल्प को अपनाने के इच्छुक ऋणदाता के लिए कुछ निरुत्साहक कार्रवाई करना जरूरी है। ऐसे ऋणदाता चाहे तो (ए) नए या वर्तमान ऋणदाता द्वारा प्रदान किए जाने वाले अतिरिक्त वित्त में से अपने शेयर (हिस्से) की व्यवस्था करे या (बी) सीडीआर पैकेज प्रभावी हो जाने के बाद, प्रथम वर्ष के देय ब्याज को आस्थगित करने के लिए सहमत हो। ऊपर उल्लिखित आस्थगित प्रथम वर्ष का ब्याज, बिना चक्रवृद्धि ब्याज के, ऋणदाता को देय मूलधन की अंतिम किस्त के साथ अदा करना होगा।

5.5.2 इसके अतिरिक्त, प्रणाली से बाहर होने का विकल्प भी न्यूनतम 75 प्रतिशत और 60 प्रतिशत के अंतर्गत सभी ऋणदाताओं के लिए उपलब्ध रहेगा बशर्ते खरीदार, अधिकारप्राप्त समूह द्वारा अनुमोदित पुनर्रचना पैकेज का पालन करने के लिए सहमत हो। वर्तमान ऋणदाताओं को उधारकार्ता को उनके विद्यमान ऋण आदि जोखिम के स्तर पर रहने दिया जाए बशर्ते वे वर्तमान ऋणदाताओं के साथ या अतिरिक्त वित्त के अपने अंश को वहन करनेवाले नए ऋणदाताओं के साथ गठजोड़ करें।

5.5.3 पैकेज से बाहर जाने की इच्छा रखने वाले ऋणदाताओं को एक विकल्प है कि वे अपने विद्यमान शेयर, वर्तमान ऋणदाताओं या नए ऋणदाताओं को एक उचित मूल्य पर बेच सकते हैं, जो वर्तमान ऋणदाता और भारग्रहण करनेवाले नए ऋणदाता के बीच आपसी समझौते से तय किया जाएगा। नए ऋणदाताओं को चुकौती और प्राप्य राशि की सर्विसिंग के लिए समान स्थान पर रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने वर्तमान ऋणदाता से विद्यमान प्राप्य राशिका अधिग्रहण किया है ।

5.5.4 प्रणाली से बाहर जाने के विकल्प को अधिक लचीला बनाने के लिए पुनर्रचना पैकेज के एक हिस्से के तौर पर जहां आवश्यक हो वहां 'एक मुश्त निपटान' करने पर भी विचार किया जा सकता है। यदि उधारकर्ता द्वारा किसी ऋणदाता के किसी खाते को सीडीआर तंत्र में भेजने से पहले 'एक मुश्त निपटान' के अधीन कर दिया जाता है, तो पुनर्रचना पैकेज के अंतर्गत ऐसे किसी भी 'एक मुश्त निपटान' की पूरित प्रतिबद्धता को नहीं उलटा जाए । ऐसे 'एक मुश्त निपटान' से निकलने वाली आगे की भुगतान प्रतिद्धताओं को पुनर्रचना पैकेज में फैक्टर किया जाएगा।

5.6 श्रेणी 2 सीडीआर प्रणाली

5.6.1 ऐसे मामले भी हुए हैं जहां परियोजना को ऋणदाताओं द्वारा संभाव्यता वाली परियोजना के रूप में माना गया, परंतु खातों को सी डी आर प्रणाली के अंतर्गत पुनर्रचना के लिए इसलिए नहीं लिया जा सका कि वे 'संदिग्ध' की श्रेणी में आते थे। अतः सीडीआर की दूसरी श्रेणी का ऐसे मामलों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रारंभ किया गया जहां खातों को ऋणदाता द्वारा बहियों में 'संदिग्ध' के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा ऋणदाताओं का न्यूनतम 75 प्रतिशत (मूल्य के आधार पर) और 60 प्रतिशत (संख्या के आधार पर) खातों की संभाव्यता से संतुष्ट होकर ऐसे पुनर्रचना के लिए सहमत है:

(i) ऋण पुनर्रचना पैकेज के अंतर्गत ऋणदाता के लिए यह बाध्यता नहीं होगी कि वह पैकेज द्वारा निर्धारित अतिरिक्त वित्तपोषण को स्वीकार करे और ऋण देने अथवा न देने का निर्णय प्रत्येक ऋणदाता बैंक/वित्तीय संस्था पर अलग से निर्भर होगा । दूसरे शब्दों में, सीडीआर तंत्र के प्रस्तावित केवल विद्यमान ऋण पुनर्व्यवस्थापित किया जायेगा और यह प्रायोजक पर निर्भर है कि अतिरिक्त वित्तपोषण की व्यवस्था विद्यमान ऋणदाताओं से की जाये अथवा नये ऋणदाताओं से।

(ii) सीडीआर प्रक्रिया संबंधी अन्य सभी मानदंड, जैसे कि स्टैंड स्टिल खंड, सीडीआर के अंतर्गत पुनर्रचना लंबित रहने की अवधि के दौरान आस्ति वर्गीकरण की स्थिति आदि इस श्रेणी के लिए भी लागू होते रहेंगे।

5.6.2 कोई एकल मामला भारतीय रिज़र्व बैंक को न भेजा जाए। सीडीआर कोर समूह यह निर्णय ले सकता है कि कोई विशिष्ट मामला सीडीआर दिशा-निर्देशों के अधीन आता है अथवा नहीं।

5.6.3 सीडीआर प्रणाली की अन्य सभी विशिष्टताएं जो प्रथम श्रेणी के लिए प्रयोज्य हैं, वे सभी दूसरी श्रेणी के अंतर्गत पुनर्व्यवस्थापित मामलों के लिए भी लागू होंगी।

5.7 'प्रतिदान का अधिकार' खंड का समावेश

सीडीआर अनुमत सभी पैकेजों में त्वरित गति से चुकौती करने के ऋणदाताओं के अधिकार और समय से पहले भुगतान करने के उधारकर्ताओं के अधिकार को शामिल करना चाहिए। सभी पुनर्रचना पैकेजों में आवश्यक रूप से क्षतिपूर्ति का अधिकार" क्लॉज को शामिल किया जाए तथा यह उधारकर्ता के निश्चित कार्यनिष्पादन मानदंड पर " आधारित होना चाहिए। किसी भी मामले में, न्यूनतम 75 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि ऋणदाता से वसूल किया जाना चाहिए तथा कुछ मामले जहां ऋण दर को केवल पुनर्रचना सुविधा के लिए विस्तारित किया गया है वहां 100 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि वसूल किया जाए।

बी. लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए ऋण पुनर्रचना प्रणाली

लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) द्वारा लिए गए ऋणों की पुनर्रचना के लिए सीडीआर प्रणाली के अलावा एक और काफी सरल प्रणाली विद्यमान है । सीडीआर प्रणाली के विपरीत इस प्रणाली के परिचालनगत नियम संबंधित बैंकों को ही बनाने हैं । यह प्रणाली उन सभी उधारकर्ताओं पर लागू होगी जिनका बहु/सहायता संघीय बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत ₹10 करोड़ तक का निधिक तथा निधीतर बकाया है । इस व्यवस्था के मुख्य तत्व निम्नानुसार हैं

(i) इस प्रणाली के अंतर्गत बैंक अपने निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रूडेंशियल मानदंडों के भीतर एसएमई के लिए एक ऋण पुनर्रचना योजना बना सकते हैं। बैंक चाहें तो एसएमई के भीतर ही भिन्न क्षेत्रों के उधारकर्ताओं के लिए भिन्न नीतियां बना सकते है ।

(ii) योजना बनाते समय बैंक यह सुनिश्चित करें कि योजना समझने में आसान है और उसमें कम-से-कम इन दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट मानदंड शामिल हैं।

(iii) योजना का मुख्य आधार यह है कि जिस बैंक का अधिकतम बकाया है वह ऐसे बैंक के साथ मिलकर पुनर्रचना पैकेज बना सकता है जिसका बकाया राशि में दूसरा सर्वाधिक हिस्सा है ।

(iv) बैंकों को अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से 90 दिन की अधिकतम अवधि के भीतर पुनर्रचना पैकेज बनाकर उसका कार्यान्वयन करना चाहिए।

(v) एसएमई ऋण पुनर्रचना प्रणाली किसी भी प्रकारके कार्यकलाप से जुड़े सभी उधारकर्ताओं को उपलब्ध होग ।

(vi) एसएमई खातों के पुनर्वास तथा पुनर्रचना में हुई प्रगति की बैंक तिमाही आधार पर समीक्षा करेंगे और बोर्ड को अवगत कराएंगें।

अनुलग्नक 4

पुनर्रचित खातों का प्रकटीकरण

क्रसं	पुनर्रचना का प्रकार		सीडीआर पद्धति के तहत					एसएमई कर्ज पुनर्रचना पद्धति के तहत					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण		मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानी	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानी	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानी	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानी	कुल
	ब्योरा																					
1	वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को पुनर्रचित खाते) प्रारंभिक आंकड़े*(	उधारकर्ताओं की संख्या																				
		बकाया राशि																				
		किया गया प्रावधान																				
2	वर्ष के दौरान की गई नई पुनर्रचना	उधारकर्ताओं की संख्या																				
		बकाया राशि																				
		किया गया प्रावधान																				
3	वित्तीय वर्ष के दौरान मानक श्रेणी पुनर्रचना कर अद्यतन किया गया	उधारकर्ताओं की संख्या																				
		बकाया राशि																				
		किया गया प्रावधान																				
4	पुनर्रचना मानक अग्रिम जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उच्च प्रावधानीकरण तथा/या अतिरिक्त जोखिम भार को प्रभावित करने से रोकता हो और उसे अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में पुनर्रचना मानक अग्रिम के रूप में नहीं दर्शाया जाए।	उधारकर्ताओं की संख्या																				
		बकाया राशि																				
		किया गया प्रावधान																				
5	वित्तीय वर्ष के दौरान निम्न ग्रेड किया गया पुनर्रचनागत खाते	उधारकर्ताओं की संख्या																				
		बकाया राशि																				
		उन किया गया प्रावधान																				
6	वित्तीय वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए पुनर्रचनागत खाते	उधारकर्ताओं की संख्या																				
		बकाया राशि																				
		किया गया प्रावधान																				
7	वित्तीय वर्ष के मार्च को 31 पुनर्रचित खाते (*समाप्ति आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या																				
		बकाया राशि																				
		उन किया गया प्रावधान																				

* मानक पुनर्रचना खातो को छोड़कर जो उच्च प्रावधानीकरण अथवा जोखिम भार को प्रभावित नहीं करती है (यदि लागू होतो)

अनुबंध VIII

बुनियादी संरचना क्षेत्र और महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए दीर्घावधि परियोजना ऋणों की लचीली संरचना

1.अवसंरचना/महत्वपूर्ण उद्योगों को दीर्घ परिपक्वता, जैसे 25 वर्ष वाले ऋणों को निम्नानुसार संरचित किया जा सकता हैः:

i. परियोजना की मूलभूत व्यवहार्यता सभी अपेक्षित वित्तीय और वित्तेतर मापदंडों के आधार पर स्थापित की जाएगी, विशेषतः ब्याज कवरेज अनुपात (ईबीआईडीटीए/ब्याज का बड़ा भुगतान जिसमें ऋण चुकाने की क्षमता और ऋण की अवधि के दौरान चुकौती करने के सामर्थ्य का उल्लेख किया गया हो;

ii. ऋण की दीर्घतर परिशोधन अवधि, जैसे 25 वर्ष (परियोजना का लाभप्रद जीवनकाल/रियायती अवधि के भीतर) में परिशोधन (परिशोधन कार्यक्रम) के साथ शेष ऋण का आवधिक पुनर्वित्तीयन (ऋण सुविधा का पुनर्वित्तपोषण), जिसकी अवधि समग्र परिशोधन अवधि के भीतर प्रत्येक पुनर्वित्त के साथ तय की जा सकती है, की अनुमति दी जाएगी;

iii. इसका अर्थ यह होगा कि परियोजना की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करते समय एनबीएफसी को व्यवहार्य परियोजना के रूप में परियोजना को स्वीकार करने की अनुमति दी जाएगी, जहां औसत कर्ज चुकौती कवरेज अनुपात (डीएससीआर) और अन्य वित्तीय और वित्तेतर मानदंड एक लंबी परिशोधन अवधि, जैसे 25 वर्ष (परिशोधन कार्यक्रम) के लिए स्वीकार्य होंगे, लेकिन निधीयन (प्रारंभिक ऋण सुविधा) केवल 5 वर्ष के लिए दी जाएगी और शेष ऋण के लिए विद्यमान या नए ऋणदाताओं द्वारा या बांडों के माध्यम से भी ऋण सुविधा के पुनर्वित्तपोषण की अनुमति दी जाएगी; तथा

iv. इनमें से प्रत्येक 5 वर्ष के बाद पुनर्वित्त (ऋण सुविधा का पुनर्वित्तीयन) मूल परिशोधन कार्यक्रम के अनुसार यथानिर्धारित कम राशियों का होगा।

2. एनबीएफसी द्वारा अवसंरचना और महत्वपूर्ण उद्योग क्षेत्र की दीर्घावधि परियोजनाओं के नई वित्तीयन पर, जैसाकि ऊपर पैरा 1 में सुझाया गया है, आपत्ति नहीं होगी, बशर्तेः

i. केवल भारतीय रिज़र्व बैंक कीअवसंरचना क्षेत्र की सुसंगत मास्टर सूची के अंतर्गत परिभाषितअवसंरचना परियोजनाएं तथा भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आठ महत्वपूर्ण उद्योगों (आधारः 2004-2005) की सूची में शामिल महत्वपूर्ण उद्योग क्षेत्र की परियोजनाओं (अर्थात् कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, लौह (मिश्रधातु + अमिश्रधातु), सीमेंट तथा विद्युत – इनमें से कुछ क्षेत्र, जैसे उर्वरक, बिजली उत्पादन, वितरण और संचरण (ट्रांसमिशन) आदि अवसंरचना उप-क्षेत्रों की सुसंगत मास्टर सूची में भी शामिल हैं) को प्रदत्त मीयादी ऋण ऐसे पुनर्वित्त के लिए पात्र होंगे;

ii. ऐसी परियोजनाओं के प्रारंभिक मूल्यांकन के समय यह सुनिश्चित करते हुए कि दबावपूर्ण परिदृश्यों में भी ऐसी परियोजनाओं के नकद प्रवाह और अन्य सभी आवश्यक वित्तीय और वित्तेतर मानदंड सुदृढ़ रहते हैं, एनबीएफसी एक परिशोधन कार्यक्रम निर्धारित कर सकते हैं। (मूल परिशोधन कार्यक्रम)

iii. सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के अंतर्गतअवसंरचना परियोजनाओं के मामले में परिशोधन अनुसूची की अवधि प्रारंभिक रियायत अवधि के 80% (अंत का 20% छोड़कर) अथवा गैर-पीपीपीअवसंरचना परियोजनाओं के मामले में उपभोक्ता प्रभार/ प्रभार निर्धारित करने के लिए

परियोजना मूल्यांकन करते समय कल्पित प्रारंभिक आर्थिक जीवनकाल का 80%, अथवा अन्य महत्वपूर्ण उद्योग परियोजनाओं के मामले में ऋणदाताओं के स्वतंत्र अभियंताओं द्वारा परियोजना मूल्यांकन के समय कल्पित प्रारंभिक आर्थिक जीवन काल का 80% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

iv. प्रारंभिक ऋण सुविधा उपलब्ध कराने वाली एनबीएफसी मध्यम अवधि, जैसे 5 से 7 वर्ष के लिए ऋण मंजूर कर सकता है। इसमें प्रारंभिक निर्माण काल का ध्यान रखना चाहिए तथा कम से कम वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की तारीख (डीसीसीओ) और राजस्व जुटाने तक की अवधि को भी शामिल करना चाहिए। इस अवधि के अंत में चुकौती (मूल परिशोधन कार्यक्रम के शेष अवशिष्ट भुगतान के बराबर वर्तमान मूल्य) की संरचना एकमुश्त भुगतान के रूप में की जा सकती है, जिसमें यह इरादा पहले से विनिर्दिष्ट किया गया हो कि इसे पुनर्वित्त किया जाएगा। यह चुकौती पुनर्वित्त ऋण सुविधा के रूप में उसी ऋणदाता अथवा नए ऋणदाताओं के समूह अथवा इन दोनों द्वारा संयुक्त रूप से अथवा कॉर्पोरेट बांड जारी करके की जा सकती है तथा परिशोधन अवधि के अंत तक ऐसे पुनर्वित्तीयन को दोहराया जा सकता है।

v. प्रारंभिक ऋण सुविधा का चुकौती कार्यक्रम सामान्यतः मूल परिशोधन कार्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए, बशर्ते डीसीसीओ की अवधि बढ़ाई न गई हो। ऐसे मामलों में 23 जनवरी 2014 का परिपत्र, गैबैंपवि.केंका.नीप्र.सं.367/03.10.01/2013-14 तथा 16 जनवरी 2015 का परिपत्र, गैबैंविवि.केंका.नीप्र.सं.011/03.10.01/2014-15 के परिपत्र में निहित विद्यमान अनुदेशों के अनुसार यदि संशोधित डीसीसीओ की अवधिअवसंरचना और गैर-बुनियादी संरचना के लिए मूल डीसीसीओ की तारीख से क्रमशः दो वर्ष और एक वर्ष के भीतर हो, तो केवल डीसीसीओ की अवधि बढ़ाने के बराबर या उससे कम अवधि का परिणामी परिवर्तन (संशोधित चुकौती अवधि की शुरुआती और अंतिम तारीख को शामिल करते हुए) भी पुनर्रचना नहीं माना जाएगा, बशर्ते ऋण की अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित हों अथवा विलंब की क्षतिपूर्ति के लिए उनमें बढ़ोतरी की गई हो, तथा संपूर्ण परियोजना ऋण परिशोधन को परियोजना के आरंभिक आर्थिक जीवनकाल के 85% (कृपया निम्नलिखित 1 देखें) के भीतर निर्धारित किया गया हो, जैसाकि ऊपर पैरा 2(iii)में निर्धारित किया गया है;

vi. परियोजना ऋण का परिशोधन कार्यक्रम ऋण की अवधि (डीसीसीओ के बाद) के दौरान एक बार संशोधित किया जा सकता है। यह संशोधन वित्तीय क्लोजर के दौरान लगाए गए अनुमानों की तुलना में परियोजना के वास्तविक कार्य-निष्पादन के आधार पर 'पुनर्रचना' न मानते हुए किया जाएगा, बशर्ते:
ए) परिशोधन कार्यक्रम में परिवर्तन की तारीख को ऋण मानक ऋण होना चाहिए।
बी) परिशोधन कार्यक्रम में परिवर्तन से पहले और बाद में ऋण का निवल वर्तमान मूल्य समान रहता है; तथा

सी) संपूर्ण परियोजना ऋण परिशोधन को परियोजना के आर्थिक जीवन काल के 85% (कृपया निम्नलिखित 1 देखें) के भीतर निर्धारित किया जाता है, जैसाकि ऊपर पैरा 2(iii) में बताया गया है।

vii. यदि प्रारंभिक ऋण सुविधा या पुनर्वित्त सुविधा किसी भी स्तर पर एनपीए बन जाती है, तो आगे पुनर्वित्त रोक देना चाहिए तथा जब यह एनपीए होता है, तब जो एनबीएफसी ऋण धारण करती है, उससे अपेक्षित है कि वह ऋण को एनपीए माने तथा विद्यमान विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित आवश्यक प्रावधान करे। जब खाता एनपीए स्थिति से बाहर आ जाएगा, तब वह इन अनुदेशों के अनुसार पुनिर्वत्त के लिए पात्र होगा;

viii. एनबीएफसी प्रारंभिक ऋण सुविधा या पुनर्वित्त ऋण सुविधा की मंजूरी के प्रत्येक स्तर पर ऋण के प्रत्येक चरण की जोखिम के अनुरूप ऋण का मूल्य-निर्धारण (ब्याज निर्धारण) कर सकते हैं तथा ऐसा मूल्य उसकी बोर्ड द्वारा अनुमोदित दर के अनुसार होना चाहिए;

ix. एनबीएफसी को उचित प्रलेखीकरण और प्रतिभूति निर्माण आदि के द्वारा अपने हित की रक्षा करनी चाहिए;

x. एनबीएफसी को अपने आस्ति-देयता प्रबंधन के लिए प्रारंभ में ऋणों के आवधिक परिशोधन तथा प्रत्येक पुनर्वित्त अवधि के अंत में बकाया ऋण के एकमुश्त भुगतान से नकद प्रवाह की गणना करने की अनुमति दी जाएगी; तथापि प्राप्त अनुभव के आधार पर बैंकों से अपेक्षित होगा कि वे यथासमय ऐसे ऋणों के परिशोधन के नकद प्रवाहों का व्यवहारवादी अध्ययन करें और तदनुसार उन्हें अपने एएलएम विवरण में रखें;

xi. जोखिम प्रबंधन की दृष्टि से एनबीएफसी को यह मानना चाहिए कि अन्य एनबीएफसी/उधारदाताओं द्वारा ऋण को पुनर्वित्त नहीं करने की संभावना हो सकती है तथा चलनिधि आवश्यकताओं का अनुमान लगाते समय, तथा दबाव परिदृश्यों के लिए इसे ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा, जब तक अन्य एनबीएफसी/उधारदाताओं द्वारा आंशिक या पूर्ण पुनर्वित्तीयन का स्पष्ट निर्धारण नहीं हो जाता, ऐसे पुनर्वित्त के नकद प्रवाहों को चलनिधि अनुपात की गणना के लिए हिसाब में नहीं लिया जाना चाहिए। इसी प्रकार, एक बार प्रतिबद्ध होने के बाद पुनर्वित्त प्रदान करने वाले एनबीएफसी/उधारदाताओं को भी अपने चलनिधि अनुपातों की गणना करते समय ऐसे नकद प्रवाह को हिसाब में लेना चाहिए; तथा

xii. एनबीएफसी के पास ऐसे वित्तीयन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होनी चाहिए।

3. इसके अतिरिक्त एनबीएफसी को नीचे दिए गए मानदंडों के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं और महत्वपूर्ण उद्योगों के विद्यमान परियोजना ऋणों पर आवधिक पुनर्वित्तीयन के विकल्प के साथ लचीली संरचना की भी अनुमति है:

i) केवल ऐसी परियोजनाओं को मीयादी ऋण, जहां इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र (जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक की इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुसंगत मास्टर सूची में परिभाषित है) तथा महत्वपूर्ण उद्योग क्षेत्र (भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आठ महत्वपूर्ण उद्योगों (आधार: 2004-05) की सूची में शामिल) के सभी संस्थागत ऋणदाताओं का समग्र एक्सपोजर 500 करोड़ रुपये से अधिक है, ऐसी लचीली संरचना और पुनर्वित्तीयन के लिए पात्र होंगे;

ii) एनबीएफसी को परियोजना नकद प्रवाह के पुनर्मूल्यांकन के आधार पर विद्यमान परियोजना ऋणों के लिए वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने की तारीख (डीसीसीओ) के बाद परियोजना के जीवन काल में एक बार नया परिशोधन कार्यक्रम नियत कर सकते हैं। इसको पुनर्रचना नहीं माना जाएगा, बशर्ते:

ए. ऋण परिशोधन कार्यक्रम में परिवर्तन की तारीख को ऋण मानक ऋण है;

बी. ऋण परिशोधन कार्यक्रम में परिवर्तन के पहले और बाद में ऋण का निवल वर्तमान मूल्य समान है;

सी. सरकारी –निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल की इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के मामले में नया ऋण परिशोधन कार्यक्रम प्रारंभिक छूट अवधि का 85 प्रतिशत (शेष 15 प्रतिशत भाग छोड़ कर); अथवा गैर- पीपीपी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के मामले में प्रयोक्ता प्रभारों/दरों का निर्धारण करने के लिए परियोजना मूल्यांकन करते समय परिकल्पितप्रारंभिक आर्थिक जीवन काल का 85 प्रतिशत अथवा अन्य महत्वपूर्ण औद्योगिक

परियोजनाओं के मामले में परियोजना मूल्यांकन के समय ऋणदाताओं के स्वतंत्र अभियंताओं द्वारा परिकल्पित प्रारंभिक आर्थिक जीवन काल का 85 प्रतिशत होना चाहिए; तथा

डी. अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को सशक्त करने के लिए दिनांक 21 मार्च 2014 की संरचना के अंतर्गत परियोजना की व्यवहार्यता का एनबीएफसी द्वारा पुनर्मूल्यांकन किया गया है तथा इसके लिए गठित स्वतंत्र मूल्यांकन समिति द्वारा जांचा गया है।

iii) यदि किसी परियोजना ऋण को उपर्युक्त पैरा 3(ii) के अनुसार नया ऋण परिशोधन कार्यक्रम नियत करने की तारीख को 'पुनर्रचित मानक' आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, तो नया ऋण परिशोधन कार्यक्रम तय करने की वर्तमान कवायद को पुनर्रचना के दोहराव की घटना नहीं माना जाएगा, फिर भी ऋण का पुनर्रचित मानक आस्ति के रूप में वर्गीकरण जारी रखना चाहिए। ऐसी आस्तियों का उन्नयन नए ऋण परिशोधन कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए खातों की पुनर्रचना पर विद्यनमान प्रूडेंशियल दिशानिर्देशों द्वारा संचालित किया जाएगा;

iv) ऊपर उल्लिखित नए ऋण परिशोधन कार्यक्रम में उसके बाद होने वाले कोई परिवर्तन विद्यमान पुनर्रचना मानदंडों के अधीन होंगे;

v) परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने के बाद एनबीएफसी परियोजना मीयादी ऋणों को आवधिक (जैसे 5 से 7 वर्ष) रूप से पुनर्वित्त प्रदान कर सकते हैं। प्रत्येक पुनर्वित्त अवधि के बाद चुकौती (चुकौतियां)(मूल्य में नए ऋण परिशोधन कार्यक्रम के अनुरूप शेष अवशिष्ट भुगतान के समान) को पुनर्वित्त किए जाने का इरादा पहले से विनिर्दिष्ट करते हुए एकबारगी चुकौती के रूप में संरचित किया जा सकता है। पुनर्वित्तीयन उसी ऋणदाता द्वारा अथवा नए ऋणदाताओं के समूह द्वारा अथवा दोनों के संयोग द्वारा अथवा पुनर्वित्त ऋण सुविधा के रूप में कॉर्पोरेट बांड जारी करके किया जा सकता है, और ऐसा पुनर्वित्तीयन नए ऋण परिशोधन कार्यक्रम के अंत तक दोहराया जा सकता है। पैरा 3 (ii) के अनुसार निवल वर्तमान मूल्य संबंधी प्रावधान परियोजना मीयादी ऋण के आवधिक पुनर्वित्तीयन के समय लागू नहीं होंगे;

vi) यदि परियोजना मीयादी ऋण या पुनर्वित्त ऋण सुविधा किसी भी समय अनर्जक आस्ति बन जाए तो आगे पुनर्वित्त को रोक देना चाहिए। जिस समय ऋण अनर्जक आस्ति बनता है, उस समय उक्त ऋण-धारणकर्ता एनबीएफसी से अपेक्षित है कि ऋण को अनर्जक आस्ति के रूप में मान्यता दे तथा विद्यमान विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित आवश्यक प्रावधान करे। एक बार खाते के अनर्जक आस्ति स्थिति से बाहर आ जाने के बाद उसे इन अनुदेशों के अनुसार पुनर्वित्तीयन के लिए पात्र माना जाएगा;

vii) एनबीएफसी ऋण के प्रत्येक चरण के जोखिम के अनुसार परियोजना ऋण के प्रत्येक चरण पर ऋण का मूल्य निर्धारण कर सकते हैं ,तथा ऐसा मूल्य निर्धारण बोर्ड द्वारा अनुमोदित दर के अनुसार होना चाहिए;

viii) एनबीएफसी को उचित प्रलेखीकरण और प्रतिभूति निर्माण आदि के द्वारा अपने हित की रक्षा करनी चाहिए;

ix) एनबीएफसी को अपनी आस्ति देयता प्रबंधन के लिए प्रारंभिक रूप से आवधिक परिशोधन तथा प्रत्येक पुनर्वित्त अवधि के बाद बकाया ऋण के एकबारगी भुगतान को नकद प्रवाह की गणना में शामिल करने की अनुमति दी जाएगी ;तथापि होने वाले अनुभव के आधार पर एनबीएफसी से अपेक्षित होगा कि वे यथासमय ऋण

के ऐसे परिशोधन के नकद प्रवाहों के व्यवहारों का अध्ययन करें तथा तदनुसार उन्हें अपने आस्ति-देयता प्रबंधन विवरणों में दर्शाएं;

x) एनबीएफसी को जोखिम प्रबंधन के परिप्रेक्ष्य में इस बात को ध्यान में रखना होगा कि यह संभव है कि अन्य उधारदाताओं द्वारा ऋण का पुनर्वित्तीयन नहीं किया जाएगा ,तथा चलनिधि आवश्यकताओं तथा दबाव परिदृश्यों का आकलन करते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए ;तथा

xi) ऐसे वित्तपोषण के लिए एनबीएफसी के पास अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होनी चाहिए।

4. यह स्पष्ट किया जाता है कि परियोजना ऋण की लचीली संरचना के उक्त संरचना के अनुसार एनबीएफसी इन्फ्रास्ट्रक्चर और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के विद्यमान परियोजना ऋणों, जिन्हें 'अनर्जक आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, को दीर्घावधि ऋण परिशोधन उपलब्ध करा सकते हैं। तथापि, ऐसी व्यवस्था को 'पुनर्रचना' माना जाएगा तथा ऐसी आस्तियों को 'अनर्जक आस्तियां' माना जाता रहेगा। ऐसे खातों का उन्नयन केवल तभी किया जा सकता है जब खाते के सभी बकाया ऋण/सुविधाएं 'विनिर्दिष्ट अवधि' (जैसा कि खातों की पुनर्रचना पर विद्यमान प्रूडेंशियल दिशानिर्देशों में परिभाषित किया गया है) के दौरान संतोषजनक रूप से बने रहे हों, अर्थात् उक्त अवधि के दौरान खाता में दी गई सभी सुविधाओं के लिए मूलधन और ब्याज की अदायगी भुगतान की शर्तों के अनुसार हुई हों। तथापि, आवधिक पुनर्वित्त सुविधा की अनुमति केवल उपस्थिति में दी जाएगी, जब खाता उपर्युक्त पैरा 3(vi) में निर्धारित किए गए अनुसार 'मानक' के रूप में वर्गीकृत हो।

5. यह दोहराया जाता है कि लचीली संरचना और पुनर्वित्त शुरुआत केवल वाणिज्यिक परिचालन होने की तारीख (डीसीसीओ) के बाद ही की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, (23 जनवरी 2014 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि(नीप्र)सं.272/सीजीएम(एनएसवी)-2014 के अनुबंध 2 के पैरा 7.2.2(iii) की एक शर्त के अनुसार, यथा, "ऋण-स्थगन, यदि कोई हो, सहित पुनर्रचित अग्रिमों की चुकौती अवधि इन्फ्रास्ट्रक्चर अग्रिमों के मामले में 15 वर्ष तथा अन्य अग्रिमों के मामले में 10 वर्ष से अधिक नहीं हो") इस परिपत्र की परिधि के अंतर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा महत्वपूर्ण उद्योग परियोजना के लिए किसी भी ऋण पर पुनर्रचना दिशानिर्देशों के अंतर्गत विशेष आस्ति वर्ग के लाभ लेने के लिए लागू नहीं होंगे।

6. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर इन अनुदेशों की समीक्षा की जाएगी।

नोटः

1 पैराग्राफ 2(iii) में उल्लिखित परियोजना ऋण के परिशोधन की 80% उच्चतम सीमा में प्राप्ति में देरी की स्थिति में डीसीसीओ को केवल 5% की उपयोगिता काल की छूट दी जा सकती है। एनबीएफसी मूल ऋणमुक्ति शिड्यूल का निर्धारण करते समय उसका विचार कर सकती है।

2 उपर्युक्त फुट नोट 1 का संदर्भ ग्रहण करें।

अनुबंध IX

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 – नोडल अधिकारी/प्रधान नोडल अधिकारी की नियुक्ति

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 23 फ़रवरी 2018 से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 (योजना) शुरू की है। यह योजना आरबीआई की वेबसाइट http://www.rbi.org.in. पर उपलब्ध है। इस योजना से जुड़ी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को सूचित किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके ग्राहकों से शिकायतों की प्राप्ति और ऐसी शिकायतों की त्वरित और उचित तरीके से समाधान पर विशेष बल देते हुए समुचित व्यवस्था की गई है।

2. इस संबंध में इस योजना के पैरा 15.3 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह प्रावधान है कि -

(i) इस योजना से जुड़ी सभी एनबीएफसी अपने प्रधान/पंजीकृत/क्षेत्रीय/जोनल कार्यालय में नोडल अधिकारियों (एनओ) की नियुक्ति करेंगे और इसकी सूचना सभी लोकपाल कार्यालयों को देंगे।

(ii) इस प्रकार नियुक्त एनओ कंपनी का प्रतिनिधित्व करने और एनबीएफसी के विरुद्ध की गई शिकायतों के संबंध में लोकपाल को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(iii) जहां कहीं भी एक लोकपाल के क्षेत्राधिकार में एनबीएफसी के एक से अधिक ज़ोन/क्षेत्र आते हैं, वहां ऐसे ज़ोन अथवा क्षेत्रों के लिए एक प्रधान नोडल अधिकारी (पीएनओ) को नामित किया जाएगा।

3. पीएनओ/एनओ अन्य बातों के साथ-साथ योजना के अंतर्गत लोकपाल और अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष संबंधित एनबीएफसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए उत्तरदायी होंगे। एनबीएफसी के प्रधान कार्यालय में नियुक्त पीएनओ/एनओ उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीईपीडी), आरबीआई, केंद्रीय कार्यालय के साथ संबंध और समन्वय बनाने के लिए उत्तरदायी है। योजना से जुड़े एनबीएफसी उनके लिए लागू शिकायत निवारण प्रक्रिया के तहत नियुक्त शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) को पीएनओ अथवा एनओ के रूप में नियुक्त कर सकती है, बशर्ते कि संबंधित अधिकारी संस्था में पर्याप्त रूप से वरिष्ठ है। जहाँ किसी ज़ोन के लिए एक से अधिक नोडल अधिकारी हैं, वहाँ पीएनओ

एनबीएफसी के विरुद्ध दर्ज शिकायतों के संबंध में लोकपाल के समक्ष कंपनी का प्रतिनिधित्व करने और सूचना देने के लिए उत्तरदायी होगा।

4. शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूती प्रदान करने और इसके प्रभाव को बेहतर करने के लिए एनबीएफसी ऊपर बताए अनुसार कदम उठायेगी। इसके अतिरिक्त कंपनी के प्रधान कार्यालय में नियुक्त पीएनओ/एनओ का नाम व विवरण मुख्य महाप्रबंधक, उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, पहली मंजिल, अमर भवन, सर पीएम रोड, मुंबई 400 001 (ईमेल) को अग्रेषित किया जाए। ज़ोन के पीएनओ/एनओ का नाम व विवरण संबंधित ज़ोन के आरबीआई लोकपाल को अग्रेषित किया जाए।

सूचना का प्रदर्शन

5. योजना से जुड़े एनबीएफसी को उनके कारोबारी लेन-देन से जुड़े शाखाओं/स्थानों पर ग्राहकों के हित में पीएनओ/एनओ/जीआरओ के नाम तथा संपर्क विवरण (फोन/मोबाइल नंबर तथा ई-मेल का पता) तथा ग्राहकों द्वारा आवश्यकता पड़ने पर संपर्क किये जाने हेतु लोकपाल का नाम तथा संपर्क विवरण प्रमुखता से प्रदर्शित करना चाहिए।

6. योजना से जुड़े एनबीएफसी को इस योजना की प्रमुख विशेषताओं को (अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषा में) अपनी सभी कार्यालयों तथा शाखाओं में इस प्रकार प्रदर्शित करना चाहिए कि कार्यालय अथवा शाखा में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को यह सूचना आसानी से दिखाई दे। इस योजना की प्रमुख विशेषताओं को प्रदर्शित किये जाने से संबंधित एक टेम्पलेट संदर्भ के लिए अनुबंध ए संलग्न है।

7. उक्त सभी विवरण तथा इस योजना की प्रति संबंधित एनबीएफसी के वेबसाइट पर विशिष्टता से प्रदर्शित किए जाएं।

अनुबंध ए

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 प्रमुख विशेषताएं

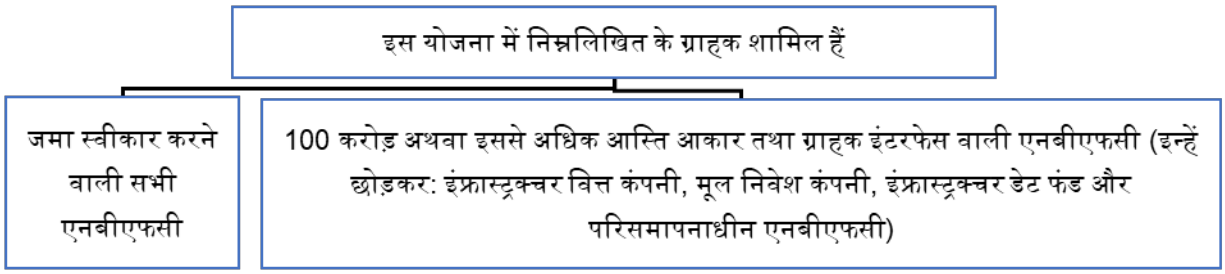

ग्राहक द्वारा शिकायत दर्ज करने का आधार:

- ब्याज/जमा अदा नहीं किया गया अथवा देरी से अदा किया।
- चेक प्रस्तुत नहीं किया गया अथवा देरी से प्रस्तुत किया गया।
- पारित ऋण की राशि, नियम व शर्तें तथा वार्षिक ब्याज दर इत्यादि नहीं बताया गया।
- करार, प्रभार में परिवर्तन की सूचना नहीं दी गई।
- करार/ऋण करार में पारदर्शिता बनाये रखने में विफल।
- जमानत/दस्तावेज लौटाने में विफलता/देरी
- करार/ऋण करार में विधिक रूप से लागू स्वतः पुनर्कब्जा प्रदान करने में विफल
- एनबीएफसी द्वारा आरबीआई के दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया।
- उचित व्यवहार संहिता पर दिशा निर्देश का पालन नहीं किया गया।

कोई ग्राहक कैसे शिकायत कर सकता है ?

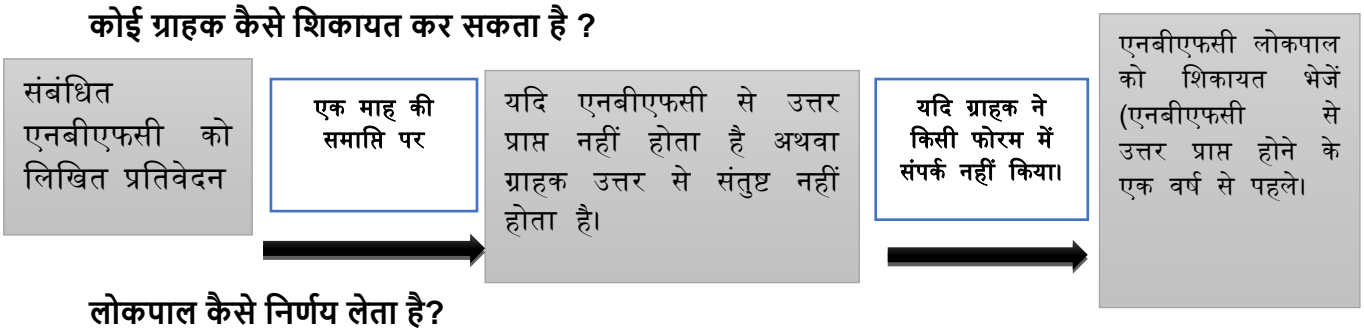

लोकपाल कैसे निर्णय लेता है?

- लोकपाल के समक्ष कार्रवाई त्वरित प्रकृति की होती है।
- समझौता द्वारा निपटान को बढ़ावा दिया जाता है → यदि समझौता नहीं होता तो निर्णय/आदेश जारी किया जाता है।

यदि ग्राहक लोकपाल के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो क्या वह अपील कर सकता है?

हाँ, यदि लोकपाल का निर्णय अपील किये जाने योग्य है तो → अपीलीय प्राधिकारीः उप गवर्नर, आरबीआई

नोट:

- यह एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है।
- ग्राहक किसी भी स्टेज पर निपटान हेतु किसी अन्य कोर्ट/फोरम/प्राधिकारी को संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है।

इस योजना से संबंधित विवरण के लिए *www.rbi.org.in पर जाएं।*

अनुबंध X

एपी पोर्टफोलियो पर प्रावधान करने के बाद सीआरएआर की गणना

प्रावधान किया और एपी पोर्टफोलियो में जोड़ा और धीरे-धीरे कम किया								
वर्ष	**प्रावधानों के कारण घाटा**	**पूंजी**	**प्रावधान वापस जोड़ा**	**शुद्ध पूंजी (3 + 4)**	**आवश्यक पूंजी (@ 15%)**	**पूंजी निवेश की आवश्यकता**	**गैर-एपी**	**एपी**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
प्रारम्भिक स्थिति	0				30		100	100
2012-13	-100	-70	100	30	30	0	100	100
2013-14		-70	80	10	27	17	100	80
2014-15		-53	60	7	24	17	100	60
2015-16		-36	40	4	21	17	100	40
2016-17		-19	20	1	18	17	100	20
2017-18		-2	0	-2	15	17	100	0
2018-19		15	0	15	15	0	100	0
					कुल	85		

आसानी के लिए, उपरोक्त गणना कुछ मान्यताओं पर आधारित है जो नीचे दी गई हैं:

ए) एपी पोर्टफोलियो एनबीएफसी-एमएफआई के कुल पोर्टफोलियो का 50% हैं।

बी) पूरे एपी पोर्टफोलियो को नुकसान परिसंपत्ति के रूप में लिया गया है।

सी) पोर्टफोलियो अगले पांच वर्षों में स्थिर बनी हुई है।

अनुबंध XI

एनबीएफसी-एमएफआई के लिए स्व-नियामक संगठन (एसआरओ) - मान्यता के लिए मानदंड

i. मान्यता के समय एसआरओ में कम से कम 1/3 एनबीएफसी-एमएफआई सदस्य के रूप में पंजीकृत होनी चाहिए।

ii. इसके पास सदस्यों के अंशदान पर निर्भर हुए बिना अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए।

iii. स्व-नियामक संगठन (एसआरओ) को अपने ज्ञापन / उपविधियों में मुख्य उद्देश्यों में से एक के रूप में, सदस्यों के प्रवेश और कार्यों के निर्वहन के लिए मानदंड निर्दिष्ट करना चाहिए;

iv. एसआरओ के ज्ञापन / उपनियमों में, किस तरीके से गवर्निंग बॉडी / एसआरओ के निदेशक मंडल कार्य करेंगे, इस का प्रावधान होना चाहिए।

v. बोर्ड में बड़े और छोटे एनबीएफसी-एमएफआई दोनों से पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

vi. निदेशक मंडल का एक तिहाई स्वतंत्र और सदस्य संस्थाओं के साथ न जुड़ा हुआ होना चाहिए।

vii. निदेशक और प्रबंधन के व्यक्ति को रिज़र्व बैंक द्वारा सक्षम और उचित माना जाना चाहिए।

viii. इसमे पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण होना चाहिए।

ix. एसआरओ को सभी हितधारकों के हित में कार्य करना चाहिए और केवल एक उद्योग संगठन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

x. एसआरओ को अपने सदस्यों के द्वारा अनुपालन हेतु आचार संहिता तैयार करनी चाहिए।

xi. इसमें विशेष रूप से नियुक्त शिकायत निवारण नोडल अधिकारी के साथ एक शिकायत निवारण तंत्र और एक विवाद समाधान तंत्र होना चाहिए।

xii. इसे एक प्रवर्तन समिति के माध्यम से अपने सदस्यों पर आचार संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए और बैंक की नियामक निर्देशों के अनुपालन की निगरानी करने की स्थिति में होना चाहिए।

xiii. इसके पास अपने सदस्यों और स्वयं सहायता समूहों के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों का विकासात्मक कार्य होना चाहिए और एमएफआई क्षेत्र के विकास के लिए अनुसंधान और विकास का संचालन करना चाहिए।

रिज़र्व बैंक के प्रति एसआरओ के दायित्व

i. एक बार मान्यता प्राप्त होने पर एसआरओ को एक अनुपालन अधिकारी मनोनीत करना आवश्यकता होगा,जो सीधे रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करेंगे और जो रिज़र्व बैंक को नियमित रूप से क्षेत्र में होने वाले नए घटनाओं से सूचित करते रहेंगे ।

ii. एसआरओ को रिज़र्व बैंक को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

iii. इसे रिज़र्व बैंक द्वारा बताए गए चिंता के क्षेत्रों में जांच का संचालन करना होगा।

iv. एसआरओ उसके सदस्यों में से किसी के द्वारा अधिनियम के प्रावधानों, समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देश, परिपत्रों या दिशा-निर्देशों का उल्लंघन रिज़र्व बैंक को सूचित करेगा।

v. यह समय समय पर या रिज़र्व बैंक द्वारा लिए अनुरोध किए जाने पर डेटा सहित जानकारी प्रदान करेगा।

vi. रिज़र्व बैंक, अगर जरूरत पड़ी तो, एसआरओ की बहियों का निरीक्षण करेगा या एक लेखा-परीक्षा फर्म द्वारा निरीक्षण की व्यवस्था करेगा।

अनुबंध XII

अनुबंध XII (1)

कंपनी के प्रस्तावित प्रवर्तकों / निदेशकों / शेयरधारकों के बारे में जानकारी

क्रमांक.	आवश्यक विवरण	प्रतिक्रिया
1	नाम	
2	पदनाम	अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
3	राष्ट्रीयता	
4	आयु (जन्म तिथि के साथ प्रमाणित किया जाना है)	
5	व्यावसायिक पता	
6	घर का पता	
7	ई-मेल पता / टेलीफोन नंबर	
8	आयकर अधिनियम के तहत पैन संख्या	
9	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	
10	सामाजिक सुरक्षा नंबर / पासपोर्ट संख्या *	
11	शैक्षिक / व्यावसायिक योग्यता	
12	नौकरी के लिए प्रासंगिक पेशेवर उपलब्धि	
13	व्यापार या व्यवसाय की लाइन	
14	कंपनी से संबंधित कोई भी अन्य जानकारी	
15	अन्य कंपनियों के नाम, जिनमें व्यक्ति अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्य किया है	
16	संस्थाओं के नियामकों के नाम (आरबीआई, सेबी, इरडा, पीएफआरडीए, राष्ट्रीय आवास बैंक या किसी अन्य विदेशी नियामक) का उल्लेख जिनमें व्यक्तियों ने निदेशक का पद धारण किया है	
17	एनबीएफसी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सहित का / के नाम, जिसके साथ व्यक्ति, एक निदेशक, अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक, प्रवर्तक के रूप में जुड़ा हुआ है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इसे जमा स्वीकार करने से मना कर दिया गया है/ मुकदमा चलाया गया है, यदि कोई हो?	
18	आर्थिक कानूनों और नियमों के उल्लंघन के लिए व्यक्ति के खिलाफ या ऐसी संस्थाओं में से किसी के खिलाफ जिसके साथ अतीत में व्यक्ति जुड़ा हुआ है लंबित या शुरू अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो	
19	व्यक्ति या व्यक्ति के रिश्तेदारों या व्यक्ति के साथ जुडी कंपनियों द्वारा किसी भी संस्था या बैंक से प्राप्त ऋण सुविधाओं	

	के संबंध में पिछले 5 वर्षों में डिफ़ॉल्ट के मामले, यदि कोई हो	
20	यदि व्यक्ति किसी व्यावसायिक संघ / संस्था का सदस्य है तो उसके खिलाफ अतीत में अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण या शुरू या लंबित है या जिसके परिणामस्वरूप अपराध सिद्ध होता हो, या क्या कभी भी उसके किसी व्यवसाय के प्रवेश पर से प्रतिबंध लगा दिया गया है, यदि कोई हो	
21	क्या व्यक्ति, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 के तहत परिकल्पित अयोग्यता में से किसी को आकर्षित करता है	
22	क्या व्यक्ति या कंपनियों जिनके साथ वह जुड़े है, को सरकारी विभाग या एजेंसी के कहने पर किसी भी जांच के अधीन कर दिया गया है	
23	क्या किसी भी समय में व्यक्ति को सीमा प्रभार / उत्पाद प्रभार / आयकर / विदेशी मुद्रा / अन्य राजस्व अधिकारियों द्वारा नियमों / विनियमों / विधायी आवश्यकताओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, विवरण दें	
24	एनबीएफसी के कारोबार में अनुभव (वर्षों की संख्या)	
25	कंपनी में इक्विटी हिस्सेदारी	
i	शेयरों की संख्या	.....
ii	अंकित मूल्य	रुपए .....
iii	कंपनी की इक्विटी शेयर भुगतान पूंजी का कुल प्रतिशत	.....
26	कंपनियों, फर्मों और मालिकाना संबंधो का नाम जिसमे व्यक्ति पर्याप्त हित रखते है	
27	ऊपरोक्त के 26 प्रिंसिपल बैंकरों के नाम	
28	विदेशी बैंकरों का नाम *	
29	क्या व्यक्ति द्वारा धारित निदेशकता की संख्या कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 165 के तहत निर्धारित सीमा से अधिक है	
		हस्ताक्षर:
	तारीख:	नाम:
	स्थान:	पदनाम:
		कंपनी की मुहर:

*** विदेशी प्रवर्तकों / निदेशकों / शेयरधारकों के लिए**

ध्यान दें:

(i) प्रत्येक प्रस्तावित प्रवर्तक / निदेशक / शेयरधारक के संबंध में अलग-अलग फार्म प्रस्तुत की जानी चाहिए

अनुबंध XII (2)

कारपोरेट प्रमोटर के बारे में जानकारी

क्रमांक.	आवश्यक विवरण	प्रतिक्रिया
1	नाम	
2	व्यावसायिक पता	
3	ई-मेल पता / टेलीफोन नंबर	
4	आयकर अधिनियम के तहत पैन संख्या	
5	अनुपालन अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण	
6	व्यापार की लाइन	
7	उनके प्रमुख शेयरधारकों (10% से अधिक) का विवरण और गतिविधि की लाइन , अगर कॉरपोरेट्स हो तो	
8	प्रिंसिपल बैंकरों / विदेशी बैंकरों का नाम *	
9	नियामकों के नाम (आरबीआई, सेबी, इरडा, पीएफआरडीए, राष्ट्रीय आवास बैंक या किसी अन्य विदेशी नियामक)	
10	समूह में शामिल कंपनी/कंपनीयो का नाम जैसा कि उचित मानदंड निर्देश में परिभाषित है	
11	समूह में शामिल कंपनी/कंपनियों के नाम जो एनबीएफसी हैं	
12	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुकदमा चलाया गया है या जमा स्वीकार करने से मना कर दिया गया है, ऐसी समूह की कंपनियों के नाम निर्दिष्ट करें?	
13	आर्थिक कानूनों और नियमों के उल्लंघन के लिए कॉरपोरेट के खिलाफ या ऐसी संस्थाओं में से किसी के खिलाफ जिसके साथ अतीत में व्यक्ति जुड़ा हुआ है लंबित या शुरू अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो	
14	कारपोरेट द्वारा किसी भी संस्था या बैंक से प्राप्त ऋण सुविधाओं के संबंध में पिछले 5 वर्षों में डिफ़ॉल्ट के मामले, यदि कोई हो	
15	क्या कॉर्पोरेट को सरकारी विभाग या एजेंसी के कहने पर किसी भी जांच के अधीन कर दिया गया है	
16	क्या किसी भी समय में कारपोरेट को सीमा प्रभार / उत्पाद प्रभार / आयकर / विदेशी मुद्रा / अन्य राजस्व अधिकारियों द्वारा नियमों / विनियमों / विधायी आवश्यकताओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, विवरण दें	

17	क्या प्रमोटर कॉर्पोरेट / कॉर्पोरेट का बहुमत शेयरधारक, यदि कारपोरेट हो तो ने भारतीय रिज़र्व बैंक को पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया है जो कभी अस्वीकार कर दिया गया है	
		हस्ताक्षर:
	तारीख:	नाम:
	स्थान:	पदनाम:
		कंपनी की मुहर:

*** विदेशी कारपोरेट के लिए**

अनुबंध - XIII

एनबीएफसी के निदेशकों के लिए 'उपयुक्त और उचित' मानदंड

रिजर्व बैंक ने 'बैंकों / वित्तीय संस्थानों के निदेशकों की सलाहकार समूह की रिपोर्ट' के आधार पर जून 2004 में बैंकों के बोर्ड पर नियुक्त करने से पहले व्यक्तियों की उचित जांच पर बैंकों को एक निर्देश जारी किया था। निदेशको द्वारा पूरे किए जाने वाले विशिष्ट 'उपयुक्त और उचित' मापदंड को भी सूचित किया गया था।

2. निदेशकों की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी विशेषज्ञता, ट्रैक रिकॉर्ड, निष्ठा की उचित जांच के महत्व को किसी भी वित्तीय संस्था के लिए नकारा नहीं जा सकता है। इन्ही दिशा-निर्देशों को एनबीएफसी के मामले में भी यथोचित परिवर्तन सहित लागू करने का प्रस्ताव है। हालांकि रिजर्व बैंक एनबीएफसी को पंजीकरण का प्रमाणपत्र जारी करने से पहले निदेशकों की उचित जांच करता है, किन्तु इसे एनबीएफसी द्वारा एक सतत आधार पर आंतरिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के रूप में रखना आवश्यक है। इसके अलावा, निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को सरल बनाने और उचित जांच मे एकरूपता लाने के लिए एनबीएफसी को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया जाता है कि वे बोर्डों पर नियुक्त करने से पहले निम्नांकित प्रक्रियाओं और व्यक्तियों द्वारा पूरे किए जाने वाले न्यूनतम मापदंड का पालन करें:

(ए) एनबीएफसी को एक निदेशक के रूप में बोर्ड पर नियुक्ति के पहले व्यक्ति की उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए शैक्षणिक योग्यता, विशेषज्ञता, ट्रैक रिकॉर्ड, निष्ठा और अन्य 'सक्षम और उचित' मापदंड के आधार पर उचित जांच प्रक्रिया करनी चाहिए । एनबीएफसी को **अनुबंध - XIV** में दिए गए प्रारूप में इस प्रयोजन के लिए प्रस्तावित / मौजूदा निदेशकों से आवश्यक जानकारी और घोषणा प्राप्त करना चाहिए।

(बी) उचित जांच प्रक्रिया नियुक्ति के समय / नियुक्ति नवीकरण के समय एनबीएफसी द्वारा की जानी चाहिए।

(सी) एनबीएफसी के बोर्ड द्वारा घोषणाओं की जांच के लिए नामांकन समितियों का गठन किया जाना चाहिए।

(डी) हस्ताक्षर किए घोषणा में उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर, नामांकन समितियों को निदेशकों के बारे में जहां भी आवश्यक हो, स्वीकृति पर या अन्य फैसला करना चाहिए।

(ई) एनबीएफसी को प्रतिवर्ष 31 मार्च को निदेशकों से एक साधारण घोषणा प्राप्त करना चाहिए जिसमे उल्लेख हो कि पहले उपलब्ध कराई गई जानकारी में परिवर्तन नहीं आया है और जहां भी बदलाव आया है, वहां अपेक्षित विवरण तत्काल उनके द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

(एफ़) एनबीएफसी को जनता के हित में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बोर्ड में मनोनीत/ निर्वाचित निदेशक **अनुबंध - XV** में दिए गए प्रारूप में सहमति की डीड निष्पादित करें।

******

अनुबंध XIV

एनबीएफसी का नाम :

निदेशक के द्वारा घोषणा और वचनपत्र (-----को उचित अनुलग्नकों के साथ)			
I.	**निदेशक की व्यक्तिगत जानकारी**		
	ए.	पूरा नाम	
	बी.	जन्मतिथि	
	सी.	शैक्षिक योग्यता	
	डी.	प्रासंगिक पृष्ठभूमि और अनुभव	
	ई.	स्थायी पता	
	एफ.	वर्तमान पता	
	जी.	ई-मेल पता / टेलीफोन नंबर	
	एच.	आयकर अधिनियम तहत स्थायी खाता संख्या और आयकर सर्किल का नाम और पता	
	आई.	प्रासंगिक ज्ञान और अनुभव	
	जे.	एनबीएफसी की निदेशकता से संबंधित कोई भी अन्य जानकारी	
II.	**निदेशक के प्रासंगिक रिश्ते**		
	ए.	रिश्तेदारों की सूची अगर एनबीएफसी के साथ जुड़े हुए हैं, (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 और अनुसूची 1 ए और नए कंपनी अधिनियम 2013 के संगत प्रावधानों को देखें)	
	बी.	संस्थाओं की सूची में जिसमें उनकी रुचि दिखाई गई है (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 299(3)(ए) और धारा 300 और नए कंपनी अधिनियम 2013 के संगत प्रावधानों को देखें)	
	सी.	उन संस्थाओं की सूची में जिसमें वह एनबीएफसी प्रूडेंशियल मानदंड दिशा-निर्देश, के अंतर्गत पर्याप्त हित धारक के रूप में माना/मानी जाता/जाती है।	
	डी.	उन एनबीएफसी का नाम जिसमें वह बोर्ड का एक सदस्य है या रहा/रही है। (उस अवधि का ब्यौरा दे, जिसमें पद धारण किया है)	
	ई.	एनबीएफसी से या उपरोक्त II(बी) या (सी) में सूचीबद्ध संस्थाओं से ली गई निधि या गैर निधि सुविधाएं	
	एफ.	वे मामले, यदि कोई है, जहां निदेशक या उपरोक्त II(बी) या (सी) में सूचीबद्ध संस्थाए एनबीएफ़सी या कोई अन्य एनबीएफ़सी/बैंक के प्राप्त ऋण सुविधाओ की चूककर्ता हैं या अतीत में चूककर्ता थी ।	
III	**पेशेवर उपलब्धियों का रिकार्ड**		
	ए.	प्रासंगिक पेशेवर उपलब्धियां	
IV	**निदेशक के खिलाफ कार्रवाई, यदि कोई हो,**		
	ए.	यदि निदेशक, एक व्यावसायिक संघ / संस्था के सदस्य, तो उसके खिलाफ अतीत में अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित है या शुरू है या पूरी की जा चुकी है, उसका विवरण, यदि कोई है, या क्या किसी भी समय किसी भी पेशे / काम में प्रवेश से प्रतिबंधित किया गया है?	
	बी.	निदेशक और/या II(ख) और (ग) में सूचीबद्ध किसी भी संस्था के विरुद्ध लंबित, शुरू हुई या पूर्व में दोषसिद्धि हुई आर्थिक कानूनों और विनियमों के उल्लंघन के लिए अभियोजन का विवरण, यदि	

		कोई हो।	
	सी.	पिछले पांच वर्षों में निदेशक के खिलाफ ऐसे आपराधिक मुकदमा	
	डी.	क्या निदेशक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 और नए कंपनी अधिनियम, 2013 के इसके समांतर प्रासंगिक प्रावधानों में शामिल किसी भी अयोग्यता को पूरा करता है?	
	ई.	निदेशक के या उपरोक्त II(बी) और (सी) में सूचीबद्ध कंपनियों में से किसी के खिलाफ किसी भी सरकारी विभाग या एजेंसी के द्वारा जांच की गई है?	
	एफ.	क्या किसी भी समय निदेशक को सीमा शुल्क/उत्पाद/आयकर/विदेशी मुद्रा/अन्य राजस्व प्राधिकरणों द्वारा नियमों/विनियमों/विधायी आवश्यकताओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, यदि ऐसा है, तो विवरण दें।	
	जी.	क्या निदेशक कभी नियामक जैसे सेबी, इरडा, एमसीए में से एक के प्रतिकूल संज्ञान में आए है ?	
		(हालांकि किसी भी उम्मीदवार को नियामकों द्वारा किए गए ऐसे आदेशों और निष्कर्षों का जो बाद में उलट दिए है, कॉलम में उल्लेख करना आवश्यक नहीं होगा। हालांकि ऐसे मामले में उल्लेख करना आवश्यक होगा जबकि उलटना /निरस्त करना निवारक सीमा या क्षेत्राधिकार की कमी, आदि जैसे तकनीकी कारणों से है और नियामक के आदेश पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है और अपीलीय / अदालत की कार्यवाही लंबित हैं।)	
V.		**उपरोक्त मद I से III के संबंध में किसी भी अन्य विवरण / जानकारी और सक्षम और उचित पहचानने के लिए प्रासंगिक मानी जाने वाली अन्य जानकारी**	
	घोषणा		
	मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है। मैं मेरी नियुक्ति के बाद होने वाली सभी घटनाओं, जो उपरोक्त सूचनाओ के संदर्भ मे प्रासंगिक हैं, के बारे में , जितनी जल्दी हो सके एनबीएफसी को सूचित करूंगा।		
	मैं एनबीएफसी के सभी निदेशकों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले आवश्यक सहमति के विलेख निष्पादित करने का वचन देता हूँ ।		
	स्थान :		हस्ताक्षर:
	दिनांक:		
VI.	**एनबीएफसी के निदेशक मण्डल / नामांकन समिति के अध्यक्ष की टिप्पणियां**		
	स्थान :		हस्ताक्षर:
	दिनांक:		

<u>एक निदेशक के साथ सहमति की डीड का फार्म</u>

सहमति की डीड आज दिनांक _____दो हजार_____को _____ में अपने पंजीकृत कार्यालय वाली (इसके बाद जमाराशि स्वीकार करने वाली और ₹500 करोड़ अथवा उससे अधिक आस्ति आकार वाली एनबीएफ़सी को 'एनबीएफसी' कहा जाता है) के एक भाग और अन्य भाग के _____के श्री / सुश्री_____(बाद में 'निदेशक" चलकर कहा जाता है) **बीच** किया जाता है ।

जहां

ए. निदेशक को एनबीएफसी के निदेशक मंडल (बाद में "बोर्ड" कहा जाता है) पर एक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और उसका / उसकी नियुक्ति की शर्त के रूप में एनबीएफसी के साथ सहमति के एक डीड में प्रवेश करना आवश्यक है।

बी. निदेशक नियुक्ति के बारे में उनकी शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा अनुमोदित इस सहमति की डीड में प्रवेश करने के लिए सहमत हो गया है।

अब इस बात पर सहमति है और सहमति की डीड इस प्रकार साक्ष्यांकित है:

1 निदेशक मानता है कि एनबीएफसी के बोर्ड में निदेशक के रूप में उसका / उसकी नियुक्ति संगम लेख और ज्ञापन, एनबीएफसी के लागू कानूनों और नियमों और इस डीड के प्रावधानों के अधीन है।

2 निदेशक एनबीएफसी के साथ पारस्परिक संविदा करता है कि :

(i) निदेशक बोर्ड को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके संबंध के प्रकार का प्रकटीकरण करेगा, यदि एनबीएफ़सी और किसी भी अन्य संस्था के बीच एक अनुबंध या व्यवस्था या किसी भी प्रस्तावित अनुबंध या व्यवस्था में उसका संबंध है या होना है । यह प्रकटीकरण तुरंत जानकारी होने पर ही या बोर्ड की उस बैठक में जिसमे पर इस तरह के अनुबंध या व्यवस्था से जुड़ जाने पर विचार हो रहा है या निदेशक बैठक की तारीख पर प्रस्तावित अनुबंध या व्यवस्था से संबंधित नहीं थे तो उससे जुड़ जाने के बाद आयोजित पहली बैठक में आवश्यक प्रकटीकरण किया जाएगा।

(ii) निदेशक बोर्ड को सामान्य नोटिस द्वारा उसकी / उसके अन्य निदेशकता, कॉर्पोरेट निकायों के लिए उसका / उसकी सदस्यता, अन्य संस्थाओं में उसकी / उसके हित और कंपनियों के एक भागीदार या मालिक के रूप में उसकी / उसके हित का खुलासा करेगा और बोर्ड को उसमें सभी परिवर्तनों के बारे में अवगत कराता रहेगा।

(iii) निदेशक एनबीएफसी को कंपनी अधिनियम, 1956 या 2013 में परिभाषित अनुसार उसकी / उसके रिश्तेदारों की एक सूची प्रदान करेगा जिनकी निदेशक के ज्ञान में इस तरह के रिश्तेदारों के कॉर्पोरेट, कंपनियों और अन्य निकायों में निदेशकता और हितों के बारे में जानकारी है।

(iv) निदेशक एनबीएफसी के निदेशक के रूप में उसकी / उसके कर्तव्यों के निर्वहन करते समय:

(ए) उसकी / उसके ज्ञान या अनुभव के एक व्यक्ति से अपेक्षित उचित कौशल का उपयोग करें;

(बी) उसकी / उसके कर्तव्यों के निष्पादन में उससे यथोचित सदविश्वास में और एनबीएफसी के हित में स्वयं में निहित किसी भी शक्ति अपने / अपनी ओर से उपयोग करने की उम्मीद की जाती है;

(सी) एनबीएफसी की वित्तीय स्थिति, व्यापार, गतिविधियों के बारे में उसे किए गए प्रकटीकरण की हद तक खुद को जागरूक रखना होगा;

(डी) बोर्ड और उसके समितियों (सामूहिक संक्षिप्तता की खातिर आगे चलकर "बोर्ड" कहा गया है) की बैठकों में उचित नियमितता के साथ भाग लेगा और उचित रूप से एनबीएफसी के निदेशक के रूप में उसकी / उसके दायित्वों को पूरा करना;

(ई) एनबीएफसी के हित के अलावा अन्य किसी भी विचार के लिए बोर्ड के किसी भी निर्णय को प्रभावित नहीं करेगा;

(एफ़) एनबीएफसी को प्रभावित करने वाले बोर्ड के समक्ष लाया सभी मामलों पर जिसमे वैधानिक अनुपालन, प्रदर्शन की समीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों और प्रक्रियाओं, प्रमुख कार्यकारी नियुक्तियों और आचरण के मानक सहित शामिल है किन्तु सीमित नहीं है, के लिए स्वतंत्र निर्णय लेगा;

(जी) बोर्ड के समक्ष लाया या बोर्ड द्वारा सौंपे गए मामलों में उसकी / उसके स्वतंत्र निर्णय के प्रयोग के साथ हस्तक्षेप करने वाले व्यवसाय या अन्य रिश्ते से मुक्त रहेगा; और

(एच) किसी डर या पक्षपात के बिना और उसकी / उसके स्वतंत्र निर्णय के लेने पर कोई प्रभाव के बिना बोर्ड की बैठकों में उसकी / उसके विचार और राय व्यक्त करेगा;

(v) निदेशक का कर्तव्य होगा:

(ए) एनबीएफसी के हित में सदविश्वास में और किसी भी समपार्श्विक उद्देश्य के लिए कार्य नहीं करने के लिए प्रत्ययी कर्तव्य;

(बी) केवल एनबीएफसी के संगम ज्ञापन और लेख और लागू कानूनों और नियमों द्वारा निर्धारित सीमा में शक्तियों का उपयोग कर कार्रवाई करने का कर्तव्य; और

(सी) एनबीएफसी के कारोबार की उचित समझ प्राप्त करने का कर्तव्य।

(vi) निदेशक:

(ए) उसे बोर्ड द्वारा करने के लिए सौंपे मामलों के संबंध में जिम्मेदारी से बच नहीं सकेगा;

(बी) पूर्णकालिक निदेशकों और एनबीएफसी और अन्य अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में हस्तक्षेप नहीं करेगा और जहाँ अन्यथा विश्वास करने के लिए कारण है, वह तत्काल बोर्ड को उसकी / उसके चिंताओं का खुलासा करेगा; और

(सी) बोर्ड के एक सदस्य के रूप में उसे खुलासा की गई जानकारी का किसी और का लाभ करने के लिए अनुचित प्रयोग नहीं करेगा और निदेशक के रूप में उनकी / उसकी क्षमता में एनबीएफसी द्वारा उसे / उसे खुलासा की गई जानकारी का उपयोग एनबीएफसी के एक निदेशक के रूप में केवल उसकी / उसके कर्तव्यों के निष्पादन के प्रयोजनों के लिए और न किसी अन्य उद्देश्य के लिए करेगा।

3 एनबीएफसी निदेशक के साथ संविदा करती है कि:

(i) एनबीएफसी निम्न के बारे में निदेशक को अवगत कराएगी:

(ए) निदेशक के कानूनी और अन्य दायित्वों की पहचान सहित बोर्ड प्रक्रियाओं और वैधानिक आवश्यकता का अनुपालन;

(बी) नियंत्रण प्रणालिया और प्रक्रिया;

(सी) बोर्ड बैठकों में मतदान के अधिकार और वे मामले जिनमे निदेशक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसमें उसकी / उसके हित होने से हिस्सा नहीं लेना है;

(डी) योग्यता की शर्तों और संगम ज्ञापन और लेख की प्रतियां प्रदान करेगी;

(ई) कंपनी की नीतिया और प्रक्रियाए;

(एफ़) इनसाइडर ट्रेडिंग प्रतिबंध;

(जी) बोर्ड द्वारा गठित विभिन्न समितियों का गठन, विचारार्थ विषय और अधिकार के हस्तांतरण,

(एच) वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति और उनके अधिकार;

(आई) पारिश्रमिक नीति,

(जे) बोर्ड की समितियों में विचार-विमर्श, और

(के) नीतियों, प्रक्रियाओं, नियंत्रण प्रणाली, एनबीएफ़सी के संगम ज्ञापन और लेख सहित लागू नियमों, अधिकार के हस्तांतरण, वरिष्ठ कार्यकारी आदि में किसी भी बदलाव के लिए संवाद और सभी वैधानिक और कानूनी अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति।

(ii) एनबीएफसी बोर्ड और निदेशक को बोर्ड के समक्ष लाया मामलों के संबंध में जो बोर्ड या उसके किसी समिति द्वारा अपने विचार के लिए लाया गया हो या एक निदेशक के रूप में अपने कार्यों और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निदेशक को बोर्ड या उसकी किसी समिति द्वारा सौंपा गया हो, की सभी जानकारी का खुलासा करेगी जो उन्हे सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक है;

(iii) निदेशकों को एनबीएफसी द्वारा किए जाने वाले प्रकटीकरण में निम्नांकित शामिल होगा किन्तु इसी तक सीमित नहीं होगा:

(ए) बोर्ड के समक्ष लाया मामलों के संबंध में सूचित निर्णय लेने के लिए सभी प्रासंगिक जानकारी;

(बी) एनबीएफसी की रणनीतिक और व्यापार की योजना और पूर्वानुमान;

(सी) एनबीएफसी का संगठनात्मक संरचना और अधिकार का हस्तांतरण;

(डी) कॉर्पोरेट और प्रबंधन नियंत्रण और प्रक्रियाओं सहित प्रणाली;

(ई) आर्थिक लक्षण और विपणन वातावरण;

(एफ़) एनबीएफसी के उत्पादों पर उचित रूप में सूचना और अद्यतन जानकारी;

(जी) प्रमुख व्यय पर अद्यतन जानकारी;

(एच) एनबीएफसी के प्रदर्शन की आवधिक समीक्षा; और

(आई) रणनीतिक पहल और योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में आवधिक रिपोर्ट;

(iv) एनबीएफसी निदेशकों और संबंधित कर्मियों को बोर्ड विचार-विमर्श के परिणाम संवाद सूचित करेगी और समय पर बोर्ड की बैठक के समापन की तिथि से दो व्यावसायिक दिनों के भीतर संभव हद तक निदेशकों को बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त तैयार कर प्रसारित करेगी; और

(v) बोर्ड के समक्ष रखे मामलों में प्रत्यायोजित प्राधिकार के स्तर के बारे में निदेशक को सूचना देगी।

4. एनबीएफसी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के कामकाज और उसकी प्रभावशीलता पर निदेशक को आवधिक रिपोर्ट प्रदान करेगी।

5. एनबीएफसी एक अनुपालन अधिकारी नियुक्त करेगी जो बोर्ड को रिपोर्टिंग करने वाला एक वरिष्ठ अधिकारी हो और नीतियों और प्रक्रियाओं को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होगा तथा रिजर्व बैंक अन्य संबंधित सांविधिक और सरकारी अधिकारियों के दिशा-निर्देशों तक ही सीमित न होकर लागू कानूनों, नियमों, नीतियों और प्रक्रियाओं के पालन की निगरानी करेगा।

6. निदेशक एनबीएफसी के निदेशक के रूप में अपने किसी भी अधिकार और दायित्वों को आवंटित, स्थानांतरण, प्रत्यायोजित या भारित नहीं करेगा या किसी भी तीसरे पक्ष को नहीं सौपेगा हालाकि इसे एनबीएफसी के संगम ज्ञापन और लेख सहित लागू कानूनों और नियमों के अनुसार बोर्ड द्वारा या उसकी किसी भी समिति द्वारा किसी प्राधिकार, शक्ति कार्य या प्रत्यायोजन को प्रतिबंधित करने के हेतु न समझा जाए।

7. किसी दायित्व या कर्तव्य का निर्वहन, पालन या अनुपालन करने में किसी भी की ओर से विफलता से न तो छूट प्राप्त होगी नहीं और न ही इसे उस समय या उसके बाद किसी निर्वहन, पालन या अनुपालन के लिए एक आदर्श के रूप में माना जाएगा।

8. इस सहमति के डीड मे कोई भी या सभी संशोधन और / या पूर्ति और / या परिवर्तन निदेशक और एनबीएफसी की विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित और केवल लिखित में होने पर ही मान्य होगा।

9. यह सहमति की डीड दो प्रतियों में निष्पादित किया गया है और दोनों प्रतियां मूल मानी जाएगी।

गवाह की उपस्थिती में पक्षों ने विधिवत पहले ऊपर लिखा दिन, महीने और साल पर इस समझौते को किया।

एनबीएफसी के लिए	निदेशक	
द्वारा		
नाम:	नाम:	
पदनाम:		
की उपस्थिति में:		
1.		2 .....

₹500 करोड़ और अधिक के आस्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एवं जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी(इसके पश्चात लागू एनबीएफ़सी कहा जाएगा) के लिए बैलेंस शीट प्रकटीकरण की सांकेतिक सूची

1. **न्यूनतम प्रकटीकरण**

कम से कम इस अनुलग्नक में सूचीबद्ध मदों का सभी लागू एनबीएफसी द्वारा एनटीए में प्रकटीकरण किया जाना चाहिए। सूचीबद्ध प्रकटीकरण पूरक जानकारी है और जैसा लागू हो, अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताओं को प्रतिस्थापित नहीं करेंगे।

2. **महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश**

एनबीएफसी को अपने वित्तीय विवरण में एनटीए के साथ एक ही स्थान पर संचालन के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण करना चाहिए। एक सांकेतिक सूची में शामिल हैं - लेखा का आधार, विदेशी मुद्रा के लेनदेन, निवेश - वर्गीकरण, मूल्यांकन, आदि, अग्रिम और उसका प्रावधान, अचल संपत्ति और मूल्यह्रास, राजस्व की पहचान, कर्मचारी लाभ, कराधान के लिए प्रावधान, शुद्ध लाभ, आदि

3.1 पूंजी

(करोड़ ₹ में राशि)

	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(i)	सीआरएआर (%)		
(ii)	सीआरएआर - टीयर I पूंजी (%)		
(iii)	सीआरएआर - टीयर II पूंजी (%)		
(iv)	टीयर-II पूंजी के रूप में निर्मित गौण ऋण की राशि		
(v)	बेमियादी ऋण लिखतों को जारी कर निर्मित राशि		

3.2 निवेश

(करोड़ ₹ में राशि)

			विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(1)	निवेश का मूल्य				
	(i)		निवेश का सकल मूल्य		
		(क)	भारत में		
		(ख)	भारत के बाहर,		
	(ii)		मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
		(क)	भारत में		

		(ख)	भारत के बाहर,		
	(iii)		निवेश की निवल मूल्य		
		(क)	भारत में		
		(ख)	भारत से बाहर.		
(2)	निवेश पर मूल्यह्रास के विरुद्ध धारित प्रावधानों का स्थलान्तर				
	(i)		प्रारंभिक शेष		
	(ii)		जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		
	(iii)		घटाएँ : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों की बट्टे खाते डालना / प्रतिलेखन		
	(xiv)		अन्तः शेष		

3.3 डेरिवेटिव्स

3.3.1 वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप

(रुपये ₹ में राशि)

विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(i)	स्वैप समझौतों का काल्पनिक मूल		
(ii)	प्रतिपक्षी समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा तो उठाया जाने वाला घाटा		
(iii)	स्वैप में प्रवेश करने पर एनबीएफसी द्वारा अपेक्षित जमानत		
(iv)	स्वैप $ से उत्पन्न होने वाले ऋण एक्सपोजर की संकेंद्रण		
(v)	स्वैप किताब का उचित मूल्य @		

नोट: स्वैप की प्रकृति और शर्तें क्रेडिट और बाजार एक्सपोजर सहित और स्वैप रिकॉर्डिंग के लिए अपनाई लेखांकन नीतियों के बारे में जानकारी का भी प्रकटीकरण किया जाना चाहिए.

$ संकेंद्रण का उदाहरण अत्यधिक गियर्ड कंपनियों के साथ स्वैप या विशेष उद्योगों मे एक्सपोजर करना हो सकता है.

@ यदि स्वैप विशिष्ट संपत्ति, देनदारियों, या प्रतिबद्धताओं से जुड़े होते हैं तो उचित मूल्य वह अनुमानित राशि होगी जिसे एनबीएफसी को बैलेंस शीट तारीख को स्वैप समझौतों को समाप्त करने के लिए प्राप्त या भुगतान करना होगा।

3.3.2 एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर (आईआर) डेरिवेटिव्स

(रुपये ₹ में राशि)			
क्रम सं.	**विवरण**		**राशि**
(i)	वर्ष के दौरान किए गए आईआर डेरिवेटिव कारोबार की विनिमय की काल्पनिक मूल राशि (लिखत वार)		
	ए)		
	बी)		
	सी)		
(ii)	आईआर डेरिवेटिव कारोबार की 31 मार्च ... ..को बकाया विनिमय की काल्पनिक मूल राशि (लिखत वार)		
	ए)		
	बी)		
	सी)		
(iii)	आईआर डेरिवेटिव कारोबार की 31 मार्च ... ..को बकाया और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं विनिमय की काल्पनिक मूल राशि (लिखत वार)		
	ए)		
	बी)		
	सी)		
(iv)	आईआर डेरिवेटिव कारोबार की बकाया और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं (लिखत वार)विनिमय का मार्क-टू-मार्केट मूल्य		
	ए)		
	बी)		
	सी)		

3.3.3 डेरिवेटिव में एक्सपोजर निवेश पर प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

एनबीएफसी डेरिवेटिव से संबंधित उनके एक्सपोजर प्रबंधन नीतियों जिसमें डेरिवेटिव इस्तेमाल करने की सीमा, जुड़े एक्सपोजर और व्यावसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति के विशेष संदर्भ के साथ का वर्णन करेगी।

ए) डेरिवेटिव ट्रेडिंग में जोख़िम प्रबंधन के लिए संरचना और संगठन,

बी) जोख़िम माप, जोख़िम रिपोर्टिंग और जोख़िम निगरानी प्रणाली का दायरा और प्रकृति,

सी) हेजिंग और/या लिए और हेजिंग/ एक्सपोजर को कम करने के उपायों की सतत प्रभावशीलता की निगरानी के लिए रणनीतिया और प्रक्रियाए

डी) हेज और गैर-हेज लेनदेन की रिकॉर्डिंग के लिए लेखांकन नीति; आय की पहचान, प्रीमियम और छूट; बकाया ठेके का मूल्यांकन; प्रावधानीकरण, जमानत और क्रेडिट एक्सपोजर न्यूनीकरण।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

			(करोड़ ₹ में राशि)	
क्रम सं.	**विवरण**		**करेंसी डेरिवेटिव्स**	**ब्याज दर डेरिवेटिव्स**
(i)	**डेरिवेटिव्स** (काल्पनिक मूल राशि)			
	हेजिंग के लिए			
(ii)	बाजार को चिह्नित स्थिति [1]			
	क)	आस्ति (+)		
	ख.	देयता (-)		
(iii)	क्रेडिट एक्सपोजर [2]			
(iv)	गैर हेज्ड एक्सपोजर			

3.4 प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

3.4.1 प्रारंभिक एनबीएफसी के एनटीए में एनबीएफसी द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत परिसंपत्तियों की बकाया राशि और बैलेंस शीट की तारीख को न्यूनतम रिटेंशन आवश्यकताओं (एमआरआर) का अनुपालन करने के लिए एनबीएफसी द्वारा धारित एक्सपोजर की कुल राशि का संकेत होना चाहिए। ये आंकड़े एसपीवी के लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित और प्रवर्तक एनबीएफसी को एसपीवी द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर होने चाहिए। ये प्रकटीकरण नीचे दिए गए प्रारूप में किए जाने चाहिए।

क्रम सं.	**विवरण**		**सं / ₹ करोड़ में राशि**
1	प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए एनबीएफसी द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या*		
2	प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत परिसंपत्तियों की कुल राशि		
3	बैलेंस शीट की तारीख को एमआरआर का पालन करने के लिए एनबीएफसी द्वारा धारित एक्सपोज़र की कुल राशि		
	ए)	ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर	
		पहला नुकसान	

		अन्य		
	बी)	आन-बैलेंस शीट एक्सपोजर		
		पहला नुकसान		
		अन्य		
4	एमआरआर के अलावा अन्य प्रतिभूतिकरण लेनदेन करने के लिए एक्सपोजर की राशि			
	ए)	ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर		
		(i)	स्वयं के प्रतिभूतिकरण का एक्सपोजर	
			पहला नुकसान	
			हानि	
		(ii)	तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण का एक्सपोजर	
			पहला नुकसान	
			अन्य	
	बी)	आन-बैलेंस शीट एक्सपोजर		
		(i)	स्वयं के प्रतिभूतिकरण का एक्सपोजर	
			पहला नुकसान	
			अन्य	
		(ii)	तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण का एक्सपोजर	
			पहला नुकसान	
			अन्य	
*केवल बकाया प्रतिभूतिकरण लेनदेन से संबंधित एसपीवी का यहां उल्लेख करें।				

3.4.2 परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

(करोड़ ₹ में राशि)

	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(i)	खातों की संख्या		
(ii)	एससी/ आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों का शुद्ध)		
(iii)	सकल राशि		
(iv)	पहले के वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त राशि		
(v)	नेट बुक वैल्यू के ऊपर सकल लाभ / हानि		

3.4.3 एनबीएफसी द्वारा किए समनुदेशन लेनदेन के विवरण

		(करोड़ ₹ में राशि)	
विवरण		**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
(i)	खातों की संख्या		
(ii)	बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों का शुद्ध)		
(iii)	सकल राशि		
(iv)	पहले के वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त राशि		
(v)	नेट बुक वैल्यू के ऊपर सकल लाभ / हानि		

3.4.4 खरीदी बेची गई /गैर निष्पादित वित्तीय परिसंपत्तियों के विवरण

जो एनबीएफसी अन्य एनबीएफसी से गैर निष्पादित वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद करती है, को अपनी बैलेंस शीट के एनटीए में निम्नलिखित प्रकटीकरण करना आवश्यक होगा:

ए) खरीदी गई गैर-निष्पादित वित्तीय आस्तियों के विवरण:

			(करोड़ ₹ में राशि)	
विवरण			**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1	(ए)	वर्ष के दौरान खरीदे खातों की संख्या		
	(बी)	सकल बकाया		
2	(ए)	इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की संख्या		
	(बी)	सकल बकाया		

बी) बेची गई गैर निष्पादित वित्तीय आस्तियों के विवरण:

	(करोड़ ₹ में राशि)		
विवरण		**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1	बेचे गए खातों की संख्या		
2	सकल बकाया		
3	प्राप्त सकल राशि		

3.5 संपत्ति और देनदारियों के कुछ मदों का आस्ति देयता प्रबंधन परिपक्वता पैटर्न

	1 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 30/31 दिन	1 महीने से अधिक और 2 महीने तक	2 महीने से अधिक और 3 महीने तक के लिए	3 महीने से अधिक और 6 महीने तक के लिए	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक के लिए	1 वर्ष से अधिक और 3 साल तक के लिए	3 वर्ष से अधिक और 5 साल तक के लिए	5 वर्षों से अधिक	कुल
जमाराशि											
अग्रिम											
निवेश											
उधार											
विदेशी मुद्रा आस्तिया											
विदेशी मुद्रा देनदारिया											

3.6 एक्सपोजर

3.6.1 रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक्सपोजर

(करोड़ ₹ में राशि)

श्रेणी			चालू वर्ष	पिछला वर्ष
ए)	**प्रत्यक्ष निवेश**			
	(i)	**आवासीय मार्टगेज -**		
		आवासीय संपत्ति पर मार्टगेज द्वारा ऋण पूरी तरह सुरक्षित है जो उधारकर्ता द्वारा कब्जा की जाएगी या किराए पर दिया जाएगा		
	(ii)	**वाणिज्यिक रियल एस्टेट -**		
		वाणिज्यिक **रियल एस्टेट** (कार्यालय भवनों, खुदरा स्थान, बहुउद्देश्यीय व्यावसायिक परिसर, बहु परिवार आवासीय भवनों, बहुत से लोगो को भाड़े पर दिए गए वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थल, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण, आदि) पर बंधक द्वारा प्राप्त ऋण। एक्सपोजर में गैर निधि आधारित सीमा भी शामिल होगा		
	(iii)	बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर में निवेश -		

		ए.	आवासीय		
		बी.	वाणिज्यिक रियल एस्टेट		
रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कुल निवेश					

3.6.2 कैपिटल मार्केट में एक्सपोजर

(करोड़ ₹ में राशि)

विवरण		**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांड, डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड में प्रत्यक्ष निवेश जिसके कोष को विशेष रूप से कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं किया जा रहा है;		
(ii)	शेयरों / बांडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के विरुद्ध या परिवर्तनीय बांड, डिबेंचर, और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की यूनिटों (आईपीओ / ईएसओपीएस सहित) के शेयरों में निवेश के लिए व्यक्तियों को स्वच्छ आधार पर अग्रिम;		
(iii)	किसी भी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम जहां शेयरों या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या म्यूचुअल फंड उन्मुख इक्विटी की इकाइयों को प्राथमिक सुरक्षा के रूप में लिया गया हैं;		
(iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या म्युचुअल फंड उन्मुख इक्विटी की इकाइयों की जमानत सुरक्षा के द्वारा इस हद तक सुरक्षित किसी भी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम अर्थात जहां जिसमे शेयर/ परिवर्तनीय बांड / परिवर्तनीय डिबेंचरों / इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइया को छोडकर प्राथमिक प्रतिभूति पूरी तरह से अग्रिम कवर नहीं करती है;		
(v)	शेयर दलालों को सुरक्षित और असुरक्षित अग्रिम तथा शेयर दलालों और बाजार निर्माताओं की ओर से जारी की गई गारंटी;		
(vi)	शेयरों / बांडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की या संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तकों का स्वच्छ आधार पर योगदान की सुरक्षा के खिलाफ कंपनियों को ऋण;		
(vii).	प्रत्याशित इक्विटी प्रवाह / जारी करने के खिलाफ कंपनियों के लिए पूरक ऋण;		
(viii)	वेंचर कैपिटल फंड के लिए सभी निवेश एक्सपोजर (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)		
पूंजी बाजार में कुल निवेश			

3.6.3 मूल कंपनी के उत्पादों के वित्तपोषण के विवरण

3.6.4 एनबीएफसी द्वारा पार किए गए एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल) / समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) के विवरण

एनबीएफसी को एक्सपोजर के संबंध में वार्षिक वित्तीय विवरण के एनटीए में वर्ष के दौरान एनबीएफ़सी द्वारा प्रूडेंशियल एक्सपोजर सीमा को पार करने संबंधी उचित प्रकटीकरण को दर्शाना चाहिए। स्वीकृत सीमा या पूरा बकाया,जो भी अधिक हो, की एक्सपोजर सीमा के लिए गणना की जाएगी।

3.6.5 असुरक्षित अग्रिम

ए) एनबीएफसी को उनके द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं (बुनियादी संरचना परियोजनाओं सहित) के संबंध में जमानत के रूप में चार्ज अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण, आदि को असुरक्षित अग्रिम की गणना करने के लिए मूर्त प्रतिभूति के रूप में नहीं गिना जाना चाहिए। इसलिए इस तरह के अग्रिम असुरक्षित माने जाएगे।

बी) एनबीएफसी को अग्रिम की कुल राशि का प्रकटीकरण भी करना चाहिए जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियों जैसे भारित अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकार आदि को ऐसी अमूर्त समपार्श्विक के अनुमानित मूल्य मे शामिल किया गया है । ऐसा प्रकटीकरण एनटीए में एक अलग शीर्ष के तहत किया जा सकता है। यह ऐसे ऋण को अन्य पूरी तरह असुरक्षित ऋण से अलग करेगा।

4. विविध

4.1 वित्तीय क्षेत्र के अन्य नियामकों से प्राप्त पंजीकरण

4.2 भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य नियामकों द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

नियामकों द्वारा लगाए गए दंड के प्रकटीकरण के संबंध में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप एनबीएफसी को जुर्माना लगाने का ब्यौरा सार्वजनिक डोमेन में रखना निवेशकों और जमाकर्ताओं के हित में होगा। इसके अलावा, निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निंदा या निर्देश या अन्य प्रतिकूल भी सार्वजनिक डोमेन में रखा जाना चाहिए। जुर्माने का एनटीए में भी प्रकटीकरण किया जाना चाहिए।

4.3 संबंधित पक्ष के लेनदेन

ए) सभी संबंधित पक्षों के साथ भौतिक लेनदेन का विवरण वार्षिक रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा।

बी) कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर और वार्षिक रिपोर्ट में भी संबंधित पक्ष के लेनदेन से निपटने पर नीति का प्रकटीकरण करेगी।

4.4 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा आवंटित रेटिंग और वर्ष के दौरान रेटिंग का माइग्रेशन

4.5 निदेशकों का पारिश्रमिक

गैर-कार्यकारी निदेशकों के सभी आर्थिक संबंध या लेन-देन का कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकटीकरण किया जाएगा।

4.6 प्रबंधन

निदेशकों की रिपोर्ट के हिस्से या एक अनुबंध के रूप में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट को शेयरधारकों के लिए वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा होना चाहिए। इस प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर निम्नलिखित मामलों पर चर्चा को शामिल करना चाहिए:

ए) उद्योग संरचना और विकास
बी) अवसर और खतरे
सी) खंड-वार या उत्पाद के लिहाज से प्रदर्शन
डी) आउटलुक
ई) एक्सपोजर और चिंताएं
एफ) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसकी पर्याप्तता
जी) परिचालन प्रदर्शन के संबंध में वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा
एच) रोजगार में लिए लोगों की संख्या सहित, मानव संसाधन / औद्योगिक संबंध के मामले में उल्लेखनीय विकास

4.7 अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

चूंकि एनबीएफसी के लाभ और हानि खाते का स्वरूप विशेष रूप से चालू वर्ष के लाभ और हानि पर पूर्व अवधि मदों के प्रभाव को नहीं दर्शाता अतः जहाँ भी आवश्यक हो, इस तरह के प्रभाव का एनटीए में प्रकटीकरण किया जाए।

4.8 राजस्व मान्यता

एक उद्यम को परिस्थितियों का प्रकटीकरण करना चाहिए जिसमें राजस्व की पहचान को महत्वपूर्ण अनिश्चितताओं के लंबित हल तक स्थगित कर दिया गया है।

4.9 लेखा मानक 21 – समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस)

एनबीएफसी समय-समय पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए सामान्य स्पष्टीकरण द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करें। सीएफएस प्रस्तुत करने वाली एक मूल कंपनी को सभी सहायक कंपनियों - घरेलू के साथ-साथ विदेशी भी, के वित्तीय विवरणों को समेकित करना चाहिए। एक सहायक का समेकन करने या न करने के लिए कारणों का सीएफएस में प्रकटीकरण किया जाना

चाहिए। समेकन के लिए एक विशेष इकाई शामिल किया जाना चाहिए या नहीं, यह निर्धारित करने की जिम्मेदारी मूल इकाई के प्रबंधन की होगी। मामले में, अपने यदि सांविधिक लेखा परीक्षक की राय है कि जो इकाई समेकित की जानी चाहिए थी उसे छोड़ दिया गया है तो उन्हे "लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट" में इस संबंध में उनकी टिप्पणी को शामिल करना चाहिए ।

5. अतिरिक्त प्रकटीकरण

5.1 प्रावधान और आकस्मिकताए

वित्तीय विवरण को आसानी से पढ़ने की सुविधा के लिए और सभी प्रावधानों और आकस्मिकताओं के बारे में एक ही स्थान पर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए, एनबीएफसी को एनटीए निम्नलिखित जानकारी का प्रकटीकरण करना आवश्यक हैं:

		(करोड़ ₹ में राशि)
लाभ और हानि खाता में व्यय शीर्ष के तहत दिखाए 'प्रावधानों और आकस्मिकताओं' का ब्रेक-अप	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
एनपीए के लिए प्रावधान		
आयकर के लिए प्रावधान		
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताए (विवरण के साथ)		
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान		

5.2 रिजर्व मे ड्राडाउन

रिजर्व में किसी ड्राडाउन के उचित प्रकटीकरण एनटीए में किए जाने चाहिए।

5.3 जमा, अग्रिम, एक्सपोजर और एनपीए का संकेंद्रण

5.3.1 जमा की संकेंद्रण (जमा लेने वाली एनबीएफसी के लिए)

	(करोड़ ₹ में राशि)
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं के कुल जमा	
एनबीएफसी की कुल जमा के विरुद्ध बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमा राशि का प्रतिशत	

5.3.2 अग्रिम का संकेंद्रण

	(करोड़ ₹ में राशि)
बीस सबसे बड़े ऋण लेने वालों का कुल अग्रिम	
एनबीएफसी की कुल अग्रिम के विरुद्ध बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिम की प्रतिशतता	

5.3.3 एक्सपोज़र का संकेंद्रण

	(करोड़ ₹ में राशि)
बीस सबसे बड़ी उधारकर्ताओं / ग्राहकों के लिए कुल निवेश	
एनबीएफसी के सभी उधारकर्ताओं / ग्राहकों के कुल एक्सपोजर के विरुद्ध बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों के लिए एक्सपोज़र का प्रतिशत	

5.3.4 एनपीए का संकेंद्रण

	(करोड़ ₹ में राशि)
शीर्ष चार एनपीए खातों में कुल निवेश	

5.3.5 सेक्टर के लिहाज से एनपीए

क्रम सं. बेच	सेक्टर	क्षेत्र में कुल अग्रिम की तुलना में एनपीए का प्रतिशत
1	कृषि तथा संबद्ध गतिविधिया	
2	एमएसएमई	
3	कारपोरेट ऋण लेने वाले	
4	सेवाएं	
2	असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण	
3	ऑटो ऋण	
4	अन्य व्यक्तिगत ऋण	

5.4 एनपीए का संचलन

		(करोड़ ₹ में राशि)	
विवरण		**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
(i)	निवल अग्रिम की तुलना में निवल एनपीए (%)		
(ii)	एनपीए का संचलन (सकल)		
	(ए) प्रारंभिक बैलेंस		
	(बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन		
	(सी) वर्ष के दौरान कटौती		
	(डी) अन्तः शेष		
(iii)	निवल एनपीए का संचलन		
	(ए) प्रारंभिक बैलेंस		

	(बी)	वर्ष के दौरान परिवर्धन		
	(सी)	वर्ष के दौरान कटौती		
	(डी)	अन्तः शेष		
(iv)	एनपीए के लिए प्रावधान का संचलन (मानक परिसंपत्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)			
	(ए)	प्रारंभिक बैलेंस		
	(बी)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधानों		
	(सी)	अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते डालना / प्रतिलेखन		
	(डी)	अन्तः शेष		

5.5 विदेशी आस्तिया (विदेश में संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों वालो के लिए)

संयुक्त उद्यम / सहायक का नाम	जेवी में दूसरे साथी	देश	कुल परिसंपत्तियां

5.6 ऑफ बैलेंस शीट प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें पूर्व लेखांकन मानकों के अनुसार समेकित करना आवश्यकता होता है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
घरेलू	**विदेशी (ओवरसीज़)**

6. शिकायतों का प्रकटीकरण

6.1 ग्राहक शिकायत

(ए)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	
(बी)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	
(सी)	वर्ष के दौरान निवारण की गई शिकायतों की संख्या	
(डी)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	

अनुबंध- XVII

टियर I पूंजी में शामि ल कि ए जाने की पात्रता हेतु बेमि यादी ऋण लि खत (PDI) पर लागू नियम व शर्तें

₹500 करोड़ और उससे अधिक आस्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार न करने वाली गैर बैंकिंग वि त्तीय कंपनि याँ पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन से टि यर I एवं टि यर II पूंजी में शामि ल कि ए जाने के लि ए बेमि यादी ऋण लि खत (PDI) बांड या डि बेंचर के रूप में नि म्नलि खि त शर्तों के तहत जारी कर सकती हैं।

1. **बेमि यादी ऋण लि खत** (PDI) **जारी करने की शर्तें**

i) कि स मुद्रा में जारी होंगे

बेमि यादी ऋण लि खत (PDI) केवल भारतीय ₹ में जारी होंगे।

ii) राशि

जैसाकि नि म्नलि खि त खंड (iii) में स्पष्ट कि या गया है, ऐसे लि खत जारी करके उगाही जाने वाली समग्र राशि टि यर I एवं टि यर II पूंजी की समग्र सीमा के भीतर होगी। इसे श्रृंखलाओं में उगाहा जा सकेगा। हालांकि, ऐसे प्रत्येक नि र्गम/श्रृंखला में कि सी एक नि वेशक द्वारा नि वेश की न्यूनतम सीमा ₹ 5 लाख होगी।

iii) सीमाएं

बेमि यादी ऋण लि खत (PDI) की राशि कुल टि यर I पूंजी के 15% तक, टि यर I पूंजी में शामि ल होने की पात्र मानी जाएगी। ऐसी राशि पि छले लेखा वर्ष के 31 मार्च को टि यर I पूंजी की राशि जि समें से साख (goodwill) एवं अन्य अमूर्त परि संपत्ति यों को घटाया गया हो एवं नि वेश को घटाने से पूर्व रही राशि पर आधारि त होगी।

बेमि यादी ऋण लि खत (PDI) की राशि में से टि यर I पूंजी के लि ए पात्र मानी गयी राशि से जो रकम अधिक होगी उसे टि यर II के लि ए पात्र माना जाएगा, बशर्ते वह इन निदेशों में अंतर्वि ष्ट प्रावधानों के अनुसार हो।

iv) परि पक्वता अवधि

PDI बेमि यादी परि पक्वता वाले होंगे।

v) ब्याज दर

नि वेशकों को देय ब्याज दर नि श्चि त या चल ब्याज दर हो सकती है और इसके लि ए रुपए की बाजार द्वारा नि र्धारि त बेंचमार्क दर संदर्भ दर होगी।

vi) वि कल्प

₹500 करोड़ और उससे अधिक आस्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार न करने वाली गैर बैंकिंग वि त्तीय कंपनि याँ बेमि यादी ऋण लि खत (PDI) बि ल्कुल सादे लि खत (Plain Vanilla Instruments) के रूप में ही जारी करेंगी।

हालांकि, बेमि यादी ऋण लि खत (PDI) कॉल वि कल्प के साथ जारी कर सकती हैं बशर्ते नि म्नलि खि त में से प्रत्येक शर्त का कड़ाई से पालन कि या गया हो:

(क) जारी होने की तारीख से लि खत ने न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि पूरी कर ली हो; तथा

(ख) कॉल वि कल्प का प्रयोग भारतीय रि ज़र्व बैंक की पूर्वानुमति से ही होगा। ऐसे गैर बैंकिंग वि त्तीय कंपनी से प्राप्त प्रस्ताव पर वि चार करते समय रि ज़र्व बैंक, अन्य बातों के साथ-साथ, कॉल वि कल्प का प्रयोग कि ए जाने एवं उसके बाद दोनों ही समयों पर कंपनी की जोखि म भारि त परि संपत्ति यों की तुलना में पूंजी के अनुपात (CRAR) की स्थि ति को देखेगा।

vii) उच्चीकरण (स्टेप-अप) वि कल्प

₹500 करोड़ और उससे अधिक आस्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार न करने वाली गैर बैंकिंग वि त्तीय कंपनि याँ बेमि यादी लि खतों पर ब्याज दर बढ़ाने के लि ए उच्चीकरण वि कल्प रख सकती हैं। ऐसे वि क्प का प्रयोग लि खत द्वारा 10 वर्ष पूरे करने के पश्चात, लि खत के पूरे जीवन में केवल एक बार कि या जा सकेगा। उच्चीकरण दर उक्त पैरा (v) के तहत जारी मांग (आफर) दस्तावेज में वि ज्ञापि त दर से 100 आधारभूत अंकों से अधि क नहीं होगी। जारीकर्ता गैर बैंकिंग वि त्तीय कंपनि यों के लि ए उच्चीकरण सीमा ऋण लि खत की समग्र अर्जन लागत (all in cost) पर लागू होगी।

viii) अवरुद्धता संबंधी उपबंध

(क) बेमि यादी लि खतों पर अवरुद्धता उपबंध की शर्त रहेगी जि सके अनुसार ₹500 करोड़ और उससे अधिक आस्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार न करने वाली गैर बैंकिंग वि त्तीय कंपनी नि म्नलि खि त परि स्थि ति यों में ब्याज, यदि कोई हो, के भुगतान को आस्थगति कर सकेगी:

- गैर बैंकिंग वि त्तीय कंपनी का CRAR भारतीय रि ज़र्व बैंक द्वारा वि नि र्दि ष्ट न्यूनतम वि नि यामक अपेक्षा से कम हो; या
- ऐसे भुगतान/अदायगी के परि णामस्वरूप गैर बैंकिंग वि त्तीय कंपनी का CRAR भारतीय रि ज़र्व बैंक द्वारा वि नि र्दि ष्ट न्यूनतम वि नि यामक अपेक्षा से नीचे हो जाता हो या उससे कम बना रहता हो;

(ख) तथापि, ₹500 करोड़ और उससे अधिक आस्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार न करने वाली कोई गैर बैंकिंग वि त्तीय कंपनी भारतीय रि ज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से ब्याज की अदायगी कर सकती है जब अदायगी के प्रभाव से नि वल हानि होती हो या नि वल हानि में वृद्धि होती हो परन्तु CRAR के लि ए कि या गया प्रावधान वि नि यामक मानदण्ड से ऊंचा रहे।

(ग) खण्ड (क) से भि न्न स्थि ति/मामलों में ब्याज संचि त नहीं होगा।

(घ) गैर बैंकिंग वि त्तीय कंपनी अवरुद्धता संबंधी शर्त का उपयोग करने के सभी मामले भारतीय रि ज़र्व बैंक के गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण वि भाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को रि पोर्ट करेगी जि सके अधि कार-क्षेत्र में वह पंजीकृत है।

ix) दावों में वरि ष्ठता (सीनि यारि टी)

बेमि यादी ऋण लि खतों (PDI) में नि वेशकों के दावे -

क) ईक्वि टी शेयरों में नि वेशकों के दावों पर वरि ष्ठ/वरीय होंगे; और

ख) सभी अन्य लेनदारों के दावों की तुलना में गौण/कनि ष्ठ होंगे।

x) बट्टा

चूंकि ये लि खत बेमि यादी हैं, अतः पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन से ये क्रमि क बट्टे के अधीन नहीं होंगे।

xi) अन्य शर्तें

क) बेमि यादी ऋण लि खत पूर्णत: प्रदत्त, बेजमानती और प्रति बंधक शर्तों से मुक्त होंगे तथा इन्हें जारी करना एवं उन पर लागू शर्तें कंपनी अधि नि यम, 1956 के उपबंधों तथा लागू अन्य वि धि यों, जि नमें संबंधि त वि नि यामक प्राधि कारि यों द्वारा जारी नि यम, वि नि यम, नि देश तथा मार्गदर्शी सि द्धांत शामि ल हैं, के अधीन होंगी।

ख) वर्तमान वि देशी मुद्रा प्रबंध अधि नि यम-वि नि यमावली के अनुपालन के अधीन, गैर बैंकिंग वि त्तीय कंपनि याँ मामले-दर-मामले के आधार पर ₹500 करोड़ और उससे अधिक आस्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार न करने वाली किसी गैर बैंकिंग वि त्तीय कंपनी द्वारा उगाहे जाने वाले

बेमि यादी ऋण लि खतों में वि देशी संस्थागत नि वेशकों/अनि वासी भारतीयों द्वारा भारतीय रुपए में कि ए जाने वाले नि वेश के संबंध में भारतीय रि ज़र्व बैंक से पूर्व मंजूरी प्राप्त करेंगी।

ग) लि खत जारी करने के संबंध में सेबी या अन्य वि नि यामक प्राधि कारी द्वारा यदि कोई शर्त वि नि र्दि ष्ट हो तो ₹500 करोड़ और उससे अधिक आस्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार न करने वाली गैर बैंकिंग वि त्तीय कंपनि याँ उसका पालन करेंगी।

घ) ₹500 करोड़ और उससे अधिक आस्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार न करने वाली गैर बैंकिंग वि त्तीय कंपनि यों द्वारा जारी ऐसे लि खतों में यदि कोई अन्य गैर बैंकिंग वि त्तीय कंपनी नि वेश करती है तो वह राशि भारतीय रि ज़र्व बैंक अधि नि यम की धारा 45-आईए के स्पष्टीकरण में यथा परि भाषि त नि वल स्वाधि कृत नि धि यों की परि भाषा में दि ए गए प्रावधानों से वि नि यमि त होगी। इस प्रकार गैर बैंकिंग वि त्तीय कंपनी की स्वाधि कृत नि धि यों में कि ये गये नि वेश के 10% से अधिक राशि को नि वल स्वाधि कृत नि धि यों की गणना के लि ए घटाया जाएगा।

2. **रि पोर्टिंग अपेक्षाएं**

ऐसे लि खत जारी करने वाली ₹500 करोड़ और उससे अधिक आस्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार न करने वाली गैर बैंकिंग वि त्तीय कंपनि याँ हमारे उस क्षेत्रीय कार्यालय को, जि सके अधि कार-क्षेत्र में कंपनी पंजीकृत हैं, उगाहे गए ऋण का ब्योरा, जि समें ऊपर दी गई मद 1 में वि नि र्दि ष्ट नि र्गम-शर्तें शामि ल हों सहि त रि पोर्ट नि र्गम पूरा होते ही आफर दस्तावेज की प्रति अनुलग्न करते हुए प्रस्तुत करेंगी ।

3. अन्य एनबीएफसी-एनडी-एसआई द्वारा जारी बेमि यादी ऋण लि खत (PDI) **में नि वेश**

कि सी अन्य एनबीएफसी या अन्य वि त्तीय संस्थाओं द्वारा जारी बेमि यादी ऋण लि खतों (PDI) में ₹500 करोड़ और उससे अधिक आस्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार न करने वाली किसी गैर बैंकिंग वि त्तीय कंपनी द्वारा कि ए गए नि वेश भारतीय रि ज़र्व बैंक अधि नि यम, 1934 की धारा 45-आईए में यथापरि भाषि त नि वल स्वाधि कृत नि धि यों की परि भाषा के अधीन होंगे और उन पर बैंक द्वारा निर्धारित जोखि म भार लागू होंगे।

4. बेमि यादी ऋण लि खतों (PDI) **पर अग्रि म देना**

₹500 करोड़ और उससे अधिक आस्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार न करने वाली गैर बैंकिंग वि त्तीय कंपनि याँ अपने द्वारा जारी बेमि यादी ऋण लि खतों (PDI) की प्रति भूति पर अग्रि म नहीं देंगी।

5. प्रकटीकरण अपेक्षाएं

(I) ₹500 करोड़ और उससे अधिक आस्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार न करने वाली गैर बैंकिंग वि त्तीय कंपनि याँ अपनी वार्षि क रि पोर्ट में नि म्नलि खि त के संबंध में समुचि त प्रकटीकरण करेंगी:

(i) बेमि यादी ऋण लि खतों (PDI) के द्वारा वर्ष के दौरान उगाही गई नि धि याँ तथा वि त्तीय वर्ष की समाप्ति पर शेष;

(ii) कंपनी की टि यर I पूंजी से बेमि यादी ऋण लि खतों (PDI) की राशि यों का प्रति शत;

(iii) उस वर्ष का उल्लेख करें जि समें बेमि यादी ऋण लि खतों (PDI) पर ब्याज की अदायगी उल्लि खि त मद 1(viii) के अनुसार नहीं की गयी।

(II) बेमि यादी ऋण लि खतों (PDI) की नीति नि र्धारि त करते समय ₹500 करोड़ और उससे अधिक आस्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार न करने वाली गैर बैंकिंग वि त्तीय कंपनी का नि देशक बोर्ड यह सुनि श्चत करेगा कि लि खत के स्वरूप, उससे जुड़े जोखि म तथा उनके गैर बीमि त स्वरूप सहि त उचि त प्रकटीकरण नि वेशकों के लि ए कि ए जाएं ताकि नि वेशक समझ-बूझकर नि वेश का नि र्णय ले सकें। आफर दस्तावेज में एक यह उपबंध भी रहेगा कि नि वेशक नि वेश करने का नि र्णय अपने वि श्लेषण (वि वेक) के आधार पर करें और भारतीय रि ज़र्व बैंक ऐसे नि वेश की अदायगी के लि ए उत्तरदायि त्व नहीं लेता है। ऐसी एनबीएफ़सी अपने द्वारा नि र्धारि त नीति में यह उपबंध भी रखेगी कि यदि कंपनी उक्त मद 1(vii) के अनुसार उच्चीकृत ब्याज देने का नि र्णय लेगी तो वह उसका भार वहन कर सकने की स्थि ति में रहेगी। नि देशक बोर्ड उल्लि खि त शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनि श्चि त करेगा।

अनुबंध XVIII

बीमा में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रवेश के लिए दिशानिर्देश

1. बैंक के पास पंजीकृत एनबीएफसी निम्नलिखित शर्तों के अधीन बैंक के अनुमोदन के बिना, प्रभार के आधार पर और जोखिम भागीदारी के बिना बीमा एजेंसी कारोबार शुरू करने के लिए अनुमति दी जाएगी:

(i) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को आईआरडीए से अपेक्षित अनुमति प्राप्त कर और बीमा कंपनियों के साथ 'समग्र कॉर्पोरेट एजेंट' के रूप में कार्य करने के लिए आईआरडीए के नियमों का पालन करना चाहिए।

(ii) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए अपने ग्राहकों को एनबीएफसी द्वारा वित्त पोषित परिसंपत्तियों से संबंधित किसी विशिष्ट बीमा कंपनी को चुनने के लिए मजबूर करने वाली किसी भी प्रतिबंधात्मक गतिविधि को नहीं अपनाना चाहिए। ग्राहकों को अपनी पसंद के अनुसार चुनाव करने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए।

(iii) चूंकि बीमा उत्पादों में एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के ग्राहक की भागीदारी पूरी तरह से स्वैच्छिक आधार पर है, अतः इसे प्रचार के लिए एनबीएफसी द्वारा वितरित सामग्री में उल्लेख किया जाना चाहिए। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों लिए के वित्तीय सेवाओं और बीमा उत्पादों का उपयोग करने के बीच या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए।

(iv) प्रीमियम गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के माध्यम से न होकर बीमा कंपनी को सीधे बीमा धारक द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए।

(v) बीमा एजेंसी में यदि कोई जोखिम शामिल है तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के व्यापार को हस्तांतरित नहीं किया जाना चाहिए।

2. किसी भी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को ऐसा कारोबार विभागीय तौर पर करने की अनुमति नहीं होगी। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की सहायक या उसी ग्रुप की कंपनी या किसी अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के कारोबार में लगी है या बैंकिंग कारोबार में लगी है को समान्यत: जोखिम सहभागिता के आधार पर बीमा कंपनी के साथ जुड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत, पात्रता मानदण्ड को पूरा करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जोखिम सहित बीमा कारोबार करने के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी स्थापित कर सकती हैं बशर्ते सुरक्षा उपायों के तहत ऐसा किया जाए। ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सामान्यत: बीमा कंपनी की प्रदत्त पूंजी के अधिकतम 50% तक ज्वाइंट वेंचर कंपनी की इक्विटी को धारण (होल्ड) सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक, चयनित आधार पर, प्रारंभ में किसी प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को, इक्विटी में अंशदान विनिर्दिष्ट अवधि में पूरा होने तक की अवधि के लिए, उच्च अंशदान की अनुमति दे सकता है। (निम्नलिखित नोट 1 देखें)

यदि एक ही समूह की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की एक से अधिक कंपनी (वित्तीय गतिविधि करती हो या नहीं) यदि बीमा कंपनी में हिस्सेदारी (स्टेक) लेना चाहती है तो एक ही समूह की सभी कंपनियों के योगदान को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए बीमा संयुक्त उपक्रम में 50 प्रतिशत की निर्धारित सीमा हेतु गिना जाएगा।

ऐसे मामलों में जहां आईआरडीए द्वारा संयुक्त बीमा उपक्रम कंपनी से पूंजी अंत:प्रवाह के लिए कहा गया हो, ऐसी स्थिति में बैंक मामले दर मामले के आधार पर विनिर्दिष्ट 50% की सीमा में छूट पर विचार कर सकता है। छूट की अनुमति, यदि दी जाती है, यह इन दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट सभी विनियमाक शर्तों का एनबीएफसी द्वारा पालन के अधीन होगा तथा विशिष्ट मामलों में ऐसे अन्य शर्तों का अनुपालन भी करना होगा। ऐसी छूट के लिए एनबीएफसी संबंधित दस्तावेज सहित अपना आवेदन उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करे जिसके क्षेत्राधिकार में उसका पंजीकृत कार्यालय स्थित है।

संयुक्त उद्यम भागीदार के लिए पात्रता मानदंड नीचे दिया गया है:

(i) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के स्वामित्व वाली निधि ₹500 करोड़ रुपये से कम नहीं होना चाहिए,

(ii) शुद्ध अनर्जक आस्तियों का स्तर कुल बकाया पट्टे / किराया खरीद की संपत्ति और एक साथ लिया अग्रिमों के 5% से अधिक नहीं होना चाहिए,

(iii) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा पिछले लगातार तीन साल के लिए शुद्ध लाभ अर्जित किया गया होना चाहिए,

(iv) संबंधित एनबीएफसी की सहायक कंपनियों, यदि कोई हो, के प्रदर्शन का ट्रैक रिकॉर्ड, संतोषजनक होना चाहिए,

(v) विनियामक अनुपालन और सार्वजनिक जमा सर्विसिंग, अगर हो, की गई हो।

इस तरह के निवेश के लिए एनबीएफसी की निवल स्वाधिकृत निधियों की गणना करते समय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया जाएगा ।

4. ऐसे मामले में जहां एक विदेशी भागीदार को बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अनुमोदन / विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के अनुमोदन से इक्विटी का 26 प्रतिशत अंशदान करता है तो एक से अधिक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को बीमा संयुक्त उद्यम की इक्विटी में भाग लेने के लिए अनुमति दी जा सकती। ऐसे प्रतिभागियों को भी बीमा जोखिम ग्रहण करना होगा । केवल वह एनबीएफसी जो ऊपर पैरा 3 में दिए मानदंडों को पूरा करती है, पात्र होगी।

5. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो उपरोक्त प्रकार के संयुक्त उद्यम भागीदार के रूप में पात्र नहीं हैं, वे बीमा कंपनी में स्वामित्व वाली निधि का 10% या ₹50 करोड़, जो भी कम हो तक निवेश कर सकते हैं।इस तरह की भागीदारी एक निवेश के रूप में माना जाएगी जो एनबीएफसी के लिए किसी भी आकस्मिक देयता के बिना होना चाहिए। इन एनबीएफसी के लिए पात्रता मानदंड निम्नानुसार होगा:

(i) शुद्ध एनपीए का स्तर कुल बकाया पट्टे / किराया खरीद की संपत्ति और अग्रिमों के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए;

(ii) एनबीएफसी का पिछले लगातार तीन साल के लिए शुद्ध लाभ होना चाहिए।

(नोट 1):

(1) एक प्रमोटर एनबीएफसी द्वारा बीमा कारोबार में इक्विटी की होल्डिंग या किसी भी रूप में एक बीमा कंपनी में भागीदारी किसी भी नियम और आईआरडीए / केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुपालन के अधीन किया जाएगा। इसमे निर्धारित अवधि के भीतर 26 चुकता पूंजी के प्रतिशत से अधिक इक्विटी के विनिवेश के लिए आईआरडीए अधिनियम, 1999 द्वारा यथा संशोधित बीमा अधिनियम की धारा 6एए के साथ अनुपालन शामिल होंगे।

(2) पात्रता मानदंड पिछले वर्ष के लिए नवीनतम उपलब्ध ऑडिटेड बैलेंस शीट के संदर्भ में गिनी जाएगी।

अनुबंध XIX

सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के मुद्दे पर दिशा-निर्देश

एनबीएफसी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए और व्यापार के उनके क्षेत्र के विविधीकरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत चुनिंदा एनबीएफसी को रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के साथ जोखिम बांटने के बिना अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए, दो साल की एक प्रारंभिक अवधि और उसके बाद एक समीक्षा के अधीन अनुमति देने का फैसला किया गया है। निम्नलिखित न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने पर एनबीएफसी को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए आवेदन करने के पात्र हैं:

(i) ₹100 करोड़ की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि;

(ii) कंपनी ने पिछले दो वर्षों की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार शुद्ध लाभ अर्जित किया हो;

(iii) एनबीएफसी के शुद्ध अग्रिम में शुद्ध एनपीए का प्रतिशत पिछले ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार 3% से अधिक नहीं होना चाहिए;

(iv) जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-एनडी) न्यूनतम लीवरेज अनुपात 7 बनाए रखेगी; जबकि प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी-एसआईएस और जमाराशि स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-डी) 15% सीआरएआर बनाए रखेगी।

2. इसके अलावा गैर बैंकिंग कंपनियों को निम्नांकित शर्तों का पालन करना होगा :

(i) संचालन पहलु

(क) गठबंधन व्यवस्था के तहत एनबीएफसी की भूमिका केवल सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के विपणन और वितरण तक सीमित होना चाहिए। को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक अपने संबन्धित विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए सभी निर्देशों / दिशा-निर्देशों के अधीन होंगे।

(ख) को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता बैंक गठबंधन व्यवस्था के तहत जारी किए गए सभी को-ब्रांडेड कार्ड के संबंध में केवाईसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

(ग) को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के कारोबार में शामिल जोखिम है, यदि कोई हो, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के व्यापार को हस्तांतरित नहीं किया जाना चाहिए;

(घ) को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के खाते को-ब्रांडेड कार्ड धारकों द्वारा बैंक में बनाए रखा जाना चाहिए और ग्राहक द्वारा सभी भुगतान बैंक के नाम पर होना चाहिए, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के साथ उपयोगकर्ता के किसी भी सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड से उत्पन्न देयताओं के निपटान के लिए डेबिट नहीं किया जाना चाहिए;

(ङ) टाई-अप में प्रवेश करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को ग्राहक के खातों की गोपनीयता सुनिश्चित करना चाहिए । को-ब्रांडिंग एनबीएफसी को खाता खोलने के समय प्राप्त की गई ग्राहक से संबंधित

किसी भी जानकारी का खुलासा नहीं करना चाहिए और सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों खाते और गोपनीयता के दायित्वों का उल्लंघन हो जाएँ ऐसे खातों के ग्राहकों के किसी भी जानकारी का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(च) कार्ड जारी करने वाले बैंक को ग्राहक शिकायतों के निवारण के लिए उपयुक्त तंत्र स्थापित करना चाहिए।क्रेडिट कार्ड सेवा में कमी से उत्पन्न होने वाले ग्राहकों की शिकायते बैंक का दायित्व होगा।

(छ) अदालत ने मामले से उत्पन्न कानूनी जोखिम, यदि कोई हो, नुकसान आदि, जारी करने वाले बैंक द्वारा वहन किया जाएगा।

(ii) अन्य पहलु

(क) इन दिशा-निर्देशों के संदर्भ में आवश्यक एनबीएफसी को उचित व्यवहार संहिता लागू होनी चाहिए;

(ख) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अपने ग्राहक को जानिए दिशा-निर्देश और धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना चाहिए;

(ग) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को संबंधित एनबीएफसी को लागू अन्य निर्देश और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के साथ पालन किया जाना चाहिए;

(घ) एनबीएफसी को समय-समय पर इस संबंध में बैंक द्वारा निर्दिष्ट अन्य नियम व शर्तों का पालन करना चाहिए।

3. इसके अलावा, कोई भी अवांछनीय / अस्वस्थ संचालन बैंक के ध्यान में आने पर अनुमति को 3 महीने की नोटिस देकर वापस लिया जा सकता है।

अनुबंध XX

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा म्युचुअल फंड उत्पादों के वितरण पर दिशा-निर्देश

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, जिन्हें म्यूचुअल फंडों को वितरित करने की इच्छा है, को निम्न शर्तों का पालन करने की आवश्यकता होगी:

(i) संचालन पहलु

(क) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी म्यूचुअल फंड उत्पादों के वितरण के लिए सेबी के दिशानिर्देशों / नियमों और आचरण संहिता का पालन करना चाहिए;

(ख) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी अपने ग्राहकों को इसके द्वारा प्रायोजित एक विशेष म्यूचुअल फंड उत्पाद लेने के लिए मजबूर कर किसी भी प्रतिबंधात्मक अभ्यास को नहीं अपनाना चाहिए।अपने ग्राहकों को अपनी पसंद के अनुसार चुनने की अनुमति दी जानी चाहिए;

(ग) म्यूचुअल फंड उत्पादों में एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के ग्राहक की भागीदारी पूरी तरह से स्वैच्छिक आधार पर है, अतः इसे प्रचार के लिए एनबीएफसी द्वारा वितरित सामग्री में उल्लेख किया जाना चाहिए। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों लिए के म्यूचुअल फंड उत्पादों का उपयोग करने के बीच या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए।

(घ) एनबीएफसी को केवल अपने ग्राहकों के लिए, म्यूचुअल फंड यूनिटों की खरीद / बिक्री के भुगतान उपकरणों के साथ उनके आवेदन पत्र अग्रेषण, म्यूचुअल फंड / रजिस्ट्रार / स्थानांतरण एजेंटों के लिए एक एजेंट के रूप में कार्य करना चाहिए । इकाइयों की खरीद ग्राहकों के जोखिम पर और एनबीएफसी द्वारा किसी भी निश्चित रिटर्न की गारंटी के बिना होना चाहिए;

(ङ) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के न तो अपने ग्राहकों को बिक्री के लिए द्वितीयक बाजार से म्यूचुअल फंडों की इकाइयों का अधिग्रहण करना चाहिए, और न ही इसे वापस अपने ग्राहकों से म्यूचुअल फंड के यूनिट खरीदने चाहिए;

(च) यदि एनबीएफसी अपने ग्राहकों की ओर से म्यूचुअल फंड यूनिटों की अभिरक्षा कर रहा है तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने स्वयं के निवेश और अपने ग्राहकों से संबंधित निवेशों को एक दूसरे से अलग रखा जाता है।

(ii) अन्य पहलु

(क) एनबीएफसी को म्यूचुअल फंडों के वितरण के संबंध में बोर्ड से मंजूर नीति तैयार करनी चाहिए। अपने ग्राहकों के लिए संबंधित सेवाओं के लिए इस नीति के अनुसार पेशकश की जानी चाहिए। नीति में ग्राहक उपयुक्तता तथा औचित्य और शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए । सेबी द्वारा समय-समय पर लागू और संशोधित निर्धारित आचार संहिता, का गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अनुपालन किया जाना चाहिए;

(ख) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) दिशानिर्देश और धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना चाहिए।

2. एनबीएफसी को बैंक द्वारा समय-समय पर इस संबंध में निर्दिष्ट अन्य नियम और शर्तों का पालन करना चाहिए।

ऋण चूक अदला-बदली के लिए दिशानिदेश - उपयोगकर्ता के रूप में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

परिभाषा

इन दिशानिदेशों में निम्न परिभाषायें उपयोग में लायी गई है:

(i) **ऋण भुगतान घटना** – ऋण सुरक्षा बिक्रेता द्वारा ऋण सुरक्षा खरीददार को क्रेडिट डेरिवेटिव संविदा के तहत शर्तों पर अनुगामि घटने वाली ऋण घटना पर देय राशि भुगतान का रूप केवल भौतिक निबटान का होगा।(प्रदेय दायित्व की भौतिक सुपुर्दगी के लिये लेनदेन में बराबर का भुगतान)

(ii) **आधारभूत परिसंपत्ति / दायित्व** – परिसंपत्ति[15] जिसके लिए सुरक्षित खरीदकर्ता सुरक्षा की अपेक्षा करता है।

(iii) **प्रदेय परिसंपत्ति/ दायित्व –** यदि ऋण भुगतान की घटना हो तो, संदर्भित संस्था का कोई भी दायित्व[16], जिसे संविदा के शर्तों के तह सुपुर्द किया जा सकता है। उल्लिखित (iii) के तहत परिसंपत्ति, आधारभूत दायित्व के समान या उसे कनिष्ठ होगी)।

(iv) **संदर्भ दायित्व –** ऋण डेरिवेटिव संविदा के शर्तों के तहत जब ऋण घटना घटती है, देय राशि की गणना के लिए दायित्व[17] का उपयोग होता है. [(बराबर कम वसूली के आधार पर) नकद से निबटान किये जाने वाले दायित्वों में ही संदर्भ दायित्व प्रासंगिक होता हैं]

2. सीडीएस के लिए परिचालनात्मक आवश्यकताएं

ए) सीडीएस संविदा द्वारा सुरक्षा बिक्रेता के प्रत्यक्ष दावों का और स्पष्ट रूप से संदर्भित विनिर्दिष्ट एक्सपोजर का प्रतिनिधित्व करना चाहिये, ताकि कवर की सीमा स्पष्ट और निर्विवाद हो जाये।

बी) ऋण सुरक्षा संविदा के संबंध में सुरक्षा खरीददार द्वारा किस्त के अलावा अन्य भुगतान नहीं करने की स्थिति में, वह अविकल्पी होना चाहिये।

सी) संविदा में ऐसी कोई धारा नहीं होनी चाहिये कि जो सुरक्षा बिक्रेता को ऋण कवर एकतरफ़ा रद्द करने का अधिकार देता हैं या वह एक्सपोजर बचाव में ऋण दर्जे की बिगड़ती स्थिति में कवर की असरदार लागत बढाता है।

डी) सीडीएस संविदा शर्त रहित होनी चाहिये; सुरक्षा संविदा में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के नियंत्रण के बाहर की कोई भी धारा नहीं होनी चाहिये जो सुरक्षा बिक्रेता को मूल प्रतिपक्ष द्वारा भुगतान(नों) में चूक करने की स्थिति में समय पर स्मयक रूप से भुगतान का अनुग्रह करने से रोकती है.

ई) संविदा करने वाले पार्टियों द्वारा विनिर्दिष्ट ऋण घटना में न्यूनतम कवर पर होनी चाहिये:

(i) अंतर्निहित दायित्व के शर्तों तहत देय राशि के भुगतान में की गई चूक जो ऐसी चूक के समय प्रभावी हो (रियायत अवधि, अंतर्निहित दायित्व के रियायत अवधि के जैसा ही होगा)

(ii) अपने कर्ज का भुगतान करने हेतु बाध्यताधारी का दिवालियापन, दिवाला या असमर्थताया इसका विफल होना अथवा अपनी असमर्थता को लिखित रूप में स्वीकारना; समान्यत: अपने कर्ज के भुगतान के संबंध में अनुरूप घटना तथा देय के होते है; तथा

---

[15] कृपया 23 मई 2011 के परिपत्र सं:आईडीएमडी.पीसीडी.सं:5053/14.03.04/2010-11 के पैराग्राफ 2.4 का संदर्भ लें।

[16] 23 मई 2011 के परिपत्र सं:आईडीएमडी.पीसीडी.सं:5053/14.03.04/2010-11 के अनुसार वर्तमान में केवल प्रदेय दायित्व की अनुमति है।

[17] कृपया 23 मई 2011 का परिपत्र सं:आईडीएमडी.पीसीडी.सं:5053/14.03.04/2010-11 के पैराग्राफ 2.4 का संदर्भ लें।

(iii) अंतरनिहित दायित्व का पुनर्गठन (23 मई 2011 परिपत्र सं. आऋप्रवि. पीसीडी. सं.5053 / 14.03.04/ 2011-12 द्वारा सीडीएस के दिशनिदेशों में जैसा स्पष्ट किया गया है) जिसमें क्षमा या मूलराशि, ब्याज या प्रभार का विलंबन शामिल हो, जिसके फलस्वरूप ऋण घाटे की घटना घटित होती है।

(iv) जब अंतर्निहित दायित्व की पुन: संरचना सीडीएस द्वारा कवर नहीं होता है, किंतु पैरा 2 की अन्य आवश्यकताओं को पूरा किया गया हैं, तब सीडीएस को आंशिक मान्यता दी जा सकती है। यदि सीडीएस की राशि अंतर्निहित दायित्व के बराबर या उससे कम हो तो, बचाव [हेज] की राशि के 60% भाग को कवर के रूप पहचान किया जायेगा. यदि सीडीएस की राशि अंतर्निहित दायित्व से बड़ा है तो बचाव के लिए पात्र राशि अंतर्निहित दायित्व की राशि का 60% तक होगा।

एफ) यदि सीडीएस प्रदेय दायित्वों को विनिर्दिष्ट करता है जो कि अंतर्निहित दायित्व से अलग होने के फलस्वरूप असंतुलित परिसंपत्ति पैराग्राफ (जे) के तहत विनियमित होंगी।

जी) भुगतान[18] में चूक के परिणामस्वरूप उतपन्न अंतर्निहित दायित्व पर चूक के लिए आवश्यक अनुग्रह अवधि की समाप्ति के पहले सीडीएस समाप्त नहीं होता हैं।

एच) यदि सुरक्षा खरीददार का अंतर्निहित दायित्व सुरक्षा बिक्रेता को अंतरित करने का अधिकार/क्षमता निबटान के लिए आवश्यक है तो अंतर्निहित दायित्व की शर्तों में यह प्रावधान होना चाहिये कि ऐसे अंतरण के लिए आवश्यक अनुमति अनुचित रूप से नहीं रोकि जायेगी।

आई) क्या ऋण की घटना घटित हुई है ? इसके निर्धारण हेतु जिम्मेदार पार्टियों की पहचान स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए. इसका निर्धारण करना सुरक्षा बिक्रेता की अकेले की जिम्मेदारी नहीं होगी. सुरक्षा खरीददार को सुरक्षा बिक्रेता को ऋण घटना घटने के संबंध में सूचित करने का अधिकार/क्षमता होनी चाहिये।

जे) अंतर्निहित दायित्व और संदर्भित दायित्व या प्रदेय दायित्व में असंतुलन की अनुमति होगी यदि (1) संदर्भित दायित्व या प्रदेय दायित्व समरूप श्रेणी (पारीपासू) के हो है या अंतर्निहित दायित्व कनिष्ठ हो, और (2) अंतर्निहित दायित्व और संदर्भित दायित्व या प्रदेय दायित्व एक ही बाध्यताधारी में बांट लिया गया हो. (अर्थात् एकही कानूनी आस्तित्व) और क्रास चूक या क्रास-गतिवृद्धि की धारा कानूनी रूप से प्रवर्तनीय स्थान में हो।

के) अंतर्निहित दायित्व और क्या ऋण की घटना घटित हुई है इसका निर्धारण करने के बीच असंतुलन की अनुमति है यदि (1) परवर्ति प्रतिबद्धता उसके साथ समरूप हो या अंतर्निहित दायित्व से कनिष्ठ हो, और (2) अंतर्निहित दायित्व और संदर्भित दायित्व एकही बाध्यताधारी को शेयर करते हो (अर्थात् एकही कानूनी आस्तित्व) और क्रास चूक या क्रास-गतिवृद्धि की धारा कानूनी रूप से प्रवर्तनीय स्थान में हो।

3. नीचे दिये गये अवसीमाओं पर भुगतान जिसमें सीडीएस संविदा के अनुसार घाटे के लिए कोई भुगतान नहीं किया गया है प्रथम हानी स्थिति के रूप में रखा जाएगा तथा खरीददार की सुरक्षा के उद्देश्य से पूंजी पर्याप्ता के लिए जोखिम भार 667% (गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए 15% सीआरएआर हेतु न्यूनतम 1/0.15*100 के रूप आवश्यक है) नियत किया जाना चाहिए।

4. ऋण घटना भुगतान सीडीएस निविदा में निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं होती है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सीडीएस के ऋण सुरक्षा को नज़र अंदाज़ कर सकती है तथा अंतर्निहित परिसंपत्ति और पूंजी स्तर का उचित रखरखाव और एक्सपोजर के लिए अभिष्ठ के रूप मे प्रावधानों को ऋण एक्सपोजर के रूप में गणना करेंगी। ऋण भुगतान की घटना के प्राप्ति पर (ए) अंतर्निहित परिसंपत्ति

[18] परिपक्वता की परिभाषा: - अंतर्निहित एक्सपोजर की परिपक्वता तथा बचाव की परिपक्वता की परिभाषा संतुलित रूप में दी जानी चाहिए. अंतर्निहित की प्रभावी परिपक्वता को प्रतिपक्ष के उसके नियत दायित्व को पूर्व करने के पूर्व, किसी भी मामले में किसी अनुग्रही अवधि के लिए लागू, सबसे लम्बे समय तक शेष संभव के रूप में मापन चाहिए।

को बहियों से हटाया यदि इसे सुरक्षा बिक्रेता को सुपुर्द किया गया हो तो, या (बी) अंतर्निहित परिसंपत्ति का बही मूल्य प्राप्त ऋण घटना भुगतान की सीमा तक घटाया जाये यदि ऋण घटना भुगतान में अंतर्निहित परिसंपत्ति और उचित प्रावधानों को पूरी तरह से कवर नहीं किया जाता है तो घटे हुए मूल्य के लिए उचित प्रावधान किये जायेंगे।

5. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी प्रूडेंशियल मानद्ण्ड, 2016 के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा धारण किये गये कंपनी बांडाँ के लिए ऋण जोखिम के लिए जोखिम भार 100% है. सीडीएस निविदा सुरक्षा बिक्रेता पर ऋण घटना भुगतान के कारण प्रतिपक्ष जोखिम निर्माण करती है। बशर्ते नकदी स्थिति का सीडीएस द्वारा बचाव, जोखिम की गणना सुरक्षा बिक्रेता पर नीचे पैरा 6 में उल्लेख किए गए शर्तों पर होगा। प्रतिपक्ष ऋण जोखिम भार का गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर लाये गये सभी सीडीएस स्थितियों की, करंट बाजार मूल्य को बही पर अंकित मूल्य (अगर सकारात्मक और शून्य हो, यदि एमटीएम नकारात्मक हो) और संभावित भविष्य की जोखिम की राशि के रूप में गणना करेगी।

6. सुरक्षा बिक्रेता के एक्सपोजर का उपचार

6.1 अंतर्निहित परिसंपत्ति की एक्सपोजर के संबंध में एक्सपोजर बचाव को, सुरक्षा बिक्रेता के एक्सपोजर की एवजी माना जायेगा, अगर निम्न शर्तों की संतुष्टि की गई है तो:
ए. पैरा 2 में उल्लेख की गई परिचालनात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि की गई है।
बी. अंतर्निहित परिसंपत्ति और प्रदेय दायित्व के बीच परिपक्वता असंतुलन नहीं हो। यदि यह स्थिति संतोषप्रद नहीं है तो ऋण सुरक्षा की राशि की पहचान की गणना नीचे पैरा 6.2 में उल्लेख किये अनुसार होगी।

अन्य सभी मामलों में अंतर्निहित परिसंपत्ति पर एक्सपोजर समझी जायेगी।

6.2 अंतर्निहित परिसंपत्ति पर जिस तरह जोखिम भार लागू होता है उसी तरह एक्सपोजर का गैर आरक्षित भाग के लिए होगा। परिसंपत्ति या परिपक्वता के संबंध में अंतर्निहित परिसंपत्ति / दायित्व और प्रदेय परिसंपत्ति / दायित्व के बीच असंतुलन होने पर ऋण सुरक्षा की राशि समायोजित की जायेगी। इनका निपटना निम्नलिखित पैराग्राफ में दिये गये विवरण के अनुसार किया जायेगा।

6.3 असंतुलन

परिसंपत्ति या परिपक्वता के संबंध में अंतर्निहित परिसंपत्ति / दायित्व और प्रदेय परिसंपत्ति / दायित्व के बीच असंतुलन होने पर ऋण सुरक्षा की राशि समायोजित की जायेगी।

(i) परिसंपत्ति असंतुलन
यदि अंतर्निहित परिसंपत्ति प्रदेय दायित्व से भिन्न है तो परिसंपत्ति असंतुलन का निर्माण होगा। यदि उल्लिखित पैरा 2 (जे) में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओ को असंतुलित परिसंपत्ति पूरा करती है तो केवल गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए उपलब्ध सुरक्षा के अनुसार गणना की जायेगी।

(ii) परिपक्वता असंतुलन
यदि ऋण डेरिवेटिव संविदा की परिपक्वता, अंतर्निहित परिसंपत्ति की परिपक्वता के समान होती है तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सुरक्षा राशि की गणना के लिए पात्र होंगी। तथापि, यदि सीडीएस संविदा की परिपक्वता अंतर्निहित परिसंपत्ति से कम होती है तब यह माना जायेगा कि परिपक्वता असंतुलित हैं। परिपक्वता असंतुलित होने की दशा में सुरक्षा राशि का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जायेग:

ए. यदि ऋण डेरिवेटिव उत्पाद की अवशिष्ट परिपक्वता **तीन माह** से कम होती है तो कोई सुरक्षा की मान्यता नहीं दी जायेगी।
बी. यदि ऋण डेरिवेटिव संविदा की अवशिष्ट परिपक्वता **तीन माह** या जिस अवधि के लिए अधिक आनुपातिक सुरक्षा उपलब्ध होती है तो उसे मान्यता दी जायेगी।

जहाँ परिपक्वता असंतुलन है वहां निम्न समायोजन लागू किया जायेगा।

पीए/Pa = पी/P x (टी/t- .25) ÷ (टी/T- .25)

जहाँ:

पीए/Pa= परिपक्वता असंतुलन के लिए ऋण सुरक्षा समायोजन मूल्य
पी/P= ऋण सुरक्षा
टी/t=अर्थात (टी/T, ऋण सुरक्षा संविदा की अवशिष्ट परिपक्वता) वर्षों में व्यक्त
टी/T= अर्थात (5, अंतर्निहित एक्सपोजर की अवशिष्ट परिपक्वता) वर्षों में व्यक्त

उदाहरण: *मान लीजिए अंतर्निहित परिसंपत्ति कारपोरेट बांड है जिनका अंकित मूल्य ₹100 है जहाँ अवशिष्ट परिपक्वता 5 वर्ष की है और सीडीएस की अवशिष्ट परिपक्वता 4 वर्ष है।ऋण सुरक्षा की राशि की गणना निम्न नुसार है।*

*100 * {(4-.25) ÷ (5-.25)} = 100*(3.75÷ 4.75) = 78.95*

सी. सीडीएस संविदा की अवशिष्ट परिपक्वता एक बार **तीन माह** तक पहुँचती है, सुरक्षा की मान्यता समाप्त हो जाती है।

6.4 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी उपयोगकर्ता के रूप में एक्सपोजर को सुरक्षा बिक्रेता के उल्लिखित पैरा 6.1 में दी गई शर्तों के अनुसार जारी रहने के आधार पर पूर्णत: अंतरित करने के लिए सभी आवश्यक मापदण्डो के अनुसरण की आवश्यकता है, तब अंतर्निहित परिसंपत्ति जोखिम से राहत के लिए पात्र होगी। यदि इनमें से किसी मापदण्ड को बाद में पूरा नहीं किया जाता है,तब गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अंतर्निहित परिसंपत्ति पर एक्सपोजर की गणना करेगी। अत: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित एकल /समुह उधारकर्ता एक्सपोजर सीमा का उल्लंघन नहीं करने के साथ बाध्यताधारी को कुल एक्सपोजर से प्रतिबंधित करना होगा, जो सीडीएस के माध्यम से आंतरिक एक्सपोजर सीमा सहित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी बोर्ड द्वारा उचित माना गया हो. यदि एकल /समुह उधार कर्ता द्वारा चूक की स्थिति में, सीमा के उपर संपूर्ण एक्सपोजर 667% तक भारित होगी। ऐसे उपचार की स्थिति में, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं को भंग नही करती है इसे सुनिश्चित करने के लिए, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यह मानती है कि वह सामान्य एक्सपोजर सीमा से ज्यादा एक्सपोजर ले रही है तो उसे पूंजी में पर्याप्त कुशन रखना होगा।

6.5 एक्सपोजर मानदण्डों के अनुपालन के उद्देश्य से एक ही प्रतिपक्ष के साथ संविदा के बाजर मूल्य को बही पर अंकित मूल्य का सकारात्मक और नकारात्मक के नेटिंग की अनुमति नहीं होगी।

7. सामान्य प्रावधान आवश्कताएं

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का सीडीएस की स्थिति के लिए सीडीएस संविदा ,मार्क टू मार्केट मूल्य के सकारात्मक सकल के लिए उन्होंने सामान्य प्रावधान धारण करना चाहिए।

8. रिपोर्टिंग आवश्यकताएं

तिमाही आधार पर, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को उनके द्वारा सीडीएस का ऋण सुरक्षा धारण करने या किसी अन्य ऋण जोखिम अन्तरण लिखत के अंतरण की अनुमति के कारण, सभी मामलों में जहां वे सामान्य एकल /समूह एक्सपोजर सीमा से अधिक एक्सपोजर मानते है, "कुल एक्सपोजर" की रिपोर्टिंग क्षेत्रीय कार्यालय के गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग को करें जहां वे पंजीकृत है।

9. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां संलग्नक में दिये गये तुलन पत्र संबंधी विवरण भी अपने नोट में प्रकट करेंगी.

संलग्नक

वार्षिक वित्तीय विवरण में प्रकट किये जाने का फार्मेट

(₹ करोड़ में)

1. वर्ष के दौरान लेनेदेनो की संख्या :

2. वर्ष के दौरान दी गयी सुरक्षा की राशि :

3. वर्ष के दौरान ऋण घटना में भुगतानों के लेनदेनों की संख्या :

    ए) चालू वर्ष के लेनदेनों के संबंध में
    बी) पिछले वर्ष के लेनदेनों के संबंध में

4. 31 मार्च को बकाया लेनेदेन

    ए) लेनदेनों की संख्या
    बी) सुरक्षा की राशि

5. वर्ष के दौरान सीडीएस लेनदेनों के संबंध में शुद्ध आय/लाभ (व्यय / घाटा) - तारीख को

    ए) भुगतान किये गये किस्त
    बी) ऋण घटना में प्राप्त भुगतान (वितरण योग्य दायित्व का शुद्ध मूल्य)

प्रतिभूतिकरण लेनदेन पर दिशानिर्देश

भाग ए
मानक आस्तियों के प्रतिभूतीकरण के लिए दिशानिर्देश

1. ओरिजिनेटिंग गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा पूरी की जाने वाली अपेक्षाएं

1.1 प्रतिभूतीकरण के लिए पात्र आस्तियां

किसी एकल प्रतिभूतीकरण लेनदेन में अंतर्निहित आस्तियों को बाध्यताधारियों[19] के किसी समरूप समूह की ऋण बाध्यता का प्रतिनिधित्व करना चाहिए । इस शर्त के अधीन निम्नलिखित को छोड़कर तुलन पत्र में शामिल सभी मानक आस्तियां[20] प्रतिभूतीकरण की पात्र होंगी :

(i) चक्रीय ऋण सुविधा (उदाहरण के लिए नकदी ऋण खाते, क्रेडिट कार्ड प्राप्य राशियां आदि)
(ii) अन्य संस्थाओं से खरीदी गयी आस्तियां
(iii) प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर (उदाहरण के लिए बंधक समर्थित/आस्ति-समर्थित प्रतिभूतियां)
(iv) मूलधन और ब्याज[21] दोनो की बुलेट चुकौती वाले ऋण

1.2 न्यूनतम धारण अवधि (एमएचपी)

1.2.1 ओरिजिनेटिंग गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ऋणों का प्रतिभूतीकरण तभी कर सकते हैं जब उनकी बहियों में वे न्यूनतम अवधि तक हों । आस्तियों की न्यूनतम धारण अवधि को निर्धारित करने वाले मानदंड, जिन्हें नीचे वर्णित किया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि -

*परियोजना कार्यान्वयन जोखिम निवेशकों को अंतरित नहीं किया जाता है और ;
*प्रतिभूतीकरण के पहले न्यूनतम सुधार कार्य निष्पादन दर्शाया जाता है ।

1.2.2 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ऋणों का प्रतिभूतीकरण न्यूनतम धारण अवधि के बाद ही कर सकती हैं, जिसकी गिनती किसी गतिविधि/प्रयोजन के लिए दिये गये ऋण के पूर्ण संवितरण की तारीख, उधारकर्ता द्वारा आस्ति (अर्थात् कार, आवासीय भवन आदि) के अभिग्रहण अथवा परियोजना पूर्ण होने की तारीख, जो भी लागू हो, से की जाएगी । न्यूनतम धारण अवधि (एमएचपी) की परिभाषा प्रतिभूतीकरण के पूर्व चुकाये गये किस्तों की संख्या के संदर्भ में की जाएगी । अवधि और चुकौती की बारंबारता के आधार पर विभिन्न ऋणों पर लागू न्यूनतम धारण अवधि (एमएचपी)नीचे सारणी[22] में दी जा रही है

---

[19] एकल आस्ति प्रतिभूतिकरण में जोखिम का कोई क्रेडिट ट्रैंचिंग और पुनर्वितरण शामिल नहीं है, और इसलिए, प्रतिभूतिकरण के आर्थिक उद्देश्यों के अनुरूप नहीं हैं ।

[20] इन दिशा-निर्देशों में ऋण/आस्ति शब्द का प्रयोग ऋण, अग्रिम और बांड का उल्लेख करने के लिए किया गया है जो अग्रिमों की प्रकृति में हैं ।

[21] एनबीएफसी द्वारा अपने उधारकर्ताओं से 12 महीने तक की अवधि वाली छूट/खरीदी गई व्यापार प्राप्तियां प्रतिभूतिकरण के लिए पात्र होंगी । तथापि, केवल वे ऋण/प्राप्तियां प्रतिभूतिकरण के लिए पात्र होंगी जहां बिल के आहरणकर्ता ने नियत तिथि के 180 दिनों के भीतर पिछले दो ऋणों/प्राप्तियों की पूरी राशि पूरी तरह से चुका दी है ।

[22] यदि पुनर्भुगतान तिमाही अंतराल से अधिक है, तो कम से कम दो किस्तों के पुनर्भुगतान के बाद ही ऋण को प्रतिभूतिकृत किया जा सकता है।

न्यूनतम धारण अवधि

	प्रतिभूतीकरण के पहले अदा किये गये किस्तों की न्यूनतम संख्या			
	चुकौती की बारंबारता - साप्ताहिक	**चुकौती की बारंबारता - पाक्षिक**	**चुकौती की बारंबारता - मासिक**	**चुकौती की बारंबारता - तिमाही**
2 वर्षों तक की मूल परिपक्वता अवधि वाले ऋण	बारह	छह	तीन	दो
2 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष तक की मूल परिपक्वता अवधि वाले ऋण	अठारह	नौ	छह	तीन
5 वर्ष से अधिक मूल परिपक्वता अवधि वाले ऋण	-	-	बारह	चार

1.2.3 प्रतिभूतीकृत ऋणों के समूह में अलग-अलग ऋणों पर न्यूनतम धारण अवधि (एमएचपी)लागू होगी । पैरा 1.1 के फुटनोट 8 में उल्लिखित ऋणों पर न्यूनतम धारण अवधि नहीं लागू होगी ।

1.3 <u>न्यूनतम धारण अपेक्षा (एम आर आर)</u>

1.3.1 एमआरआर की परिकल्पना इसलिए की गयी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ओरिजिनेटिंग गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का प्रतिभूतीकृत आस्तियों के कार्य निष्पादन में निरंतर रुचि बनी रहे ताकि वे प्रतिभूतीकृत किये जाने वाले ऋण के संबंध में समुचित सावधानी बरतें । दीर्घावधिक ऋणों के मामले में एमआरआर में इक्विटीअधीनस्थ अंश के अलावा प्रतिकृत पेपर का वर्टिकल अंश / भी होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतिभूतीकरण प्रक्रिया की पूरी अवधि के दौरान प्रतिभूतीकृत आस्तियों के कार्य निष्पादन में ओरिजिनेटिंग गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की रुचि /हित हो । ओरिजिनेटिंग गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ऋण का प्रतिभूतीकरण करते समय नीचे दी गयी सारणी में वर्णित एमआरआर का पालन करना चाहिए । ऋणों का प्रतिभूतीकरण करते समय ओरिनिजेटिंग गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निम्न सारणी में दिए गए ब्योरेवार एमआरआर का पालन करना चाहिए:

प्रतिभूतीकरण के समय न्यूनतम प्रतिधारण आवश्यकताएं

ऋण का प्रकार	एमआरआर	एमआरआर का ब्योरा		
24 माह या कम अवधि की मूल परिपक्वता के लिए ऋण	प्रतिभूतीकृत किये जाने वाले ऋणों के बही मूल्य का 5%	i)	जहाँ प्रवर्तक द्वारा प्रतिभूतीकरण में न ऋण ट्रेंचिंग शामिल है और न ही प्रथम हानि साख संवर्धन ।	प्रतिभूतीकरण किए जाने वाले ऋणों के बही मूल्य के 5% के बराबर विशेष प्रयोजन साधन (एसवीपी) प्रतिभूतियों में निवेश द्वारा जारी ।
		ii)	जहां प्रतिभूतीकरण में कोई ऋण श्रृंखला शामिल नहीं है, किंतु ओरिजिनेटर ने प्रथम हानि साख संवर्धन उपलब्ध कराया है जैसे तुलनपत्र से इतर समर्थन, नकदी संपार्श्विक, अतिसंपार्श्विकीकरण आदि.	आवश्यक साख संवर्धन प्रवर्तक उपलब्ध करेगा। यदि प्रथम ऋण साख संवर्धन 5% से कम आवश्यक है तो शेष एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियों में होगा।
		iii)	जहाँ प्रतिभूतीकरण में ऋण श्रृंखला शामिल है किंतु प्रवर्तक से प्रथम हानि साख संवर्धन नहीं हैं।	शेयर श्रृंखला में 5% यदि शेयर श्रृंखला में 5% से कम है तो शेष अन्य श्रृंखला में सममात्रा पर होगी।
		iv)	जहाँ प्रतिभूतीकरण में ऋण श्रृंखला शामिल है और प्रवर्तक द्वारा प्रथम हानि साख संवर्धन (तुलनपत्रेतर समर्थन, नकदी संपार्श्विक, अतिसंपार्श्विकीकरण आदि) शामिल है ।	यदि प्रथम हानि साख संवर्धन 5% से कम हो तो शेष शेयर श्रृंखला में । यदि प्रथम हानि साख संवर्धन और शेयर श्रंजखला में 5% से कम हो, तो शेष अन्य श्रृंखला में सममात्रा पर ।
24 माह से अधिक की मूल	प्रतिभूतीकरण किए जाने वाले	i)	जहाँ प्रतिभूतीकरण में न ऋण श्रृंखला	प्रतिभूतीकरण किए जाने वाले ऋणों के

परिपक्वता अवधि वाले ऋण	ऋणों के बही मूल्य का 10%		शामिल न कोई प्रथम हानि साख संवर्धन ।		बही मूल्य के 10% के बराबर एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश
		ii)	जहाँ प्रतिभूतीकरण में ऋण श्रृंखला शामिल नहीं है, किंतु प्रवर्तक से प्रथम हानि साख संवर्धन शामिल है उदा. तुलनपत्र से इतर समर्थन, नकदी संपार्श्विक, अतिसंपार्श्विकीकरण आदि.		आवश्यक साख संवर्धन प्रवर्तक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा । यदि वह 10% से कम हो तो, शेष एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियों में।
		iii)	जहाँ प्रतिभूतीकरण में ऋण श्रृंखला शामिल है किंतु प्रवर्तक से प्रथम हानि साख संवर्धन शामिल नहीं हैं।		5% शेयर श्रृंखला में या कम यदि शेयर श्रृंखला 5% से कम हो। शेष (10% में से शेयर श्रृंखला में निवेश घटाकर) एसपीवी द्वारा जारी अन्य श्रृंखला के सममात्रा में ।
		iv)	जहाँ प्रतिभूतीकरण में ऋण श्रृंखला शामिल है और साथ साथ प्रवर्तक द्वारा प्रथम हानि साख संवर्धन (तुलनपत्र से इतर समर्थन, नकदी संपार्श्विक, अतिसंपार्श्विकीकरण आदि.) शामिल है ।	i)	यदि प्रथम हानि साख संवर्धन 5% से अधिक हो किंतु 10% से कम हो तब शेष, एसपीवी द्वारा जारी शेयर श्रृंखला सहित प्रतिभूतियों में सममात्रा पर ।
				ii)	यदि प्रथम हानि साख संवर्धन 5% से कम हो तब शेयर श्रृंखला में ताकि प्रथम हानि और शेयर श्रृंखला 5% के बराबर

				होगी। एसपीवी द्वारा जारी अन्य श्रृंखलाओं में शेष प्रतिधारण सममात्रा में होगा (शेयर श्रृंखला छोडकर) ताकि कुल प्रतिधारण 10% हो।
पैरा 1.1 की पाद टिपण्णी 3 में उल्लेख किए गए एक बारगी चुकौती ऋण/ प्राप्य	प्रतिभूतीकरण किए जाने वाले ऋणों के बही मूल्य का 10%.	i)	जहाँ प्रतिभूतीकरण में न ऋण श्रृंखला शामिल न प्रवर्तक द्वारा कोई प्रथम हानि साख संवर्धन शामिल हो ।	प्रतिभूतीकरण किए जाने वाले ऋणों के बही मूल्य का 10% के बराबर. एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश ।
		ii)	प्रतिभूतीकरण में ऋण श्रृंखला शामिल नहीं है, किंतु प्रवर्तक द्वारा उपलब्ध होने वाला प्रथम हानि साख संवर्धन उदा. तुलनपत्र से इतर समर्थन, नकदी संपार्श्विक, अतिसंपार्श्विकीकरण आदि शामिल हैं ।	प्रवर्तक द्वारा आवश्यक साख संवर्धन उपलब्ध कराई जाए । यदि प्रथम हानि साख संवर्धन की आवश्यकता 10% से कम हो तब शेष, एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियों में होगा ।
		iii)	जहाँ प्रतिभूतीकरण में ऋण श्रृंखला शामिल हो किंतु प्रवर्तक द्वारा प्रथम हानि साख संवर्धन शामिल न हो ।	10% शेयर श्रृंखला में । यदि शेयर श्रृंखला 10% से कम हो, तब शेष बची हुई श्रृंखला में सममात्रा में होगा ।
		iv)	जहाँ प्रतिभूतीकरण में ऋण श्रृंखला और प्रवर्तक द्वारा प्रथम हानि साख संवर्धन (तुलनपत्र से इतर आधार, नकदी	यदि प्रथम हानि साख संवर्धन 10% से कम है, तब शेष शेयर श्रृंखला में। यदि शेष शेयर श्रृंखला से बडा है, तब अन्य श्रृंखलाओं

			संपार्श्विक, अतिसंपार्श्विकीकरण आदि) शामिल हैं ।	में बचा हुआ सममात्रा पर होगा ।

1.3.2 ऋण का प्रतिभूतीकरण करने वाली संस्था को एमआरआर बनाए रखना होगा। दूसरे शब्दों में, मानक आस्तियों के प्रतिभूतीकरण पर दिशानिर्देशों वाले 01 फरवरी 2006 के परिपत्र के पैरा 5(vi) के अनुसार अन्य संस्थाएं जिन्हें 'प्रवर्तक' माना गया है उनके द्वारा नहीं रखा जा सकता।

1.3.3 एमआरआर को प्रमुख नकदी प्रवाह का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। अतः अतिरिक्त ब्याज स्प्रेड/फ्युचर भावी आय का प्रतिनिधित्व करने वाले 'इंटरेस्ट ओनली स्ट्रिप' में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का निवेश, वह अधीनस्थ हो या नहीं, एमआरआर के लिए गिना नहीं जाएगा।

1.3.4 प्रवर्तक द्वारा प्रतिबद्धता का स्तर अर्थात् , एमआरआर ऋण जोखिम की बचाव व्यवस्था या प्रतिधारित ब्याज की बिक्री के कारण घटना नहीं चाहिए। हानि आत्मसात् करने के माध्यम से या अनुपाती चुकौती के कारण प्रतिधारित एक्सपोज़र घटने के मामलों को छोडकर अपरिशोधित मूल धन के प्रतिशत के रूप में एमआरआर अविरत आधार पर बनाए रखा जाना चाहिए। प्रतिभूतीकरण की सक्रियता के दौरान एमआरआर के रूप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

1.3.5 इन दिशानिर्देशों के तहत एमआरआर के अनुपालन के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानून के अनुसार समुचित कागज़ात तैयार किये गये हैं।

1.4 कुल प्रतिधारित एक्सपोजर की सीमा

1.4.1 वर्तमान में, हामीदारी के माध्यम से या अन्य प्रवर्तक द्वारा एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश माध्यमों से कुल निवेश की सीमा कुल प्रतिभूतीकृत जारी लिखतों का 20% हैं । यह निर्णय लिया गया है कि निम्न प्रकार के प्रतिभूतीकृत ऋणों में बाक का कुल एक्सपोजर कुल प्रतिभूतिकृत लिखतों से 20% से अधिक नहीं होना चाहिए।

- एसपीवी द्वारा जारी शेयर /प्रतिभूतियों की अधीनस्थ /वरिष्ठ श्रृंखला में हामीदारी प्रतिबद्धता के माध्यम सहित निवेश।

- नकदी और अन्य प्रकार की संपार्श्विक, अतिसंपार्श्विकीकरण सहित, साख संवर्धन, किंतु साख संवर्धन करने वाले इंटरेस्ट ओनली स्ट्रिप को छोड़कर।

- चलनिधि समर्थन।

1.4.2 यदि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी उल्लिखित सीमा का उल्लंघन करती है, तो अतिरिक्त राशि पर 667%.[23] जोखिम भारित होगा।

[23] एनबीएफसी के लिए न्यूनतम सीआरएआर आवश्यकता 15% है। इसलिए अधिकतम जोखिम भरिता 667% निर्धारित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पूंजी शुल्क एक्सपोजर मूल्य से अधिक न हो

1.4.3 यदि जारी किए गए प्रतिभूतीकरण लिखतों के ऋण परिशोधन के कारण सीमा का उल्लंघन होता है तो एक्सपोज़र पर 20% की सीमा का उल्लंधन नहीं माना जाएगा।

1.5 प्रारंभिक लाभ बुक करना

1.5.1 01 फरवरी 2006 के हमारे परिपत्र सं.बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.60/21.04.048/2005-06 के पैरा 20.1 के अनुसार, एसपीवी द्वारा जारी की गई या की जाने वाली प्रतिभूतियों पर ऋणों के प्रतिभूतीकरण के कारण कोई लाभ /प्रीमियम का उदय होता है तो उसे एसपीवी द्वारा जारी की जानेवाली या जारी की गई प्रतिभूतियों के जीवन काल पर परिशोधित किया जाना चाहिए। यह दिशानेर्देश, अन्य बातों के साथ, 'ओरिजनेट टू डिस्ट्रीब्यूट' मोडेल को रोकने के उद्देश्य से किए गए थे। अब कुछ हद तक इन चिंताओं का निवारण इन दिशानिदेशों में प्रस्तावित एमआरआर, एमएचपी और अन्य उपायों द्वारा किये जाने की अपेक्षा है । अतः, यह निर्णय लिया गया है कि मूल धन के परिशोधन और घटित हानि के साथ साथ प्रतिभूतीकरण एक्सपोजरर्स पर आवश्यक विशिष्ट प्रावधान के आधार पर वर्ष के दौरान उच्चतर नकदी लाभ की अनुमति दी जाय।
नकद में प्राप्त लाभ की राशि "लंबित पहचान वाले ऋण अंतरण सौदो में नकदी लाभ" के लेखा खातों में धारण की जा सकती है ।प्रतिभूतीकरण सौदों के कारण उत्पन्न होने वाले नकदी लाभ का परिशोधन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाएगा और निम्नानुसार उसकी गणना होगीः
परिशोधन किया जाने वाला लाभ = मैक्स {एल, [(एक्स*(वाई/जेड))], [(एक्स/एन)]}
एक्स= वर्ष के प्रारंभ में "लंबित पहचान वाले ऋण अंतरण सौदो में नकदी लाभ" खाते में शेष अपरिशोधित नकदी लाभ की राशि
वाई = वर्ष के दौरान परिशोधित मूल धन की राशि
ज़ेड = वर्ष के प्रारंभ में अपरिशोधित मूल धन
एल = हानि[24] (मार्क टू मार्केट मूल्य में अंकित करके निवेश खाते पर हुई हानि + विशिष्ट प्रतिभूतीकरण लेन देन के एक्सपोजर के लिए किया गया, विशिष्ट प्रावधान, यदि कोई हो + सीधे बट्टे खाते डाले गए) साख संवर्धक 'इंटरेस्ट ओनली स्ट्रिप'[25] पर हुई हानि को छोडकर।

एन = प्रतिभूतीकरण लेन देन की अवशिष्ट परिपक्वता

1.5.2 उपर्युक्त लाभ की परिशोधन पद्धति बकाया प्रतिभूतीकरण लेनदेनों पर भी लागू की जा सकती है। तथापि, इस परिपत्र को जारी करने की तारीख को केवल अपरिशोधित बकाया मूल धन और बकाया परिशोधन योग्य लाभ के संबंध में ही यह पद्धति लागू की जा सकती है।

1.5.3 कभी-कभी, प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अंतरित आस्तियों पर प्राप्य ब्याज की कुछ राशि प्राप्त करने के लिए संविदागत अधिकार रख लेती हैं । यह प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा प्राप्य ब्याज एसपीवी की देनदारी हैं और उसके वर्तमान मूल्य का पूंजीकरण प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा इंटरेस्ट ओनली स्ट्रिप (आई/ओ स्ट्रिप) के रूप में किया जाता है, जो तुलन पत्र की आस्ति हैं। सामान्यतः गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अप्राप्त लाभ को अपने लाभ हानि खाते में भविष्य में प्राप्य ब्याज के पूंजीकरण के रूप में आई/ओ स्ट्रिप के माध्यम से निर्धारित करती हैं। तथापि, उपर्युक्त 01

---

[24] एनबीएफसी द्वारा किए जाने वाले बाजार मूल्य पर हानि, विशिष्ट प्रावधानों, यदि कोई हो, और एमआरआर पर प्रत्यक्ष रूप से बट्टे खाते में डालना और प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए किसी अन्य एक्सपोजर (क्रेडिट बढ़ाने के उद्देश्य वाले श्रेणी को छोड़कर) सहित हानियों को लाभ और हानि खाते के नामे किया जाएगा। हालांकि, परिशोधन सूत्र यह सुनिश्चित करेगा कि इन नामे राशियों को लाभ और हानि खाते में इस सीमा तक समायोजित किया जाए कि "ऋण अंतरण लेनदेन लंबित मान्यता खाते पर नकद लाभ" में संतुलन रहे। एनबीएफसी "ऋण अंतरण लेनदेन लंबित मान्यता खाते" में शेष राशि को ध्यान में रखे बिना आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के बदले में पूंजी भी बनाए रखेगी।".

[25] क्रेडिट एन्हांसिंग इन्टरेस्ट ओन्ली स्ट्रिप के संबंध में हुई हानि के लेखांकन के लिए पैरा 1.5.3 का संदर्भ ग्रहण करें।

फरवरी 2006 के परिपत्र में निहित निदेशों के संदर्भ में, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को लाभ हानि खाते में अप्राप्य लाभों को स्थान नहीं देना चाहिए, उसके बदले उन्हें अप्राप्य लाभ को ऋण अंतरण लेनदेनों के अप्राप्य लाभ" लेखा शीर्ष के तहत धारण करना चाहिए। इस खाते के शेष को प्रतिभूतीकरण लेनदेनों[26] के लिए साख संवर्धन के रूप में प्रयुक्त होने के कारण आई/ओ स्ट्रिप पर होने वाली संभावित हानि के लिए प्रावधान के रूप में माना जाएगा। जब इंटरेस्ट ओनली स्ट्रिप को नकद में पुनःप्राप्त किया जाएगा तब ही लाभ को लाभ और हानि खाते में लिया जाएगा। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां आई/ओ स्ट्रिप के रूप में होने वाली बिक्री पर लाभ को सुरक्षित (बुक) नहीं करेंगी, उससे टीयर –I पूंजी से घटाने की भी आवश्यकता नहीं है । इंटरेस्ट ओनली स्ट्रिप लेखा पद्धति प्रतिभूतीकरण के बकाया लेनदेनों पर भी लागू की जा सकती है ।

1.6 प्रवर्तक एनबीएफसी द्वारा प्रकटीकरण

16.1 संगठन/निवेशक/ट्रस्टी रिपोर्ट द्वारा किया जाने वाला प्रकटीकरण

प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा निवेशकों को प्रतिभूतिकृत आस्तियों की भारित औसतन धारिता अवधि और प्रतिभूतिकरण में उनके एमआरआर के स्तर के संबंध में प्रकटीकरण करना चाहिए। प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संभावित निवेशकों को ऋण श्रेणी और निजी अंतर्निहित जोखिम, नकदी प्रवाह और प्रतिभूतिकरण जोखिम का संपाश्विक आधार के साथ साथ ऐसी जानकारी जो व्यापक और नकदी प्रवाह पर दबाव परख की पूरी जानकारी और संपाश्विक मूल्य जो अंतर्निहित जोखिम को आधार देती हैं। प्रवर्तक द्वारा एमएचपी और एमआरआर के प्रति पूर्ण संतुष्टि के संबंध में प्रकटीकरण जनता को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना चाहिए और उचित रूप से दस्तावेज बनाना चाहिए; जैसे विवरण-पत्र में प्रतिभूतिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिधारण प्रतिबद्धताओं के संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारी को उचित समझा जाएगा। प्रकटीकरण व्यवहार के शुरुआत में होना चाहिए, और उसकी कम से कम अर्धवार्षिक आधार पर पुष्टि होनी चाहिए (सितंबर और मार्च – समाप्ति पर), और किसी भी समय जहाँ आवश्यकता का भंग किया गया हैं। उल्लिखित आवधिक प्रकटीकरण हर प्रतिभूतिकरण व्यवहार के लिए अलग से करना होगा, उसकी सक्रियता के दौरान, संस्था के रिपोर्ट में, निवेशक रिपोर्ट, न्यास रिपोर्ट या अन्य तत्सम प्रकाशित कागज़ात में। उल्लिखित प्रकटीकरण अनुलग्नक 1 में दिए गए फार्मेट में भी कर सकते हैं।

1.6.2 वार्षिक लेखा में किया जाने वाला प्रकटीकरण

प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की वार्षिक लेखा की टिपण्णी में एसपीवी बहीयों के आधार पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा प्रायोजित प्रतिभूतिकृत आस्तियों की बकाया राशि का और एमआरआर के अनुपालन के लिए तुलनपत्र की तारीख को एनबीएफसी द्वारा प्रतिधारित जोखिम की कुल राशि का उल्लेख होना चाहिए। यह आंकडें एसपीवी से प्रवर्तक एनबीएफसी द्वारा प्राप्त किए गए हो और एसपीवी के लेखा परीक्षको द्वारा उचित रूप से प्रमाणित जानकारी पर आधारित होने चाहिए। यह प्रकटीकरण अनुलग्नक 2 में दिए गए फार्मेट में किया जाना चाहिए।

---

[26] इन्टरेस्ट ओन्ली स्ट्रिप्स परिशोधन या गैर-परिशोधन हो सकता है । इन्टरेस्ट ओन्ली स्ट्रिप्स परिशोधन के मामले में, एनबीएफसी को समय-समय पर वह नकद राशि प्राप्त होगी, जो इन्टरेस्ट ओन्ली स्ट्रिप्स द्वारा समर्थित, यदि कोई हो, हानि को कम करने के बाद शेष बचेगी । प्राप्त होने पर, इस राशि को लाभ और हानि खाते में जमा किया जा सकता है और देय परिशोधन के समतुल्य राशि को "ऋण अंतरण लेनदेन पर अप्राप्त लाभ" खाते से हटाया जा सकता है, जिसके पश्चात एनबीएफसी की लेखा पुस्तकों में इन्टरेस्ट ओन्ली स्ट्रिप्स का पुस्तक मूल्य कम होगी । इन्टरेस्ट ओन्ली स्ट्रिप्स के गैर-परिशोधन के मामले में, जब कभी भी एनबीएफसी को एसपीवी द्वारा हानि की सूचना मिलती है, तो वह "ऋण अंतरण लेन-देन पर अप्राप्त लाभ" खाते में समतुल्य राशि शामिल किया जा सकता है और एनबीएफसी की खाता पुस्तकों में इन्टरेस्ट ओन्ली स्ट्रिप्स का पुस्तक मूल्य को कम किया जा सकता है । नकद में प्राप्त इन्टरेस्ट ओन्ली स्ट्रिप्स के अंतिम मोचन मूल्य में प्राप्त राशि को लाभ और हानि खाते में लिया जा सकता है ।

1.7 ऋण उत्पत्ति मानक

प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को प्रतिभूतिकृत किये जाने वाले एक्स्पोजर की ऋण हामीदारी पर उसी प्रकार की ठोस और स्पष्ट परिभाषित मानदण्डों को लागू करना चाहिए जैसा कि वे अपनी बहियों में धारण किये जाने वाली एक्सपोज़रों पर करते हैं । इस उद्देश्य के लिए प्रवर्तकों द्वारा ऋणों के अनुमोदन की तथा जहां लागू हो वहां संशोधन, समीक्षा और निगरानी की वही प्रक्रिया लागू की जानी जाहिए।

1.8 ऊपर निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा न करने वाली प्रतिभूतीकृत आस्तियों के संबंध में ट्रीटमेंट

जब तक कि अन्यथा स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया हो इस पैरा में निहित सभी दिशानिर्देश केवल नए लेन देन पर लागू होंगे। यदि प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ऊपर उल्लिखित पैरा 1.1 से 1.7 में दी गई अपेक्षाओं को पूरा करने में चूक करती हैं, तो प्रतिभूतिकृत आस्तियों को प्रतिभूतिकृत किया ही नहीं था यह मानकर उनके लिए पूंजी बनाई रखनी होगी। यह पूंजी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा अपने अन्य प्रतिभूतीकरण लेनदेन के प्रति वर्तमान एक्सपोज़र के लिए आवश्यक पूंजी के अतिरिक्त होगी ।

2. प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र वाली प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को छोड़कर अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा पूरी की जाने वाली अपेक्षाएं

2.1 पर्याप्त सावधानी के लिए मानक

2.1.1 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां केवल उस स्थिति में किसी प्रतिभूतीकरण स्थिति में निवेश कर सकती है या एक्सपोजर ले सकती है जब प्रवर्तक (अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी /एफआए/एनबीएफसी) ने स्पष्टतया ऋण देने वाली संस्थाओं को प्रकटीकरण किया हो कि उसने इन दिशानिर्देशों में निहित एमआरआर और एमएचपी का पालन और अविरत आधार पर एमआरआर दिशानिदेशों का पालन करते रहेगा ।

2.1.2 निवेश करने के पूर्व और उसके बाद गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अपने प्रत्येक प्रतिभूतीकरण स्थिति के लिए यह सिद्ध करने में समर्थ होना चाहिए कि प्रतिभूतीकृत स्थितियों में उनके प्रस्तावित/मौजूदा निवेशों की उन्हें पूरी समझ है । गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह भी सिद्ध करना होगा कि इस प्रकार का मूल्यांकन करने के लिए उन्होंने निम्नलिखित का विश्लेषण और अभिलेखबद्ध करने के लिए आधिकारिक नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू किया है :

ए) प्रवर्तकों द्वारा प्रतिभूतीकरण के एमआरआर के संबंध में प्रकट की गयी सूचना, कम-से-कम अर्धवार्षिक आधार पर ।

बी) निवेशकर्ता गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की प्रतिभूतीकरण स्थिति के कार्य निष्पादन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली, अलग-अलग प्रतिभूतीकरण स्थिति की जोखिम संबंधी विशेषताएं जिनमें प्रतिभूतीकरण की समस्त संरचनात्मक विशेषताएं शामिल हैं (अर्थात् श्रृंखला की वरिष्ठता, अधीनस्थ श्रृंखलाओं का परिमाण, समय पूर्व भुगतान जोखिम और साख संवर्धन पुनर्निर्धारण के प्रति उसकी संवेदनशीलता, चुकौती 'वाटर-फाल' की संरचना, 'वाटर-फाल' संबंधी प्रेरक तत्व, श्रृंखलाओं की समयबद्ध चुकौती में श्रृंखला की स्थिति (समय-श्रृंखला), चलनिधि संवर्धन, चलनिधि सुविधाओं के मामले में साख संवर्धन की उपलब्धता, चूक की डील-स्पेसिफिक परिभाषा, आदि)।

सी) प्रतिभूतीकरण पोजीशन में अंतर्निहित एक्सपोजर की जोखिम विशेषताएं (अर्थात् ऋण की गुणवत्ता, ऋण समूह में विविधीकरण और एकरूपता का स्तर, अलग-अलग उधारकर्ताओं के चुकौती व्यवहार की उनकी आय के स्रोत के अलावा अन्य घटकों के प्रति संवेदनशीलता, ऋण का समर्थन करने वाले संपार्श्विकों के बाजार मूल्य की अस्थिरता, अंतर्निहित उधारकर्ता जिन आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए हैं उनकी चक्रीयता आदि।)

डी) ऋण मूल्यांकन और ऋण निगरानी मानक, पूर्व के प्रतिभूतीकरण में एमआरआर और एमएचपी मानकों का अनुपालन तथा प्रतिभूतीकरण के लिए एक्सपोज़र के चुनाव में औचित्य के संबंध में प्रवर्तकों की प्रतिष्ठा।

ई) प्रतिभूतीकरण पोजीशन में अन्तर्निहित एक्सपोजर श्रेणी में प्रवर्तकों का पूर्व प्रतिभूतीकरण में हानि का अनुभव, अन्तर्निहित उधारकर्ताओं द्वारा की गयी धोखाधड़ी घटना, प्रवर्तकों के कथन और वारंटी की सच्चाई;

एफ) प्रतिभूतीकृत एक्सपोजर तथा जहां लागू हो प्रतिभूतीकृत एक्सपोजर का समर्थन करने वाले संपार्श्विक के संबंध में बरती गयी समुचित सावधानी के संबंध में प्रवर्तक अथवा उनके एजेंट या परामर्शदाताओं के वक्तव्य और प्रकटीकरण;

जी) प्रतिभूतीकृत एक्सपोजर का समर्थन करने वाले संपार्श्विक के मूल्यांकन में प्रयुक्त क्रियाविधि और अवधारणाएं तथा मूल्यांकनकर्ता की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तक द्वारा अपनायी गयी नीति;

2.1.3 जब बाद में प्रतिभूतीकृत लिखत द्वितीयक बाजार में किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा खरीद ली जाती हैं तो उस समय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रवर्तक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह ऐसी स्थिति रखेंगी जिससे एमआरआर की पूर्ति होगी।

2.2 दबाव परीक्षण

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अपने प्रतिभूतीकरण पोजीशन के अनुकूल नियमित रूप से दबाव परीक्षण करनी चाहिए । इस प्रयोजन के लिए विभिन्न घटकों पर विचार किया जा सकता है, जैसे आर्थिक मंदी की स्थिति में अंतर्निहित पोर्टफोलियो की चूक दरों में वृद्धि, ब्याज दरों में गिरावट के कारण अवधि पूर्व चुकौती की दरों में वृद्धि अथवा उधारकर्ताओं के आम स्तर में वृद्धि के कारण एक्सपोजर का समयपूर्व भुगतान, साख संवर्धकों की रेटिंग में गिरावट के कारण प्रतिभूतियों (आस्ति समर्थित/बंधक समर्थित प्रतिभूति) के बाजार मूल्य में गिरावट तथा प्रतिभूतियों की तरलता के अभाव के कारण उच्चतर प्रूडेंशियल मूल्यांकन समायोजन।

2.3 ऋण निगरानी

यह आवश्यक है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अपनी प्रतिभूतीकरण स्थिति में अंतर्निहित एक्सपोजर के कार्य निष्पादन संबंधी सूचना पर निरंतर आधार पर नजर रखें और यदि जरूरी हो तो समुचित कार्रवाई करें । इस कार्रवाई में प्रतिभूतीकरण लेनदेन के अंतर्निहित आस्ति श्रेणी के किसी प्रकार के प्रति एक्सपोजर सीमा में परिरवर्तन, प्रवर्तकों पर लागू सीमा में परिवर्तन आदि शामिल हो सकता है । इस प्रयोजन के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को प्रक्रिया स्थापित करनी चाहिए, जो पैरा 2.1.2 में निर्दिष्ट प्रतिभूतीकृत पोजीशन में उनके एक्सपोजर की जोखिम प्रोफाइल के अनुकूल हो । जहां प्रासंगिक हो, वहां इसमें निम्नलिखित शामिल होना चाहिए - एक्सपोजर का प्रकार, 30, 60, 90, 120

और 180 दिवस से अधिक विगत देय होने वाले ऋणों का प्रतिशत, फोरक्लोजर में ऋण, ऋण स्कोर का बारंबारता वितरण, संपार्श्विक प्रकार और कब्जा तथा अंतर्निहित एक्सपोजरों की ऋण पात्रता के अन्य माप, औद्योगिक और भौगोलिक विविधता, मूल्य अनुपात के अनुरूप ऋण का बारंबारता वितरण जिसमें इतना बैंडविड्थ हो कि पर्याप्त संवेदनशीलता विश्लेषण हो सके । गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अन्य बातों के साथ-साथ **अनुलग्नक I** में प्रवर्तक द्वारा किये गये प्रकटीकरण का प्रयोग प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर की निगरानी के लिए कर सकती हैं ।

2.4 ऊपर निर्दिष्ट अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करने वाले एक्सपोजर का ट्रीटमेंट

ऊपर पैरा 2.1 से 2.3 तक दी गयी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करने वाले प्रतिभूतीकरण एक्सपोजरों को निवेशक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी 667% का जोखिम भार देंगे । गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को पैरा 2.1 से2.3 तक निहित दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए गहन प्रयास करना चाहिए । 667% का उच्चतर जोखिम् भार 1 अक्तूबर 2012 से लागू होगा । गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को 31 अक्तूबर 2012 से पहले पैरा 2.1 से 2.3 की अपेक्षाओं को लागू करने के लिए आवश्यक प्रणाली और प्रक्रियाएं स्थापित करनी चाहिए ।

भाग - बी

सीधे सौंपे गये नकदी प्रवाह और अंतर्निहित प्रतिभूतियों के माध्यम से आस्तियों के अंतरण वाले लेनदेन पर दिशानिर्देश

1. प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा पूरी की जाने वाली अपेक्षाएं

1.1 अंतरण[27] के लिए पात्र आस्तियां

1.1.1 इन दिशानिर्देशों के तहत, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एकल मानक आस्तियों का या ऐसी आस्तियों के भाग का या ऐसी आस्तियों के पोर्टफोलियो का वित्तीय संस्थाओं को, निम्न अपवादों के साथ समुदेशन (असाइनमेंट) विलेख के माध्यम से, अंतरण कर सकती है।

i) परिक्रामी उधार सुविधाएं (अर्थात् क्रेडिट कार्ड प्राप्य राशियां आदि)
ii) अन्य सस्थाओं से खरीदी गई आस्तियां
iii) मूलधन और ब्याज[28] की एकबारगी चुकौती वाली आस्तियां

1.1.2 तथापि, यह दिशानिर्देश इन पर लागू नहीं होंगे :

i) उधारकर्ता के ऋण खातों को उधारकर्ता के अनुरोध/पहल पर किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी तथा अन्य बैंक/एफआई/ एनबीएफसी के बीच अंतरण
ii) बांड में लेनदेन

[27] इन दिशा-निर्देशों में, हस्तांतरण का अर्थ होगा प्रत्यक्ष बिक्री, समनुदेशन और आस्तियों के हस्तांतरण के किसी अन्य रूप के माध्यम से आस्तियों का हस्तांतरण। स्थानान्तरण के लिए उपयोग किया जाने वाला जेनेरिक शब्द बिक्री और खरीद होगा।

[28] एनबीएफसी द्वारा अपने उधारकर्ताओं से 12 महीने अवधि तक की छूट/खरीदी वाली व्यापार प्राप्तियां समनुदेशन के माध्यम से सीधे हस्तांतरण के लिए पात्र होंगी । तथापि, केवल वे ऋण/प्राप्तियां ही ऐसे अंतरण के लिए पात्र होंगी जहां बिल के आहरणकर्ता ने नियत तिथि के 180 दिनों के भीतर पिछले दो ऋणों/प्राप्तियों की पूरी राशि पूरी तरह से चुका दी है । .

iii) पोर्टफालियो की बिक्री व्यवसाय से पूरी तरह बाहर निकालने के निर्णय के फलस्वरूप ऐसे निर्णय को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के निदेशक मंडल की अनुमति होनी चाहिए ।

iv) सहायता संघ और समूहन व्यवस्थाएं

v) अन्य कोई व्यवस्था/लेनदेन, विशेषकर जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा छूट प्रदान की हो ।

1.2 न्यूनतम धारण अवधि (एमएचपी)

खंड ए के पैरा 1.2 की तरह

1.3 न्यूनतम प्रतिधारण अपेक्षा (एमआरआर)

1.3.1 प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अन्य वित्तीय संस्थाओं की आस्तियों का अंतरण करते समय निम्न सारणी में दिए गए एमआरआर का पालन करना चाहिए:

आस्ति का प्रकार		एमआरआर
24 माह से या उससे कम की मूल परिपक्वता अवधि वाली आस्तियां		सममात्रा आधार पर अंतरित आस्तियों से नकदी प्रवाह से 5% प्राप्त करने के अधिकार का प्रतिधारण ।
i)	24 माह से अधिक मूल परिपक्वता अवधि वाली आस्तियां; और	सममात्रा आधार पर अंतरित आस्तियों से नकदी प्रवाह से 10% प्राप्त करने के अधिकार का प्रतिधारण ।
ii)	भाग ख के पैरा 1.1 की पाद टिपण्णी 10 में उल्लिखित ऋण ।	

1.3.2 आस्तियों की आंशिक बिक्री के मामले में, यदि उपर्युक्त पैरा 1.3.1 के अनुसार अपेक्षित एमआरआर से अधिक हिस्सा बिक्रेता ने प्रतिधारित किया हो, तब बिक्रेता द्वारा धारित हिस्से से, बेचे गए हिस्से के 5% समान हिस्सा या बेचे गए हिस्से के 10% हिस्सा, जो भी मामला हो, एमआरआर माना जाएगा । तथापि, बिक्रेता गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा एमआरआर सहित धारित सभी एक्सपोजर बेची गई आस्तियों के हिस्से के समानस्थ होना चाहिए।

1.3.3 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ऋण अंतरण के मामले में किसी भी प्रकार का साख संवर्धन का प्रस्ताव नहीं देनी चाहिए और नकद प्रवाह के सीधे समनुदेशन द्वारा चलनिधि सुविधाएं नहीं देनी चाहिए क्योंकि, ऐसे मामलों में निवेशक सामान्यतः संस्थागत निवेशक होते है जो आवश्यक पर्याप्त सावधानी के बाद एक्सपोजर को समझने और उसे धारण करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता रखते है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को आई/ओस्टिप में निवेश के माध्यम से भी कोई एक्सपोजर नहीं रखनी चाहिए जो ऋण स्थानांतरण से एक्सेस इंटरेस्ट स्प्रेड/फ्युचर मार्जिन आय का प्रतिनिधित्व करती है। तथापि, प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ऊपर उल्लिखित पैरा 1.3.1 में निहित एमआरआर आवश्यकताओं को पूरा करना ही होगा । पैरा 1.3.1 में उल्लेख किए गए एमआरआर के अनुपालन के लिए अंतरित ऋण में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा आंशिक ब्याज के प्रतिधारण को विधिक रूप से वैध कागजातों का समर्थन होना चाहिए। कम से कम, प्रवर्तक द्वारा निम्न के संबंध में कानूनी मत अभिलेख में रखनी होगीः

ए) प्रवर्तक द्वारा धारित ब्याज राशि की विधिक वैधता

बी) ऐसी व्यवस्था जो समनुदेशित के अधिकारों और प्रतिफल में उस सीमा तक हस्तक्षेप नहीं करती हैं जिस सीमा तक उसे अंतरित किया गया है;

सी) समनुदेशिती को अंतरित ऋणों की सीमा तक ऋण से संबद्ध पुरस्कार या कोई जोखिम न रखने वाला प्रवर्तक

1.3.4 ऋण बेचने वाली संस्था को एमआरआर बनाए रखना होगा । दूसरे शब्दों में, मानक आस्तियों के प्रतिभूतीकरण पर निहित दिशानिर्देशों वाले 01 फरवरी 2006 के परिपत्र के पैरा 5(vi) के अनुसार अन्य संस्थाएं जिन्हें 'प्रवर्तक' माना गया है उनके द्वारा एमआर्र नहीं रखा जा सकता।

1.3.5 प्रवर्तक द्वारा प्रतिबद्धता का स्तर अर्थात्, एमआरआर ऋण जोखिम की बचाव व्यवस्था या प्रतिधारित ब्याज की बिक्री के कारण घटना नहीं चाहिए। हानि आत्मसात् करने के माध्यम से या अनुपाती चुकौती के कारण प्रतिधारित एक्सपोज़र घटने के मामलों को छोडकर अपरिशोधित मूल धन के प्रतिशत के रूप में एमआरआर अविरत आधार पर बनाए रखा जाना चाहिए। प्रतिभूतीकरण की सक्रियता के दौरान एमआरआर के रूप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

1.3.6 इन दिशानिर्देशों के तहत एमआरआर के अनुपालन के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानून के अनुसार समुचित कागज़ात तैयार किये गये हैं।

1.4 प्रारंभिक लाभ बुक करना

1.4.1 नकद में प्राप्त लाभ की राशि "लंबित पहचान के ऋण अंतरण सौदो में नकदी लाभ" के लेखा खातों में धारण की जा सकती है । प्रतिभूतीकरण सौदों के कारण उत्पन्न होने वाले नकदी लाभ का परिशोधन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाएगा और निम्नानुसार उसकी गणना होगीः

परिशोधन किया जाने वाला लाभ = मैक्स {एल, [(एक्स*(वाई/जेड))], [(एक्स/एन)]}

एक्स= वर्ष के प्रारंभ में "लंबित पहचान वाले ऋण अंतरण सौदो में नकदी लाभ" खाते में शेष अपरिशोधित नकदी लाभ की राशि

वाई = वर्ष के दौरान परिशोधित मूल धन की राशि

ज़ेड = वर्ष के प्रारंभ में अपरिशोधित मूल धन

एल = पोर्टफोलियो पर हुई हानि (ऋण हानि के लिए प्रतिधारित एक्सपोज़र के लिए विशिष्ट प्रावधान + सीधे बट्टे खाते डाले गए+ यदि कोई और हानि हो, तो)[29] ।

एन = प्रतिभूतीकरण लेनदेन की अवशिष्ट परिपक्वता

1.4.2 लेखाकंन, आस्तियों का वर्गीकरण और एमआरआर के लिए प्रावधान हेतु नियम

एमआरआर का प्रतिनिधित्व करने वाले एक्सपोजरों की आस्तियों का वर्गीकरण और प्रावधानीकरण नियम निम्नानुसार होंगेः

ए) यदि अंतरित ऋण खुदरा ऋण है तो एमआरआर का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि का समेकित खाता प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा रखी जाएगी। ऐसे मामलों में, एमआरआर के परिशोधन में प्राप्य समेकित राशि और उसकी आवधिकता स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होनी चाहिए और एमआरआर की बकायाता की स्थिति ऐसी राशि के पुनर्भुगतान के संदर्भ में निश्चित होनी चाहिए। वैकल्पिक रूप से, प्रवर्तक गैर बैंकिंग

[29] किए जाने वाले विशिष्ट प्रावधानों के साथ-साथ प्रत्यक्ष रूप से बट्टे खाते में डालना और बनाए गए एक्सपोजर पर अन्य हानि, यदि कोई हो, को लाभ और हानि खाते में डाला जाएगा । इसके अलावा एनबीएफसी "ऋण अंतरण लेनदेन लंबित मान्यता" खाते में शेष राशि को ध्यान में रखे बिना आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के संदर्भ में आवश्यक एमआरआर के हिस्से के रूप में बनाए गए एक्सपोजर के लिए पूंजी रखेगी। एनबीएफसी को मौजूदा निर्देशों के अनुसार एमआरआर पर 'मानक आस्ति' प्रावधानों को अलग से बनाए रखने की भी आवश्यकता होगी, जिससे "ऋण अंतरण लेनदेन लंबित मान्यता खाते पर नकद लाभ" से प्रभार नहीं लिया जाएगा।

वित्तीय कंपनी उन खातों के लिए धारित अनुपातिक राशियों के लिए उधारकर्तावार खाता रखना जारी रख सकती है। ऐसे मामले में, वैयक्तिक ऋण खातों की बकाया स्थिति हर एक खाते में प्राप्त पुनर्भुगतान के संदर्भ में निश्चित की जानी चाहिए।

ख) खुदरा ऋणों को छोड़कर अन्य ऋण समूह के अंतरण के मामले में, प्रवर्तक को प्रत्येक ऋण के संबंध में प्रतिधारित आनुपातिक राशियों के लिए उधारकर्तावार खातों को बनाए रखना चाहिए। ऐसे मामले में, निजी ऋण खातों की बकाया स्थिति प्रत्येक खाते से प्राप्त चुकौती के संदर्भ में निश्चित करनी चाहिए।

ग) यदि प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अंतरित ऋण के लिए समनुदेशीत बैंक /गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के सर्विसिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है, तो वह अंतरित ऋणों के बकाया स्थिति से अवगत होगा, जो प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की बहियों में पूरे एमआरआर/एनपीए के रूप में एमआरआर का प्रतिनिधित्व करने वाले अलग-अलग ऋणों के वर्गीकरण का आधार होगा और जो ऊपर उल्लिखित पैरा (ए) और (बी) में स्पष्ट की गई लेखा पद्धति पर निर्भर होगा ।

1.5 ऋण प्रवर्तक मानक

भाग ए में दिये गए पैरा 1.6 के समान

1.6 ऋण ओरिजिनेशन मानक

भाग ए में दिये गए पैरा 1.7 के समान

1.7 ऊपर उल्लिखित अपेक्षाओं को पूरा न करने वाली बेची गई आस्तियों का ट्रीटमेंट

इस पैरा में निहित सभी अनुदेश, पैरा 1.4.2 को छोड़कर , इस परिपत्र की तारीख को या उसके बाद प्रारंभ किए गए लेन देन पर लागू होंगे। पैरा 1.4.2 में निहित अनुदेश वर्तमान और नई लेन देन[30] दोनों पर लागू होंगे। यदि प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ऊपर उल्लिखित पैरा 1.1 से 1.6 में निहित अपेक्षाओं के पालन में चूक करती है, तो उसे बेची गई आस्तियों के लिए इस प्रकार पूंजी बनाए रखनी होगी माने वे अभी भी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी) की बहियों में हैं।

2. खरीदार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा पूरी की जाने वाली अपेक्षाएं

2.1 ऋण की खरीद पर प्रतिबंध

यदि विक्रेता ने खरीद करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को पैरा 1.3 में विनिर्दिष्ट एमआरआर का निरंतर आधार पर अनुपालन करने का स्पष्ट रूप से प्रकटीकरण किया है, तो ही गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अन्य बैंक/एफआई/एनबीएफसी से भारत में ऋण खरीद सकते हैं । इसके अतिरिक्त, घरेलू लेनदेनों के लिए, खरीदार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रवर्तक संस्था ने उनके द्वारा खरीदे गए ऋणों के संबंध में एमएचपी मानदण्डों के लिए निर्धारित किए गए दिशानिर्देशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया है ।

[30] मौजूदा लेनदेन के लिए क्रेडिट संवर्द्धन या किसी अन्य प्रकार के बनाए गए एक्सपोजर पर पैरा 1.4.2 लागू होगा।

2.2 पर्याप्त सावधानी के लिए मानक

2.2.1 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास ऋण/ऋण के पोर्टफोलियो की खरीद के पहले उनके लिए पर्याप्त सावधानी हेतु कुशल कर्मचारियों के रूप में आवश्यक संसाधन और विशेषज्ञता और प्रणाली होनी चाहिए। इस संबंध में खरीदार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को निम्न दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए:

ए) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अपने निदेशक मंडल की अनुमति से, समुचित सावधानी की क्रियाविधि के संबंध में नीतियां तैयार करनी चाहिए और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के अपने अधिकारियों द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) के संबंध में अपेक्षाओं और अंतर्निहित आस्तियों के ऋण गुणवत्ता के संबंध में लागू करना चाहिए। अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी नीतियों को अंतर्निहित ऋण गुणवत्ता के मूल्यांकन की पद्धति भी निर्धारित करनी चाहिए।

बी) खरीदे गए ऋणों के संबंध में समुचित सावधानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बाह्य स्रोत से नहीं की जा सकती और उसे अपने अधिकारियों द्वारा उसी कड़ाई से पूरी की जानी चाहिए जैसा कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा नये ऋण मंजूर करते समय की जाती है ।

सी) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यदि अपने कुछ गतिविधियों जैसे जानकारी और कागज़ात जुटाना आदि, बाह्य स्रोत से करना चाहता है तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को खरीदे जाने वाले ऋण के चयन और अपने ग्राहक को जानिए की आवश्यकताओं के संबंध में पूरी जिम्मेदारी लेना जारी रखना होगा।

2.2.2 अलग-अलग ऋण या ऋण पोर्टफोलियो खरीदने के पूर्व , और उसके पश्चात जैसा उचित हो, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यह सिद्ध करने में सक्षम होनी चाहिए कि खरीदे गए ऋण के जोखिम के प्रोफाइल के अनुरूप व्यापक और संपूर्ण समझ है और उससे संबंधित औपचारिक नीतियां और पूर्ण पद्धतियां भी लागू की है। उसे निम्नलिखित का विश्लेषण और अभिलेखबद्ध करना चाहिए :

ए) एमआरआर के संबंध में प्रवर्तक द्वारा किया गया प्रकटीकरण, निरंतर आधार पर;

बी) खरीदे गये पोर्टफोलियो के एक्सपोजर की जोखिम विशेषताएं (अर्थात् ऋण की गुणवत्ता, ऋण समूह में विविधीकरण और एकरूपता का स्तर, अलग-अलग उधारकर्ताओं के चुकौती व्यवहार की उनकी आय के स्रोत के अलावा अन्य घटकों के प्रति संवेदनशीलता, ऋण का समर्थन करने वाले संपार्श्विकों के बाजार मूल्य की अस्थिरता, अंतर्निहित उधारकर्ता जिन आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए हैं उनकी चक्रीयता आदि ।)

सी) ऋण मूल्यांकन और ऋण निगरानी मानक, पूर्व के पोर्टफोलियो अन्तरण में एमआरआर और एमएचपी मानकों का अनुपालन तथा अन्तरण के लिए एक्सपोज़र के चुनाव में औचित्य के संबंध में प्रवर्तकों की प्रतिष्ठा ।

डी) संबंधित अन्तर्निहित एक्सपोजर श्रेणी में ऋणों/पोर्टफोलियो के पूर्व अन्तरण में प्रवर्तकों का हानि संबंधी अनुभव, अन्तर्निहित उधारकर्ताओं द्वारा की गयी धोखाधड़ी घटना, प्रवर्तकों के कथन और वारंटी की सच्चाई ;

ई) अन्तरित एक्सपोजर तथा जहां लागू हो अन्तरित ऋणों का समर्थन करने वाले संपार्श्विक के संबंध में बरती गयी समुचित सावधानी के संबंध में प्रवर्तक अथवा उनके एजेंट या परामर्शदाताओं के वक्तव्य और प्रकटीकरण;

एफ) अन्तरित ऋणों के मूल्यांकन में प्रयुक्त क्रियाविधि और अवधारणाएं तथा मूल्यांकनकर्ता की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तक द्वारा अपनायी गयी नीति;

2.3 दबाव परीक्षण

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अपने खरीदे गये ऋण पोर्टफोलियो के अनुकूल नियमित रूप से दबाव परीक्षण करनी चाहिए । इस प्रयोजन के लिए विभिन्न घटकों पर विचार किया जा सकता है, जैसे आर्थिक मंदी की स्थिति में अंतर्निहित पोर्टफोलियो की चूक दरों में वृद्धि, ब्याज दरों में गिरावट के कारण अवधि पूर्व चुकौती की दरों में वृद्धि अथवा उधारकर्ताओं के आय स्तर में वृद्धि के कारण एक्सपोजर का समय पूर्व भुगतान ।

2.4 ऋण निगरानी

2.4.1 यह आवश्यक है कि क्रेता गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां खरीदे गये ऋण की कार्य निष्पादन संबंधी सूचना पर निरंतर आधार पर नजर रखें और यदि जरूरी हो तो समुचित कार्रवाई करें । इस कार्रवाई में अंतर्निहित आस्ति श्रेणी के किसी प्रकार के प्रति एक्सपोजर सीमा में परिवर्तन, प्रवर्तकों पर लागू सीमा में परिवर्तन आदि शामिल हो सकता है । इस प्रयोजन के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को खरीदे गये ऋण की जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप आधिकारिक प्रक्रिया स्थापित करनी चाहिए । यह प्रक्रिया उतनी ही कड़ी होनी चाहिए जितनी उन ऋणों के पोर्टफोलियो के संबंध में होती है जिन्हें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने सीधे ओरिजिनेट किया हो। विशेष रूप से ऐसी प्रक्रियाओं से अलग-अलग खातों में समय पर कमजोरी के लक्षण पकड़ने तथा देय होने के बाद 180 दिन बीतते ही भारतीय रिज़र्व गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के दिशा निर्देशों के अनुसार अनर्जक उधारकर्ताओं की पहचान करने में आसानी होनी चाहिए। एकत्रित सूचना में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए - एक्सपोजर का प्रकार, 30, 60, 90, 120 और 180 दिवस से अधिक विगत देय होने वाले ऋणों का प्रतिशत,चूक दरें, अवधिपूर्व भुगतान दरें, फोरक्लोजर में ऋण, ऋण स्कोर का बारंबारता वितरण, संपार्श्विक प्रकार और कब्जा तथा अंतर्निहित एक्सपोजरों की ऋण पात्रता के अन्य माप, औद्योगिक और भौगोलिक विविधता, मूल्य अनुपात के अनुरूप ऋण का बारंबारता वितरण जिसमें इतना बैंडविड्थ हो कि पर्याप्त संवेदनशीलता विश्लेषण हो सके। यदि इस प्रकार की सूचना सीधे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से नहीं ली जाती है और सर्विस एजेंट से ली जाती है, तो वह सर्विसिंग एजेंट के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अन्य बातों के साथ-साथ **अनुलग्नक I** में प्रवर्तक द्वारा किये गये प्रकटीकरण का प्रयोग एक्सपोजर की निगरानी के लिए कर सकते हैं ।

2.4.2 ऋण निगरानी पद्धतियां जिसमें बैंक/ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के समवर्ती और आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी का सत्यापन शामिल होगा, जो पोर्टफोलियो के आकार पर निर्भर होगा। खरीद करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लेखा परीक्षकों द्वारा ऐसे सत्यापनों का सर्विसिंग करार में प्रावधान होना चाहिए। सभी संबंधित जानकारी और लेखा रिपोर्ट खरीदार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण के दौरान भारिबैं के अधिकारियों को सत्यापन के लिए उपलब्ध होना चाहिए।

2.5 सच्ची बिक्री मानदण्ड.[31]

2.5.1 बिक्री (इस शब्द में इसके आगे आस्ति की सीधी बिक्री, समनुदेशन और अंतरण का अन्य कोई प्रकार शामिल होगा, किंतु ऋण खातों का उधारकर्ता के प्रस्ताव पर अन्य वित्तीय संस्थाओं को एकमुश्त अंतरण और बांडों की बिक्री जो अग्रिम के स्वरूप के नहीं हैं शामिल नहीं होंगे।) के फलस्वरूप 'बिक्री करने वाली एनबीएफ़सी'[32] (इसके आगे इस शब्द में सीधी बिक्री करने वाला बैंक, समनुदेशन करने वाला गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी और अन्य प्रणाली के माध्यम से अंतरण करने वाला गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी शामिल होगा) का बेची गई आस्तियों[33] से तत्काल कानूनी अलगाव होना चाहिए। खरीदार को अंतरित करने के बाद बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से आस्तियां पूर्ण रूप से अलग होनी चाहिए अर्थात्, बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी और साथ साथ उसके ऋणदाता की पहुंच से बाहरहोनी चाहिए, यहाँ तक कि बिक्री करने वाले/ समनुदेशित करनेवाले/ अंतरित करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के दिवालियापन की स्थिति में भी।

2.5.2 बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को असरदार तरिके से आस्तियों से संबंधित सभी जोखिम/प्रतिफल और अधिकार/दायित्वों का अंतरण करना चाहिए और इन दिशानिर्देशों के तहत जिन्हें विशेष अनुमति दी गई है, उन्हें छोडकर, बिक्री के बाद आस्तियों में किसी प्रकार के लाभप्रद हितों को धारण नहीं करना चाहिए। खरीदार को गिरवी रखने, बिक्री, अंतरण या अदला बदली या अवरुद्ध करने वाली शर्तों से मुक्त अन्य माध्यमों से आस्तियों का निपटारा करने का निरंकुश अधिकार होना चाहिए। बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को बिक्री के बाद आस्तियों में कोई आर्थिक हित नहीं रखना चाहिए और खरीदार को, इन दिशानिर्देशों के तहत विशेष रूप से अनुमति प्रदत्त कारणों को छोडकर, बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से व्यय या हानि की पूर्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए।

2.5.3 बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर किसी भी समय आस्तियों या उसके किसी अंश या खरीदार द्वारा धारण की हुई स्थानापन्न आस्तियों की पुनः खरीद या निधीयन या अतिरिक्त आस्तियां उपलब्ध कराने का कोई दायित्व नहीं होगी, केवल उन स्थितियों को छोड़कर जो आश्वासनों के भंग होने के कारण या बिक्री के समय किए गए अभिवेदनों के कारण उत्पन्न हुई हों। बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को यह सिद्ध करने में समर्थ होना चाहिए कि खरीदार को इस आशय की नोटिस दी गई थी और खरीदार ने ऐसे दायित्वों की अनुपस्थिति की प्राप्ति सूचना दी थी।

2.5.4 बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने खरीदार को हुई हानि की भरपाई करने के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं ली और न ही वह बाध्य है । यह सुनिश्चित करने के लिए उसने सभी तर्कसंगत सावधानियां ली थीं, उसे यह सिद्ध करने में समर्थ होना चाहिए।

2.5.5 केवल नकदी के आधार पर ही बिक्री होगी और प्रतिफल आस्तियों के अंतरण के समय तक प्राप्त होना चाहिए। बिक्री प्रतिफल बाजार-आधारित होना चाहिए और मूल्यांकन समुचित दूरी के आधार पर पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए।

2.5.6 ऋण बिक्रेता यदि ऋण की सर्विसिंग करने वाले एजेंट की तरह काम करता है, तो इससे लेनदेन की 'सच्ची बिक्री' का स्वरूप समाप्त नहीं होता, बशर्ते ऐसी सेवा प्रतिबद्धताओं के कारण बिक्री

---

[31] प्रतिभूतिकरण लेनदेन हेतु सही बिक्री मानदंडों के लिए, कृपया 01 फरवरी 2006 को DBOD.NO.BP.BC.60/21.04.048/2005-06 के माध्यम से जारी और समय-समय पर यथासंशोधित मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण पर दिशानिर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें।

[32] इस पैरा में, 'बिक्री एनबीएफसी' शब्द में एनबीएफसी को ऋण बेचने वाली अन्य वित्तीय संस्थाएं शामिल होंगी

[33] किसी आस्ति के एक भाग की बिक्री के मामले में, बेची गई संपत्ति के भाग पर सही बिक्री मानदंड लागू होंगे।

की गई आस्तियों पर अवशिष्ट ऋण जोखिम या ऐसी सेवाओं के संबंध में संविदात्मक कार्य-निष्पादन जिम्मेदारियों के अलावा कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं आती ।

2.5.7 बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के कानूनी परामर्शदाता से राय लेकर अभिलेख में रखना चाहिए जिसमें यह कहा गया हो कि (i) आस्तियों में सभी अधिकार, स्वामित्व, हित और लाभ खरीदार को अंतरित किए गए हैं। (ii) बिक्री करने वाला गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी खरीदार के प्रति ऊपर उल्लिखित पैरा 2.5.6 में दिए गए अनुसार इन आस्तियों के संबंध में सर्विसिंग जिम्मेदारियों के अलावा किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है (iii) बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के ऋणदाताओं को इन आस्तियों के संबंध में, यहाँ तक कि बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के दिवालियापन की स्थिति में भी कोई अधिकार नहीं होगा ।

2.5.8 खरीदार को आस्तियाँ अंतरण करने के बाद अंतर्निहित संविदा/संविदाओं की शर्तों पर कोई पुनर्निर्धारण, पुनर्रचना या पुन; समझौता हुआ हो तो वह खरीदार पर बाध्यकारी होगा और एमआरआर की सीमा को छोडकर, बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर बाध्यकारी नहीं होगा ।

2.5.9 बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से आस्तियों के अंतरण के कारण अंतर्निहित संविदा का संचालन करने वाले किसी नियम और शर्तों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और सभी आवश्यक अनुमतियां बाध्यताधारी से (तृतीय पक्ष सहित, जहाँ आवश्यक हो) प्राप्त करनी चाहिए।

2.5.10 यदि बिक्री करने वाला गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी बिक्री के बाद अलग सेवा संविदा के तहत प्रभार लेकर सेवाएं उपलब्ध कराता है, और उधारकर्ता के भुगतान/ चुकौतियां उसके माध्यम से कराए गए हैं, तो उधारकर्ता से जबतक ये भुगतान प्राप्त न हों तब तक खरीदार को निधि के प्रेषण के लिए बिक्री करने वाला जिम्मेदार नहीं है।

2.6 वारंटी और अभिवेदन

अन्य वित्तीय संस्थाओं को, आस्तियां बिक्री करने वाले प्रवर्तक उन आस्तियों के संबंध में अभिवेदन और वारंटी दे सकता है। जहाँ निम्न शर्तों को पूरा किया गया हो वहां विक्रेता को ऐसे अभिवेदन और आश्वासनों के लिए पूंजी धारण करने की आवश्यकता नहीं है ।

ए) कोई भी अभिवेदन या वारंटी केवल औपचारिक लिखित करार के तहत दिया जाता है ।

बी) विक्रेता कोई भी अभिवेदन या वारंटी देने के या लेने के पहले पर्याप्त उचित सावधानी बरतता है ।

सी) अभिवेदन या वारंटी का संबंध वर्तमान परिस्थिति से है, जिसका आस्तियों की बिक्री के समय विक्रेता द्वारा सत्यापन किया जा सकता है।

डी) अभिवेदन या वारंटी निरंतर स्वरूप की नहीं हो सकती और, खासकर, ऋण/अंतर्निहित उधारकर्ता के भावी साख से संबद्ध नहीं है।

ई) अभिवेदन और वारंटी का प्रयोग, जिसमें प्रवर्तक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह बिक्री की गई आस्तियों के बदले में (या उसके किसी भाग के लिए) अभिवेदन और आश्वासन में दिए गए आधार पर दूसरी आस्ति रखे, निम्नानुसार किया जाना चाहिए :

* आस्तियों के अंतरण से 120 दिनों के भीतर : और
* मूल बिक्री के नियमों और शर्तों पर ही संचालित ।

एफ) जिस विक्रेता को अभिवेदन और वारंटी के भंग के लिए क्षतिपूर्ति देना आवश्यक है वह ऐसा तभी करेगा जब क्षतिपूर्ति देने की संविदा निम्न शर्तों को पूरा करती है :

*अभिवेदन और वारंटी का भंग होना सिद्ध करने की जिम्मेदारी हर समय आरोप लगाने वाले पक्ष पर है

*विक्रेता पर भंग का आरोप करनेवाले पक्ष ने लिखित नोटिस जारी किया हो, जिसमें दावे के आधारों को स्पष्ट किया गया हो; और

*भंग के फलस्वरूप हुई सीधी हानि तक ही क्षतिपूर्ति सीमित होती है।

जी) विक्रेता को किसी अन्य वित्तीय संस्था को बेची गई आस्तियों के बदले में आस्ति देने की या अभिवेदन और वारंटी के भंग के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति का भुगतान करने की घटनाओं के संबंध में भारिबैं (गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग) को सूचित करना चाहिए।

2.7 आस्तियों की पुनःखरीद

सीधे समनुदेशन लेनदेन में बिक्रेता द्वारा अंतरित आस्तियों पर प्रभावी नियंत्रण को सीमित करने के उद्देश्य से, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास अंतरित आस्तियों पर "क्लिन अप-कॉल" के माध्यम सहित कोई पुनःखरीद की संविदा नहीं होनी चाहिए।

2.8 पूंजी पर्याप्तता और अन्य विवेक पूर्ण मानदण्ड की प्रयोज्यता

2.8.1 कार्पोरेट ऋणों की सीधी खरीद के लिए पूंजी पर्याप्तता ट्रीटमेंट गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा सीधे प्रवर्तित किए गए ऋणों पर जिस तरह से लागू होता है उसी तरह लागू होगा । प्रतिभूतिकरण के श्रृंख्ला में निवेश के पूंजी पर्यापता तथा प्रतिभूतिकरण लेनेदेन के लिए अन्य प्रूडेंशियल मानदण्ड को प्रभावित करेगी। बैंक, यदि चाहे तो, खरीदने के पहले ऋणों के समूह की रेटिंग करा सकता है ताकि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अपनी समुचित सावधानी के अलावा ऋण समूह की गुणवत्ता के संबंध में तृतीय पक्ष के दृष्टीकोण को समझ सके। तथापि, इस प्रकार की रेटिंग समुचित सावधानी का विकल्प नहीं बन सकती जिसे खरीदार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को इस खंड के पैरा 2.2 की शर्तों के तहत पालन करना आवश्यक है।

2.8.2 खरीदार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए खुदरा और गैर-खुदरा ऋणों के समूह की खरीद में, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और एक्सपोजर मानदण्ड अलग-अलग बाध्यताधारी के आधार पर लागू होंगें और पोर्टफोलियो के आधार पर नहीं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को आस्तियों के वर्गीकरण, आय पहचान और प्रावधानीकरण मानदण्डों को पोर्टफोलियो स्तर पर लागू नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ट्रीटमेंट समय बद्ध तरीके से अलग-अलग खातों में कमजोरी पता लगाने और उन्हें दूर करने की क्षमता न रखने के कारण ऋण पर्यवेक्षण को कमजोर करने की संभावना रखती है। यदि खरीदार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी खरीदे गए ऋण के पोर्टफोलियो में अलग-अलग बाध्यताधारी वार खातों को नहीं रख रहे हैं, तो उनके पास अलग-अलग बाध्यताधारी आधार पर विवेक पूर्ण मानदण्ड लागू करने की वैकल्पिक प्रणाली होनी चाहिए, विशेष रूप से बाध्यताधारियों की उन राशियों का वर्गीकरण किया जाना चाहिए, जिन्हें वर्तमान विवेक पूर्ण मानदण्ड के अनुसार एनपीए समझा जाना आवश्यक है । ऐसी प्रणाली सर्विसिंग एजेंटों से खातावार ब्योरा प्राप्त करने की हो सकती है, जो पोर्टफोलियो को विभिन्न आस्ति श्रेणियों में वर्गीकरण करने के लिए सहायक सिद्ध होती है। ऐसे विवरण सेवा एजेंट के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित किये जाने चाहिए। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के समवर्ती लेखापरीक्षक, आंतरिक लेखापरीक्षक और सांविधिक लेखा परीक्षक को सर्विसिंग एजंटो द्वारा रखे गए रिकार्ड के आधार पर इन पार्टफोलियो की जांच करनी चाहिए। सर्विसिंग संविदा में खरीदार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लेखापरीक्षकों द्वारा इस प्रकार की जांच का प्रावधान होना

चाहिए। सभी संबद्ध जानकारी और लेखापरीक्षा रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के निरीक्षण अधिकारियों को खरीदार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध किए जाने चाहिए।

2.8.3 खरीदे गए ऋण अधिग्रहण लागत पर माने जाएंगे बशर्ते वे अंकित मूल्य से अधिक नहीं हों। अंकित मूल्य से अधिक होने पर भुगतान किया गया प्रीमियम सीधी रेखा पद्धति से या प्रभावी ब्याज दर पद्धति से, जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा उचित समझा जाए, परिशोधित होना चाहिए । बकाया/अपरिशोधित प्रीमियम को पूंजी से घटाने की आवश्यता नहीं है। खरीदे गए ऋणों पर छूट /प्रीमियम को पोर्टफोलियो के आधार पर हिसाब में लेना चाहिए या अनुपातिक दर पर वैयक्तिक एक्सपोजरों में विभाजित करना चाहिए।

2.9 उक्त निर्धारित अपेक्षाओं का पालन न करने वाले एक्सपोजरों का ट्रीटमेंट

ऊपर उल्लिखित पैरा 2.1 से 2.8 में निहित अपेक्षाओं को जहाँ पूरा नहीं किया गया है वहां निवेशकर्ता गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी 667% का जोखिम भार असाइनमेंट एक्सपोजर पर लगायेगा । यद्यपि, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को गंभीरता से पैरा 2.1 से 2.4 में निहित दिशानिर्देशों का पालन करने का प्रयास करना चाहिए, इन पैराग्राफों के अनुपालन न करने की स्थिति में 667% का उच्च जोखिम भार 1 अक्तूबर 2012 से लागू हो जाएगा। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को 31 अक्तूबर 2012 के पहले पैरा 2.1 से 2.4 में निहित अपेक्षाओं को लागू करने के लिए आवश्यक प्रणाली और पद्धतियां लागू करनी चाहिए।

भाग सी

प्रतिभूतीकरण गतिविधियां/ एक्सपोजर जिनकी अनुमति नहीं दी गयी है

1. वर्तमान में, भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निम्नलिखित प्रतिभूतीकरण गतिविधियां या प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर्स करने की अनुमति नहीं है ।

1.1 आस्तियों का पुनर्प्रतिभूतिकरण

पुनर्प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र एक ऐसा प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर है जिसमें अंतर्निहित एक्सपोजर समूह से संबद्ध जोखिम श्रृंखलाबद्ध है और कम से कम एक अंतर्निहित एक्सपोजर प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर है । इसके अलावा, एक या अधिक पुनर्प्रतिभूतीकरण एक्सपोजरों के प्रति एक्सपोजर पुनर्प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर है । पुनर्प्रतिभूतीकरण एक्सपोजरों की यह परिभाषा आस्ति समर्थित प्रतिभूतियों के संपार्श्विकृत ऋण दायित्वों (सीडीओ) पर लागू होगी, उदाहरण के लिए आवासीय बंधक समर्थित प्रतिभूतियों द्वारा समर्थित सीडीओ (आरएमबीएस) ।

1.2 संश्लिष्ट प्रतिभूतीकरण

संश्लिष्ट प्रतिभूतीकरण ऐसी संरचना है जिसके साथ जोखिम के कम से कम दो भिन्न स्तरीय पोजीशन होते हैं या ऐसी श्रृंखलाएं होती हैं जो ऋण जोखिम की भिन्न दशाएं प्रतिबिंबित करती हैं, जहाँ अंतर्निहित एक्सपोजर का समूह पूर्ण या अंशतः, (अर्थात् क्रेडिट-लिंक्ड नोटस्) या अनिधिक (अर्थात् ऋण चूक स्वैप) क्रेडिट डेरिवेटिव या गारंटियों के माध्यम से अंतरित की जाती हैं जो पोर्टफोलियो के ऋण जोखिम के बचाव का कार्य करती है । तदनुसार, निवेशकों की संभावित हानि अंतर्निहित समूह के कार्यनिष्पादन पर निर्भर है।

1.3 परिक्रामी संरचना के साथ प्रतिभूतीकरण (प्रारंभिक परिशोधन विशेषताओं सहित या उसके अतिरिक्त)

इनमें ऐसे एक्सपोजर आते हैं जहाँ उधारकर्ता किसी ऋण व्यवस्था (अर्थात् क्रेडिट कार्ड प्राप्य राशि और नकदी ऋण सुविधाएं) के अंतर्गत तयशुदा समय सीमा के भीतर आहरित राशि और चुकौती राशि में घट-बढ़ कर सकते हैं । विशिष्ट रूप से परिक्रामी संरचना में परिशोधित आस्तियां होंगी जैसे क्रेडिट कार्ड प्राप्य राशि, व्यापार में प्राप्य राशि, बिक्रेता फ्लोअरप्लान ऋण और कुछ पट्टे जो अपरिशोधन संरचना को समर्थन देती हैं, बशर्ते उनको समयपूर्व परिशोधन विशेषताओं के साथ न बनाया गया हो। समयपूर्व परिशोधन का अर्थ प्रतिभूतियों की उनकी सामान्य संविदात्मक परिपक्वता के पहले चुकौती है। समयपूर्व परिशोधन के समय तीन संभावित परिशोधन प्रक्रियाएं हैं ; (i) सीमित परिशोधन (ii) तीव्र या अनियंत्रित परिशोधन (iii) नियंत्रित परिशोधन के बाद अनियंत्रित परिशोधन (नियंत्रित अवधि समाप्त होने के पश्चात)

2. ऊपर उल्लिखित दिशानिर्देशों में प्रतिबंधित लेनदेनों की उपयुक्तता और औचित्य की यथा समय पुनः समीक्षा की जाएगी।

अनुलग्नक-1

प्रकटीकरण के फार्मेट प्रस्ताव दस्तावेजों की आवश्यकता, सेवा रिपोर्ट, निवेश रिपोर्ट आदि..[34]

प्रतिभूतिकरण लेन देन[35] का नाम /पहचान सं.

	प्रकटी करण का स्वरूप	**विवरण**			**राशि/प्रतिशत/वर्ष**
1.	अंतर्निहित आस्तियों की परिपक्वता विशेषताएं(प्रकटीकरण की तारीख को)/	i)	अंतर्निहित आस्तियों के भारित औसत परिपक्वता अवधि(वर्षों में)		
		ii)	अंतर्निहित आस्तियों का परिपक्वता-वार वितरण/		
			ए)	एक वर्ष के भीतर परिपक्व होने वाली आस्तियों का प्रतिशत	
			बी)	एक से तीन वर्षों के भीतर परिपक्व होने वाली आस्तियों का प्रतिशत	
			सी)	तीन से पांच वर्षों के भीतर परिपक्व होने वाली आस्तियों का प्रतिशत	
			डी)	पांच वर्षों के बाद परिपक्व होने वाली आस्तियों का प्रतिशत	
2	प्रतिभूतिकृत आस्तियों का न्यूनतम धारिता अवधि (एमएचपी)	i)	आरबीआई दिशानिदेशों के तहत आवश्यक एमएचपी (वर्ष / महिने)		
		ii)	ए)	प्रतिभूतिकरण के समय प्रतिभूतिकृत आस्तियों की भारित औसतन धारिता अवधि(वर्ष / महिने)	
			बी)	प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए न्यूनतम और अधिकतम धारिता अवधि	
3	प्रकटीकरण की तारीख को न्यूनतम धारिता आवश्यकता (एमआरआर)	i)	प्रतिभूतिकृत आस्तियों के बही मूल्य का आरबीआई दिशानिदेशों के तहत एमआरआर का प्रतिशत और प्रकटीकरण की तारीख को बकाया।		
		ii)	प्रतिभूतिकृत आस्तियों के बही मूल्य		

[34] यह परिशिष्ट ऋण के सीधे अंतरण पर भी लागू होगा। इस उद्देश्य के लिए 'प्रतिभूतिकृत आस्तियों/आस्ति प्रतिभूतिकृत' शब्दों की व्याख्या सीधे अंतरित/समनुदेशित ऋणों के अर्थ के लिए की जा सकती है । एनबीएफसी प्रतिभूतिकरण और प्रत्यक्ष अंतरण के संबंध में जानकारियों का अलग से प्रकटन/रिपोर्ट करेंगी ।

[35] ये प्रकटन लेनदेन की पूर्ण अवधि के दौरान प्रत्येक प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए अलग से किए जाएंगे।

			का वास्तविक प्रतिधारण और प्रकटीकरण की तारीख को बकाया		
		iii)	प्रतिभूतिकृत आस्तियों के बही मूल्य में एमआरआर का गठन करने वाली धारित जोखिमों के प्रकार (प्रतिभूतिकृत आस्तियों के बही मूल्य का प्रतिशत और प्रकटीकरण की तारीख को बकाया)[36]		
			ए)	ऋण वृद्धि (अर्थात क्या शेयरों में निवेश/गौण श्रृंखला , प्रथम/दूसरी हानी गारंटी, नकदी संपार्श्विक, अतिसंपार्श्विकीकरण में निवेश हैं।)	
			बी)	वरिष्ठ श्रृंखला में निवेश	
			सी)	चलनिधि आधार	
			डी)	अन्य कोई (कृपय उल्लेख करें	
		iv)	भंग, कोई हो तो, और उसके कारण		
4	अंतर्निहित ऋणों की ऋण गुणवत्ता	i)	बकाया ऋणों का वितरण		
			ए)	30 दिनों तक बकाया ऋणों का प्रतिशत	
			बी)	31 से 60 दिनों तक बकाया ऋणों का प्रतिशत	
			सी)	61 से 90 दिनों तक बकाया ऋणों का प्रतिशत	
			डी)	90 और 120 दिनों के बीच बकाया ऋणों का प्रतिशत	
			ई)	120 और 180 दिनों के बीच बकाया ऋणों का प्रतिशत	
			ऊ)	180 दिनों से अधिक बकाया ऋणों का प्रतिशत	
		ii)	अंतर्निहित ऋणॉ के निवेश खाते के लिए उपलब्ध मूर्त जमानत का विवरण (वाहन, बंधक आदि.)		
			ए)	प्रतिभूति 1(नाम देने का) (% रक्षित ऋण)	

[36] यह मद ऋणों के प्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि कोई ऋण वृद्धि, तरलता समर्थन और अंतरण नहीं होगी।

			बी)	प्रतिभूति 2	
			सी)	प्रतिभूति 'एन'	
		iii)	अंतर्निहित ऋणो के लिए उपलब्ध सुरक्षा कवच की व्याप्ति		
			ए)	समूह में शामिल पूरीतरह से जमानती ऋणों का प्रतिशत	
			बी)	समूह में शामिल अंशत: जमानती ऋणों का प्रतिशत	
			सी)	समूह में शामिल पूरीतरह से गैरजमानती ऋणों का प्रतिशत	
		iv)	रेटिंग वार अंतर्निहित ऋणाँ का वितरण (यदि यह ऋण रेटेड हैं)		
			ए)	एनबीएफसी की आंतरिक श्रेणी/ बाह्य श्रेणी (आंतरिक ग्रेड का सर्वोच्च श्रेणी का 1 के रूप में उल्लेख कर सकते हैं)	
				1/एएए या समकक्ष	
				2	
				3	
				4.....	
				एन	
			बी)	समूह की भारित औसतन रेटिंग/	
		v)	अतीत में देखा गया समान निवेश खातों में चूक का दर		
			ए)	पिछले पांच वर्षों के दौरान औसतन वार्षिक चूक का दर	
			बी)	पिछले वर्ष के दौरान औसतन वार्षिक चूक का दर	
		vi)	समरूप पोर्ट फोलियों वालों का अपग्रेडेशन /वसूली/ हानी दर		
			ए)	उन्नत एनपीए का प्रतिशत(पिछले पांच वर्षों का औसत)	
			बी)	वर्ष के प्रारंभ में एनपीए की बट्टेखाते डाली गई राशि का प्रतिशत(पिछले पांच वर्षों का औसत)	
			सी)	वर्ष के दौरान वृद्धिशील एनपीए	

				की वसूली गई राशि(पिछले पांच वर्षों का औसत)	
		vii)	एलटीवी अनुपात के वितरण की आवृति, आवसीय ऋण के मामले में और वाणिज्यिक स्थावर संपदा ऋण)		
			ए)	एलटीवी अनुपात से 60% से कम ऋण का प्रतिशत	
			बी)	एलटीवी अनुपात से 60 से 75% के बीच ऋण का प्रतिशत	
			सी)	एलटीवी अनुपात से 75% से अधिक ऋण का प्रतिशत	
			डी)	अंतर्निहित ऋणाँ के एलटीवी अनुपात का भारित औसत(%)	
5	ऋण समूह की अन्य विशेषताएं	i)	मिश्र समुहों के मामलों में ऋणों का उद्योगवार अलग अलग विवरण(%)		
			उद्योग 1		
			उद्योग 2		
			उद्योग 3....		
			उद्योग एन		
		ii)	ऋण समुहों का भौगोलिक वितरण (राज्यवार) (%)		
			राज्य 1		
			राज्य 2		
			राज्य 3		
			राज्य 4		

अनुलग्नक - 2

एनबीएफसी लेखा नोट टिप्पणियों में की जाने वाली घोषणा

क्रम सं.	विवरण				सं. /राशि करोड़ रूपयों में
1.	प्रतिभूतिकरण व्यवहारों[37] के लिए एनबीएफसी द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या				
2.	एनबीएफसी द्वारा प्रायोजित, एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि				
3.	तुलनपत्र की तारीख को एमआरआर के साथ अनुपालन के लिए एनबीएफसी द्वारा एक्सपोजर की प्रतिधारित कुल राशि				
	ए)	तुलनपत्रेतर एक्सपोजर्स			
		*	प्रथम घाटा		
		*	अन्य		
	बी)	तुलनपत्र एक्सपोजर्स			
		*	प्रथम घाटा		
		*	अन्य		
4	एमआरआर के इतर प्रतिभूतिकरण व्यवहारों में एक्सपोजर की राशि				
	ए)	तुलनपत्रेतर एक्सपोजर्स			
		i)	स्वयं की प्रतिभूतियों की एक्सपोजर्स।		
			*	प्रथम घाटा	
			*	पघाटा	
		ii)	तृतीय पक्ष प्रतिभूतिकरण की एक्सपोजर		
			*	प्रथम घाटा	
			*	अन्य / Others	
	बी)	तुलनपत्र पर एक्सपोजर			
		i)	स्वयं के प्रतिभूतिकरण की एक्सपोजर		
			*	प्रथम घाटा	
			*	अन्य	
		ii)	तृतीय पक्ष पतिभूतिकरण की एक्सपोजर		
			*	प्रथम घाटा	
			*	अन्य	

[37] यहां केवल बकाया प्रतिभूतिकरण लेनदेन से संबंधित एसपीवी की सूचना दी जा सकती है।

एनबीएफसी द्वारा एनसीडी (1 वर्ष से अधिक समय पर परिपक्वता) का प्राइवेट प्लेसमेंट पर दिशानिदेश:

1. एनबीएफसी को स्रोत योजना के लिए बोर्ड अनुमोदित नीति प्रस्तुत करनी होगी जिसमें अन्य बातों के साथ साथ, योजना का दायरा तथा प्राइवेट प्लेसमेंट की आवधिकता कवर हो।

2. यह मामला निम्नलिखित निदेशों द्वारा विनियमित होगा:

(i) प्रत्येक निवेशक द्वारा न्यूनतम रू. 20,000(बीस हजार रूपए) का अभिदान होगा;

(ii) एनसीडी का प्राइवेट प्लेसमेंट का निर्गम दो श्रेणियों में होगा जैसे प्रत्येक निवेश द्वारा रू 1 करोड़ से कम अधिकतम अभिदान वाली तथा रू 1 करोड़ तथा उससे अधिक अभिदान वाली;

(iii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अधिकतम रू 1 करोड़ से कम एनसीडी जारी करने के लिए अभिदान की सीमा 200 होगी तथा इस प्रकार का अभिदान पूर्णत: प्रतिभूत होंगे;

(iv) रू 1 करोड़ तथा उससे अधिक एनसीडी जारी करने के संबंध में न्यूनतम अभिदान की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी तथा अभिदानकर्ता के पक्ष में प्रतिभूति बनाने का विकल्प जारीकर्ता के पास होगा। इन निर्देशों में दी गई परिभाषा के अनुसार ऐसे प्रतिभूत रहित डिबेंचर को सार्वजनिक जमाराशि नहीं माना जाएगा।

(v) एनबीएफसी अपने तुलन पत्र में निधियों के विनियोजन हेतु डिबेंचर जारी कर सकती है तथा इसका प्रयोगग्रुप कंपनी/पार्टनर कंपनी/ सहयोगी कंपनी के निधि स्रोत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नहीं किया जा सकता।

(vi) एनबीएफसी अपनी डिबेंचर (प्राइवेट प्लेसमेंट अथवा सार्वजनिक निर्गम दोनों प्रकार के) को प्रतिभूत रख कर ऋण नहीं दे सकती है।

3. एनबीएफसी द्वारा दी जाने वाली कर छूट वाली बाँड को इस परिपत्र की प्रयोजनियता से छूट प्राप्त है।

4. एक वर्ष की परिपक्वता वाली एनसीडी के लिए, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपरिवर्तनीय डिबेंचर का निर्गमन (रिज़र्व बैंक) निदेश-2010 पर जारी 23 जून 2010 का दिशानिदेश लागू होगा।

वित्तीय संकटग्रस्तता की शुरू में ही पहचान, समाधान हेतु तत्काल उपाय और उधारदाताओं हेतु उचित वसूली: अर्थ व्यवस्था में संकटग्रस्त परिसंपत्तियों को पुनरुद्धारित करने के लिए रूपरेखा

बढते एनपीए को रोकने के लिए सुधारात्मक कार्य योजना

1.1 **दबाव की जल्द पहचान करना तथा इसकी रिपोर्टिंग बड़े ऋणों से संबंधित सूचनाओं की सेंट्रल रिपोजीटरी (सीआरआईएलसी) को करना ।**

1.1.1 ऋण खाता का एनपीए बनने से पूर्व, एनबीएफसी को निम्नलिखित सारणी के अनुसार तीन उप – श्रेणी के साथ उप –परिसंपत्ति श्रेणी यथा 'विशेष वर्णित खाता' (एसएमए) बनाकर खाता के प्रारंभिक दबाव का पता लगाना होगा:

एसएमए उप – श्रेणी	**वर्गीकरण का आधार**
एसएमए-0	मूलधन अथवा ब्याज का भुगतान 30 दिनों से अधिक समय से बकाया ना हो परंतु खाते में आरंभिक दबाव के चिह्न दिखाई देते हो जैसा कि 30 जनवरी 2014 की संरचना के (अनुबंध –ए) में वर्णित है।
एसएमए -1	31-60 दिनों के बीच बकाया मूलधन अथवा ब्याज का भुगतान
एसएमए -2	61-180 दिनों के बीच बकाया मूलधन अथवा ब्याज का भुगतान

1.1.2 बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग द्वारा जारी 13 फरवरी 2014 के अपने परिपत्र DBS.No.OSMOS. 9862/33.01.018/2013-14 में बैंक द्वारा सूचित किया गया था कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बड़े ऋणों से संबंधित सूचनाओं का संग्रहण (सीआरआईएलसी), स्टोर तथा ऋणदाता के ऋण डाटा का आदान-प्रदान के लिए सेंट्रल रिपोजीटरी की स्थापना की गई। सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (संक्षेप में अधिसूचित एनबीएफसी) को एक्सबीआरएल रिपोर्टिंग पद्धति की स्थापना होने पर अनिवार्य रूप से तिमाही आधार पर संबंधित ऋण सूचना की रिपोर्टिंग अनुबंध । में दिए गए फार्मेट में सीआरआईएलसी को करें। तब तक वे सूचना हार्ड कॉपी में प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, विश्व व्यापार केन्द्र, मुंबई-400 005 को अग्रेषित करें। डाटा में सभी उधारकर्ताओं के रू5 करोड़ तथा उससे अधिक का समग्र निधि आधारित और गैर निधि आधारित एक्सपोजर और उधारकर्ता की एसएमए स्थिति शामिल होना चाहिए। अधिसूचित एनबीएफसी को रू5 करोड़ तथा उससे अधिक का निधि आधारित और/अथवा गैर निधि आधारित एक्सपोजर वाले अपने उधारकर्ताओं का सही पैन ब्योरा, आयकर अभिलेख से विधिवत प्रमाणित किया गया, के साथ तैयार रखना चाहिए।

1.1.3 वैयक्तिक अधिसूचित एनबीएफसी को एसएमए-1 और एसएमए-0 के रूप में रिपोर्ट किए गए खातों का ध्यानपूर्वक निगरानी करना चाहिए, क्योंकि यह खातों के कमजोरी का प्रारंभिक सावधानी प्रतीक होते है। कमियों को शीघ्र दूर करने हेतु उधारकर्ताओं के साथ मामले को उठाएं। तथापि, एक अथवा एक से अधिक उधारदाता बैंकों/अधिसूचित एनबीएफसी द्वारा खातों को यथा शीघ्र एसएमए-2 के रूप में रिपोर्ट करना, यह अनिवार्य रूप से संयुक्त ऋणदाताओं के फोरम (जेएलएफ) और संरचना के पैरा 2.3 में विनिर्दिष्ट सुधारात्मक कार्रवाई योजना (सीएपी) (अनुबंध-बी) के निरुपण को गति प्रदान करेगा। अधिसूचित एनबीएफसी को समुचित प्रबंधन सूचना और रिपोर्टिंग प्रणाली को आवश्यक रूप से एक स्थान पर रखना चाहिए ताकि किसी भी खाते में 60 दिनों से अधिक बकाया मूलधन अथवा

ब्याज को 61वें दिन एसएमए-2 के रूप में रिपोर्टिंग अनुबंध II में दिए गए फार्मेट में, हार्ड प्रति में, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, विश्व व्यापार केन्द्र, मुंबई-400 005 को करें। एनबीएफसी को एक्सबीआरएल संरचना में शीघ्र रिपोर्टिंग का प्रयास करना चाहिए।

1.2 त्वरित प्रावधानीकरण

1.2.1 ऐसे मामलों में जहां एनबीएफसी, सीआरआईएलसी को खाते का एसएमए स्थिति रिपोर्ट करने में विफल होती है अथवा खाते की वास्तविक स्थिति को जानबूझकर गुप्त रखती है अथवा खाते को हमेशा सतत दिखाती है, ऐसी स्थिति में एनबीएफसी को इन खातो के प्रति त्वरित प्रावधानीकरण करना चाहिए और/अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उचित समझी जाने वाली अन्य पर्यवेक्षी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे गैर निष्पादित खातो के संबंध में वर्तमान प्रावधानीकरण मानदंड तथा संशोधित त्वरित प्रावधानीकरण निम्न प्रकार से है:

परिसंपत्ति वर्गीकरण	एनपीए की अवधि	एनबीएफसी के लिए एनपीए की अवधि	एनबीएफसी वर्तमान प्रावधानीकरण* (%)	बैंकों और प्रस्तावित एनबीएफसी के लिए संशोधित त्वरित प्रावधानीकरण (%)
उप – मानक (प्रतिभूत)	6 माह तक			कोई परिवर्तन हीं
	6 माह से 1 वर्ष तक	6 माह से डेढ वर्ष तक	प्रतिभूत तथा गैर प्रतिभूत के लिए 10	25
उप-मानक (गैर प्रतिभूत नए सिरे से)	6 माह तक	--		25
		--		
	6 माह से 1 वर्ष तक	6 माह से डेढ वर्ष तक	10	40
		6 माह से डेढ वर्ष तक	10	
संदिग्ध I	द्वितीय वर्ष	एक वर्ष तक (प्रतिभूत भाग)	20	40 (प्रतिभूत भाग)
		एक वर्ष तक (गैर प्रतिभूत भाग)	100	100 (गैर प्रतिभूत भाग)
		1-3 वर्ष	प्रतिभूत भाग के लिए 30 तथा गैर प्रतिभूत भाग के लिए 100	एनबीएफसी उक्त को अंगीकृत कर सकती है अर्थात 40 और 100
संदिग्ध II	तृतीय और चतुर्थ वर्ष	तीन वर्ष से अधिक	गैर प्रतिभूत भाग के लिए 100 तथा प्रतिभूत भाग के लिए 50	प्रतिभूत तथा गैर प्रतिभूत दोनो के लिए 100
संदिग्ध III	पांच वर्ष तथा उससे आगे के लिए			100

1.2.2 इसके अतिरिक्त, कोई उधारदाता जो जेएलएफ द्वारा सीएपी के तहत पुनर्रचना के निर्णय के लिए सहमत है तथा अंतर क्रेडिटर करार (आईसीए) और डेबटर क्रेडिटर करार (डीसीए) का हस्ताक्षरकर्ता है, किंतु बाद में अपने रूख में परिवर्तन करता है अथवा पैकेज के कार्यान्वयन में विलम्ब/मना करता है वह भी इस उधारकर्ता के लिए अपने एक्सपोजर पर उक्त विनिर्दिष्ट त्वरित प्रावधानीकरण आवश्यकताओं के अधीन होंगे; अर्थात - यदि यह एनपीए के रूप में वर्गीकृत है। यदि खाता उन उधारदताओं के बही में मानक है तब प्रावधानीकरण आवश्यकता 5% होगी। इसके अतिरिक्त, उधारदाता द्वारा ऐसी कोई भी बैकट्रैकिंग से पर्यवेक्षी समीक्षा तथा मूल्यांकन पद्धति के दौरान नकरात्मक पर्यवेक्षी दृष्टिकोण बनेगा।

1.2.3 वर्तमान में, परिसंपत्ति वर्गीकरण का आधार अलग- अलग एनबीएफसी की वसूली अभिलेख पर निर्भर करता है तथा प्रत्येक एनबीएफसी के स्तर पर परिसंपत्ति वर्गीकरण स्थिति के आधार पर प्रावधानीकरण किया जाता है। तथापि, यदि उधारदाता जेएलएफ का संयोजन करने में विफल होता है अथवा निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सामान्य सीएपी के सहमति पर विफल होता है तब उक्त विनिर्दिष्ट के अनुसार खाता त्वरित प्रावधानीकरण के अधीन होगा, यदि खाता एनपीए के रूप में वर्गीकृत है तो। यदि खाता उन उधारदताओं के बही में मानक है तब प्रावधानीकरण आवश्यकता 5% की होगी।

1.3 "असहयोगी उधारकर्ता"

1.3.1 सभी अधिसूचित एनबीएफसी को "असहयोगी उधारकर्ताओं" की पहचान करना चाहिए। एक "असहयोगी उधारकर्ता" को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि 2 अनुस्मारक के बाद भी उधारदाता से अपेक्षित आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करता अथवा मंजूरी के शर्तों के अनुसार प्रतिभूतियों की उपलब्धता आदि से मना करने वाला, अथवा निर्धारित समयावधि के अंदर ऋण करार के अन्य नियम का पालन नहीं करने वाला अथवा एनबीएफसी के साथ चुकौती के मामलें में विचारविमर्श में प्रतिकूल/उदासीन अथवा मना करने का रूख रखने वाला अथवा कुछ समाधान का झुठा वादा करके समय से खेलने वाला या ऐसे ऋण ऋणदाता के हित में समय के संकल्प को विफल करने के लिए मुकदमेबाजी के रूप में दुर्भाग्यपूर्ण रणनीति बनाने वाला। उधारकर्ताओं को उनका नाम असहयोगी उधारकर्ता के रूप में रिपोर्ट करने से पूर्व उन्हें अपना मत स्पष्ट करने के लिए 30 दिनों की समयावधि दी जाए।

1.3.2 उधारदाताओं के वास्तविक समाधान/वसूली के प्रयास में उधारकर्ताओं/चूककर्ताओं का असहयोगी तथा अनुचित बनने को हतोत्साहित करने के लिए, एनबीएफसी को उधारकर्ताओं को उचित सूचना देना चाहिए तथा यदि संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तब ऐसे उधारकर्ताओं को असहयोगी उधारकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया जाए। अधिसूचित एनबीएफसी द्वारा ऐसे उधारकर्ताओं के वर्गीकरण की रिपोर्टिंग सीआरआईएलसी को किया जाए। इसके अतिरिक्त, एनबीएफसी को ऐसे उधारकर्ताओं के नए ऋण/एक्सपोजर सहित ऐसे प्रोमोटर्स/निदेशक द्वारा प्रायोजित अन्य कंपनी के नए ऋण/एक्सपोजर के लिए भी अथवा ऐसी कंपनी जिसके बोर्ड में इस असहयोगी उधारकर्ता का निदेशक कोई प्रोमोटर्स/निदेशक हो, के संबंध में उच्च/त्वरित प्रावधानीकरण करना होगा। यह प्रावधानीकरण ऐसे मामलों पर लागू होगा जहां दर 5% का है तथा मानक खाता और त्वरित प्रावधानीकरण किया गया हो यदि यह एनपीए है। चूंकि ऐसे असहयोगी उधारकर्ता के एक्सपोजर पर अपेक्षित हानि उच्च होने की संभावना है अत: इस प्रकार का प्रूडेंशियल उपाय किया जाए।

2. बोर्ड निगरानी

2.1 एनबीएफसी के निदेशक मंडल को उनके बही में परिसंपत्ति की गुणवत्ता ह्रास को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे तथा ऋण जोखिम प्रबंधन पद्धति को बेहतर बनाने के लिए ध्यान देना होगा। उधारदाता की सक्रियता से परिसंपत्ति गुणवत्ता में समस्या की जल्द पहचान की जा सकती है जो संरचना में आवश्यक निहित समाधान है तथा सीआरआईएलसी का उपयोग कर इसे जल्द से जल्द परिचालनगत बनाया जाए।

2.2 बोर्ड यह सुनिश्चित करें कि ऋण सूचना का समय पर प्रावधान और सीआरआईएलसी से ऋण सूचना प्राप्त करना, शीघ्र जेएलएफ का निर्माण, जेएलएफ प्रक्रिया की निगरानी के लिए नीति बनाया जाए तथा उक्त नीति की आवधिक समीक्षा की जाए।

3. ऋण जोखिम प्रबंधन

3.1 अधिसूचित एनबीएफसी को ऋण के सभी मामलों में अपना स्वतंत्र दृष्टिकोण और ऋण मूल्यांकन घटक अपनाना चाहिए तथा वाह्य सलाहकार, विशेषकर उधारकर्ता संस्था के इन-हाउस सलाहकार द्वारा तैयार ऋण मूल्यांकन रिपोर्ट पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्हें सूक्ष्म रूप से जांच/ परिप्रेक्ष्य विवेचना करना चाहिए, विशेषकर बुनियादी परियोजनाओं में जहां विलम्ब के साथ साथ परियोजना की लागत में बढोत्तरी होती है। सुधारात्मक कार्य योजना (सीएपी) तय करते समय परियोजना की व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए चर्चा करना सहायक होगा। एनबीएफसी को प्रोमोटर्स/शेयरधारकों द्वारा उपलब्ध की गई इक्विटी पूंजी की स्रोत तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए। बहु लीवरेजिंग एक चिंता का विषय है विशेषकर बुनियादी परियोजनाओं में क्योंकि यह वित्तीय अनुपात जैसे कर्ज/इक्विटी अनुपात, उधारकर्ता के चयन में प्रतिकूल भूमिका को छद्मवार प्रभावित करता है। अत: एनबीएफसी को ऋण मूल्यांकन के समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मूल कंपनी के कर्ज को सहायक/एसपीवी के इक्विटी पूंजी में समावेशित नहीं किया जाए।

3.2 ऋण मूल्यांकन के समय अधिसूचित एनबीएफसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कंपनी का कोई निदेशक का नाम डीआईएन/पीएएन आदि के संदर्भ में चूककर्ता की सूची में प्रदर्शित नहीं है। इसके अतिरिक्त, समरूप नाम के मामले में कोई संदेह उत्पन्न होता है तो एनबीएफसी को उधारकर्ता कंपनी से घोषणा पत्र लेने के बजाए अपने स्वतंत्र माध्यम से पहचान की पुष्टि करनी चाहिए।

3.3 उक्त के अलावा, अधिसूचित एनबीएफसी को सूचित किया जाता है कि निधि का उचित उपयोग और उधारकर्ता द्वारा निधि का अपयोजन/साइफन की रोकथाम को सुनिश्चित करने के लिए, एनबीएफसी को उधारकर्ता के लेखा परीक्ष द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र पर भरोसा किए बिना स्वयं अपने लेखा परीक्षकों को ऐसे प्रमाणीकरण कार्य में शामिल करना चाहिए। तथापि, यह एनबीएफसी के लिए मामले में स्वयं का न्यूनतम तत्परता का विकल्प नहीं है।

4. अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/एनबीएफसी के गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) की खरीद/बिक्री

4.1 बैंपविवि का गैर निष्पादित आस्तियों की खरीद/बिक्री पर दिशानिर्देश (एनबीएफसी पर भी लागू) पर परिपत्र को बैंपविवि के मास्टर परिपत्र "आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा अग्रिमों के संबंध में प्रावधानीकरण पर प्रूडेंशियल मानदंड" में समेकित और अद्यतन किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किया गया है:

बैंक के बही की गैर निष्पादित आस्ति केवल अन्य बैंकों को बिक्री के लिए पात्र होंगी यदि यह बिक्रीकर्ता बैंक के बही में कम से कम पिछले दो वर्षों से गैर निष्पादित आस्ति के रूप में बनी रही हो तो।
गैर निष्पादित आस्ति को खरीदकर्ता बैंक द्वारा इसे अन्य बैंक को बिक्री करने के पूर्व कम से कम 15 माह की अवधि के लिए अपने बही में रखना होगा।

4.2 उक्त में थोड़ा संशोधन करते हुए सूचित किया जाता है कि एनबीएफसी अपने एनपीए को बिना किसी प्रारंभिक धारण अवधि के अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/एनबीएफसी (एससी/आरसी को छोड़कर) को बेच सकती है। तथापि, गैर निष्पादित आस्ति को खरीदकर्ता बैंक/वित्तीय संस्थान/एनबीएफसी द्वारा इसे अन्य बैंक/वित्तीय संस्थान/एनबीएफसी (एससी/आरसी को छोड़कर) को बिक्री करने के पूर्व कम से कम 12 माह की अवधि के लिए अपने बही में रखना होगा। ऐसी आस्तियों का खरीदकर्ता बैंक/वित्तीय संस्थान/एनबीएफसी के बही में आस्ति वर्गीकरण पर मौजूदा दिशानिर्देश में कोई परिवर्तन नहीं है।

SMA-0 दबाव के लक्षण

एक खाता को एसएमए-0 के रूप में वर्गीकृत करने के लिए दबाव के लक्षण की व्याख्यात्मक सूची:

1 (ए) स्टॉक विवरण / अन्य निर्धारित परिचालन नियंत्रण विवरण या (बी) ऋण निगरानी या वित्तीय विवरण को प्रस्तुत करने अथवा (सी) लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के आधार पर सुविधाओं के अनवीकरणीय में 90 दिन या उससे अधिक की देरी।

2 ऋण स्वीकृति के लिए स्वीकार किए गए अनुमानों से वास्तविक बिक्री / परिचालन लाभ में 40% या उससे अधिक की कमी; या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा स्टॉक आडिट के करने से असहयोग या अननुमोदित उद्देश्य के लिए धन के अपयोजन का साक्ष्य।

3 खाते में शेष / डी पी की अनुपलब्धता के आधार पर उधारकर्ताओं द्वारा जारी 3 या उससे अधिक चेक (या इलेक्ट्रॉनिक डेबिट निर्देश) की 30 दिनों में वापसी अथवा 3 या उससे अधिक बिल / चेक डिस्काउंट किए अथवा उधारकर्ता द्वारा संग्रह के तहत भेजे गए।

4 आस्थगित भुगतान गारंटी (डीपीजी) किस्तों अथवा बैंक गारंटी (बीजी) का लागू होना और 30 दिनों के भीतर इसका भुगतान न होना।

5 मूल मंजूरी के संदर्भ में निर्धारित समय के भीतर प्रतिभूतियों के निर्माण या पूर्णता के समय विस्तार के लिए अथवा किसी अन्य नियम और मंजूरी की शर्तों के अनुपालन के लिए तीसरा अनुरोध ।

6 उधारकर्ता द्वारा व्यापार और वित्तीय में दबाव रिपोर्टिंग।

7 प्रमोटर द्वारा ऋण लेने वाली कंपनी में वित्तीय दबाव के कारण अपने शेयर बेचना/गिरवी रखना।

संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ़) का गठन

अधिसूचित एनबीएफसी को सूचित किया जाता है कि उधारदाताओं ने सीआरआईएलसी को एक खाता के एसएमए-2 के रूप में होने की सूचना दी है तो यदि खाते में कुल निवेश (एई) 1000 मिलियन रूपये और ऊपर है [निधि आधारित और गैर निधि आधारित एक साथ] तो जल्द ही अनिवार्य रूप से संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ़) कहलाने वाली समिति का गठन करना चाहिए। उधारदाताओं के पास एक जेएलएफ़ बनाने का विकल्प तब भी होता है जब एक खाते में एई 1000 मिलियन रुपये से कम और / या खाता एसएमए -0 या एसएमए-1 के रूप में रूप में होने की सूचना दी है।

1.2 कंसोर्टियम खातों के लिए मौजूदा कंसोर्टियम व्यवस्था जेएलएफ़ के रूप में काम करेगी जिसमे कंसोर्टियम नेता संयोजक के रूप में काम करेगा, विविध बैंकिंग व्यवस्था (एमबीए) के खातों के लिए उच्चतम एई के साथ ऋणदाता जल्द से जल्द जेएलएफ़ बुलाएगा और खाते पर क्रेडिट सूचना के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाएगा। होगी । एक उधारकर्ता के लिए उधारदाताओं के कई संघ होने पर(कार्यशील पूंजी और अवधि के ऋणों के लिए अलग कंसोर्टियम) ऐसे मामले में उच्चतम एई के साथ ऋणदाता जेएलएफ़ आयोजित करेगा।

1.3 उधारकर्ता आसन्न तनाव के कारण प्रमाण आधार के साथ जेएलएफ़ के गठन के लिए अनुरोध कर सकते हैं।जब इस तरह का अनुरोध एक ऋणदाता द्वारा प्राप्त होता है तो ऐसे खाते को सीआरआईएलसी को एसएमए-0 के रूप में सूचित किया जाना चाहिए, और ऋण दाता को कुल निवेश (एई) 1000 मिलियन रूपये के ऊपर है होने पर जल्द ही संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ़) का गठन करना चाहिए। हालांकि स्पष्ट किया जाता है कि एसएमए -0 रिपोर्टिंग के अन्य मामलों में वर्तमान में जेएलएफ़ का गठन वैकल्पिक है ।

1.4 सभी उधारदाताओं को जेएलएफ़ के कामकाज के लिए व्यापक नियम शामिल कर एक समझौता तैयार कर उस पर हस्ताक्षर करना चाहिए। भारतीय बैंक संघ (आईबीए) एक मास्टर जेएलएफ़ समझौते और जेएलएफ़ के लिए परिचालन दिशा निर्देश को तैयार करेंगे जिसे सभी उधारदाताओं द्वारा अपनाया जा सकता है । जेएलएफ़ को खाते में अनियमितताओं / कमजोरियों को ऋण लेने वाले द्वारा ठीक करने की संभावना का पता लगाना चाहिए। जेएलएफ़ वित्तपोषित परियोजना के कार्यान्वयन में एक भूमिका है रखने वाले केंद्र / राज्य सरकार / परियोजना अधिकारियों / स्थानीय अधिकारियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर सकते है।

1.5 जेएलएफ़ गठन और बाद की सुधारात्मक कार्रवाई 1000 मिलियन एवं अधिक के एई होने वाले खातों में अनिवार्य हो जाएगा जबकि अन्य मामलों में भी उधारदाताओं को बारीकी से संपत्ति की गुणवत्ता पर नजर रखने और प्रभावी समाधान के लिए उचित समझी जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाई करनी होगी।

2 जेएलएफ़ द्वारा सुधारात्मक कार्य योजना (कैप)

2.1 जेएलएफ़ खाते में तनाव को हल करने के लिए विभिन्न विकल्पों का पता लगा सकता है। इरादा एक विशेष संकल्प विकल्प जैसे भुगतान अनुसूची पुनबनाना : या वसूली को प्रोत्साहित करना नहीं है बल्कि आर्थिक अंतर्निहित परिसंपत्तियों के मूल्य के साथ ही उधारदाताओं के ऋण संरक्षित करने के लिए जल्दी और संभव समाधान पर पहुंचना है। जेएलएफ़ द्वारा कैप के तहत विकल्प मे आम तौर पर शामिल होगा:

(ए) सुधार - खाते को नियमित करने के लिए ऋण लेने वाले से एक विशिष्ट प्रतिबद्धता प्राप्त करना ताकि खाते एसएमए स्थिति से बाहर आए या एनपीए की श्रेणी में नहीं जाए। प्रतिबद्धता को आवश्यक समय अवधि के भीतर और मौजूदा उधारदाताओं की ओर से किसी भी नुकसान या बलिदान को शामिल किए बिना पहचान

योग्य नकदी प्रवाह के द्वारा समर्थित होना चाहिए। यदि मौजूदा प्रमोटर अतिरिक्त पैसे लाने या खाते को नियमित करने की स्थिति में नहीं हैं तो जेएलएफ़ को उधारकर्ता के परामर्श से कंपनी के लिए कुछ अन्य इक्विटी/ रणनीतिक निवेशकों को मिलने की संभावना की तलाश करनी चाहिए । इन उपायों का उद्देश्य संस्था / कंपनी के ऋण के नियम और शर्तों में किसी भी बदलाव के बिना सुधार करना है । जेएलएफ़ अगर आवश्यक हो तो सुधार प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, ऋण लेने के लिए आवश्यकता के आधार पर अतिरिक्त वित्त उपलब्ध कराने पर विचार कर सकता है। हालांकि यह सख्ती से सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अतिरिक्त वित्तपोषण खाता कभी एवर ग्रीनिंग के उद्देश्य से प्रदान नहीं की है ।

(बी) भुगतान अनुसूची पुन: बनाना – यदि प्रथम दृष्टया व्यवहार्य है तो खाते के भुगतान अनुसूची पुन: बनाने पर विचार होना चाहिए और इसके लिए धन का डाइवर्जन, धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। इस स्तर पर उनके व्यक्तिगत गारंटी देने के लिए प्रमोटरों से प्रतिबद्धता जो उनकी निवल मूल्य के स्टेटमेंट के साथ संपत्ति को कानूनी हक की प्रतियां द्वारा समर्थित और इस घोषणा के साथ प्राप्त किया जा सकता है कि वे जेएलएफ़ की अनुमति के बिना संपत्ति का निपटान करने वाला किसी भी प्रकार का लेन - देन का नहीं करेंगे । ऋण की सुरक्षा / वसूली को प्रभावित करने वाला उधारकर्ताओं द्वारा प्रतिबद्धता से कोई भी विचलन वसूली की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक वैध कारक के रूप में माना जा सकता है। इस कार्रवाई के स्थायी होने के लिए, जेएलएफ़ में उधारदाताओं को एक इंटर ऋणदाता करार (आईसीए) पर उधारकर्ता को देनदार ऋणदाता करार (डीसीए) पर हस्ताक्षर करने चाहिए जिससे किसी भी भुगतान अनुसूची पुन: बनाने की प्रक्रिया को कानूनी आधार मिलेगा । आईसीए और डीसीए द्वारा निगमित ऋण रिस्ट्रक्चर(सीडीआर) तंत्र के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रारूप को उपयुक्त बदलाव के साथ यदि आवश्यक हो अपनाया जा सकता है। इसके अलावा, एक स्टैंड स्टील' प्रावधान भुगतान अनुसूची पुनबनाने की : सहज प्रक्रिया को सक्षम करने के लिए डीसीए में निर्धारित किया जा सकता है। 'स्टैंड स्टील' प्रावधान का मतलब यह नहीं है कि उधारकर्ता को उधारदाताओं को भुगतान करने से रोका गया है । आईसीए निर्धारित कर सकते हैं कि अंतिम समाधान से दोनों सुरक्षित और असुरक्षित लेनदार सहमत हो।

(सी) वसूली - पहले ऊपर के दो विकल्प (ए) और (बी) संभव नहीं है, तो वसूली की प्रक्रिया का सहारा लिया जा सकता है। जेएलएफ़ उपलब्ध विभिन्न कानूनी और अन्य वसूली विकल्पों मे से प्रयासों और परिणामों के अनुकूलन के अनुसार सबसे अच्छा वसूली की प्रक्रिया तय कर सकते हैं।

2.2 जेएलएफ़ में न्यूनतम मूल्य से 75% लेनदारों और संख्या से 60% लेनदारों के सहमति से निर्णय से खाते के भुगतान अनुसूची पुनबनाने के : लिए आगे बढ़ने के लिए आधार के रूप में विचार किया जाएगा और आईसीए की शर्तों के तहत सभी उधारदाताओं पर बाध्यकारी होगा। हालांकि यदि जेएलएफ़ वसूली के साथ आगे बढ़ने का फैसला लेता है तो बाध्यकारी निर्णय के लिए किसी भी प्रासंगिक कानूनों / अधिनियमों के तहत न्यूनतम मानदंड लागू होगा।

2.3 जेएलएफ़ को (i) एक या एक से अधिक ऋणदाता के द्वारा खाते को एसएमए-2 के रूप में सूचित किया जा रहा है या (ii) उधारकर्ता द्वारा उपयुक्त आधार के साथ, यदि उसे आसन्न तनाव का पता चलता है, जेएलएफ़ बनाने के लिए अनुरोध प्राप्त हो से 30 दिनों के भीतर कैप के लिए अपनाया जाने वाले विकल्प पर एक समझौते पर पहुंचना आवश्यक होगा। जेएलएफ़ को ऐसे समझौते पर पहुंचने की तिथि से अगले 30 दिनों के भीतर विस्तृत अंतिम कैप से बाहर निकलना चाहिए ।

2.4 यदि जेएलएफ़ 2.1 (ए) और (बी)विकल्प पर फैसला लेता है, लेकिन खाता विकल्प 2.1 (ए) और (बी) के तहत सहमत शर्तों के अनुसार प्रदर्शन करने में विफल रहता है तो जेएलएफ़ को विकल्प 2.1 (सी) के तहत वसूली आरंभ करना चाहिए ।

(3) भुगतान अनुसूची पुनबना :ने की प्रक्रिया

3.1 अग्रिमों की भुगतान अनुसूची पुनबना :ने पर रिजर्व बैंक की वर्तमान प्रूडेंशियल दिशा निर्देश व्यक्तिगत और कंसोर्तीयम व्यवस्था / के लिए विस्तृत कार्यप्रणाली और मानक निर्धारित करते है। निगमित ऋण रिस्ट्रक्चरतंत्र (सीडीआर) बैंकों और एनबीएफसी के द्वारा व्यक्तिगत और कंसोर्तीयम अग्रिमों / की भुगतान अनुसूची पुनबना :ने के लिए एक संस्थागत ढांचा है जिसमें लेनदार लेन - देन आधारित समझौतों पर हस्ताक्षर करके शामिल हो सकते हैं ।

3.2. जेएलएफ़ कैप के रूप में खाते की भुगतान अनुसूची पुनबना :ने का निर्णय लेता है तो, इसे उपरोक्त पैरा 2.1 के तहत भुगतान अनुसूची पुनबना :ने का निर्णय लेने के बाद इसे सीडीआर सेल या सीडीआर तंत्र से स्वतंत्र प्रणाली अपनाने का विकल्प होगा।

3.3 जेएलएफ़ द्वारा भुगतान अनुसूची पुन: बनाना

3.3.1 यदि जेएलएफ़ सीडीआर तंत्र से स्वतंत्र किसी खाते का भुगतान अनुसूची पुन: बनाने का फैसला करता है तो जेएलएफ़ को विस्तृत तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता (टीईवी) अध्ययन करना चाहिए, और व्यवहार्य पाया गया, तो अंतिम कैप से साइन ऑफ करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर भुगतान अनुसूची पुन: बनाने के पैकेज को अंतिम रूप देना चाहिए जैसा कि ऊपर पैरा 2.3 में बताया गया है।

3.3.2 5000 मिलियन से कम की एई वाले खातों के लिए, उपर्युक्त भुगतान अनुसूची पुन: बनाने के पैकेज को जेएलएफ़ की मंजूरी होनी चाहिए और कार्यान्वयन के लिए सूचना अगले 15 दिनों के भीतर उधारदाताओं द्वारा उधारकर्ताओ को दी जानी चाहिए।

3.3.3 5000 मिलियन और उससे अधिक की एई वाले खातों के लिए, उपर्युक्त टीईवी अध्ययन और रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज एक स्वतंत्र मूल्यांकन समिति (आईईसी) द्वारा मूल्यांकन के अधीन होना होगा। आईईसी यह सुनिश्चित करने के बाद व्यवहार्यता पहलुओं पर गौर करेंगे कि रिस्ट्रक्चरिंग के मामले उधारदाताओं के लिए निष्पक्ष हैं। आईईसी के लिए जेएलएफ़ को 30 दिन की अवधि के भीतर इन मामलों में अपनी सिफारिश देने के लिए आवश्यक होगा। इसके बाद, आईईसी के मत पर विचार कर जेएलएफ़ रिस्ट्रक्चरके साथ आगे जाने का फैसला करती है तो रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज उधारदाताओं और ऋण लेने वाले के बीच परस्पर सहमति से सभी नियमों और शर्तों सहित, सभी ऋणदाता द्वारा अनुमोदित होगा और कार्यान्वयन के लिए अगले 15 दिनों के भीतर उधारकर्ता को सूचित करना होगा।

3.3.4 मौजूदा दिशा निर्देशों के तहत लागू परिसंपत्ति वर्गीकरण लाभ सीडीआर तंत्र के तहत रिस्ट्रक्चर किया गया खातो पर लागू होगा। इस प्रयोजन के लिए जेएलएफ़ के गठन की तारीख को खाते का परिसंपत्ति वर्गीकरण ध्यान में लिया जाएगा।

3.3.5 उपर्युक्त समय सीमा अधिकतम अनुमत समय अवधि हैं और जेएलएफ़ को सरल रिस्ट्रक्चरिंग के मामलों में जल्द से जल्द एक रिस्ट्रक्चर पैकेज पर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए।

3.3.6 जेएलएफ़ द्वारा एक या एक से अधिक उधारदाताओं द्वारा केवल मानक, एसएमए या उप मानक के रूप में सूचित रिस्ट्रक्चर संपत्ति के मामलों किया जाएगा। आम तौर पर संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत कोई खाता रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जेएलएफ़ द्वारा विचार किया जाना चाहिए, मामलों में जहां ऋण का एक छोटा सा हिस्सा संदिग्ध है यदि कम से कम 90% लेनदारों (मूल्य से) की बहियो में खाते मानक / उप मानक है तो खाता रिस्ट्रक्चर करने के लिए जेएलएफ़ के तहत विचार किया जा सकता है।

3.3.7 खाते की व्यवहार्यता जेएलएफ़ द्वारा अपने निर्धारित स्वीकार्य व्यवहार्यता मानक पर आधारित होना चाहिए। उदाहरण के रूप में, पैरामीटर मे डेट इक्विटी अनुपात, ऋण सेवा कवरेज अनुपात, लिक्विडिटी / वर्तमान अनुपात और रिस्ट्रक्चर किए गए अग्रिम के उचित मूल्य में कमी के एवज में आवश्यक प्रावधान की

राशि आदि शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, जेएलएफ़ सीडीआर तंत्र द्वारा अपनाई व्यवहार्यता मापदंडों को मानक मान सकते हैं के परिशिष्ट में वर्णित किए अनुसार और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अलग प्रदर्शन संकेतक को ध्यान मे लेकर उपयुक्त समायोजन कर अपना सकते है।

3.4 सीडीआर सेल को जेएलएफ़ द्वारा भेजा गया रिस्ट्रक्चरिंग

3.4.1 पैरा 2.1 के तहत रिस्ट्रक्चर करने का निर्णय लिए जाने के बाद यदि जेएलएफ़ खाते को सीडीआर सेल के पास भेजने का फैसला करता है तो निम्न प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है।

3.4.2 चूंकि खाते की प्रारंभिक व्यवहार्यता पर पहले से ही जेएलएफ़ द्वारा निर्णय लिया गया है, सीडीआर सेल को सीधे जेएलएफ़ के परामर्श से और जेएलएफ़ के संदर्भ की तारीख से 30 दिनों के भीतर तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता (टीईवी) अध्ययन और रिस्ट्रक्चरिंग योजना तैयार करना चाहिए ।

3.4.3 कम से कम 5000 मिलियन की एई वाले खातों के लिए, उपर्युक्त रिस्ट्रक्चर पैकेज की मंजूरी के लिए सीडीआर अधिकार प्राप्त समूह (ईजी) को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मौजूदा निर्देशों के तहत, सीडीआर ईजी अनुमोदन या संशोधनों के सुझाव दे सकता है कि लेकिन सुनिश्चित करे कि अंतिम निर्णय सीडीआर सेल के संदर्भ की तारीख से 90 दिनों की कुल अवधि के भीतर लिया जाना चाहिए जिसे 180 दिनों की अधिकतम करने के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, जेएलएफ़ द्वारा सीडीआर सेल में भेजे मामलों को अंत में अगले 30 दिनों के भीतर सीडीआर ईजी द्वारा तय करना होगा। यदि सीडीआर ईजी द्वारा अनुमोदित हैं तो रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज सभी ऋणदाता द्वारा अनुमोदित होना चाहिए और कार्यान्वयन के लिए अगले 30 दिनों के भीतर ऋण लेने वाले को सूचना दी जानी चाहिए।

3.4.4 ₹5000 मिलयन और उससे अिधक की एई वाले खातो के लिए, उपर्युक्त टीईवी अध्ययन और रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज एक स्वतंत्र मूल्यांकन सिमित (आईईसी) द्वारा मूल्यांकन केअधीन होना होगा। पैराग्राफ 3.3.3 मे दिये अनुयासर आईईसी का गठन और अन्य विवरण भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा अलग से बैंको को सूचित किया जाएगा। आईईसी यह सुनिश्चित करने के बाद व्यवहार्यता पहलु पर गौर करेंगे कि रिस्ट्रक्चरिंग के मामले उधारदाताओ के लिए निष्पक्ष हैं। आईईसी के लिए जेएलएफ़ को 30 दिन कि अवधि के भीतर इन मामलो में अपनी सिफारिश देने कि अपेक्षा होगी। इसके बाद, आईईसी के मत पर विचार कर जेएलएफ़ रिस्ट्रक्चरिंग के साथ आगे जाने का फैसला करती हैं तो इसे सीडीआर सेल को अग्रेषित किया जाएगा और सीडीआर सेल द्वारा रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज को आईईसी से मत प्राप्ति के कुल 7 दिनों के भीतर सीडीआर ईजी को सूचित किया जाएगा । उसके पश्चात् सीडीआर ईजी अगले 30 दिनों के भीतर अनुमोदन/संशोधन/अस्वीकृति के लिए निर्णय लेगा । यदि सीडीआर ईजी द्वारा अनुमोदित हैं तो रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज सभी ऋणदाता द्वारा अनुमोदित होना चाहिए और कायार्न्वयन के लिए अगले 30 दिनों के भीतर ऋण लेने वाले को सूचना दी जानी चाहिए।

4. जेएलएफ/सीडीआर सेल द्वारा पुनर्रचना से संबंधित अन्य मुद्दे/शर्तें।

4.1 जेएलएफ और सीडीआर दोनो पद्धति के तहत, पुनर्रचना पैकेज भी टाइमलाइन में निर्धारित किया जाना चाहिए जिसके दौरान व्यवहार्य माइलस्टोन (जैसे समय अवधि यथा 6 माह अथवा 1 वर्ष और उसके बाद भी निश्चित वित्तीय अनुपात में सुधार) को प्राप्त किया जा सके। जेएलएफ खाते का माइलस्टोन प्राप्त करना/नहीं प्राप्त करने के संबंध में अनिवार्य आवधिक समीक्षा किया जाए तथा वसूली के उपाय जैसा उचित समझा जाए को शामिल करते हुए समुचित उपाय प्रारंभ करने पर विचार किया जाए।

4.2 जेएलएफ अथवा सीडीआर के तहत विनिर्दिष्ट समय अवधि में पुनर्रचना को पूरा किया जाना है। जेएलएफ तथा सीडीआर सेल का विनिर्दिष्ट टाइमलाइन में बेहतर उपयोग किया जाना चाहिए ताकि समग्र समय सीमा भंग

ना हो। पुनर्रचना के किसी भी प्रणाली में यदि जेएलएफ/सीडीआर को गतिविधि के लिए निर्धारित सीमा से कम समय लगता है तो अन्य गतिविधि के लिए शेष समय का उपयोग पर निर्णय लिया जा सकता है बशर्ते समग्र समय सीमा भंग ना हो।

4.3 पुनर्रचना का सामान्य सिद्धांत यह होना चाहिए कि शेयर धारक, डेट धारक के बजाए पहला हानि वहन करें। इस सिद्धांत के आलोक में तथा प्रोमोटर्स का "स्कीन इन द गेम/ इसमें बने रहना" को सुनिश्चित करने के लिए, जेएलएफ/सीडीआर को ऋण पुनर्रचना करते समय निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करना चाहिए:

- प्रोमोटर्स द्वारा उधारदाता के उठाए गए हानि की प्रतिपूर्ति के लिए कंपनी के इक्विटी का हस्तांतरण की संभावना;

- प्रोमोटर्स को अपनी कंपनी में और इक्विटी डालना चाहिए;

- प्रोमोटर्स का धारित प्रतिभूति न्यासी का अंतरण अथवा कंपनी के कायापलट तक निलंबन की व्यवस्था। इससे प्रबंधन नियंत्रण में परिवर्तन होगा जो उधारदाता के हित में होगा।

4.4 ऐसे मामलों में जहां उधारकर्ता ने गतिविधि का विविधीकरण अथवा विस्तार किया हो जिसके परिणाम स्वरूपग्रुप के मूल कारोबार पर दबाव बनता हो और ऐसी स्थिति में गैर-मूल आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों की बिक्री के लिए पुनर्रचना खातो हेतु एक क्लॉज निर्धारित किया जाए कि खाता टीईवी अध्यय के तहत गैर-मूल गतिविधि तथा अन्य आस्तियों की व्यवहार्यता की बन्द होने की संभावना है।

4.5 सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बकाया का पुनर्रचना हेतु उधारदाता प्रारंभ से अपनी हानि/त्याग की क्षतिपूर्ति हेतु कंपनी की अग्रिम इक्विटी जारी कर भरपाई कर सकती है बशर्ते मौजूदा विनियम और सांविधिक आवश्कताओं को पूरा किया जाए। ऐसे माम्लों में, पुनर्रचना करार में क्षतिपूर्ति का अधिकार के किसी क्लॉज को शामिल करने नहीं किया जाए। तथापि, यदि उधारदाता के त्याग की पूर्ण भरपाई इक्विटी जारी कर नहीं होता है तो कम समय के विस्तार में क्षतिपूर्ति का अधिकार को शामिल किया जा सकता है। गैर सूचिबद्ध कंपनियों के लिए इक्विटी जारी करना अथवा उचित "क्षतिपूर्ति का अधिकार" क्लॉज के लिए जेएलएफ विकल्प होगा।

4.6 प्रतिभूत उधारदाताओं, अंशत: प्रतिभूत उधारदाता और गैर प्रतिभूत उधारदाता के लिए उपलब्ध प्रतिभूति हित में अंतर स्थापित करने के लिए जेएलएफ/सीडीआर निम्न भिन्न विकल्पों के अनुसार विचार कर सकते है:

- पुनर्भुगतान संबंधि उधारदाताओं की उक्त श्रेणी के बीच आईसीए का अग्रिम करार; मंजूर वाटरफाल पद्धति के अनुसार;

- प्रतिभूत क्रेडिटर का अग्रिम निर्धारण करते हुए संरचित करार;

- निश्चित पूर्व सहमति व्यक्त अनुपात में प्रतिभूत, अंशत: प्रतिभूत और गैर प्रतिभूत उधारदाताओं के बीच पुनर्भुगतान प्रक्रिया का विनियोजन।

उक्त सूची के वल उदाहरण के लिए है तथा परस्पर स्वीकृति विकल्प के आधार पर जेएलएफ निर्णय ले सकते है। यह भी उल्लेख करने की आवश्यकता है कि एक उधारदाता के पास बेहत प्रतिभूत विकल्प हो सकता है जब वह एक उधारकर्ता के पास अथवा इसके विपरित मामले में अन्य उधारकर्ता के पास जाता है। अत: यह लाभार्थी

होगा यदि उधारदाता साथी उधारदाताओं की चिंताओं को समझता है और आर्थिक मूल्य के संरक्षण के आलोक में पारस्परिक रूप से सहमत विकल्प तह पहुंचते है। एक विकल्प पर सहमति होने के बाद उधारदाता के पास बडा एक्सपोजर होगा जो एक बार पुनर्रचना पैकेज के कार्यान्वयन पर सहमत शर्तों के अनुसार संवितरण को सुनिश्चित करने में लीड(प्रमुख) करेगा।

4.7 प्रूडेंशियल मानदंड और परिचालनगत ब्योरों के संबंध में, सीडीआर पद्धति पर भारतीय रिज़र्व बैंक का दिशानिदेश का विस्तार उन तक लागू होगा जो इन दिशानिदेशों के साथ असंगत नहीं है।

5. आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण पर प्रूडेंशियल मानदंड

5.1 जेएलएफ/सीडीआर द्वारा पुनर्रचना प्रस्ताव पर विचार करते समय, साम्य आस्ति वर्गीकरण मानदंड लागू होगा। आस्ति पुन: वर्गीकरण प्रक्रिया को केवल इसलिए नहीं रोका जाए कि जेएलएफ/सीडीआर द्वारा पुनर्रचना प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

5.2 तथापि, पुनर्रचना पैकेज का त्वरित कार्यान्वयन को बढावा देने के लिए, इन दिशानिदेशों के तहत खातो का पुनर्रचना करने के लिए मौजूदा दिशानिदेश के अनुसार खातो का पुनर्रचना पर विशेष आस्ति वर्गीकरण लाभ उपलब्ध होगा, बशर्ते उक्त पैरा 3.3 तथा 3.4 में वर्णित पुनर्रचना पैकेज का समग्र समय सीमा क्ली मंजूरी का पालन किया जाए और मंजूरी की तारीख से 90 दिनों के अंदर मंजूर पैकेज का कार्यान्वयन किया जाए। जेएलएफ के गठन की तारीख को आस्ति वर्गीकरण अंतिम पुनर्रचना पैकेज के कार्यान्वयन के बाद खाते की आस्ति वर्गीकरण स्थिति तय करने के लिए प्रासंगिक तारीख होगी। इस निदेश में सूचित इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना ऋणों के संबंध में सभी पुनर्रचना के लिए विशेष आस्ति वर्गीकरण लाभ को वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की तारीख (डीसीसीओ) में परिवर्तन संबंधित प्रावधानों के अपवाद सहित 1 अप्रैल 2015 से वापस लिया जाएगा।

5.3 इन दिशानिदेशों में निहित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तथा उधारकर्ताओं द्वारा क्रेडिट के संबंध में गैर अनुशासन को हतोत्साहित करने के लिए, दिशानिदेशों के प्रावधानों (इन दिशानिदेश में वर्णित) को लागू किया जाए।

परिशिष्ट - I

परिपक्वता प्रोफाइल - चलनिधि

लेखा शीर्ष	**टाइम बकेट श्रेणी**
ए प्रवाह	
1. पूंजी कोष	
क) इक्विटी पूंजी, गैर प्रतिदेय या सदा वरीयता पूंजी, भंडार, धन और अधिशेष	5 वर्षों से अधिक टाइम बकेट में।
बी) वरियता पूंजी - प्रतिदेय / गैर-मियादी	शेयरों की अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार।
2 उपहार, अनुदान, दान और उपकार	'5 वर्षों से अधिक टाइम-बकेट । हालांकि, इस तरह के तोहफे, अनुदान, आदि विशिष्ट अंतिम उपयोग के लिए है, तो इन्हे उद्देश्य / विशिष्ट अंतिम उपयोग के अनुसार निर्दिष्ट टाइम-बकेट में रखा जा सकता है।
3. नोट्स, बॉण्ड और डिबेंचर	
ए) प्लेन वनीला बॉण्ड / डिबेंचर	विलेखों की अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार
बी) बॉण्ड/ निहित काल/पुट विकल्प के साथ डिबेंचर (शून्य कूपन / गहरी डिस्काउंट बॉण्ड सहित)	निहित विकल्प के लिए जल्द से जल्द उपयोग की जाने वाली तारीख के लिए अवशिष्ट अवधि के अनुसार।
सी) निश्चित दर नोट	अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार
4. जमा:	
ए) जनता से सावधि जमा	अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार।
बी) इंटर कॉर्पोरेट जमा	संस्थागत / थोक जमा होने से उनके अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार रखा जाना चाहिए
सी) जमा प्रमाणपत्र	अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार।

5. उधार	
ए) सावधि मनी उधारी	अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार
बी) भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार और अन्य से	-वही-
सी) डबल्यूसीडीएल सीसी आदि की प्रकृति में बैंक उधारी	छह महीने से अधिक और एक साल तक
6) मौजूदा देनदारिया और प्रावधान:	
ए) विविध लेनदार	नियत तारीख या नकद बहिर्वाह की संभावित समय के अनुसार। निकासी की प्रवृत्ति और मात्रा का व्यवहार विश्लेषण का हिसाब भी आकलन करने के लिए रखा जा सकता है।
बी) देय व्यय (ब्याज के अलावा अन्य)	नकदी बहिर्वाह की संभावना के अनुसार।
सी) प्राप्त अग्रिम आय, उधारकर्ताओं की प्राप्तियाँ समायोजन हेतु लंबित	'5 वर्ष से अधिक' टाइम-बकेट में, इसमे कोई भी नकद बहिर्वाह शामिल नहीं है।
डी) बॉण्ड / जमा पर देय ब्याज	भुगतान की नियत तारीख के अनुसार संबंधित टाइम बकेट में।
ई) एनपीए के लिए प्रावधान	प्रावधान की राशि एनपीए पोर्टफोलियो की सकल राशि से बाहर निकालकर और एनपीए की शुद्ध राशि को निर्धारित टाइम-बकेट में पूंजी प्रवाह के तहत एक मद के रूप में दिखाया जा सकता है।
एफ़) निवेश पोर्टफोलियो के लिए प्रावधान	राशि को निवेश पोर्टफोलियो का सकल मूल्य से घटाया जा सकता है और शुद्ध निवेश को निर्धारित समय स्लॉट में प्रवाह के रूप में दिखाया जा सकता है। यदि प्रावधानों को प्रतिभूतिवार नहीं धारित किया गया है तो प्रावधान को "5 साल के ऊपर " टाइम बकेट में दिखाया जा सकता है।
जी) अन्य प्रावधान	अंतर्निहित लेनदेन के उद्देश्य / प्रकृति के अनुसार बकेट किया जाना है।
बी अंतर्वाह	
1. रोकड़	1 से 30/31-दिन की टाइम बकेट में।

2. पारगमन में विप्रेषण	---वही---
3. बैंकों के पास बकाया (भारत में केवल)	
ए) चालू खाता	निर्धारित न्यूनतम शेष लिए 6 महीने से 1 साल के बकेट में दिखाया जाना है। न्यूनतम शेष राशि से अधिक शेष 1 से 30 दिन की टाइम बकेट में दिखाया जाना है।
बी) जमा खाते / लघु अवधि की जमा	अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार।
4. निवेश (शुद्ध प्रावधान)	
ए) अनिवार्य निवेश	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए उपयुक्त
बी) गैर अनिवार्य सूचीबद्ध	"1 दिन से 30/31 दिनों (एक माह)" "एक महीने से अधिक और 2 महीने" और "दो महीनों से अधिक और 3 महीने तक" बकेट गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तावित रद्द करने की अवधि के आधार पर
सी) गैर अनिवार्य गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों (जैसे शेयर, आदि)	" 5 साल के अधिक"
डी) निश्चित परिपक्वता अवधि वाली गैर-अनिवार्य गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतिया	अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार
ई) वेंचर कैपिटल इकाई	'5 वर्ष से अधिक' टाइम बकेट में।
5. ट्रेडिंग पुस्तक का पालन करने पर	
इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय तरजीही शेयर, गैर प्रतिदेय / सदा तरजीही शेयर, सहायक / संयुक्त उद्यम के शेयर और ओपन एंडेड म्युचुअल फंड और अन्य निवेश ।	(I) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के व्यापार पुस्तक का प्रतिनिधित्व करने वाले "वर्तमान" के रूप में वर्गीकृत शेयरों को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तावित रद्द करने की अवधि के आधार पर एक महीने से अधिक का "1 दिन से 30 दिन (एक माह)" “एक माह से अधिक और 2 महीने तक” और दो महीने से अधिक और 3 महीने” की टाइम बकेट में दिखाया जा सकता है।
	(ii) "दीर्घ अवधि के निवेश" के रूप में वर्गीकृत शेयरों को "5 साल के समय” बकेट में रखा जा सकता है। हालांकि, शुरुआती वित्तीय पैकेज

	के प्राप्त सहायता के हिस्से के रूप में वर्गीकृत सहायक इकाइयों/ कंपनियों के शेयरों को परियोजना के कार्यान्वयन / समय अधिवहित और ऐसे शेयरों के डाइवर्जन से विनिवेश के लिए परिणामी संभावित समय सीमा को ध्यान में रखते हुए संबंध टाइम बकेट में रखा जा सकता है ।
6. अग्रिम (उत्पादक)	
ए) बिल ऑफ एक्सचेंज और रियायती और पुनभुनाई वचन नोट	अंतर्निहित बिल के अवशिष्ट मुद्दत के अनुसार।
बी) सावधि कर्ज (केवल रुपया ऋण)	मूल/ संशोधित चुकौती अनुसूची में निर्धारित नकदी प्रवाह के समय के अनुसार निर्धारित ब्याज और ऋण की मूल के खाते पर संबंधित टाइम बकेट में रखा जा सकता है।
सी) कॉर्पोरेट ऋण / अल्पावधि ऋण	अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार
7. ग़ैर–निष्पादक ऋण (प्रावधानों को नेट कर दिखाया जा सकता है, इंटरेस्ट सस्पेंस धारित)	
ए) उप-मानक	
i) अगले तीन वर्षों के दौरान सभी अतिदेय और मूलधन की किस्त	3 से 5 साल की टाइम-बकेट में।
ii) अगले तीन वर्षों में देय पूरी मूल राशि	5 साल के समय में बकेट
<u>बी) संदिग्ध और हानि</u>	
i) अगले पांच वर्षों के दौरान देय मूलधन की सभी किश्त और सभी अतिदेय	5 वर्ष से अधिक टाइम-बकेट में
ii) अगले पांच साल से परे देय पूरी मूल राशि	5 वर्ष से अधिक टाइम-बकेट में
8. लीज़ पर संपत्ति	पट्टा लेनदेन से नकदी प्रवाह को नकदी प्रवाह के समय के अनुसार संबंधित टाइम बकेट में रखा जा सकता है।

9. अचल संपत्ति (पट्टे की संपत्ति को छोड़कर)	'5 वर्ष से अधिक' टाइम-बकेट में।
10. अन्य संपत्तियां	
(ए) अमूर्त आस्तियों और नकदी प्रवाह का प्रतिनिधित्व नहीं करने वाली मदें	'5 वर्ष से अधिक' टाइम-बकेट में।
(बी) अन्य मद (जैसे अर्जित आय, अन्य प्राप्तियां, स्टाफ ऋण, आदि)	नकदी प्रवाह के समय के अनुसार संबंधित परिपक्वता बकेट में।
सी . आकस्मिक देयताएं	
(ए) क्रेडिट के पत्र / गारंटीया (अवक्रमण के माध्यम से बहिर्वाह)	अवक्रमण तुलना पिछले प्रवृत्ति विश्लेषण पर गारंटी की बकाया राशि (आयोजित मार्जिन को घटाकर) पर आधारित है, संभावना अवक्रमण का अनुमान लगाया जाना चाहिए और इस राशि को अनुमान आधार पर विभिन्न टाइम बकेट में वितरित किया जा सकता है।अवक्रमण से बाहर बनाई परिसंपत्तियों को संभावित वसूली तारीखों के आधार पर संबंधित परिपक्वता बकेट में दिखाया जा सकता है।
(बी) लंबित संवितरण (बहिर्वाह)ऋण प्रतिबद्धताए	मंजूर संवितरण के कार्यक्रम के अनुसार संबंधित टाइम बकेट में।
(सी) अन्य संस्थानों (बहिर्वाह / अंतरवाह) को/से प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइन	क्रेडिट लाइन के तहत प्राप्त बिल के मुद्दत के अनुसार

ध्यान दें:

ए. कोई भी घटना विशेष नकदी प्रवाह (जैसे वेतन समझौता बकाया, पूंजी व्यय, आयकर रिफंड आदि के कारण बहिर्वाह) इस तरह के नकदी प्रवाह के समय के लिए टाइम बकेट में दिखाया जाना चाहिए।

बी. सभी अतिदेय देनदारियों को 1 से 30/31 दिन के टाइम बकेट में दिखाया जाना।

सी . ब्याज और मानक ऋणों की किस्तों / किराए खरीद की संपत्ति / पट्टे किराया के खाते पर अतिदेय प्राप्तियों को निम्नानुसार रखा जाना चाहिए:

(i)	कम से कम एक महीने के लिए अतिदेय।	3 से 6 महीने बकेट में।
(Ii)	ब्याज कम से कम एक महीने से ज्यादा अतिदेय है, लेकिन सात महीनों से कम के लिए अतिदेय (यानी संबन्धित राशि छह महीने से पुरानी हो जाता है)	एक महीने की रियायती अवधि गणना किए बिना 6 से 12 महीने बकेट में।

(Iii)	मूलधन और किश्त 7 महीनों से अतिदेय लेकिन कम से कम एक वर्ष के लिए अतिदेय	1 से 3 साल बकेट में।

डी . अंतराल का वित्तपोषण:

1 से 30/31 दिन के टाइम-बकेट में ऋणात्मक अंतर (यानी जहां निकासी आवक से अधिक हो) हर टाइम बकेट में 15% की विवेकपूर्ण सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए और एक वर्ष की अवधि तक संचयी अंतर संचयी नकद निकासी का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए । यदि अवधि इन सीमाओं को पार करती हैं, सीमा के भीतर अंतराल लाने के लिए प्रस्तावित उपायों को विवरण के फुटनोट से दिखाया जाना चाहिए।

ब्याज दर संवेदनशीलता

खाता शीर्ष	टाइम बकेट की दर संवेदनशीलता
दायित्व	
1. पूंजी, भंडार और अधिशेष	गैर संवेदनशील
2. उपहार, अनुदान व उपकार	-वही-
3. नोट्स, बॉण्ड और डिबेंचर:	
ए) फ्लोटिंग दर	संवेदनशील; रोल ओवर / रीप्राइज करने की तारीख को रीप्राइज तिथियों के अनुसार संबंधित टाइम बकेट में रखा जाना चाहिए।
बी) फिक्स्ड दर (वनीला) शून्य कूपन सहित	संवेदनशील; परिपक्वता पर रीप्राइज। अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार संबंधित टाइम बकेट में रखा जाएगा।
सी) एम्बेडेड विकल्पों के साथ संलेख	संवेदनशील; बढ़ते ब्याज के परिदृश्य में रीप्राइज करने की विकल्प की तिथियों के अनुसार रीप्राइज किया जा सकता है। अगली विकल्प तिथि के अनुसार संबंधित टाइम बकेट में रखा जाना चाहिए।
4. जमा	
ए) जमा / उधार	
i) स्थायी दर	संवेदनशील; लॉक-इन अवधि के बाद, यदि कोई हो, परिपक्वता पर या समय से पहले वापसी के मामले में रीप्राइज़ कर सकता है। अवशिष्ट परिपक्वता या अवशिष्ट लॉक-इन अवधि, जैसा भी मामला हो, के अनुसार संबंधित टाइम बकेट में रखा जा सकता है। बिना लॉक-इन अवधि या अतीत के लॉक-इन अवधि वाले समय से पहले निकले जमा को शीघ्रतम/लघु टाइम बकेट में रखा जाना चाहिए।
ii) फ्लोटिंग दर	संवेदनशील; संविदात्मक रोल-ओवर की तारीख पर रीप्राइज़। अगले रीप्राइजिंग तिथि के अनुसार संबंधित टाइम-बकेट में

	रखा जाना है।
बी) आईसीडी	संवेदनशील; परिपक्वता पर रीप्राइज। अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार संबंधित टाइम बकेट में रखा जाना है।
5. उधार:	
ए) अवधि-धन उधार	संवेदनशील; परिपक्वता पर रीप्राइज। अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार संबंधित टाइम बकेट में रखा जाना है।
बी) दूसरों से उधार	
i) स्थायी दर	संवेदनशील; परिपक्वता पर रीप्राइज ।संबन्धित टाइम बकेट में अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार रखा जाएगा।
ii) फ्लोटिंग दर	संवेदनशील; संविदात्मक रोल-ओवर की तारीख पर रीप्राइज़ ।अगले रीप्राइजिंग तिथि के अनुसार संबंधित टाइम-बकेट में रखा जाना है।
6. मौजूदा देनदारिया और प्रावधान	
vii.विविध लेनदार viii.देय व्यय ix.स्वैप समायोजन खाता x.लंबित ऋण लेने वालों से अग्रिम आय समायोजन प्राप्तिया /प्राप्त xi.बांड / जमा पर देय ब्याज xii.प्रावधान	)))) गैर संवेदनशील))
7. रेपो / पुनभुनाई बिल / विदेशी मुद्रा स्वैप (बिक्री / खरीद)	संवेदनशील; संविदात्मक रोल-ओवर की तारीख पर रीप्राइज़ । अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार संबंधित टाइम-बकेट में रखा जाना है।
<u>संपत्ति:</u>	
1. रोकड़	गैर संवेदनशील।
2. पारगमन में विप्रेषण	गैर संवेदनशील।

3. भारत में बैंकों के पास बकाया	
ए) चालू खाते में।	गैर संवेदनशील।
बी) जमा खातों, कॉल और अल्प सूचना पर धन और अन्य प्लेसमेंट	संवेदनशील; परिपक्वता पर रीप्राइज। संबन्धित टाइम बकेट में अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार रखा जाएगा।
4. निवेश	
ए) स्थायी आय प्रतिभूतियों (जैसे सरकार, प्रतिभूतियों, जीरो कूपन बॉण्ड, बॉण्ड, डिबेंचर, संचयी, गैर संचयी, प्रतिदेय तरजीही शेयर, आदि)	परिपक्वता पर संवेदनशील। अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार रखा जाना है। हालांकि, ब्याज की गैर सर्विसिंग के कारण एनपीए मानदंडों को लागू कर मूल्यांकित बॉण्ड / डिबेंचर प्रावधान घटकर दिखाया जाना चाहिए। iii. 3-5 वर्ष बकेट - अगर अवमानक मानदंड लागू । iv. 5 वर्ष से अधिक बकेट - अगर संदिग्ध मानदंड लागू ।
बी) फ्लोटिंग दर की प्रतिभूतिया	संवेदनशील; अगली रीप्राइज तिथि पर रीप्राइज। रीप्राइज तिथि के शेष समय के अनुसार स्लॉट किया जाना है।
सी) इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय तरजीही शेयर, सहायक / संयुक्त उद्यम के शेयर, उद्यम पूंजी इकाइया	गैर संवेदनशील।
5. अग्रिम (निष्पादक)	
ए) विनिमय बिल, रियायती और पुनभुनाई वचनपत्र	परिपक्वता पर संवेदनशील। अंतर्निहित बिल के अवशिष्ट मुद्दत के अनुसार रखा जाना है।
बी) सावधि ऋण / कॉर्पोरेट ऋण / अल्पावधि ऋण (केवल रुपया ऋण)	
i) स्थायी दर	नकदी प्रवाह / परिपक्वता पर संवेदनशील।
ii) फ्लोटिंग दर	संवेदनशील केवल जब पीएलआर या जोखिम प्रीमियम गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बदल दी गई है।

	बाजार ब्याज दर के अनुरूपों अपने पीएलआर को बदलने के लिए एनबीएफ़सी द्वारा लिए गए समय सावधि ऋण की राशि को टाइम बकेट में रखा जाना चाहिए।
6. ग़ैर - निष्पादक ऋण: (प्रावधान, इंटरेस्ट सस्पेंस और ईसीजीसी से प्राप्त दावे)	
iii.उप-मानक iv.संदिग्ध और हानि	परिशिष्ट I के मद बी 7 के अनुसार रखा जाए
7. लीज़ पर संपत्ति	पट्टे की संपत्ति पर नकदी प्रवाह ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील हैं। किराए पर संपत्ति नकदी प्रवाह नकदी प्रवाह के समय के अनुसार टाइम-बकेट में रखा जा सकता है।
8. अचल संपत्ति (लीज पर परिसंपत्तियों को छोड़कर)	गैर संवेदनशील।
9. अन्य संपत्तियां	
ए) अमूर्त संपत्ति और नकदी प्रवाह का प्रतिनिधित्व नहीं करने वाली मदें	गैर संवेदनशील।
बी) अन्य मद (जैसे अर्जित आय, अन्य प्राप्तियां, स्टाफ ऋण, आदि)	गैर संवेदनशील।
10. रिवर्स रेपो / स्वैप (खरीद / बिक्री) और पुनर्भुनाई बिल (डीयूपीएन)	परिपक्वता पर संवेदनशील। अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार रखा जाना है।
11. अन्य (ब्याज दर) उत्पाद	
ए) ब्याज दर स्वैप	संवेदनशील; संबंधित टाइम बकेट में अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार रखा जा सकता है।
बी) अन्य डेरिवेटिव	जब भी प्रारम्भ हो उचित रूप से वर्गीकृत किया जाएँ ।

अनुबंध- XXV

एनबीएफसी द्वारा वित्तीय सेवाएं आउटसोर्स करने में जोखिम और आचार संहिता प्रबंधन पर निदेश

1. परिचय

1.1 आउटसोर्सिंग को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है – एनबीएफसी द्वारा निरन्तरता के आधार पर किसी तीसरे पक्ष (जो किसी कार्पोरेट समूह के भीतर एक सम्बद्ध संस्था हो या उस कार्पोरेट समूह से बाहर की संस्था हो) के माध्यम से उन गतिविधियों को, वर्तमान या भविष्य में कराना जिन्हें सामान्यतः एनबीएफसी स्वयं करते हैं। निरंतरता के आधार' के अंतर्गत सीमित अवधि के करार भी शामिल होंगे ।

1.2 एनबीएफसी विभिन्न गतिविधियों की व्यापक आउटसोर्सिंग कर रहे हैं और इस प्रकार पैरा 5.3 में गए विवरण के अनुसार अनेक जोखिम उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा, आउटसोर्सिंग गतिविधियों को नियामक सीमा के अन्तर्गत लाया जाना है ताकि

क. ग्राहकों के हित की रक्षा हो सके। तथा
ख. सेवा प्रदाता की सभी बहियों, अभिलेखों और उपलब्ध सूचना तक संबंधित एनबीएफसी और भारतीय रिज़र्व बैंक की पहुँच सुनिश्चित की जा सके। सामान्य रूप से जिन वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग की जाती है उनमें अन्य के साथ-साथ आवेदनों की प्रोसेसिंग (ऋण का आरम्भ, क्रेडिट कार्ड), प्रलेखों /दस्तावेजों की प्रोसेसिंग, विपणन और शोध, ऋण का पर्यवेक्षण, डेटा प्रोसेसिंग और आंतरिक परिचालन (बैक ऑफिस) से संबंधित गतिविधियाँ शामिल हैं ।

1.3 आउटसोर्सिंग के महत्वपूर्ण जोखिम हैं - कार्य नीतिगत जोखिम, प्रतिष्ठा जोखिम, अनुपालन जोखिम, विधिक जोखिम, निर्गमन नीति जोखिम, प्रतिपक्षी जोखिम, देश जोखिम, संविदागत जोखिम, प्रवेश जोखिम, संकेंद्रण और सर्वांगी जोखिम। यदि सेवा प्रदाता विनिर्दिष्ट सेवा देने में चूक करे, सुरक्षा /गोपनीयता का उल्लंघन करे अथवा सेवा प्रदाता द्वारा विधिक और विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन न हो तो एनबीएफसी को वित्तीय हानि या प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है तथा इससे सर्वांगी जोखिम भी उत्पन्न हो सकता है ।

1.4 अतः एनबीएफसी के लिए यह आवश्यक होगा कि अपनी गतिविधियों का आउटसोर्सिंग करते समय वे यह सूनिश्चित करें कि उक्त गतिविधियों की आउटसोर्सिंग से उत्पन्न जोखिम के संबंध में प्रभावी पर्यवेक्षण और सावधानी बरतने तथा जोखिम प्रबंध करने के लिए उत्कृष्ट और सम्यक जोखिम प्रबंध पद्धतियाँ अपनाई जाए । ये निदेश भारत या अन्यत्र स्थित सेवा प्रदाता के साथ पैरा 3 में की गई व्याख्या के अनुसार एनबीएफसी द्वारा की गयी महत्त्वपूर्ण आउटसोर्सिंग व्यवस्था पर लागू होंगे । एनबीएफसी जिस समूह / संगुट का सदस्य हो, सेवा प्रदाता उसका सदस्य हो सकता है अथवा समूह से असम्बद्ध पक्ष हो सकता है।

1.5 इन निदेशों का अन्तर्निहित सिद्धान्त यह है कि विनियमित संस्था यह सुनिश्चित करे कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था के कारण ग्राहकों और भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रति दयित्व पूर्ति की उसकी क्षमता में कमी नहीं होगी और न ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षण में कोई बाधा पहुँचेगी । अतः एनबीएफसी को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना होगा कि सेवा प्रदाता सेवा प्रदान करने में उतने ही उच्च स्तर की सावधानी बरतता है, जितनी तब एनबीएफसी बरतता, यदि आउटसोर्स की गई गतिविधियाँ एनबीएफसी के भीतर ही रहती और उनकी आउटसोर्सिंग नहीं होती । अतः एनबीएफसी को ऐसी आउटसोर्सिंग नहीं करनी चाहिए जिनसे उनका आंतरिक नियंत्रण, कारोबारी आचरण या प्रतिष्ठा प्रभावित हो या क्षीण हो ।

1.6 (i) ये निदेश वित्तीय सेवाओं के आउटसोर्सिंग से संबंधित जोखिम प्रबंधन से जुड़ा हुआ है और न कि तकनीकी संबंधित विषयों अथवा जो वित्तीय सेवाओं से संबंधित नहीं है जैसे कि कूरियर सेवा, स्टाफ के लिए खानपान, हाउसकीपिंग तथा साफ-सफाई सेवाएं, परिसरों की सुरक्षा, रिकॉर्डों को लाना-ले जाना और रख-रखाव इत्यादि। वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग के इच्छुक एनबीएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व

अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है । तथापि ऐसी व्यवस्था भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ऑन साइट/ऑफ साइट अनुवीक्षण और निरीक्षण / जांच के अधीन होगी।

(ii) क्रेडिट कार्डों से जुड़ी सेवाओं की आउटसोर्सिंग के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के 21 नवंबर 2005 के परिपत्र डीबीओडी.एफएसडी.बीसी.49/24.01.011/2005-06 में निहत क्रेडिट कार्ड गतिविधियों संबंधी विस्तृत निर्देश लागू होंगे ।

2. ऐसी गतिविधियाँ जिनकी आउटसोर्सिंग नहीं की जानी है

जो एनबीएफसी वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग करने का निर्णय लेते हैं उन्हें आंतरिक लेखा परीक्षा, कार्यनीतिक तथा अनुपालन कार्य और निर्णय लेने से संबंधी कार्य, उदाहरण के लिए जमा खाता खोलने के लिए 'अपने ग्राहक को जानिए' मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करना, ऋण (खुदरा ऋण सहित) की मंजूरी देना और निवेश संविभाग का प्रबंध जैसे मुख्य प्रबंध संबंधी कार्यों की आउटसोर्सिंग नहीं करनी चाहिए। तथापि, समूह/संगुट में शामिल एनबीएफसी के लिए इन गतिविधियों का आउटसोर्सिंग अपने समूह में की जा सकती है, बशर्ते कि पैरा 6 में दिये गए निर्देशों का अनुपालन किया जाए। इसके अतिरिक्त, आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य जहां स्वयं में प्रबंधन प्रक्रिया है, वहां आंतरिक लेखा परीक्षक ठेके पर रखे जा सकते हैं।

3. महत्वपूर्ण आउटसोर्सिंग

इन निदेशों के संदर्भ में महत्वपूर्ण आउटसोर्सिंग व्यवस्थाएँ वे हैं जिनके बाधित होने पर कारोबारी परिचालन, प्रतिष्ठा, लाभप्रदता अथवा ग्राहक सेवा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है । आउटसोर्सिंग की महत्ता निम्नलिखित पर आधरित होगी -

- आउटसोर्स की जा रही गतिविधि की एनबीएफसी के लिए महता का स्तर तथा इससे जुड़े जोखिम की महता ।
- आउटसोर्सिंग का एनबीएफसी के विभिन्न परिमापों यथा एनबीएफसी की आय, ऋण शोधन क्षमता, निधीयन पूंजी और जोखिम के स्वरूप पर प्रभाव ।
- यदि सेवा प्रदाता सेवा न दे सके तो एनबीएफसी की प्रतिष्ठा और ब्रांड मूल्य तथा कारोबारी उद्देश्य, रणनीति और योजनाओं को कार्यान्वित करने की एनबीएफसी की योग्यता पर पड़ने वाला संभावित प्रभाव ।
- एनबीएफसी की कुल परिचालन लागत के अनुपात के रूप में आउटसोर्सिंग की लागत ।
- यदि एनबीएफसी एक ही सेवा प्रदाता को विभिन्न कार्यों की आउटसोर्सिंग करता है और उसका ग्राहक सेवा पर कोई महत्त्वपूर्ण प्रभाग पड़ता है तो आउटसोर्सिंग सेवा प्रदाता के प्रति कुल एक्सपोज़र तथा
- ग्राहक सेवा और सुरक्षा के संबंध में आउटसोर्स की गई गतिविधियों का महत्त्व।

4. एनबीएफसी की भूमिका तथा विनियामक और पर्यवेक्षीय अपेक्षाएँ

4.1 एनबीएफसी द्वारा अपनी किसी गतिविधि की आउटसोर्सिंग करने से एनबीएफसी का, उसके बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधतंत्र का दयित्व कम नहीं होता, क्योंकि आउटसोर्स की गयी गतिविधि का अन्तिम दायित्व उन्हीं पर है । अतः, एनबीएफसी प्रत्यक्ष बिक्री एजेन्ट /प्रत्यक्ष विपणन एजेन्ट और वसूली एजेन्टों सहित अपने सेवा प्रदाता के कार्यों तथा सेवा प्रदाता के पास ग्राहकों से संबंधित उपलब्ध सूचना की गोपनीयता के संबंध में उत्तरदायी होगा । एनबीएफसी के पास आउटसोर्स की गयी गतिविधि के संबंध में अंतिम नियंत्रण रहना चाहिए।

4.2 एनबीएफसी के लिए यह आवश्यक है कि आउटसोर्सिंग के संबंध में उचित सावधानी बरतते /समुचित छानबीन करते समय सभी संबंधित कानून, विनियमावली, मार्ग निर्देश, अनुमोदन, लाइसेंसिंग और पंजीकरण की शर्तों पर विचार करें ।

4.3 आउटसोर्सिंग व्यवस्था से एनबीएफसी के विरुद्ध ग्राहक का अधिकार प्रभावित नहीं होना चाहिए तथा संबंधित कानून के अंतर्गत समाधान प्राप्त करने की ग्राहक की क्षमता भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए । चूंकि ग्राहकों को एनबीएफसी से कारोबार करने के क्रम में सेवा प्रदाता से कारोबार करना पड़ता है, अतः ऐसी स्थिति में एनबीएफसी को अपने उत्पाद साहित्य/पर्चे में इस प्रावधान को शामिल करना चाहिए कि एनबीएफसी अपने उत्पादों की बिक्री /विपणन आदि के लिए एजेंटों की सेवा लेगा । एजेन्टों की भूमिका मोटे तौर पर बतायी जानी चाहिए ।

4.4 सेवा प्रदाता आउटसोर्स की गयी गतिविधियों का प्रभावी रूप से पर्यवेक्षण और प्रबंध करने की एनबीएफसी की क्षमता प्रभावित नहीं होनी चाहिए तथा न तो भारतीय रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षीय कार्य और उद्देश्यों की पूर्ति में कोई बाधा उत्पन्न होनी चाहिए ।

4.5 एनबीएफसी के पास शिकायत निवारण की सुदृढ़ प्रणाली होनी चाहिए,जिसमें आउटसोर्सिंग के कारण कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए ।

4.6 यदि सेवा प्रदाता एनबीएफसी की कोई समूह की कंपनी न हो तो वह एनबीएफसी के किसी निदेशक या कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत दिए गए अर्थ के अनुसार उनके संबंधियों द्वारा स्वाधिकृत या नियंत्रित नहीं होना चाहिए।

5. आउटसोर्स की गयी वित्तीय सेवाओं के संबंध में जोखिम प्रबंध पद्धतियाँ

5.1 आउटसोर्सिंग नीति

यदि कोई एनबीएफसी अपनी किसी वित्तीय गतिविधि की आउटसोर्सिंग करना चाहती है तो उसे एक समग्र आउटसोर्सिंग नीति बनानी चाहिए, जिसका अनुमोदन एनबीएफसी के बोर्ड ने किया हो तथा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसी गतिविधियों और सेवा प्रदाता के चयन की कसौटी, जोखिम और महत्ता के आधार पर प्राधिकार का प्रत्यायोजन तथा इन गतिविधियों के परिचालन की समीक्षा और निगरानी की प्रणाली शामिल होनी चाहिए ।

5.2 बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबंधन की भूमिका

5.2.1 बोर्ड की भूमिका

एनबीएफसी का बोर्ड या बोर्ड की ऐसी समिति जिसे शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगी-

i. वर्तमान और भावी सभी आउटसोर्सिंग के जोखिमों और महत्ता के मूल्यांकन तथा ऐसी व्यवस्थाओं पर लागू नीतियों के मूल्यांकन की एक प्रणाली का अनुमोदन करना;
ii. जोखिमों और महत्ता के आधार पर आउटसोर्सिंग के लिए उपयुक्त अनुमोदन करनेवाले प्राधिकरियों का निर्धारण करना;
iii. इन निदेशों के अनुपालन के लिए वरिष्ठ प्रबंधन का एक उपयुक्त प्राशसनिक ढांचा गठित करना;
iv. आउटसोर्सिंग जारी रखने की प्रासंगिकता तथा उनकी सुरक्षा और सुदृढ़ता के लिए आउटसोर्सिंग कार्य नीतियों और व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा करना;
v. आउटसोर्स की जानेवाली महत्वपूर्ण स्वरूप की कारोबारी गतिविधि के संबंध में निर्णय लेना और ऐसी व्यवस्थाओं का अनुमोदन करना।

5.2.2 वरिष्ठ प्रबंधन के उत्तरदायित्व

i. बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रणाली के आधार पर सभी वर्तमान और भावी आउटसोर्सिंग के जोखिमों और महत्ता का मूल्यांकन करना;
ii. आउटसोर्सिंग गतिविधियों के स्वरूप, संभावना और जटिलता के अनुरूप सुदृढ़ और प्रूडेंशियल आउटसोर्सिंग नीतियां और क्रियविधियां विकसित करना और उन्हें कार्यान्वित करना;
iii. नीतियों और क्रियविधियों की कारगरता की आवधिक रूप से समीक्षा करना;
iv. महत्वपूर्ण आउटसोर्सिंग जोखिमों से संबंधित जानकारी बोर्ड को समय पर देना;
v. यह सुनिश्चित करना कि वास्तविक और संभवित विघटनकारी स्थितियो पर आधरित आकस्मिकता योजनाएं बनायी जाती हैं और उनका परीक्षण किया जाता है;
vi. यह सुनिश्चित करना कि निर्धारित नीतियों के अनुपालन के लिए स्वतंत्र समीक्षा और लेखा परीक्षा की जाती है और
vii. आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं की आवधिक रूप से समीक्षा करना ताकि उत्पन्न होने वाले नये महत्वपूर्ण आउटसोर्सिंग जोखिमों का पता लगाया जा सके ।

5.3 जोखिमों का मूल्यांकन

एनबीएफसी द्वारा आउटसोर्सिंग के निम्नलिखित मुख्य जोखिमों का मूल्यांकन और उससे निपटने की ज़रूरत है-

i. कार्य नीतिगत जोखिम - सेवा प्रदाता अपनी ओर से कोई ऐसा कारोबार कर रहा है, जो एनबीएफसी के समग्र कार्य नीतिगत लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है ।
ii. प्रतिष्ठा जोखिम - सेवा प्रदाता की खराब सेवा, ग्राहकों के साथ उसका परस्पर संपर्क एनबीएफसी के समग्र मानकों/स्तर के अनुरूप न हो ।
iii. अनुपालन जोखिम – गोपनीयता, उपभोक्ता और प्रूडेंशियल कानूनों का पर्याप्त रूप से अनुपालन न किया जाना ।
iv. परिचालन जोखिम - टेक्नोलॉजी फेल होने, धोखाधड़ी, गलती, दयित्वों को पूरा करने तथा/या उनके उपायों के लिए अपर्याप्त वित्तीय क्षमता से होनेवाले जोखिम ।
v. विधिक जोखिम - इसमें सेवा प्रदाता की गलती के कारण पर्यवेक्षी कार्रवाई तथा निजी निपटानों के फलस्वरूप लगनेवाले जुर्माने, दंड या दंडात्मक हानि शामिल है।
vi. निर्गमन कार्य नीति जोखिम - यह जोखिम एक ही फर्म पर अत्यधिक निर्भरता तथा एनबीएफसी में संबंधित कौशल की हानि से हो सकती है, जिससे उस गतिविधि को वापस आंतरिक रूप से एनबीएफसी में नहीं लाया जा सकता । यह जोखिम तब भी उत्पन्न होती है जब ऐसी संविदाएं की गयी हों जिनसे जल्दी बाहर निकलना अत्यधिक खर्चीला सिद्ध हो ।
vii. प्रतिपक्षी जोखिम – अनुपयुक्त हामीदारी या साख मूल्यांकन के कारण होनेवाला जोखिम ।
viii. संविदागत जोखिम - यह इस तथ्य पर निर्भर करता है कि संविदा लागू करने की एनबीएफसी की क्षमता है या नहीं ।
ix. संकेंद्रण और सर्वांगी जोखिम – जहां किसी सेवा प्रदाता पर समग्र उद्योग जगत अत्यधिक रूप से निर्भर हो और इस प्रकार एनबीएफसी इस सेवा प्रदाता पर अपना नियंत्रण नहीं रख सकता है। ।
x. देश संबंधी जोखिम - राजनैतिक, सामाजिक या कानूनी वातावरण के कारण निर्मित होनेवाली अतिरिक्त जोखिम ।

5.4 सेवा प्रदाता की क्षमता का मूल्यांकन करना

5.4.1 आउटसोर्सिंग व्यवस्था पर विचार करते समय या समीक्षा करते समय आउटसोर्सिंग व्यवस्था में निहित दायित्वों की सेवा प्रदाता द्वारा अनुपालन करने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए उचित सतर्कता बरती जानी चाहिए । उचित सतर्कता के अंतर्गत गुणात्मक और मात्रात्मक, वित्तीय, परिचालन तथा प्रतिष्ठा संबंधी तत्वों को ध्यान में रखा जाना चाहिए । एनबीएफसी को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या सेवा प्रदाताओं की

प्रणाली उनकी अपनी प्रणाली के अनुरूप है तथा ग्राहक सेवा क्षेत्र सहित क्या उनके कार्य निष्पादन का स्तर उन्हें स्वीकार्य है । सेवा प्रदाता की क्षमता का मूल्यांकन करते समय एनबीएफसी को एक ही सेवा प्रदाता के साथ आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं के अनुचित संकेंद्रण से संबंधित मुद्दों पर भी विचार करना चाहिए । जहां कहीं संभव हो, वहां एनबीएफसी को अपने निष्कर्षों के समर्थन में सेवा प्रदाता के संबंध में स्वतंत्र समीक्षाएं और बाज़ार का फीडबैक प्राप्त करना चाहिए ।

5.4.2 उचित सतर्कता के अंतर्गत सेवा प्रदाता के बारे में उपलब्ध सभी सूचना का मूल्यांकन शामिल होना चाहिए । उसमें निम्नलिखित शामिल हैं, परंतु यह यहीं तक सीमित नहीं है -

i. संविदागत अवधि में प्रस्तावित गतिविधि के कार्यान्वयन और समर्थन हेतु पिछला अनुभव और क्षमता;
ii. विपरीत परिस्थितियों में भी वायदों को पूरा करने की वित्तीय सुदृढ़ता और क्षमता;
iii. कारोबारी प्रतिष्ठा और संस्कृति, अनुपालन, शिकायतें और वर्तमान या संभावित मुकदमा;
iv. सुरक्षा और आंतरिक नियंत्रण, लेखा परीक्षा व्याप्ति, सूचना और निगरानी प्रणाली, कारोबार निरंतरता प्रबंधन और
v. अपने कर्मचारियों के संबंध में सेवा प्रदाता द्वारा उचित सतर्कता सुनिश्चित करना।

5.5 आउटसोर्सिंग करार

एनबीएफसी और सेवा प्रदाता के बीच संविदा को नियंत्रित करनेवाली शर्तें लिखित करार में सावधानीपूर्वक परिभाषित की जानी चाहिए तथा एनबीएफसी के विधि परामर्शदाता द्वारा उनके कानूनी प्रभाव एवं प्रवर्तनीयता की जांच की जानी चाहिए । ऐसे प्रत्येक करार में जोखिमों और उन्हें कम करने की कार्य नीतियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए । करार पर्याप्त रूप से लचीला हो जिससे एनबीएफसी आउटसोर्सिंग पर उचित नियंत्रण बनाये रख सके तथा कानूनी और विनियामक बाध्यताओं को पूरा करने के लिए उचित उपायों के साथ दखल देने का उसे अधिकार हो । करार में पक्षकारों के बीच कानूनी संबंध का स्वरूप भी बताया जाना चाहिए - अर्थात् यह संबंध एजेंट, प्रधान या अन्य प्रकार का है । संविदा के कुछ प्रमुख प्रावधान निम्नप्रकार होंगे -

i. संविदा में स्पष्ट रूप से यह परिभाषित किया जाए कि कौन सी गतिविधियां आउटसोर्स की जानेवाली हैं तथा उनकी उपयुक्त सेवा और कार्य निष्पादन मानक क्या होंगे;
ii. एनबीएफसी को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि आउटसोर्स की जानेवाली गतिविधि के लिए प्रासंगिक सेवा प्रदाता के पास उपलब्ध सभी बहियों, रिकॉर्डों और सूचना प्राप्त करने की उसकी क्षमता है;
iii. संविदा में एनबीएफसी द्वारा सेवा प्रदाता की निरंतर निगरानी और मूल्यांकन का प्रावधान होना चाहिए ताकि कोई भी आवश्यक सुधारात्मक उपाय तत्काल किया जा सके;
iv. समापन शर्त और समापन प्रावधान निष्पदित करने की न्यूनतम अवधियां, यदि आवश्यक समझा जाए तो, शामिल की जानी चाहिए;
v. ऐसे नियंत्रण जिनसे ग्राहक संबंधी आँकड़ों की गोपनीयता तथा सुरक्षा भंग करने और ग्राहक से संबंधित गोपनीय सूचना लीक होने के मामले में सेवा प्रदाताओं की देयता सुनिश्चित हो;
vi. कारोबार की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए आकस्मिक योजनाएं;
vii. सेवा प्रदाता द्वारा आउटसोर्स की जानेवाली सभी गतिविधि या उसके किसी भाग के लिए उप कांट्रक्टर का उपयोग करने के लिए संविदा में एनबीएफसी द्वारा पूर्व अनुमोदन/सहमति का प्रावधान होना चाहिए;
viii. एनबीएफसी द्वारा उसके आंतरिक या बाह्य लेखा परीक्षकों द्वारा अथवा उसकी ओर से कार्य करने के लिए नियुक्त एजेंटों द्वारा लेखा परीक्षा करने के तथा एनबीएफसी के लिए दी गयी सेवा के साथ सेवा प्रदाता के संबंध में की गयी लेखा परीक्षा या समीक्षा रिपोर्टों तथा निष्कर्षों की प्रतियां प्राप्त करने के अधिकार का प्रावधान हो;
ix. आउटसोर्सिंग करार में ऐसे खंड शामिल होने चाहिए जिनसे भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को सेवा प्रदाता को दी गयी या उसके पास रखी गयी अथवा उसके द्वारा प्रोसेस

किये गये एनबीएफसी के दस्तावेज, लेनदेनों के रिकार्ड तथा अन्य आवश्यक सूचना उचित समय के भीतर प्राप्त की जा सके;

x. आउटसोर्सिंग करार में ऐसा खंड भी शामिल होना चाहिए जिसमें रिज़र्व बैंक के किसी एक या अधिक अधिकरियों या कर्मचरियां या अन्य व्यक्तियों द्वारा एनबीएफसी के सेवा प्रदाता और उसकी बहियों तथा खाते का निरीक्षण करने के अधिकार को स्वीकार किया गया हो;

xi. आउटसोर्सिंग करार में यह भी प्रावधान होना चाहिए कि संविदा समाप्त होने या समाप्त किये जाने के बाद भी ग्राहक संबंधी सूचना की गोपनीयता बनाये रखी जाएगी; और

xii. आउटसोर्सिंग करार में सेवा काल की समाप्ति के पश्चात भी सेवा प्रदाता द्वारा एनबीएफसी के हित में दस्तावेज और डाटा परिरक्षण के लिए विधिक दायित्व के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई का प्रावधान सुनिश्चित किया जाएगा।

5.6 गोपनीयता तथा सुरक्षा

5.6.1 एनबीएफसी पर आम जनता का भरोसा तथा ग्राहक का विश्वास एनबीएफसी की स्थिरता तथा प्रतिष्ठा की पूर्वापेक्षा है । अतः एनबीएफसी को चाहिए कि वह अपनी अभिरक्षा में अथवा सेवा प्रदाता के पास जो भी ग्राहक संबंधी जानकारी है उसकी सुरक्षा तथा गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करे ।

5.6.2 सेवा प्रदाता के स्टाफ की ग्राहक संबंधी जानकारी तक पहुंच 'जानना आवश्यक' आधार पर होनी चाहिए अर्थात् पहुंच उन क्षेत्रों तक सीमित रहनी चाहिए जहां आउटसोर्स किए गए कार्य के निष्पादन के लिए वह जानकारी आवश्यक है ।

5.6.3 एनबीएफसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एनबीएफसी के ग्राहक से संबंधित जानकारी, दस्तावेज, अभिलेख तथा परिसंपत्ति को सेवा प्रदाता अलग तथा स्पष्टरूप से पहचान सकता है ताकि जानकारी की गोपनीयता सुरक्षित रह सकती है । उस स्थिति में जहां सेवा प्रदाता अनेक एनबीएफसी के लिए आउटसोर्सिंग एजेंट का कार्य करता है, वहां प्रभावशाली सुरक्षा उपाय बनाने की सावधानी बरतनी चाहिए जिससे जानकारी / दस्तावेज, अभिलेख तथा परिसंपत्तियों का आपस में मिश्रण नहीं होगा ।

5.6.4 एनबीएफसी को सेवा प्रदाता की सुरक्षा पद्धतियों तथा नियंत्रण प्रक्रियाओं की नियमित आधार पर समीक्षा तथा निगरानी करनी चाहिए तथा सेवा प्रदाता से सुरक्षा के उल्लंघनों की जानकारी अवश्य प्राप्त करनी चाहिए ।

5.6.5 ग्राहक से संबंधित गोपनीय जानकारी के प्रकट होने तथा सुरक्षा में किसी भी प्रकार का उल्लंघन होने की स्थिति में एनबीएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक को तत्काल सूचित करना चाहिए । इस तरह की घटनाओं में एनबीएफसी किसी भी क्षति के लिए अपने ग्राहकों के प्रति उत्तरदायी होगा ।

5.7 प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट /प्रत्यक्ष विपणन एजेंट/ वसूली एजेंट की जिम्मेदरियां

5.7.1 एनबीएफसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट /प्रत्यक्ष विपणन एजेंट /वसूली एजेंट को उनकी जिम्मेदरियों को, विशेषतः नये ग्राहक बनाना, फोन करने का समय, ग्राहक संबंधी जानकारी की गोपनीयता तथा प्रस्तावित उत्पादों की सही शर्तें बताने आदि से संबंधित पहलुओं को सावधानी तथा संवेदनशीलता से पूरा करने के लिए समूचित रीति से प्रशिक्षित किया गया है ।

5.7.2 एनबीएफसी डीएसए/डीएमए/वसूली एजेंट के लिए अपने बोर्ड से अनुमोदित उचित व्यवहार संहिता लागू करेंगे और उनसे इस संहिता का अनुपालन संबंधी स्वीकृति प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त वसूली एजेंटों को एनबीएफसी संबंधी उचित व्यवहार संहिता में शामिल अनुदेश तथा बकाये की वसूली तथा प्रतिभूति के पुनर्ग्रहण के संबंध में उनकी अपनी संहिता का भी पालन करना होगा । यह आवश्यक है कि वसूली एजेंट ऐसी कोई कार्रवाई न करें जिससे एनबीएफसी की ईमानदारी तथा प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचे और इसके साथ ही उन्हें ग्राहक गोपनीयता का कड़ाई से पालन करना चाहिए ।

5.7.3 एनबीएफसी तथा उनके एजेंटों को अपने ऋण वसूली के प्रयासों में किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी प्रकार की शाब्दिक डाँट-डपट अथवा शारीरिक उत्पीड़न का सहारा नहीं लेना चाहिए । इनमें ऋणकर्ता के परिवार के सदस्यों, मध्यस्थ (रेफरी) तथा उनके दोस्तों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना अथवा उनकी निजी जिन्दगी में हस्तक्षेप करना, धमकी देने वाले तथा बेनामी फोन करना अथवा झूठे तथा भ्रामक दुष्प्रचार करना भी शामिल हैं ।

5.8 कारोबार की निरंतरता तथा आपात्कालीन बहाली (डिज़ास्टर रिकवरी) योजना का प्रबंधन

5.8.1 एनबीएफसी को अपने सेवा प्रदाताओं से कारोबार की निरंतरता तथा बहाली क्रियाविधियों के प्रलेखन, उन्हें बनाए रखने तथा जांच के लिए एक संतुलित ढांचा विकसित तथा स्थापित करने की अपेक्षा करनी चाहिए । एनबीएफसी को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सेवा प्रदाता कारोबार निरंतरता तथा बहाली योजना की आवधिक रूप से जांच करता है तथा एनबीएफसी अपने सेवा प्रदाता के साथ सामयिक संयुक्त जांच तथा बहाली अभ्यास करने पर भी विचार करे ।

5.8.2 आउटसोर्सिंग करार की अप्रत्यशित समाप्ति अथवा सेवा प्रदाता के परिसमापन से उत्पन्न जोखिम को कम करने के लिए एनबीएफसी को चाहिए कि वे अपने आउटसोर्सिंग पर उचित स्तर का नियंत्रण रखें तथा ऐसे मामलों में अत्यधिक व्यय किए बिना तथा एनबीएफसी के परिचालनों तथा उसके ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं में किसी भी प्रकार की रुकावट के बिना अपने कारोबार परिचालनों को जारी रखने के लिए उचित उपायों के साथ हस्तक्षेप करने का अधिकार रखें ।

5.8.3 एक सक्षम आकस्मिकता योजना स्थापित करने के लिए, एनबीएफसी को वैकल्पिक सेवा प्रदाताओं की उपलब्धता अथवा आपात स्थिति में आउटसोर्स किए गए काम को फिर से एनबीएफसी में करने के लिए वापस लाने की संभावना तथा ऐसा करने में जो लागत, समय व संसाधन खर्च होंगे उस पर विचार करना चाहिए ।

5.8.4 आउटसोर्सिंग से अक्सर सेवा प्रदाता द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का उपयोग किया जाता है। एनबीएफसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सेवा प्रदाता एनबीएफसी की जानकारी, दस्तावेज तथा अभिलेख तथा अन्य परिसंपत्तियों को अलग करने की क्षमता रखते हैं । इससे यह सुनिश्चित होगा कि अनुकूल परिस्थितियों में सेवा प्रदाता को दिए गए सभी दस्तावेज, लेनदेन के अभिलेख तथा जानकारी तथा एनबीएफसी की परिसंपत्तियों को एनबीएफसी के कारोबार के परिचालनों को जारी रखने के लिए सेवा प्रदाता के पास से निकाला जा सकता है अथवा मिटाया, नष्ट अथवा अप्रयोज्य बनाया जा सकता है ।

5.9 आउटसोर्स किए गए कार्यों की निगरानी तथा नियंत्रण

5.9.1 एनबीएफसी के पास अपने आउटसोर्सिंग कार्यों की निगरानी तथा नियंत्रण के लिए एक प्रबंधन संरचना तैयार होनी चाहिए । उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सेवा प्रदाता के साथ आउटसोर्सिंग करारों में आउटसोर्स किए गए कार्यों की उनके द्वारा निगरानी तथा नियंत्रण के प्रावधान होने चाहिए ।

5.9.2 सभी महत्वपूर्ण आउटसोर्सिंग का एक केंद्रीय अभिलेख रहना चाहिए जो एनबीएफसी के बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबंध तंत्र की समीक्षा के लिए तत्काल उपलब्ध हो। इन अभिलेखों को तत्काल अद्यतन किया जाना चाहिए तथा बोर्ड अथवा जोखिम प्रबंधन समिति के समक्ष अर्धवार्षिक समीक्षाएं रखी जानी चाहिए ।

5.9.3 एनबीएफसी के आंतरिक लेखा परीक्षकों अथवा बाह्य लेखा परीक्षकों द्वारा नियमित लेखा परीक्षा से आउटसोर्सिंग व्यवस्था के निरीक्षण तथा प्रबंधन में अपनाई गयी जोखिम प्रबंध पद्धतियों की पर्याप्तता, अपने जोखिम प्रबंध ढांचे तथा इन निदेशों की अपेक्षाओं का एनबीएफसी द्वारा अनुपालन का मूल्यांकन किया जाए ।

5.9.4 एनबीएफसी को कम-से-कम वार्षिक आधार पर सेवा प्रदाता की वित्तीय तथा परिचालन स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए जिससे उसकी अपने आउटसोर्सिंग दयित्वों को पूरा करते रहने की क्षमता का मूल्यांकन

होगा । ऐसी उचित सावधानी समीक्षाओं में जो सेवा प्रदाता से संबंधित समस्त उपलब्ध जानकारी पर आधरित होंगी, कार्यनिष्पादन मानकों, गोपनीयता तथा सुरक्षा और कारोबार की निरंतरता को बनाए रखने की तत्परता में किसी प्रकार की गिरावट अथवा उल्लंघन को विशिष्ट रूप से दर्शाया जाए ।

5.9.5 किसी भी कारण से ऑउटसोर्सिंग करार की समप्ति हो, जिसमें सेवा प्रदाता ग्राहकों से कोई कारोबार करता है, तो इसे प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित कर, वेबसाइट पर अपलोड कर और ग्राहकों को सूचित करके प्रचारित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ग्राहक सेवा प्रदाता से सेवा लेना जारी नहीं रखें ।

5.9.6 कुछ मामलों में जैसे नकद प्रबंधन के आउटसोर्सिंग में एनबीएफसी, सेवा प्रदाता और उसके उप ठेकेदारों के बीच हुए लेनदेन का मिलान करना शामिल है। ऐसे मामलों में एनबीएफसी यह सूनिश्चित करेगा कि एनबीएफसी और सेवा प्रदाता (और/अथवा उप ठेकेदार) के बीच लेन-देन का समय पर मिलान सुनिश्चित किया जाएगा। आउटसोर्स किये गए वेंडर के साथ लंबित प्रविष्टियों का बाद में विश्लेषण कर लेखा परीक्षा समिति बोर्ड (एसीबी) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और एनबीएफसी पूराने शेष बचे मामलों को अतिशीघ्र कम करने के लिए प्रयास करेगी।

5.9.7 आउटसोर्स की गई सभी गतिविधियों की आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए एक सुदृढ़ प्रणाली होगी और इसकी निगरानी एनबीएफसी के एसीबी द्वारा किया जाएगा।

5.10 आउटसोर्स की गयी सेवाओं से संबंधित शिकायतों का निवारण

i. एनबीएफसी को शिकायत निवारण प्रक्रिया पर आरबीआई के दिनांक 18 फरवरी 2013, के परिपत्र संख्या DNBS.CC.PD.No.320/03.10.01/2012-13 दिनांक 18 फरवरी, 2013 में दिये अनुसार शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करेगी । प्रचालन के स्तर पर सभी एनबीएफसी को अपने पदनामित शिकायत निवारण अधिकारी का नाम तथा संपर्क (फोन नंबर/ मोबाईल नंबर और साथ ही ईमेल आईडी को शाखाओं अथवा जिस स्थान पर कारोबार है उसे प्रकाशित करना चाहिए) का व्यापक प्रचार करना चाहिए । पदनामित अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहकों की प्रामाणिक शिकायतों का अविलंब तथा तत्परता से निवारण होता है। यह स्पष्टतः दर्शाया जाए कि एनबीएफसी का शिकायत निवारण तंत्र आउटसोर्स की गयी एजंसी द्वारा दी गयी सेवाओं से संबंधित मामलों पर भी कार्रवाई करेगा ।

ii. सामान्यतः, ग्राहकों को शिकायत प्रस्तुत करने के लिए 30 दिनों की समय-सीमा दी जाए । एनबीएफसी की शिकायत निवारण क्रियाविधि तथा शिकायतों का उत्तर देने के लिए निर्धारित की गयी समय-सीमा बैंक की वेबसाइट पर रखी जाए ।

5.11 वित्तीय आसूचना इकाई अथवा अन्य सक्षम प्रधिकरियों को लेनदेन की रिपोर्ट करना

एनबीएफसी सेवा प्रदाता द्वारा किए गए एनबीएफसी के ग्राहकों से संबंधित कार्यों के संबंध में वित्तीय आसूचना इकाई अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी को मुद्रा लेनदेन रिपोर्ट तथा संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी एनबीएफसी की होगी ।

6. समूह/संगुट के अंदर आउटसोर्सिंग

6.1 सामूहिक संरचना में, एनबीएफसी का बैक ऑफिस और समूह की संस्था के साथ सेवा व्यवस्था/करार हो सकता है, जैसे - परिसर को साझा करना, विधिक और अन्य व्यावसायिक सेवाएं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन, केंद्रीयकृत बैक-ऑफिस गतिविधियां, कुछ वित्तीय सेवाओं को समूह के अन्य संस्था को आउटसोर्स करना आदि। समूह की संस्था के साथ इसप्रकार की व्यवस्था करने से पहले, एनबीएफसी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति और समूह के अन्य संस्थाओं के साथ सेवा संबंधी करार/व्यवस्था भी हो, जिसमें संपदाओं यथा परिसर, कार्मिक इत्यादि को साझा करने के लिए निश्चित सीमा तय हो। इसके अतिरिक्त जहां कहीं भी अनेक सामूहिक

कंपनियां शामिल हैं अथवा क्रोस सेलिंग होती है, तो ऐसे में ग्राहकों को विशेष रूप से यह सूचना दी जाए कि वास्तविक रूप से कौन सी कंपनी सेवा/उत्पाद दे रही है।

6.2 ऐसी व्यवस्था आरंभ करने से पहले एनबीएफसी यह सुनिश्चित करेगी कि ये-

a. करारों का विवरण जैसे कि सेवा का विस्तार, सेवा का प्रभार और ग्राहाकों के आंकड़े की गोपनीयता को बरकारर रखने सहित को उपयुक्त रूप से दस्तावेज में लिखा गया है;
b. एनबीएफसी और उनके समूह की अन्य कंपनियों की गतिविधियों के बीच स्थानों का भौतिक विभेद करके वे ग्राहकों के बीच यह भ्रम न रहने दें कि वे किनके उत्पाद/सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं;
c. स्वतंत्र रूप से एनबीएफसी की जोखिमों की पहचान करने और उसका प्रबंधन करने की क्षमता को पहचानने में किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहिए;
d. भारतीय रिज़र्व बैंक को पर्यवेक्षण के लिए एनबीएफसी अथवा पूरे समूह से संबंधित वांछित जानकारी प्राप्त करने से रोकना नहीं चाहिए;
e. लिखित करार में एक खंड डाला जाए कि किसी भी सेवा प्रदाता के लिए एनबीएफसी गतिविधियों से संबंधित आरबीआई द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा

6.3 एनबीएफसी यह सुनिश्चित करेगा कि समूह की कंपनी द्वारा प्रदत्त परिसर अथवा अन्य सेवाओं (जैसे कि आईटी प्रणाली, सहायक स्टाफ) की उपलब्धता बाधित होने पर सुचारू ढंग से उनके कार्य करने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

6.4 यदि एनबीएफसी का परिसर समूह की कंपनियों द्वारा क्रोस सेलिंग के लिए साझा किया जाता है तो एनबीएफसी यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहकों के लिए कंपनी की पहचान स्पष्ट रूप से पता चले और कोई भ्रम न हो। एनबीएफसी के परिसर में समूह की कंपनी द्वारा प्रयुक्त विपणन ब्रोशर और इसके कार्मिकों/एजेंटों द्वारा मौखिक संवाद में एनबीएफसी के साथ उस कंपनी की व्यवस्थाओं की प्रकृति बतानी होगी ताकि ग्राहकों को उत्पाद के बिक्रेता के बारे में स्पष्ट जानकारी हो।

6.5 एनबीएफसी ऐसा कोई भी विज्ञापन नहीं देगा अथवा कोई करार करेगा जिसमें यह कहा गया हो अथवा सुझाव दिया गया हो अथवा बिना कहे इस बात का प्रभाव डाला जाए कि वह अपने समूह की कंपनियों के दायित्वों के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी है।

6.6 किसी संबंधित पार्टी (अर्थात समूह /संगुट के भीतर की पार्टी) को आउटसोर्स करते समय एनबीएफसी द्वारा अपनाये जाने वाले जोखिम प्रबंधन कार्यप्रणाली वैसी ही होनी चाहिए जैसी कि इस निर्देश के पैरा 5 में दिया गया है।

7. वित्तीय सेवाओं की विदेशी आउटसोर्सिंग

7.1 विदेश में सेवा प्रदाताओं को नियुक्त करने से एनबीएफसी को देश संबंधी जोखिम हो सकती है, जिसके अंतर्गत विदेश में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थितियां तथा घटनाओं का एनबीएफसी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है । ऐसी स्थितियाँ तथा घटनाएं सेवा प्रदाता को एनबीएफसी के साथ किए गए करार की शर्तों को पूरा करने से रोक सकती हैं । ऐसे आउटसोर्सिंग कार्यों में होने वाले देश संबंधी जोखिम के प्रबंधन के लिए एनबीएफसी को चाहिए कि वह जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तथा निरंतर आधार पर भी जिन देशों में सेवा प्रदाता स्थित है उन देशों की सरकारी नीतियों तथा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा विधिक स्थितियों को ध्यान में ले तथा कड़ी निगरानी रखें और देश संबंधी जोखिम की समस्याओं पर कार्रवाई करने के लिए सुदृढ़ क्रियाविधियां स्थापित करें । इसमें संकटकालीन तथा बहिर्गमन संबंधी उचित नीतियां शामिल हैं । सिद्धान्ततः, ऐसी व्यवस्थाएं केवल उन पक्षकारों के साथ होनी चाहिए जो ऐसे क्षेत्राधिकार में कार्य करती हों जहाँ सामान्यतः गोपनीयता संबंधी शर्तों तथा करारों का पालन किया जाता है । व्यवस्था को लागू करने वाले कानून का भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए ।

7.2 भारत के बाहर आउटसोर्स किए गए कार्यो का संचालन इस तरह से किया जाए कि एनबीएफसी के भारत में किए जाने वाले कार्यों के समय पर पर्यवेक्षण करने अथवा पुनर्निर्माण करने के प्रयासों में रुकावट न आए ।

7.3 भारतीय प्रचालन से संबंधित वित्तीय सेवाओं के विदेशी आउटसोर्सिंग के संबंध में एनबीएफसी को उक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करना है कि

a. जहां विदेशी सेवा प्रदाता एक निगमित कंपनी है, तो संबंधित विदेशी नियामक कभी भी व्यवस्था में रूकावट उत्पन्न नहीं करेगा और न ही आरबीआई निरीक्षण दौरा/एनबीएफसी के आंतरिक तथा बाह्य लेखा परीक्षक को रोकेगा।
b. प्रबंधन और आरबीआई के पास रिकॉर्ड की उपलब्धता तब तक रहेगी जब तक विदेशी संरक्षक अथवा भारत में एनबीएफसी दिवालिया नहीं हो जाते हैं।
c. विदेश स्थित विनियामक प्राधिकारी के पास, मात्र इस आधार पर कि प्रोसेसिंग वहां की जा रही है, (यदि ऑफसोर प्रोसेसिंग एनबीएफसी के देश में हो तो यह लागू नहीं है) एनबीएफसी के भारतीय गतिविधियों से संबंधित आंकड़े तक पहुंच नहीं होनी चाहिए।
d. विदेश स्थित स्थान जहां आंकड़े रखे जा रहे हों से संबंधित न्यायालय के क्षेत्राधिकार, इस आधार पर कि आंकड़े की प्रोसेसिंग वहां होती है, भले ही वास्तविक अंतरण भारत में हो, भारत में एनबीएफसी की गतिविधियों पर लागू नहीं होंगे और
e. सभी मूल रिकार्ड भारत में ही रखे जाएंगे।